समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का एक आलोचनात्मक अध्ययन

''जनपद जालौन के विशेष सन्दर्भ में''

बुन्देलखण्ड विश्व विद्यालय झाँसी से
अर्थशास्त्र विषय में
पी-एच०डी० उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध-प्रबन्ध

शोध निर्देशक :
डा. राजबहादुर सिंह
रीडर, अर्थशास्त्र विभाग
अतर्रा कॉलिज, अतर्रा (बांदा)
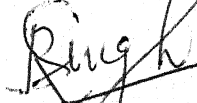
अनुसंधित्सु :
श्रीमती मधुप्रभा तिवारी
प्रवक्ता - अर्थशास्त्र
कालपी कॉलिज, कालपी (जालौन)

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मधुप्रभा तिवारी, प्रवक्ता अर्थशास्त्र विभाग, कालपी कॉलिज कालपी, ने मेरे निर्देशन में– '' समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का एक आलोचनात्मक अध्ययन ''जनपद जालौन के विशेष सन्र्दभ में'' विषय पर अर्थशास्त्र में पी–एच0डी0 उपाधि हेतु अपना शोध कार्य, अर्थशास्त्र विभाग, अतर्रा कॉलिज अतर्रा, बांदा (उ0प्र0) से नियमानुसार पूर्ण किया है।

निर्देशक :

(डा0 राजबहादुर सिंह)
रीडर, अर्थशास्त्र विभाग
जनता महाविद्यालय
अजीतमल (इटावा) उ0प्र0

विषय-सूची

दो शब्द

शोध कार्य का यह गुरूतर कार्य अत्यन्त गवेषणापूर्ण एवं श्रम साध्य होने के साथ ही एक अर्थवत्ता पूर्ण दिशा निर्देश पर आधारित है। इसमें जहां अनुसंधाता की सक्रियता, सजगता एवं सचेष्टता जैसे तत्व महत्वपूर्ण हैं वहीं इससे भी अधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है एक ऐसे निर्देशक की जिसमें विषय की गम्भीर सोच के साथ ही अनुसंधान के क्षेत्र में दिशा–निर्देश की एक व्यापक दृष्टि भी हो। अपनी शोध अवधि में उक्त तत्वों एवं गुणों का पुन्जीभूत रूप डा० राजबहादुर सिंह भदौरिया, रीडर अर्थशास्त्र विभाग जनता महाविद्यालय अजीतमल, इटावा उ०प्र० का मैं आभार व्यक्त करती हूँ।

प्राचार्य, कालपी कॉलिज कालपी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे न केवल शोधकार्य हेतु प्रोत्साहित ही किया अपितु आवश्यकतानुसार अवकाश की स्वीकृति प्रदान करके इस शोध कार्य की पूर्णता में सहयोग किया। डा० एच०बी० गुप्त रीडर, पूर्व अध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग कालपी कॉलिज कालपी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होने मुझे विषयगत मार्गदर्शन एवं नवीन सामग्रियों से

शोध–प्रबन्ध को चारूतर बनाने में अमूल्य योगदान दिया। साथ ही महाविद्यालय परिवार के सभी सहयोगियों की मैं आभारी हूँ जिन्होने मुझे इस शोध कार्य की पूर्णता में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सहयोग दिया है।

शोध विषय ग्रामीण विकास से सम्बन्धित होने के कारण बैंकों तथा ग्रामीण विकास से संबद्ध अन्य अभिकरणों और संस्थाओं का पूर्ण सहयोग मुझे प्राप्त हुआ। इस प्रसंग में जालौन–उरई ग्रामीण बैंक के वरीय प्रबन्धक तथा क्षेत्रीय प्रबन्धक तथा अग्रणी बैंक के पदाधिकारियों के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ जिनकी सहायता से सूचनाओं के संग्रह में निर्वाधता बनी रही। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जालौन जिला सांख्यिकी कार्यालय आदि संस्थाओं के पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देती हूँ जिनके सहयोग ने सम्बन्धित अद्यतन सूचनाओं एवं आंकड़ों को उपलब्ध कराकर मेरे शोधकार्य को सहायता प्रदान की।

आर0आर0 मेहरोत्रा कार्यालय अधीक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष कालपी कॉलिज कालपी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होने समय–समय पर यथा सम्भव शोध सामग्री के संकलन में उत्साह के साथ सहयोग किया।

प्रेरणा श्रोत श्रद्धेय पिता एवं स्नेही माता के आर्शीवाद से मेरा यह शोधकार्य अत्यन्त सहज हुआ है। पति श्री विजय तिवारी की उत्कृट अभिलाषा एवं सतत् प्रेरणा के फलस्वरूप यह शोध कार्य पूर्ण हुआ है। जो उनका मेरे प्रति प्रेम एवं पूर्ण सहयोग का प्रतिफल है। पुत्री कु0 जूली एवं पुत्र मोहित के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ जिनके सर्वदा सहयोग एवं शान्ति से इस कार्य की पूर्णता सम्भव हो पाई है।

अन्त में, उन सभी मित्रों एवं सहयोगियों को धन्यवाद देती हूँ जिन्होने मुझे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस कार्य में सहयोग किया है साथ अंजली कंप्यूटर्स एण्ड विनय स्क्रीन प्रिन्टर्स को धन्यवाद देती हूँ जिनके परिश्रम एवं सहयोग के फलस्वरूप अल्प अवधि में इस शोध प्रबन्ध का अत्यन्त शुद्ध टंकण कार्य सम्पन्न हुआ।

मधुप्रभा तिवारी

मधुप्रभा तिवारी

विषय प्रवेश

भारत ग्राम प्रधान देश है और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के बिना राष्ट्रीय विकास असम्भव है। अर्थात् भारतीय अर्थव्यवस्था का त्वरित विकास हमारें गाँवों के विकास में ही सन्निहित है। यद्यपि भारत में इस दिशा में विकास के प्रयास स्वतन्त्रता के पश्चात् से ही किए जाते रहे हैं विशेषतया पँचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत विकास प्रक्रिया में 70 के दशक में ग्रामीण विकास हेतु एक रणनीति बनाई गई। ग्रामीण क्षेत्रों के त्वरित विकास से उत्पादन में वृद्धि, उत्पादकता के उच्चस्तर के परिणाम स्वरूप आय, आय स्तर में वृद्धि, जिससे ऊंची बचत दर होती है, फलतः कृषि क्षेत्र में न केवल निवेश की मात्रा ही बढ़ जाती है अपितु इससे औद्यौगिक एवं विकास के अन्य क्षेत्रों में भी वृद्धि की प्रवत्ति दृष्टिगत होने लगती है।

चौथी एवं पाँचवी पँचवर्षीय योजनाओं में इस क्षेत्र के विकास हेतु कई कार्यक्रमों की घोषणा की गयी साथ ही इसके लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान भी किए गये, परन्तु उक्त प्रयासों के बावजूद भी "ग्रामीण गरीबी उन्मूलन" के मूल उद्‌देश्य की पूर्ति नहीं हो पाई। अतः उक्त उद्‌देश्य की पूर्ति हेतु समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू किया गया। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्‌देश्य ग्रामीण गरीबों को इस प्रकार से सहायता करना निर्धारित किया गया है कि उन्हे उत्पादक साजो–सामान उपलब्ध कराकर

रोजगार के इस प्रकार के अवसर प्रदान करना ताकि वे स्वयं के प्रयास से अपनी आर्थिक दशा में सुधार ला सके कि उनकी आय–स्तर बढ़ जाये, ताकि उन्हे 'गरीबी की रेखा' से ऊपर उठाया जा सके। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को देश के सभी प्रखण्डों में प्रारम्भ किया जा चुका है, जिसके अन्तर्गत लक्ष्य वर्ग में विभिन्न आय वर्ग के परिवारों यथा भूमिहीन कृषि श्रमिकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं महिलाओं को भी शामिल किया गया है, इस कार्यक्रम में परिवार के मौलिक इकाई के रूप में मानकर, उन्हे किसी न किसी व्यवसाय अथवा रोजगार में लगाये जाने की रणनीति बनाई गई है। जिससे वे परिवार अपने कौशल का महत्तम् उपयोग करके, अधिकतम आय की प्राप्ति करने में सक्षम हो सकेगें, साथ ही क्षेत्र में उपलब्ध आधारभूत संसाधनों एवं सुविधाओ का भी प्रचुर मात्रा में उपयोग किया जा सकेगा। इस प्रकार से 15 मिलियन परिवारों को सभी प्रखण्डों से चयनित करके गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का लक्ष्य छठी पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित किया गया था तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना में 18.2 मिलियन परिवारों को लाभान्वित किया गया।

सातवीं योजना में यह स्वीकार किया गया कि इतने बड़े आकार के कार्यक्रम को बहुत कम तैयारी के साथ शुरू किया गया अतः छठी पंचवर्षीय योजना को परीक्षण की अवधि कहा जा सकता है। जिसके दौरान यह कार्यक्रम धीरे–धीरे प्रकाश में आया, स्थिर भी हुआ, परन्तु जिन कमजोरियों का अनुभव हुआ उन्हें सातवीं योजना में सुधारने का संकल्प लिया गया

1994–95 तक गरीबी अनुपात को कम करके 10 प्रतिशत तक लाने के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर सातवीं योजना में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रतिवर्ष 10 लाख परिवारों को आर्थिक सहायता देने का लक्ष्य रखा गया जबकि छठी योजना में यह लक्ष्य '30' लाख प्रतिवर्ष था।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास पर 34,425 करोड़ रूपये व्यय करने का लक्ष्य रखा गया जो व्यय किये जाने वाले कुल प्रतिशत का 7.9 था।

अर्थात् यह स्पष्ट हो रहा है कि सरकार निरन्तर ग्रामीण विकास तथा ग्रामीण गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए सचेष्ट एवं प्रयासरत है।

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों के निर्धारण के बावजूद भी विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास के मद में व्यय की गई राशि के पश्चात प्रायः यह प्रश्न उठाया जाता रहा है, क्या सचमुच हम ग्रामीण गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में कामयाव हो पा रहे है ? यद्यपि यह दावा किया जाता है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालें परिवारों 1983–84 में 37.4% तथा 1987–88 में 29.9% से अब 1995–96 में घटकर लगभग 25% से भी कम अनुपात रह गया है।

आठवीं योजना तक गरीबी का अनुपात कुल जनसंख्या के 10% से भी कम करने का लक्ष्य था इस लक्ष्य को प्राप्त करने में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम महात्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। परन्तु किसी विस्तृत एवं समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रभावों, इसकी उपलब्धियों और कार्यान्वयन के विशलेषण पर आधारित मूल्यांकन से सम्बन्धित, तथ्यपरक, क्रमबद्ध अध्ययन के अभावों में इस कार्यक्रम के वास्तविक प्रभावों को ज्ञात कर पाना अत्यन्त कठिन सा प्रतीत हो रहा है फिर भी जालौन जनपद में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की सफलता का क्या स्तर रहा है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के मूल्यांकन से सम्वन्धित व्यवस्थित अध्ययन ही प्रस्तुत शोध का अभीष्ट है। अध्ययन में इस तथ्य को खोजने के प्रयास किये जायेगें कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जनपद के लाभान्वित परिवारों के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने में कारगर रहा है, यदि नही तो इसकी असफलता अथवा आंशिक सफलता के पीछे कौन–कौन से कारण रहे है तथा इस कार्यक्रम में कौन एसे परिवर्तन किये जाये कि जिससे निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के आर्थिक स्तर को बढ़ाने में यह कार्यक्रम सहायक हो सके। यद्यपि क्षेत्रीय सर्वेक्षण के दौरान कार्यक्रम के क्रियान्वयन तंत्रों में कई तकनीकी गुणों का अभाव भी देखने को मिला है। कार्यक्रम के नेतृत्व अभिकरणों में भी सामान्य नेतृत्व प्रणाली की कमी स्पष्ट रूप से देखने को मिली, साथ ही परियोजना के आकंलन एवं प्राक्कलन में भी दोषपूर्ण पद्धति का अपनाया जाना आदि भी पाया गया है। इसी कार्यक्रम का सहयोगी ट्राइसेम कार्यक्रम जो कि ग्रामीण युवकों हेतु स्वनियोजन के लिए

संचालित किया जा रहा है। वह भी ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी की मात्रा में यथेष्ठ कमी लाने में निष्फल साबित हो रहा है।

अर्थात कार्यक्रम की सफलता तथा इसके समुचित संचालन हेतु एक सतत् नेतृत्व का होना, इस दृष्टिकोण से नितान्त आवश्यक है कि सही समय से उचित तथा वास्तविक सूचनाओं के आधार पर कार्यक्रम को प्रभावी बनाने एवं सुरक्षात्मक उपायों हेतु उचित निर्णय लिया जा सके। क्योकि केवल यही आवश्यक नहीं है कि नीतियों के तहत मात्र कार्यक्रमों का सूत्रपात ही केवल ग्रामीण गरीबों के लाभार्थ कर दिया जाय, बल्कि आज यह आवश्यक है कि आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यक्रमों के नेतृत्व को प्रशासनिक मजबूती प्रदान करके इसे वास्तविक रूप से ग्रामीण गरीबों के लाभार्थ प्रभावी ढंग से लागू किया जाय। समन्वित ग्रामीण विकास हेतु सरकार भी बचनवद्ध है क्यों कि इस कार्यक्रम के उद्देश्यों में समाज के सभी वर्गो की आकांक्षाओं के अनुरूप उन्हें स्वीकार्य, तथा रोजगार निवेश के माध्यम से आय की उपयुक्त दशाओं को प्राप्त करने का अधिकार तथा समुचित अवसरो के निर्माण की प्रक्रिया को संचालित किया जाना है ताकि समाज के ग्रामीण गरीब स्वनिर्मित आर्थिक स्थिति में ससम्मान मानवीयता पूर्वक अपना जीवन यापन करने में सक्षम हो सकें। अतः आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गो को समान भागीदार बनाकर इस कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक न्याय एवं मानवता के अधार पर वितरित कर दिया जायेगा। क्योंकि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का यही सर्वप्रमुख प्रेरकतत्व, मूल उद्देश्य एवं निमिन्त है।

अतः अब समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जबकि यह छठी, सातवीं एवं 8वीं पंचवर्षीय योजनाओं में सफलता पूर्वक संचालित किया जा चुका है एवं 9वीं योजना में भी इसे संचालित किये जाने की रणनीति का प्रस्ताव पारित किया जा चुका है, तब इसके अन्तर्गत सम्पन्न किये गये कार्यों के मूल्यांकन का अध्ययन करना अत्यन्त आवश्यक प्रतीत हो रहा है।

अर्थात इस अध्ययन के निम्न प्रमुख उद्देश्य हैं –

1– जनपद जालौन में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं संचालन प्रणाली का अवलोकन करके समीक्षा करना।

2– समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर वर्गो के परिवारों की समाजिक आर्थिक दशाओं में की गयी प्रगति एवं विकास का अनुमान लगाना।

3– ग्रामीण समुदाय की आय तथा रोजगार असमानताओं को दूर करने के प्रयासों को अनुमानित करना।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन तथा संचालन के विविध पक्षों के व्यापक एवं विस्तृत अध्ययन हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण एवं अग्रणी बैंक, जालौन जनपद के कार्यालय अभिलेखों,

प्रकाशित प्रतिवेदनों, वार्षिक कार्यशील योजनाओ, जिला त्रृण योजनाओं आदि का भी प्रचुर मात्रा में उपयोग करते हुये अध्ययन कार्य सम्पन्न किया गया है।

प्राथमिक समंको के लिये 1990–91 को आधार मानते हुए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कुल लाभार्थी परिवारों की सूची बनाकर जिसमें देव निदर्शन पद्धति के आधार पर चयनित 200 परिवारों का प्रश्नावली तथा अनुसूची के माध्यम से एक गहन सर्वेक्षण करके सूचनाओं एवं आकडों द्वारा विश्लेषण करने के पश्चात् प्राप्त निष्कर्ष किये गये हैं।

प्रस्तुत अध्ययन में निम्न प्रमुख परिकल्पनाओं एवं अनुमानों की जांच के प्रयास किए गये हैं –

1– समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के सामान्य एवं कमजोर वर्गो के, ग्रामीण गरीबों के समाजिक–आर्थिक दशाओं एवं जनकल्याण और सामाजिक न्याय में की गई प्रगति तथा विकास की जाँच का अनुमान लगाना और

2– ग्रामीण समुदाय के धन, आय तथा रोजगार की असमानताओं को दूर करने के प्रयासों एवं प्रभावों को अनुमानित करना।

इस प्रकार उक्त उद्देश्यों एवं अनुमानों को ध्यान में रखकर

प्रस्तुत अध्ययन को 8 अध्याओं में विभक्त कर शोधकार्य पूर्ण किया गया है। प्रथम अध्याय में प्रस्तावना है जिसमें ग्रामीण विकास की रणनीति के तहत समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा अन्य गरीबी निवारण एवं आत्मनिर्भरता के विभिन्न कार्यक्रमों का समावेश है। द्वितीय अध्याय में शोध पद्धति की संक्षिप्त रूपरेखा है तृतीय अध्याय में ग्रामीण विकास पर विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों तथा पंचवर्षीय योजनान्तर्गत ग्रामीण विकास की रणनीति के स्वरूप की समीक्षात्मक व्याख्या प्रस्तुत की गई है। चर्तुथ अध्याय में समन्वित ग्रामीण विकास के संगठनात्मक स्वरूपों एवं इसके कार्य पद्धति के विश्लेषण का प्रयास किया गया है पंचम अध्याय में जालौन जिले का समान्य परिचय प्रस्तुत किया गया है।

पष्ठम अध्याय में जालौन जिले में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षात्मक व्याख्या प्रस्तुत की गई है। सप्तम अध्याय में समन्वित ग्रामीण विकास का ग्रामीण विकास के प्रभाव का मूल्यांकन चयनित लाभान्वित विभिन्न वर्गीय परिवारों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। और अन्त में प्रस्तुत शोध अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षो के आधार पर सुझाव एवं संस्तुतियों को प्रस्तुत करने के प्रयास के साथ ही यह अनुमान किया गया कि इस अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षो के अधार पर जालौन के ग्रामीण गरीबों को 'गरीबी रेखा' से ऊपर उठाने का सफल प्रयास भविष्य में भी किया जा सकेगा।

यही इस प्रस्तुत शोध अध्ययन का प्रमुख अभिष्ट है।

प्रथम अध्याय

प्रस्तावना

प्रस्तावना

वर्तमान में विश्व के सामने दो प्रमुख आर्थिक समस्यायें हैं – पहली समस्या एशिया के अविकिसित देशों एवं अफ्रीकी देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में फैली गरीबी तथा दूसरी समस्या विकासशील देशों के विकास की गति को बनाये रखने की है जो तीव्र औद्योगिकीकरण के कारण ही अपेक्षित छोड़ दिया गया है। एक समस्या का निराकरण ही दूसरे का समाधान है। यह सम्भव भी है नहीं भी।

गरीबी की समस्या के निराकरण हेतु उन क्षेत्रों में सीधे ध्यान देने की अवश्यकता है जहां ये विद्यमान हैं। इसका समाधान अत्यधिक औधौगिकी करण से नहीं किया जा सकता अपितु इसका समाधान कृषि के विकास से, उत्पादन की कार्यप्रणाली के विस्तार से तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने में निहित है। यह विचार अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत किये गये जिसमें आग्रह किया गया कि वित्तीय संस्थायें अपनी ऋण तथा सहायता नीतियों को पुर्नपरिवर्तित करके विकास शील देशों को उन क्षेत्रो हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करें जिनकी योजनायें कृषि तथा ग्रामीण विकास से सम्बन्धित हों क्योंकि ग्रामीण गरीबी की समस्या एक गम्भीर समस्या है।

विकासशील देशों के लिए कृषि का विकास तथा कृषि उत्पादन में विशेषतौर से खाद्यान उत्पादनों में वृद्धि अत्यन्त महात्वपूर्ण है। भण्डारन की स्थिति अत्यन्त दयनीय है, खाद्यान निर्यातक देशों के भण्डारन में कमी आई है। जिससे विश्व को खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करने में भी बाधा उत्पन्न हो रही है यद्यपि खाधान्न पूर्ति में कमी या गिरावट जलवायु युक्त कारणों तथा कुछ प्राकुतिक आपदाओं के परिणाम स्वरूप भी आई है। वर्तमान समय में खाद्यान्नों के मूल्य में विश्व बाजार में वृद्धि हुई है। विकासशील देशों के आर्थिक विकास के कार्यक्रमों मे खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर लेना अत्यन्त आवश्यक है।

आर्थिक समृद्धि के लिये उत्पादन में बढ़ोत्तरी उतनी ही आवश्यक है जितना विकास के प्रतिष्ठित माडलों में उत्पादन आधिक्य पर स्पष्टतया विशेष बल दिया गया है। खाद्यान्नों के मात्रा की शेष बची हुई अधिक मात्रा माडल के अनुसार यह उत्पादन आधिक्य गैर कृषि क्षेत्रों में लगे हुए श्रमिकों के भी लिये अत्यन्त आवश्यक होता है।

विकासशील देशों में बेरोजगारी समस्या के दूसरे कारण है जिससे इन देशों को ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु अत्यधिक ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। विकास की ओर अग्रसर इन देशों में प्रायः जनशक्ति का बाहुल्य तथा विकास की दर अनपेक्षित होती है। परिणाम स्वरूप इन देशों में

बेरोजगारी का स्तर बढ़ता रहा है।

विकासशील देशों में यद्यपि औद्यौगिकीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई है तथा जनशक्ति की मांग में बढ़ोत्तरी भी हुई है, परन्तु जनशक्ति की पूर्ति अपेक्षाकृत अधिक दर से बढ़ने के कारण बेरोजगारी के स्तर में बृद्धि हुई है। औद्यौगिकीकरण में सामंजस्य न हो पाने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम–बाहुल्य का सम्पूर्ण समायोजन औद्यौगिक क्षेत्रों में न हो पाने की ही सम्भावना है। इसके लिए अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों का विकास उतना ही सक्षमता पूर्वक होना चाहिये जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगारों को इन्ही क्षेत्रों में समायोजित किया जा सके। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में भी सहायक उद्योग–धन्धों के विकास की प्रक्रिया तीव्र गति से प्रारम्भ होनी चाहिए जिससे रोजगार के अधिकतम अवसरों का सृजन किया जा सके। अतः कृषि का विकास तथा ग्रामीण क्षेत्रों का विकास इस सामाजिक समस्या के समाधान का आवश्यक पहलू है। विद्वानों का यह विचार है कि अर्धविकसित देशों में उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाने के लिये नई शक्ति का संचार हो तथा कृषि भूमि सुधार कार्यक्रम भी अत्यन्त प्रभावशाली कदम है। अतः इस पर भी अमल किया जाना चाहिए।[1]

लगभग सभी विकासशील देश ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु विभिन्न क्षेत्रीय कार्यक्रम अपनाऐ हुए हैं। ये सभी कार्यक्रम तत्सत्बन्धित सरकारों एवं सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा पूर्णतया समर्थित होते हैं। जिससे इच्छित उद्देंश्यों

के पूर्ति हो सके और अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। वर्तमान समय में भारत जैसे विकासशील देश ग्रामीण विकास पर अपना ध्यान विशेष रूप से केन्द्रित किए हैं। जिसके लिये कई रणनीतियां बनायी गयीं हैं। जिनमें से 'समन्वित ग्रामीण विकास' कार्यक्रम एक है जिसका मुख्य उद्देश्य गरीब से गरीबतर लोगों के सामाजिक–आर्थिक दशाओं में सुधार लाकर उन्हें 'गरीबी रेखा' से ऊपर उठाना है। इस स्थिति में यह कर्तव्य हो जाता है कि समन्वित ग्रामीण विकास के माध्यम से समस्याओं के निराकरण हेतु नई नीतियों और कार्यक्रमों का मूंल्यांकन करके इसकी सार्थकता को सफल बनाने में अपना योगदान प्रदान करें जिससे यह कार्यक्रम भविष्य में अत्यन्त प्रभावी ढंग से सफल हो सके साथ ही इसके माध्यम से 'ग्रामीण गरीबी' को दूर भगाया जा सके।

विकास की अवधारणा एवं सरंचना :

ग्रामीण विकास के विभिन्न उपादानों के विषय में तर्कसंगत अध्ययन से पूर्व सर्वप्रथम विकास की खासतौर से 'ग्रामीण विकास' की अवधारणा एवं संरचना को समझना नितांत आवश्यक है। जहां तक विकास का तात्पर्य है इसका अर्थ अत्यन्त स्पष्ट है। तकनीकी शब्दों में विकास का तात्पर्य किसी भी अर्थव्यवस्था में गुणात्मक एवं संस्थागत परिवर्तन से होता है। विकास की तुलना में वृद्धि का तात्पर्य एवं सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जी0एन0पी0) में मात्रात्मक परिवर्तन से होता है। आर्थिक वृद्धि किसी भी अर्थव्यवस्था में

समयानुकूल अच्छी वर्षा के कारण अच्छी खाद्यानों के उत्पादन, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के मांग में परिवर्तन के कारण तथा मूल्यों में परिवर्तन से भी सम्भव है। जबकि विकास वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि से सम्बन्धित है। इसके अन्तर्गत व्यक्तियों के मनोवृत्तियों में परिवर्तन होता है उनके मनोभावों में परिवर्तन होता है शैक्षणिक तकनीक में भी परिवर्तन होता है आदि। यहां पर विकास की इस तकनीकी अर्थ को नहीं लिया गया है।

यहां पर विकास का दूसरा पक्ष जो के विकासशील देशों के लिए परमावश्यक है, उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों का समुचित दोहन एवं मानव संसाधनों को समुचित रोजगार उपलब्ध कराने से लिया गया है। उत्पादन में भौतिक साधनों से तात्पर्य विकास में सहायक आर्थिक कारकों को शामिल किया गया है। यथा मानव संसाधनों की प्रचुरता तथा समुचित पूंजी के लिए निम्न लिखित कारक सामाजिक, राजनैतिक, नैतिक एवं शैक्षणिक स्तर से उनकी मानसिकता में यथेष्ट परिवर्तन के द्वारा ही विकास कार्यक्रमों में उनका सक्रिय सहायोग लिया जा सकता है। साथ ही साथ विकास के लिए हमें सामाजिक जीवन में नागरिकता के उचित गुणों का विकास करना भी उतना ही परमावश्यक है जैसे समाज का संगठनात्मक ढांचा, जाति, वर्ग, भाषा, धर्म आदि इसके उदाहरण हैं। आर्थिक वृद्धि अथवा विकास से अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, शैक्षणिक संस्था, बैकिंग–सुविधा, परिवहन, यातायात, भण्डारन आदि सुविधाओं का उपलब्धता से आंका जाता है। इस प्रकार वर्तमान परिपेक्ष में विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए न केवल

हमें आर्थिक कारकों पर ही अपितु अनार्थिक कारकों एवं इसके अन्य पहलुओं पर भी ध्यान रखना होगा जो कि आर्थिक विकास के सही द्योतक हैं।

दूसरे शब्दों में सकल राष्ट्रीय आय में हम प्रतिव्यक्ति आय, समाचार पत्रों की उपयोगिता, बिजली की खपत, सीमेन्ट का उपयोग साथ ही शहरी जनसंख्या का अनुपात लघु एवं कुटीर उद्योग–धन्धों तथा कृषि कार्यो में लगे लोगों की संख्या एवं साक्षरता अनुपात मुत्यु दर स्तर, समाज में महिलाओं का अनुपात तथा श्रमशक्ति मे समुचित विकास को आर्थिक वृद्धि या विकास के संदर्भ में एक साथ जोड़कर देखा जाता है।

आर्थिक विकास के लिए गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी एवं असमानता दूर करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि प्रायः सभी विकासशील देशों का राष्ट्रीय लक्ष्य यही है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु पूर्ण आत्म विश्वास के साथ व्यापक पैमाने पर आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को सकल राष्ट्रीय उत्पादन में बढोत्तरी तथा अत्यधिक गरीबों को सहायतार्थ गरीबी उन्मूलन, असमानता एवं बेरोजगारी को दूर करने के लिए आई0 आर0 डी0 पी0 जैसे कार्यक्रमों को भारत में प्रारम्भ किया गया है।

आर्थिक विकास में ही आर्थिक वृद्धि सन्निहित है, अतः यह अत्यन्त व्यापक अर्थो में भी प्रयुक्त होता है। समानता से तात्पर्य अमीर एवं गरीब के बीच की खाई को कम से कम अथवा अमीरी एवं गरीबी की दूरी को न्यूनतम

बनाये रखना ही विकास के लिए आवश्यक तत्व है।

यह भी महसूस किया जा रहा है कि गांवों में गरीबी रेखा से भी नीचे अत्यन्त दयनीय स्थिति में ग्रामीण गरीब अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उन्हें बिना 'गरीबी रेखा' से ऊपर उठाये वास्तविक अर्थो में विकास असंभव है। अर्थात मानव की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति विकास की अत्यन्त अनिवार्य दशा है, अतः इस पर अवश्य ही समुचित ध्यान देना होगा।[2]

ग्रामीण विकास :– अब हम ग्रामीण विकास के वास्तविक स्वरूप पर प्रकाश डाल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिये यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि सामाजिक न्याय एवं समन्वित तथा संतुलित विकास के मार्ग का अनुसरण किया जाये। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात विकास हेतु अपनाई गयी योजना प्रक्रिया के अन्तर्गत ग्रामीण गरीबों की गरीबी के उन्मूलन के उद्देश्य को अत्यन्त प्राथमिकता के आधार पर पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों में शामिल किया जाता रहा है, किन्तु उनसे अपेक्षित परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाई है। ग्रामीण विकास को लोग भ्रमपूर्वक कृषि विकास ही समझ बैठते हैं। यद्यपि कृषि विकास न केवल ग्रामीण विकास का ही आधार है अपितु बहुत हद तक औद्योगिक विकास भी इसी पर निर्भर करता है। परन्तु ग्रामीण विकास इस कृषि विकास से भी अत्यन्त व्यापक है। क्योंकि इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के अन्य सेक्टरों, जैसे– आधारभूत सुविधाओं का विकास, कुटीर एवं लघु उद्योग–धन्धों का

विकास, विनिमय, वितरण, उत्पादन एवं बाजार व्यवस्था आदि को भी विकसित किया जाता है, जो कि ग्रामीण विकास में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं।

ग्रामीण पुननिर्माण अथवा ग्रामीण विकास कोई नई अवधारणा नहीं है। बल्कि महान कवि 'गुरूदेव' रवीन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम शादि निकेतन के माध्यम से गावों के विकास हेतु योजनाबद्ध कार्यक्रम का सूत्रपात किया था। परन्तु ग्रामीण विकास के लिए क्रमवद्ध रूप से ग्रामीण समस्याओं को समझकर, इनके सही समाधान की समुचित नीति के तहत विशेषतया आर्थिक बुराइयों के निवारणार्थ महात्मा गांधी ने हम सभी को सदैव यह ध्यान दिलाया कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है उक्त सभी समस्याओं का एकमात्र हल ग्रामीण पुनर्निमाण अथवा ग्रामीण विकास ही है।[3]

'ग्रामीण' शब्द का तात्पर्य ही है कि गैर शहरी ढंग से रहन–सहन का जीवन स्तर, पेशागत एवं व्यावसायिक संरचना, सामाजिक संगठन एवं ग्रामीण प्रणाली तथा गांव के ढंग से समायोजन, ग्रामीण परिवेश का रहन–सहन, भवनों आदि की बनावट, सामाजिक रूप से सभी समुदाय आपस में जुडकर अन्तर सम्बन्धित होकर सह निर्भरता की भावना से लोग ओत प्रोत हों, सामुदायिक जीवन पद्धति की छाप उनकी जड़ों तक फैल चुकी हो, जीवन पद्धति में शनैःशनैः परिवर्तन हो रहा हो, जिससे सम्पूर्ण ग्रामीण परिवेश प्राकृतिक छटाँओं से परिपूर्ण हो रहा हो, पेशा के रूप में कृषि पर पूर्ण

निर्भरता हो, पशुपालन ही जिनका मुख्य धन्धा हो, साथ ही साथ वृक्षों एवं फसलों का समान रूप से जिनके लिए महत्व हो, ऐसी उक्त सभी बातों का द्योतक 'ग्रामीण' शब्द है, जो पूर्णतः स्पष्ट है।

ग्रामीण क्षेत्रों की पहचान न केवल सैद्धान्तिक रूप से ही बल्कि व्यवहारिकता के धरातल पर भी शहरी क्षेत्रों से अलग रूप में सामान्य तौर पर की जा सकती है। जहां शहरी क्षेत्रों में अत्याधुनिक सामानों के उत्पादन हेतु बड़े–बड़े उद्योग समूह हैं, बाणिज्य व्यवसाय तथा अन्य सामाजिक सुविधाएं उपलब्ध है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी निवासी आपस में मानवीयता एवं मानवधर्म से एक दूसरे से पूरी तरह से सहसम्बन्धित हैं। किन्तु उक्त गुणों का बेहद अभाव शहरी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। साथ ही ग्रामीण समुदाय आपस में अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप परस्पर जुड़े होते है, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर ही अपनी आजीवका हेतु निर्भर होते हैं। जो कृषि पर आश्रित नहीं होते, वे विभिन्न प्रकार के निर्माण उद्योगों, कुटीर उद्योग–धन्धों तथा अन्य गतिविधियों जैसे– व्यापार, खाद्यानों का क्रय–विक्रय तथा कृषि उत्पादनों के विवरण आदि कार्यो को करके अपनी आजीवका चलाते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में वानिकी, कृषि, आधुनिक डेरी, भेड़ पालन आदि कार्यो को भी सहायक उद्योग के रूप में अपनाया जा रहा है। इस क्षेत्र में परम्परागत कृषि की प्राचीन पद्धतियों ने अब आधुनिक कृषि तथा इसके

सहायक उद्योग–धन्धों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। जिससे अब हम कृषि को उद्योग के रूप में संरचनात्मक एवं संगठनात्मक स्वरूप देने को अग्रसर हो रहे हैं।

यह भी सत्य है कि देश के सम्पूर्ण विकास के लिए शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों को विकसित किया जाना चाहिए। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र आपस में सह सम्बन्धित है, दोनों के सम्यक विकास में ही राष्ट्र का संतुलित विकास निहित है।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि ग्रामीण समस्याओं की हमें पूर्ण जानकारी हो। सामान्य तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी परिवर्तन के लिए यह महत्वपूर्ण है कि सर्वप्रथम इसके आन्तरिक ढांचा को परिवर्तित करके तत्पश्चात् वाह्य रूपों यथा सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक नैतिक आदि में यथेष्ट परिवर्तन लाया जाये। इसमें दो तथ्य सन्निहित हैं।

1. ग्रामीण विकास को तब तक सफल नहीं बनाया जा सकता है जब तक कि इसके लिए एक आन्तन्रिक अर्थ व्यवस्था तथा सही रणनीति के तहत कार्य न किया जाय।

2. ग्रामीण विकास को राष्ट्रीय विकास प्रक्रिया के अंग के रूप में शामिल करके शहरी विकास पर भी समान रूप से बल दिया जाये। अर्थात्

ग्रामीण विकास के अर्न्तगत दो मुख्य तत्व सन्निहित हैं जिसमें पहला आंतरिक है दूसरा वाह्य, किन्तु दोनां के सम्यक विकास से ही ग्रामीण विकास को सफल बनाया जा सकता है। उक्त दोनों ही तत्वों के परिपेक्ष में अपने विश्लेषण पर विशेष बल देने का प्रयास करेंगे।

ग्रामीण विकास एक अत्यन्त व्यापक विचार है। इसके अर्न्तगत मानव जीवन तथा उसकी गतिविधियों से सम्बन्धित विविध तत्वों का समिश्रण है। इसे व्यापक रूप से निम्न लिखित तत्वों एवं दिशा निर्देशों में विभकत करके स्पष्ट तथा समझा जा सकता है। :

ग्रामीण विकास की दिशा :

(1) सामाजिक (2) आर्थिक (3) तकनीकी (4) प्राकृतिक

ग्रामीण विकास का सही तात्पर्य उक्त चारों ही तत्वों में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। उक्त तत्व एक दूसरे से सह–सम्बन्धित होकर इस प्रकार से क्रमिक विकास का सृजन करते हैं कि ग्रामीण विकास के सभी योगिकों का पूर्ण विकास हो। अर्थात् ग्रामीण विकास को इस प्रकार से विकसित किया जाता है कि इस क्षेत्र का सर्वागींण विकास सम्भव हो जाय। इसका यह भी अर्थ है कि राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप ग्रामीण उद्दश्यों को ध्यान में रखकर ही इस विकास प्रक्रिया को आगे बढाया जाय। ग्रामीण विकास में इस क्षेत्र के सामाजिक– आर्थिक स्तरों में तथा मानव कल्याण को

प्राथमिकता के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करके इसके लिए आवश्यक तकनीकि, मानव एवं पर्यावरण में संतुलन बनाना, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना आदि कार्यो को पूर्ण किया जाना चाहिए। गान्धी जी के अुनासार ''ग्रामीण विकास का अर्थ ही राष्ट्रीय विकास है'' अर्थात ग्रामीण समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति को इस स्तर तक मजबूती प्रदान करना है कि वह स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होकर आत्मनिर्भर बन जाय और राष्ट्रीय विकास में अपना अमूल्य योगदान दे सके।

ग्रामीण विकास हेतु पिछले पांच दशकों से राष्ट्रीय नीतियों की घोषणाएं की जाती रहीं हैं। जिसके अर्न्तगत विशेषतया कृषि विकास, फसलोत्पादन पशुपालन तथा अन्य सहायक उद्योग–धन्धों को विकसित करने पर विशेष बल दिया जाता रहा है। जिसके अन्तर्गत उर्वरक के प्रयोग, सिचाँई सुविधाओं में वृद्धि, जल विकास, पशुओं के नश्ल सुधार, हरितक्रांति तथा उत्पादन में सुधार हेतु अनेकानेक उपायों को अपनाया जाता रहा है जिनके अच्छे परिणाम स्पष्ट रूप से देखे जा रहे हैं।[4]

भारतीय अर्थवस्था में गांवों के महत्व को स्वीकार करते हुए भारत में पिछले 50 वर्षो से विभिन्न प्रयास गांवों के विकास हेतु किये जाते रहे हैं। विश्व के किसी भी देश में ग्रामीण विकास हेतु इतना जोरदार प्रयास नहीं किया जा सका है। अपने अनुभवों को संक्षिप्त रूप में संजोकर डा0 के0 वी0 सुन्दरम् ने भी लिखा है कि ग्रामीण विकास के प्रयास को सर्वत्र फैलाने हेतु आवश्यक है कि परिस्थितियों की मांग के अनुसार इसमें आवश्यक संशोधन

करके इसे तुलनात्मक ढंग से इसकी संरचना एवं इसके कार्यान्वयन को समन्वित प्रयास के अन्तर्गत शामिल किया जाय। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की योजना की रणनीति को बहुआयामी बनाकर इसमें अभिलक्षित वर्ग के विकास हेतु प्रयास करके इनके माध्यम से क्षेत्र का भी विकास किया जाय तभी अन्तिम रूप से समन्वित ग्रामीण विकास के प्रयास सार्थक हो सकते हैं।[5]

'गरीबी निवारण या उन्मूलन' की चर्चा से पूर्व यह आवश्यक है कि गरीबी की अवधारणा, इसका अर्थ एवं इसके विभिन्न कारणों की चर्चा पहले करली जाय। गरीबी चाहे किसी भी देश मे हो, मानवता पर ये सबसे बड़ा अभिशाप है यही वह स्थिति है जिसमें मानव सभी अनैतिक गैरकानूनी कार्य करने को बाध्य होता है। अतः किसी राष्ट्र की जनसंख्या गरीब है तो वह राष्ट्र न केवल आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ होगा बल्कि सामाजिक, राजनैतिक एवं नैतिक दृष्टिकोण से बहुत अधिक गिरा हुआ होगा। भारत गुलामी में रहा हुआ देश, जो सदियों शोषण का शिकार रहकर गरीबी का शिकार हुआ है। भारत न केवल गरीब हुआ बल्कि गरीवों में भी बर्ग बने, कुछ अधिक गरीब, कुछ कम गरीब। कम गरीबों ने भी अधिक गरीबों का शोषण किया अधिक गरीब और अधिक गरीब बनता चला गया। मानव ने मानव का शोषण करके अपने आप में वर्ग यहां तक बना लिए कि एक तरफ गगनचुम्बी अट्टालिकाएं है, तो दूसरी तरफ शरण लेने के लिए खुला

आसमान, एक तरफ अधिक खाने से मरते है तो दूसरी तरफ भूख से तड़पतें है।[6]

गरीबी का अर्थ :-

गरीबी का सामान्य अर्थ है, जीवन की आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति न हो पाना। किन्तु यदि हम इसके मानवीय पक्षों पर विचार करें तो पाते हैं कि विभिन्न सुसंस्कृत समाजों में अशिक्षित तथा सांस्कृतिक सुविधाओं के अभाव को भी गरीबी से ही सम्बन्धित किया जा सकता है। इसी प्रकार मानव के स्वस्थ रहने के लिए यह भी आवश्यक है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध होनी चाहिए। परन्तु इसे सम्यक रूप से हम यही कह सकते है कि मानव की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति न हो पाना गरीबी का ही परिणाम है।[7]

गरीबी का दूसरा पक्ष यह भी है कि व्यक्ति की न्यूनतम स्तर की आय, कुपोषण, बीमारी, अशिक्षा, आवास की कमी आदि भी इसी से सम्बन्धित है। आर्थिक पक्ष को ध्यान मे रखने पर यह स्पष्ट होता है कि आय की मात्रा में भी कमी आ जाती है। परिणाम स्वरूप अधिसंख्य ग्रामीण–गरीबों द्वारा अनुपयुक्त तथा अनुत्पादक कृषि कार्यो को भी अपनाया जाने लगता है।[8]

गरीबी के कारण :-

भारत में गरीबी समाज की प्रमुख देन है न कि यह प्राकृतिक उपहार है। क्योकि यह सामान्य तौर से समाज द्वारा ही उत्पन्न की जाती है। यह आर्थिक राख के रूप में समाज के उत्पादित अविशिष्टों के रूप में विद्यमान है। जो विभिन्न वर्गो के सामाजिक एवं राजनैतिक शक्तिओं का आधार भी बन जाती है। समाज के सामाजिक –आर्थिक संगठनों में ही गरीबी के श्रोत तथा इसके तत्व विद्यमान होते हैं तथा प्राकृतिक एवं मनोवैज्ञानिक कारक भी सामाजिक असमानता तथा गरीबी को बढ़ाने में सहायक होते है। गरीबी का दूसरा महत्वपूर्ण कारण अर्थिक संरचना से सम्बन्धित है, जो सम्पूर्ण कृषि सेक्टर में प्रमुखता से विद्यमान है क्योकि यह क्षेत्र प्रमुख रूप से निजी मालिकों के अर्न्तगत कार्य करता है। विकसित अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत निजी एवं सामाजिक क्षेत्रों को शामिल किया जाता है जो कि हमारी अर्थव्यवस्था का मूलधार है। हमारी सामाजिक संरचना में भी व्यवहारगत परिवर्तन आ रहा है। साथ ही समाज के नीति निर्देशक तत्वों जिनके माध्यम से सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक आदि अपनी स्वयं की आवश्यकताओं के अनुरूप तथा अपने अधिकतम लाभ प्राप्ति के उद्‌देश्यों से निर्धारित किए जा रहे हैं।समाज में इन दिनों अपने सामाजिक स्तारों को बढ़ाने की होड–सी मची हुई है। जिसके लिये अत्याधुनिक ऐशों आराम की वस्तुओं के प्रयोग बहुतायत मात्रा में बढ़ रहे हैं। जिसके लिये आज समाज में लोग धडल्ले से अनैतिकता, भ्रष्टाचार, घूसखोरी से लेकर स्मगलिंग एवं कालाबाजारी से सम्बन्धित गलत कार्यो को अपना रहे है। परिणाम स्वरूप न केवल सामाजिक, आर्थिक,

सांस्कृतिक, नैतिक, परिर्वतन ही हो रहें है बल्कि दिनोत्तर अमीरी गरीबी के बीच की खाई सुरसा की तरह मुंह फैलाती जा रही है।

समाज के बहुसंख्यक वर्ग के पास आय का कोई भी समुचित साधन नहीं है जिससे वे अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकें साथ ही अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। यह स्थिति बेरोजगारी के कारण ही उत्पन्न हो रही है। काला धन्धा एवं ब्लैकमनी भी गरीबी का प्रमुख कारण है।[9]

ग्रामीण गरीबी उन्मूलन हेतु पूर्ववर्ती विभिन्न कार्यक्रम :-

कुछ कार्यक्रमों जैसे– सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952), राष्ट्रीय सेवा विस्तार (1953), जिला कृषि प्रसार कार्यक्रम (1961) लघ ु कृषक विकास अभिकरण सीमान्त कृषक विकास अभिकरण एवं कृषि श्रमिक विकास अभिकरण (1970) सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम (1970–71), इत्यादि विकास कार्यक्रमों को ग्रामीण गरीबी के उन्मूलन हेतु एवं स्व नियोजन हेतु कार्यान्वित किया गया।

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि उत्पादन में यथेष्ट बृद्धि एवं औद्यौगिकीकरण पर विशेष बल गरीबी की समस्याओं से निपटने के लिये तथा बेरोजगारी को दूर करने के लिये दिया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना में विशेष रूप से ग्रामीण लेखा परीक्षण एवं पुर्नाविलोकन समिति के प्रतिवेदन

(1969) के प्रस्तुत होने के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास के प्रयासों को विस्तृत ग्रामीण जनसंख्या की क्षेत्रीय प्रगति एवं उत्पादन से जोड़ने का प्रयास किया गया। यही कारण है कि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कमजोर वर्गो की अवश्यकताओं की पूर्णता के लिए विशेष कार्यक्रमों को प्रारम्भ किया गया। जैसे– (लधु कृषक विकास अभिकरण, सीमान्त कृषक एवं कृषि श्रमिक विकास अभिकरण, कमाण्ड एरिया विकास कार्यक्रम) आदि।

पांचवी योजना में किये गये विकास कार्य, योजना के समुचित निर्माण एवं क्रियान्वयन एवं प्रशासनिक कर्मियों को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में देखकर यह निश्चित किया गया कि इन कार्यक्रमों को ग्रामीण विकास हेतु ही विशेषतया केन्द्रित किया जाय। परिणाम स्वरूप कार्यक्रम के क्रियान्वयन के प्रथम चरण मे सीमान्त कृषक विकास अभिकरण एवं एम0एफ0ए0एल0, डी0पी0ए0पी0, सी0डी0ए0 आदि कार्यक्रमों को संयुक्त रूप से एक ही कार्यक्रम के तहत संनिहित किया गया। परिणाम स्वरूप समन्वित ग्रामीण विकास योजना का अभ्युदय छठी योजना 1978 में कराने का प्रावधान किया गया। इस प्रकार से समन्वित ग्रामीण विकास योजना ग्रामीण गरीबों के सामाजिक–आर्थिक दशा को सुधारने का एक सम्पूर्ण प्रयास है।

समन्वित ग्रामीण विकास योजना की अवधारणा :-

ग्रामीण विकास योजना का अर्थ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आमूल परिवर्तन, क्षेत्रीय मानव संसाधनों का समुचित उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों, भूमि एवं

जल का समुचित दोहन करना है तथा मुख्य रूप से क्षेत्रीय विकास पर अविलम्वित है। साथ ही साथ इसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीणों को पूर्ण रोजगार प्राप्त कराके समन्वित ग्रामीण विकास कराना है।[10]

समन्वित ग्रामीण विकास योजना में नवीन अवधारणों का सामवेश इस दृष्टिकोण से किया गया है कि ग्रामीण गरीबों के जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन लाया जाय। इसके लिये विकास प्रक्रिया में गरीबों की सक्रिय भागीदारी तथा समुदाय के पूर्ण सहयोग की आकांक्षा ही इसका प्रमुख उद्देश्य हैं। इसमें ग्रामीण गरीबों तथा समाज के सबसे कमजोर वर्गो के आर्थिक विकास पर विशेष बल दिया जाता है। वर्तमान वर्षो में किये गये विभिन्न प्रयासों से यह स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि समन्वित ग्रामीण विकास योजना, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सफलता पाने हेतु कारगर सिद्ध हो रही है। समन्वित ग्रामीण विकास योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है :–

1– उत्पादन एवं उत्पादकता में प्रचुर वृद्धि करना।

2– समानता– (क) आयप्राप्ति के अवसरों में समानता (ख) सार्वजनिक श्रोतों में समानता (ग) उत्पादन संसाधनों में समानता।

3– पूर्ण रोजगार।

4– आत्म निर्भरता।

5– विकास प्रक्रिया में आम जनता का हिस्सा।

6– नैतिक समायोजन आदि।

भौतिक संसाधनों जैसे– भूमि, वन, जल आदि का उचित प्रबन्धन एवं समायोजन भी इसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है।

उपर्युक्त उद्देश्यों को नई अवधारणा में शामिल कर भविष्य के लिये भारतीय ग्रामीण आर्थिक विकास की व्याख्या की जा रही है। यही कारण है कि सरकार इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये विशेष कार्यक्रमों के तहत विकास की दिशा में त्वरित गति से कार्यरत है। फलतः इन कार्यक्रमों के द्वारा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, ग्रामीण औद्योगिकीकरण, ग्रामीण नियोजन, स्वास्थ्य सुविधायें तथा वयस्क शिक्षा कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है।

भारतवर्ष में समन्वित ग्रामीण विकास योजना का वर्तमान स्वरूप जो कि वर्ष 1978–79 मे देश के चुने हुए 2300 प्रखण्डों मे प्रारम्भ किया गया। अर्थशास्त्री वी0के0 आर0 वी0 राय ने समन्वित ग्रामीण विकास योजना को निम्न शब्दों में परिभाषित किया है – ''समन्वित ग्रामीण विकास योजना के अर्न्तगत ग्रमीण क्षेत्रीय जन जीवन के जीवन स्तर में गुणात्मक वृद्धि, प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों के महत्व उपयोग एवं समुचित दोहन से किया जाता है, यह महत्तम उपयोग न केवल उत्पादन से ही अपितु समान–वितरण पूर्ण रोजगार, गरीबी से नीचे रहने वाले गरीबों की गरीबी उन्मूलन तथा वातावरण

में समुचित सुधार कर किया जा सकता है। इस कार्यक्रम एवं परियोजना का उपयोग कर प्राकृतिक संसाधनों का उचित समायोजन ग्रामीण विकास हेतु किया जाता है। इस प्रकार से समन्वित ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत न केवल भौतिक संसाधनों के मात्रात्मक प्रभाव को ही अपितु जीवन में गुणात्मक सुधार को भी शामिल किया गया है।''[11]

समन्वित ग्रामीण विकास योजना के लक्ष्य एवं उद्देश्य :-

इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण परिवारों का चयन कर लघु कृषक, कृषि श्रमिक, ग्रामीण दस्तकार, कृषि के क्षेत्र में बटाई खेती करने वाले कृषक छोटे व्यापारियों को लाभान्वित करके, उन्हे 'गरीबी रेखा' से ऊपर उठाने के लिए रोजगार के अवसरों को ग्रामीण क्षेत्रों में ही उपलब्ध कराकर उनकी आय में यथेष्ट बृद्धि लाना है। [12]

समन्वित ग्रामीण विकास योजना के विस्तृत उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

1– कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य 'सबसे गरीब परिवार' को 'गरीबी रेखा' से ऊपर उठाना है।

2– इनका चयन लघु एवं सीमान्त कृषक, कृषि तथा गैर कृषि श्रमिक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों को गरीबी रेखा के नीचे हो तथा ऐसे सभी परिवारों को जिनमें कम से कम तीन–चार लोग रह रहें हों तथा जिनकी वार्षिक आय 4600 रूपया से 11000 रूपये है। 11000 रूपय आय वाले परिवारों का चयन आठवीं योजना

में निर्धारित किया गया।

3— देश में कुल 20 करोड़ 14 लाख 'गरीबी की रेखा' से नीचे जीवन यापन कर रहे है जो कुल आबादी का 25.49 प्रतिशत था इनमें से 16 करोड़ 82 लाख लोग ग्रामीण क्षेत्रों मे थे। समन्वित ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत इनके आर्थिक स्तर में बृद्धि करना है ताकि ये गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकें।

4— इनकी आर्थिक दशा सुधारने के लिये रोजगार के अवसरों का सृजन करनाभी प्रमुख उद्देश्य है।

5— आय मे वृद्धि हेतु रोजगार का सृजन, कृषि में पूंजी विनियोग कर, इनके पेशेवर व्यवसायों में आर्थिक सहायता प्रदान कर, कुटीर तथा लघु उद्योगों एवं उपयुक्त व्यवसायों हेतु आवश्यक ऋण देकर इन परिवारों को लाभ पहुचाना है।

6— कृषि पशुपालन, मत्स्य पालन एवं वनों पर आधारित कुटीर उद्योगों एवं वाणिज्य क्रिया—कलापों के लिए इस कार्यक्रम के अर्न्तगत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

समन्वित ग्रामीण विकास योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों की बेरोजगारी दूर करने के लिये उन्हें उचित संसाधनों तथा ऋण के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान कर गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है। कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का आर्थिक विकास करना है।[13]

गरीबी रेखा :- इसका निर्धारण परिवार की वार्षिक आय के आधार पर किया जाता है जिसमें कम से कम चार–पाँच सदस्य रहते है जिनकी परिवारिक वार्षिक आय 11000 रूपया से कम हो तो उन्हे गरीबी रेखा के अन्र्तगत शामिल किया जाता है।

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले, 11000 रूपये से कम वार्षिक आय वाले तथा सबसे गरीब 6400 रूपये वार्षिक आय वाले परिवारों को सर्वप्रथम आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ऐसे सभी परिवारों जिनको आर्थिक सहायता दी जाती है। प्रखण्डवार प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सर्वप्रथम गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की सूची सहायतार्थ प्रेषित करते हैं। जिला विकास अभिकरण सही स्थितियों की जानकारी सूचनाओं के माध्यम से चयनित आय वर्ग वाले परिवारों को आर्थिक सहायता विभिन्न बैंको द्वारा ऋण के रूप में प्रदान की जाती है।

विभिन्न स्तरों पर गरीबी रेखा निर्धारण के विभिन्न दृष्टिकोण हैं। गरीबीनिर्धारण के मापदण्डों मे असमानता एवं मतभेद हैं (2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति खान–पान की खपत ग्रामीण क्षेत्रों मे तथा 2100 कैलोरी शहरी लोगों में खपत भी 'गरीबी रेखा' की माप का एक मापदण्ड कुछ लोगों ने सुझाया है) आर्थिक दशा सही मापदण्ड एवं उपयुक्त विधि है, जीवन स्तर एवं आर्थिक स्थिति की गुणात्मक माप गरीबी रेखा के निर्धारण में एवं विकास के अभाव की जांच के लिये किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत चयनित

सबसे गरीब ग्रामीणों जैसे– लघु एवं सीमांत कृषकों कृषि तथा गैर कृषि श्रमिकों ग्रामीण दस्तकारों एवं कलाकारों, अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों को आर्थिक सहायता ऋण के रूप में देकर गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का सफल प्रयास किया गया है।

इस प्रकार विभिन्न वर्गो के लाभार्थियों के लिये गरीबी रेखा का निर्धारण गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिये ऋण प्रदत्त कर आर्थिक सहायता पहुचाने हेतु परमावश्यक है। इन्हें विभिन्न वर्गो में विभक्त कर अभिलक्षित किया गया है।

अभिलक्षित वर्ग :-

1– लघु कृषक :-

वैसे कृषक जिनके जोतों का आकार 5 एकड़ था इससे कम हो, तो उन्हें हम लघु कृषक की श्रेणी मे मानते है वैसे कृषक जिन्हे प्रथम श्रेणी की सिंचित भूमि की जोत का आकार 2.5 एकड़ या उससे कम हो तो उन्हें भी राज्य हदबन्दी अधिनियम ने लघु कृषक के रूप में परिभाषित किया है। वैसी भूमि जो सिंचित हो परन्तु प्रथम श्रेणी की भूमि न हो, राज्य सरकार द्वारा हदबन्दी के दृष्किोण से 5 एकड़ ही जोतों का आकार निर्धारित किया गया है।

2– सीमान्त कृषक :–

एसे कृषक जिनके जोतों का आकार 2.5 एकड़ या उससे कम हो तो उन्हें हम सीमान्त कृषक की श्रेणी में रखते है।

3– कृषि श्रमिक :–

वैसे भूमिहीन जिन्हें अपने घर के अलावा कृषि योग्य कुछ भी भूमि न हो साथ ही उनके 50 प्रतिशत आय का श्रोत कृषि से प्राप्त मजदूरी ही हो तो उन्हे हम कृषि श्रमिक की श्रेणी में रखते हैं।

3– गैर कृषि श्रमिक :–

एसे लोग जिनकी आय मजदूरी से 200 रूपय माह से अधिक न हो तो उन्हें हम गैर कृषि श्रमिक कहते हैं। वैसे लोग भी जो गैर कृषि कार्यो में मजदूरी के रूप में अपनी आय का 50 प्रतिशत भाग प्राप्त करते हैं, उन्हें भी गैर कृषि श्रमिक की श्रेणी में रखा जाता है।, क्योंकि गाँवों में गैर कृषि कार्य भी प्रचुर मात्रा में किए जाते है।

उपर्युक्त मापदण्डों एवं वर्गीकरण का आधार भाग कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के दृष्टिकोण से किया गया है, क्योकि लाभान्वितों की चयन सूची बनाने एवं अनकी आय तथा जोतों के आकार का निरीक्षण में इसी दृष्टि कोण को प्रस्तुत करते हैं। व्यापक निरीक्षण एवं परीक्षण के पश्चात्, लाभार्थियों की आवश्यकताओं तथा उनके परिवारिक जीवन–स्तर को 'गरीबी रेखा' से

ऊपर उठाने के लिये उचित आर्थिक कार्यक्रमों का निर्धारण किया जाता है।[14]

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अर्न्तगत (संचालित) चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की एक झलक :-

समन्वित ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत वैसी सभी आर्थिक गतिविधियां एवं क्रियाकलापों का चयन जो लाभार्थियों के आय स्तर एवं गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सहायक हो, लागू किया जाता है इसका मुख्य आधार लाभार्थियों द्वारा प्रदर्शित अभिरूचियाँ जो हो एक या एक से अधिक कार्यक्रम हेतु चयन सूची के निर्धारण प्रक्रियाँ में स्पष्ट करते हैं। इस कार्यक्रम में उन सभी कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जाता है जो लाभार्थियों की आय में प्रचुर मात्रा में वृद्धि करने में सहायक सिद्ध होते हैं।

1- व्यक्तिगत लघु सिंचाई से सम्बन्धित कार्य :-

समन्वित ग्रामीण विकास योजना का प्राथमिक उद्देश्य चयनित परिवारों की आय बढ़ाना है। लाभार्थियों को आर्थिक सहायता उन्हें विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से समन्वित रूप में पहुँचाया जाता है। किन्तु परिवारिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर समुचित तथा निश्चित योजना अन्तर्गत आर्थिक सहायता प्रदत्त की जाती है।

इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन पारवारिक आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। कार्यक्रम के

निर्धारण का आधार आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता बाजार की सुविधाऐं तथा अन्य सकारात्मक पहलुओं के आधार पर किया जाता है। इस कार्यक्रम के संचालन प्रक्रिया में पहले क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है तदोपरान्त प्राथमिकताओं के आधार पर गरीबों को लाभान्वित किया जाता है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यक्तिगत लघु सिंचाई के कार्यो में कुआं खोदना, ट्यूबवेल की वोरिंग करना, पम्पसेट, विधुत चलित मोटर, डीज़ल इंजन तथा पम्प घरों के निर्माण में आर्थिक सहायता प्रदत्त की जाती है।

लघु व्यक्तिगत सिंचाई कार्यो हेतु आर्थिक सहायता समन्वित ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत दी जाती है, जिन्हें अनुदान के रूप में ऋण मुक्ति भी सीमान्त तथा लघु कृषकों को प्रदान करायी जाती है।

2- सामुदायिक सिंचाई कार्य एवं सार्वजनिक नालियों द्वारा गंदे जल निकासी की व्यवस्था :-

सामुदायिक सिंचाई के कार्यो में गहरे एवं बड़े ट्यूबवेल का निर्माण बड़े व्यास के कुओं तथा जलाशयों का निर्माण कर पम्पसेट लगाना नदी से सिंचाई हेतु पम्पसेटों द्वारा सिंचाई की व्यवस्था तथा सार्वजनिक नालियों का निर्माण आदि सम्मलित है।

सामुदायिक सिंचाई कार्यो के लिये अनुदान राशि की स्वीकृत निम्न

दशाओं में ही दी जाती है।

1– यदि इस कार्य का संचालन एवं रख रखाव, सहयोग समितियों पंचायतों अथवा महापालिकाओं द्वारा लघु एवं सीमान्त कृषको के लाभार्थ किया जाता हो।

2– यदि इस कार्य से 50 प्रतिशत लाभार्थी सिंचाई सुविधाओं का उपयोग करने वाले लघु एवं सीमान्त कृषक हो,

3– 50 प्रतिशत अनुदान, सीमान्त तथा लघु कृषकों को उनके द्वारा स्वयं की संचालित सिंचाई कार्यो के लिये प्रदत्त की जाती है।

रोजगार प्राप्ति के दृष्टिकोण से लघु सिंचाई से सम्बन्धित कार्यो को उच्चतम प्राथमिता दी जाती है।

पानी के शेडों का प्रबन्धन :-

समन्वित ग्रमीण विकास योजना के अन्तर्गत कम से कम एक छोटे पानी शेड का निर्माण प्रत्येक प्रखण्ड में किया जाता है प्रतिवर्ष प्रत्येक प्रखण्ड में एक छोटे पानी शेड का निर्माण इस सिद्धान्त का अनुसरण करते हुए किया जाता है इन पानी शेडों में वृद्धि 3,6,9 एवं 12 के अनुपात में की जायेगी।

भूमि विकास/भूमि संरक्षण :-

इन योजनाओं के अन्तर्गत सर्वप्रथम विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर कृषकों को अपेक्षित लाभ पहुचानें के दृष्टिकोण से कार्यक्रम को संचालित करने हेतु सर्वेक्षण किया जाता है। अनुदान की राशि तटबन्धों के निर्माण, भूमि को समतल बनाना दरेसी करना, भूमि के जल निकासी के लिए नालियों का निर्माण तथा भूमि को सिंचित करने में अवरोधों को हटाने इत्यादि कार्यो के लिए इस योजना के अन्तर्गत उचित दर से ऋण प्रदत्त किये जाते है। इसके तहत केवल लघु एवं सीमान्त कृषकों को ही अनुदान की राशि प्रदान की जाती है। बड़े कृषकों को उपयुक्त कार्यो के लिये कुछ भी अनुदान की राशि नहीं दी जाती है।

भूमि को उपजाऊ बनाना एवं बंजर भूमि सुधार :-

बंजर भूमि तथा कम उपजाऊ भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिये जिप्सम पायराईट, चूना आदि की खरीद के लिए सीमान्त तथा लघु कृषकों को नियन्त्रित मूल्य पर अनुदानित किया जाता है।

3– डेयरी विकास (पशुधन विकास कार्यक्रम) :-

दुधारू पशुओं का वितरण :-

इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थियों को दो दुधारू पशुओं को देने का प्रावधान है। दूसरा दुधारू पशु दिये गये पहले दुधारू पशु के दुग्ध

ोत्सर्जन अवधि की समाप्ति के तत्काल बाद दिया जाता है, इस योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले दुधारू पशुओं की खरीद पर अनुदान देने का भी प्रावधान है। साथ ही लाभार्थियों को पशुओं के रख–रखाव, चारे की व्यवस्था एवं पशुओं के मूल–भूत सिंद्धान्तो से परिचत कराकर, प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वे अपने पशुओं को बीमारी से बचा सकें। दुधारू पशुओं के अलावा समन्वित ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत अन्य पशु भी अनुदानित दर पर लघु, सीमान्त कृषकों एवं कृषि श्रमिकों को प्रदत्त किये जाते हैं।

4– मुर्गी पालन :-

मुर्गी पालन को विभिन्न आय वर्ग के लाभार्थियों के लिए महत्तम् आय स्तर को बढ़ाने वाले कृषि के सहायक उद्योग धन्धे के रूप में व्यापक पैमाने पर प्रारम्भ किया गया है। इसके लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि मुर्गी पालन की इकाई का आकार ऐसा हो जिससे इसके द्वारा लाभार्थियों की आय को पूर्ण रूपेण बढ़ाया जा सके, ग्रामीण विकास अभिकरण मुर्गी पालन के आकार का निर्धारण तथा इनके रख–रखाव की जानकारी अनुदान की राशि, कृषि श्रमिकों को देने से पूर्व ही कर लेती है।

1– कृषि श्रमिकों को जो भूमिहीन एवं संसाधन विहीन है, को मुर्गी पालन द्वारा लाभान्वित करके उनका समूहिक विकास किया जा सकेगा।

2– लाभार्थियों को जहां वे मुर्गी पाल सकेगें, वहां न केवल भूमि ही उपलब्ध कराई जाती है अपितु मुर्गी पालन के लिए घरों का निर्माण भी

किया जाता है।

3– मुर्गी पालकों को न केवल चिकित्सा की सुविधाऐं ही प्रदत्त की जाती हैं बल्कि मुर्गी को खिलाने के लिये चारों तथा अण्डों की बिक्री हेतु बाजार की सुविधा भी उपलब्ध करायी जाती है।

5– मछली पालन का विकास :-

मछली पालन के लिय जाल, जीरा, नाव उर्वरक एवं खाद्य आदि भी दी जाती है। अनुदान की राशि नये तालाबों के निर्माण एवं पुराने तालाबों में मरम्मत हेतु जो कि मछली पालकों को पंचायतों द्वारा कम से कम 10 वर्षो की अवधि के लिए अनुबन्ध पर दिया जाता है।

मछली पालन का आन्तरिक स्वरूप :-

समन्वित ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत इस कार्यक्रम के लिए शुद्ध जल की उपलब्धता तथा देश की क्षेत्रीय दशाओं को खासतौर से मत्स्य पालन हेतु मछली पालको (मल्लाहों) समाज के अन्य पिछड़े वर्गो के ग्रामीण गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के उद्देश्य से उन्हे मछली पालन जैसे कार्यक्रमों से जोडकर उनके आर्थिक स्तर को सुधारने के लिए समुचित वातावरण का निर्माण किया जाता है।

6- बैल, बैलगाड़ी/ऊँट, ऊँटगाड़ी आदि :-

समन्वित ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत उपर्युक्त क्रिया कलापों के लिए तथा बैलगाड़ी आदि की खरीद के लिए अनुदान राशि दी जाती है।

7- बागवानी :-

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यक्तिगत रूप से बागवानी कृषकों को निम्नलिखित संसाधन जैसे उन्नत बीज, भूमि को समतल बनाना, नर्सरी से पौधों को उपलब्ध कराना, बागवानी के आवश्यक औजारों के लिए नियंत्रित मूल्य पर उपर्युक्त परिसम्पत्तियों को खरीदने के लिये संसाधन उपलब्ध कराये जाते है।

8- रेशम कीड़ा पालन :-

समन्वित ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत शहतूत के पौधे उनकी कटाई करने, रेशम कोपों को संग्रहित करने, उन्हें रेशम धागें के लिए उपयुक्त बनाने तथा सिल्क धागों के निर्माण के लिये आवश्यक औजारों एवं संयत्रो को प्रदत्त करने के साथ ही साथ लघु एवं सीमान्त कृषकों को इस कार्य हेतु प्रशिक्षित भी किए जाने का प्रावधान है।

9- मधुमक्खी पालन :-

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत लागत मूल्यों पर पूंजी के रूप में मधुमक्खी के मधुछत्तों को, शहद एकत्र करने के उपकरणों आदि

को लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा कृषि श्रमिकों को उदार दरों पर उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

10– वनीकरण एवं बृक्षारोपण :–

समन्वित ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण हेतु सम्पूर्ण लागत को ही न केवल देने का प्रविधान है अपितु इसके लिये भूमि भी व्यक्तिगतरूप से उपलब्ध करायी जाती है ताकि वृक्षारोपण हेतु नर्सरियों एवं इसके लिए आवश्यक साज–सामानों के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वनीकरण हेतु निर्धारित क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों तथा वन विभाग द्वारा अधिगृहित जमीन में प्रखण्डों के अन्तर्गत जलवन एवं इमारती लकड़ी की प्राप्ति हेतु तथा चारा आदि के रूप में प्रयोग लाने के लिये बृक्षारोपण समयवद्ध कार्यक्रमों के तहत किया जाता है। एसे प्रखण्ड जो वनों के नजदीक है वे ग्रामीण गरीबों को ग्रीष्म ऋतु में छोटे पैमाने पर वनीकरण करने से अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन होता है।

11– ग्रामीण उद्योग-धन्धें एवं ग्रामीण दस्तकारी विकास कार्यक्रम :–

ग्रामीण उद्योग धंधों में ग्रामीण लघु एवं कुटीर उद्योग धंधे अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं जो ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अतिरिक्त आय एवं रोजगार के अवसरों को प्रदान करते है। इस प्रकार के सभी उद्योग धन्धे उत्पादन एवं रोजगार के सम्यक दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। योजना आयोग ने भी यह सुझाव दिया है कि निम्न लघु एवं कुटीर उद्योगों से भी 69

प्रतिशत लोगों को रोजगार प्राप्त है –

(1) खाद्य पदार्थो का उत्पादन

(2) शराब, तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादन

(3) सूती वस्त्र एवं बुनाई का उद्योग

(4) कपड़ा बुनाई एवं तैयार कपड़ो का उत्पादन

(5) लकड़ी एवं लकड़ी के उत्पाद, फर्नीचर निर्माण

(6) चमड़ा एवं रेशेदार चमड़ो के उत्पाद आदि।

समन्वित ग्रामीण विकास योजना के अनतर्गत उपर्युक्त उद्योग धन्धों की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

100 परिवारों से औद्यौगिक कलाकारों एवं दस्तकारों का चयन प्रत्येक प्रखण्ड में समन्वित ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत स्वनियोजन कार्यक्रम के तहत किया जाता है।

चयनित प्रत्येक परिवारों को आर्थिक सहायता अधिकतम 15000 रूपय अनुमानित दर से प्रति औद्यौगिक इकाई के आधार पर दी जाती है। समन्वित परिवार ग्रामीण औद्यौगिक विकास कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित रूप मे आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते है –

(1) सीमान्त या सुरक्षित धन

(2) औजार एवं संयंत्र तथा मशीन के लिए

(3) शेयर पूंजी जो उन्हें अन्य श्रोतों से उत्पादन हेतु अग्रिम सहायतार्थ बनाने या सहकारी संगठनों के निर्माण में व्यक्तिगत हिस्सा पूंजी के लिए इस शेयर का संस्थागत साख के रूप में जोडनें के लिए एवं नियोजन हेतु ग्रामीण युवक प्रशिक्षण कार्यक्रम (ट्राइसेम)

स्वनियोजन हेतु ग्रामीण युवक प्रशिक्षण कार्यक्रम :-

1- परिचय :-

ट्राईसेम भी समन्वित ग्रामीण विकास योजना का एक अंग है ट्राइसेम केन्द्रीय सरकार (भारत सरकार) के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 15 अगस्त 1979 को प्रारम्भ किया गया है। यह समन्वित ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत ही सुविधा प्रदान करने वाले एक प्रमुख अंग के रूप में है।

2- उद्देश्य एवं उपलब्धि :-

ट्राइसेम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण नवयुवकों को जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के है और जो कृषि के विस्तृत क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने की दृष्टि से अनुपयुक्त है, उन्हें तकनीकी कौशल से प्रशिक्षित कर औद्यौगिक कार्यो में स्वनियोजित करना है। इसके लिये ग्रामीण युवकों का चयन जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के हैं जिनमें से 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग का चयन किया जाता है। जिनमें 30 प्रतिशत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित

जन जातियों से तथा न्यूनतम 33.5 प्रतिशत महिला युवतियों का चयन प्रशिक्षण हेतु किया जाता है। प्रशिक्षण कौशलों द्वारा प्रशिक्षित करना भी चुने अभ्यार्थियों को सयुक्त रूप में स्वनियोजन हेतु प्रोत्साहित करना भी समन्वित ग्रामीण विकास योजना का ही एक कार्य है। इस प्रकार से ट्राइसेम के अन्तर्गत प्रशिक्षण भी उनकी मूलभूत अवश्यकताओं तथा अभिरूचियों को ध्यान में रखकर ही दिया जाता है। समन्वित ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण सवधि में प्रशिक्षण भत्ता तथा प्रशिक्षण व्यय को वहन किया जाता है।

ट्राईसेम का यह भी उद्देश्य है कि परियोजनाओं में उन्हें दैनिक मजदूरी के रूप में रोजगार भी उपलब्ध कराया जाय। इस प्रकार के परियोजनाओं का संचालन राज्य स्तरीय सहयोग संगठन समितियों द्वारा होता है। जो निम्न दशाओं को पूर्ण करने हेतु संचालित होते है –

(1) सम्पूर्ण परियोजना समन्वित रूप में होती है,

(2) सभी लाभार्थी समन्वित ग्रामीण विकास योजना से चयनित वर्ग से हो,

(3) कम से कम 50 प्रतिशत युवक स्वनियोजन हेतु प्रशिक्षण किए गये हो,

(4) सभी लाभार्थियों का प्रशिक्षण ट्राइसेम के अन्तर्गत किया गया है,

(5) स्वनियोजन हेतु प्रशिक्षित युवकों को अनुदान देकर औजार तथा

उनकी औद्यौगिक इकाइयों की स्थापना मात्र प्रशिक्षण मूल्य के आधार पर रोजगार प्राप्त प्रशिक्षितों को मजदूरी रूप में दिया जाता है।

(6) यह रोजगार के रूप में मजदूरी, द्वितीयक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रदत्त किया जाता है।

3– कार्यक्रम की व्यूह रचना :-

इस योजना के अन्तर्गत युवकों को चयन कर प्रशिक्षण या तो प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा अथवा किसी अनुभवी शिक्षक द्वारा इन्हें तकनीकी एवं व्यावसायिक कौशलों से प्रशिक्षित किया जाता है। प्रशिक्षण की सफलता पूर्वक पूर्णता के पश्चात उन्हें अनुदान देकर समन्वित ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत संस्थागत ऋण उपलब्ध कराकर, आय प्राप्ति तथा उत्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों को प्रदान किया जाता है।

3– कार्यक्रम के अंग :-

4– लाभार्थियों का चयन :-

(क) प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों द्वारा अपने प्रखण्ड के चयनित परिवारों के युवकों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। प्राथमिकता के आधार पर ट्राइसेम के अन्तर्गत सहायता के इच्छुक अभ्यार्थियों का चयन किया जाता है। जिनका विवरण पूर्व में किये गये गरीब परिवारों के सर्वेक्षण

एवं चयन प्रक्रिया में ही विस्तृत रूप से किया गया होता है।

(ख) व्यवसायों का चयन :-

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जिला स्तर के अधिकारियों के सलाह पर जिले के लिए आवश्यक व्यवसायों का निर्धारण विभिन्न क्षेत्रीय योजनाओं को ध्यान में रखते हुये करती है। उत्पादक गतिविधियां एवं बाजार की सुविधाओं को प्राथमिताओं के आधार पर निर्धारत करती है साथ ही साथ व्यवसायों का अन्तिम चयन मूल रूप से वस्तुओं की आवश्यकताओं एवं मागों को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवकों को इसके लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदत्त की जाती है।

(ग) प्रशिक्षण सुविधाओं की पहचान :-

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण संसाधनों एवं प्रशिक्षण सुविधाओं में सामंजस्य स्थापित करती है। प्रत्येक प्रखण्ड मुख्यालयों पर इनकी ब्यूरों उपलब्ध रहती है, जैसे – औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान, आई0टी0आई0 पालीटेक्निक, कृषि विज्ञान केन्द्र प्रमुख स्वाशासी संगठन तथा उपलब्ध विभागीय सुविधायें आदि जो इन क्षेत्रों में उपलब्ध रहती है। सम्मानित प्रशिक्षित दस्तकार, प्रशिक्षिकों का भी उपयोग छोटे पैमाने पर प्रशिक्षण कार्य चलाने के लिये किया जाता है कि युवकों के प्रशिक्षण के क्रम में भवन एवं अन्य आवश्यक संसाधनों की कोई कमी न हो सके।

(घ) प्रशिक्षणार्थियों तथा उनके व्यवसायों का चयन :-

(1) सबसे गरीब परिवार के सदस्यों का चयन सर्वप्रथम किया जाता है।

(2) लाभार्थियों की रूचि एवं योग्यता के अनुकूल ट्रेडर्स में प्रशिक्षण हेतु चयन किया जाता है।

(3) इस योजना में महिला लाभार्थी को वरीयता दी जाती है महिलाओं को न्यूनतम 40 प्रतिशत का प्रधिनित्व मिलना चाहिए।

(4) योजनान्तर्गत शिक्षारत विधार्थियों का चयन नही किया जाता।

(5) चयनित अभ्यार्थियों की आई0आर0डी0पी0 के अन्तर्गत ऋण एवं अनुदान दिलाया जाता है जिससे लाभार्थी उद्यम खोल सके

(6) इसके अतिरिक्त लघु कृषक, सीमान्त कृषक, भूमिहीन ग्रामीण शिल्पकार एवं दस्तकारों को वरीयता दी जाती है।

5 प्रशिक्षण :-

(क) पाठ्यक्रम :- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा हरेक व्यवसायों के लिए पाठ्यक्रमों का निर्धारण किया जाता है पाठ्यक्रम का उद्देश्य प्रशिक्षणर्थिओं को रोजगार परक एवं प्रबन्धकीय कौशलों से युक्त करना है।

(ख) अवधि :- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न व्यवसाओं की अवधि अलग–अलग तय की गई है। किन्तु सामान्यतः प्रशिक्षण की अवधि 6

माह तक की है जहाँ कहीं इससे अधिक समय की आवश्यकता होती है वहाँ राज्य स्तरीय समन्वय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर लेना आवश्यक है।

6 प्रशिक्षण भत्ता :-

1 (अ) आई0टी0आई0 सामुदायिक पालीटेक्निक, पालीटेक्निक इंजीनियरिंग कालेज, राज्य स्तरीय तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान कृषि विज्ञान केन्द्र कृषि महाविद्यालय तथा राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित संस्थाओं में 500/– रू0 छात्रवृद्धि दी जाती है।

(ब) उपर्युक्त (अ) में उल्लिचित प्रशिक्षण संस्थानों को प्रति प्रशिक्षार्थी प्रतिमाह 300/– मानदेय देय होगा।

(स) मास्टर क्राफ्टमेन द्वारा दिये जाने वाले प्रशिक्षण में 200/–रू0 छात्रवृत्ति देय होगी।

(द) कच्चेमाल हेतु समस्त प्रशिक्षण संस्थानों को 75/– रू0 प्रति प्रशिक्षार्थी प्रतिमाह देय होगा तथा अधिकतम 70 रू0 तक देय होगा स्वनियोजन के लिये वित्तीय परियोजनाए :– ट्राइसेम प्रशिक्षु ऋण आवेदन प्रशिक्षण के क्रम में ही भरकर देते है जिससे उन्हें प्रशिक्षण अवधि की समाप्ति के तत्काल बाद ऋण की सुविधा उपलब्ध हो जाती है उन्हें समन्वित ग्रामीण विकास योजना के माध्यम से ऋण एवं साख की सुविधा तथा अनुदान

की राशि भी प्रदत्त की जातीहै।[15]

7- संगठनात्मक ढांचा :-

(क) जिला एवं प्रखण्ड स्तरीय :-

ट्राईसेम के संचालन का दायित्व जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का ही होता है जिसमें जिले के सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी शामिल होते है। जिला उद्योग केन्द्र विशेष तौर से इसमें उद्योग सेवा तथा व्यवसाय के क्षेत्र में शामिल होकर कार्य करता है। जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर सहायक परियोजन अधिकारी विशेष रूप से कार्यशील होते हैं। जो ट्राइसेम योजना के विस्तार तथा सुचारू रूप से संचालन हेतु जिम्मेदार होते हैं।

(ख) राज्य स्तर :-

एक राज्यस्तरीय सहयोग संगठन समिति का गठन विशेष तौर से ट्राइसेम योजना के संचालन हेतु किया गया है। इसमें एक परियोजना स्तर का पदाधिकारी, राज्य मुख्यालय में समन्वित विकास योजना के नेतृत्व संगठन में पूर्णरूपेण कार्यरत रहता है जिसे हम निदेशक (ट्राइसेम) के नाम से जानते है। इस पद का सृजन एवं व्यय भार का वहन केन्द्र एवं राज्य सरकार करती है।

(ग) केन्द्रीय स्तर :-

केन्द्रीय समिति, समन्वित ग्रामीण विकास योजना एवं इससे अन्य सम्बन्धित कार्यक्रमों, जिनका प्रधान ग्रामीण विकास विभाग का केन्द्रीय सचिव होता है जो कार्यक्रम के संचालन हेतु आवश्यक नीतियों का निर्धारण तथा दिशा–निर्देश देता है।

8– बजट एवं सहायता राशि :-

ट्राईसेम योजना के अन्तर्गत खर्च की जाने वाली प्रशिक्षण–भत्ता एवं शुल्क की राशि भी समन्वित ग्रामीण विकास योजना से प्राप्त की जाती है क्योंकि इसके लिए अलग से किसी राशि का आवंटन नही होता है।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु समन्वित ग्रामीण विकास योजना से अलग ट्राइसेम हेतु बजट की आवश्यकता महसूस की गई। केन्द्र सरकार ने यह महसूस किया कि समन्वित ग्रामीण विकास योजना के प्रमुख अंग के रूप में इस योजना के लिये राज्य सरकारों द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के प्रमुख अंग के रूप में इस योजना के लिये अलग से बजट निर्धारित किया जाय।

9– विविध ग्रामीण प्रशिक्षण एवं तकनीकी केन्द्र :-

सातवीं योजना (1985–90) में एक नई योजना ग्रामीण विकास हेतु प्रत्येक जिले में लागू की गई है जिसे हम सी0आर0टी0टी0सी0 के नाम से

जानते हैं। इस कार्यक्रम के केन्द्र प्रत्येक जिले में स्थापित किये जा रहे है। इस योजना का संचालन चुने हुए केन्द्रों में व्यापक पैमाने पर तकनीकी दृष्किोण से संचालित किया जा रहा है कि इसके माध्यम से सम्पूर्ण जिले का तकनीकी विकास किया जा सके। बाद में ट्राइसेम योजना का संचालन भी इसी के तहत किये जाने का प्रावधान है।

ग्रामीण क्षेत्रों के महिलाओं तथा बच्चों के लिये विकास कार्यक्रम :-

डा0 डब्लू0सी0 आर0ए0 योजना ग्रामीण समन्वित विकास योजना का अभिन्न अंग है। समन्वित ग्रामीण विकास योजना द्वारा महिला सदस्यों तथा महिला प्रधान परिवारों को आर्थिक सहायता, सीमान्त दृष्टिकोण से प्रदत्त करने के मध्यकालीन पुनविलोकन के पश्चात इस योजना के अन्तर्गत कृषक महिलाओं एवं बच्चों को लाभान्वित करना है। समन्वित ग्रामीण विकास योजना की रणनीतियों में भी यह स्पष्ट किया गया है कि आवश्यक रूप से ग्रामीण परिवारों को 'गरीबी रेखा' से ऊपर उठाने तथा उनके अर्थिक स्तरों के सम्बर्धन में भी महिलाओं की भागीदारी का विशेष खयाल रखा जाय। परन्तु इस डी0डब्लू0सी0आर0ए0 योजना का निर्माण समन्वित ग्रामीण विकास योजना के अतिरिक्त उसके सहायक कार्यक्रम के रूप में किया गया है।

ग्रामीण महिला एवं बालोत्थान योजना 1982 में बनाई गई तथा सन् 1983–84 से इसे पूरे प्रदेश में लागू किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसी महिलाओं की भागीदारी सुनश्चित की गई जो सामन्यतः समन्वित

ग्रामीण विकास योजना जैसे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में उपेक्षित रहीं थीं।

2- उद्देश्य :-

डी0डब्लू0सी0आर0ए0 का मुख्य उद्देश्य छोटे वर्गो में एक वर्ग संगठन का निर्माण करना है, जो गरीब वर्गो तथा सरकार के मध्य सेतु का कार्य कर सके। इस संगठन निर्माण की प्रक्रिया में महिलायें अपनी सक्रिय भागीदारी से ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में अपने स्वयं का भी आर्थिक, सामाजिक उत्थान करने में सफल हो सकेंगी।

उपर्युक्त कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य हैं–

(1) गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को आय सृजन कार्यक्रम उपलब्ध कराना।

(2) महिलाओं को आर्थिक उन्नति के अवसर देकर उन्हें स्वावलम्बी बनाना।

(3) बच्चों को अच्छी देखभाल के अवसर उपलब्ध कराना।

(4) समूह की महिलाओं को सामाजिक निवेश के अन्य अवसरों जैसे–प्रोढ़ शिक्षा, स्वास्थ्य, समेकित बाल विकास योजना, पुष्टाहार आदि कार्यक्रमों से लाभान्वित कराना।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ खास प्रकार के निम्न उद्योगों का चयन जो महिलाओं के लिए उपयुक्त हैं किया गया है जैसे – मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती, मोमबत्ती बनाना, फल संरक्षण, कताई बुनाई, रेशम कीट

पालन, मसाला उद्योग, बड़ी, पापड़ बनाना, साबुन तथा तारकसी आदि।

3- कार्यक्रम की रणनीति :-

इस योजना के अभिलक्षित एवं चयनित वर्ग भी समन्वित ग्रामीण योजना के अन्तर्गत लाभान्वितों की तरह ही है अर्थात ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 11000 रूपये से कम है उन्हें इसके तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रविधान है व्यक्तिगत आय प्राप्ति की परियोजनाओं के लिये आर्थिक सहायता समन्वित ग्रामीण योजना के ढंग पर ही समन्वित ग्रामीण विकास योजना की बजट से इस योजना (डी0डब्लू0सी0आर0ए0) के अन्तर्गत दिया जायेगा।

4- संगठनात्मक स्वरूप :-

डी0डब्लू0सी0आर0ए0 भी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा संचालित किया जाता है। यह भी समन्वित ग्रामीण विकास योजना का ही अभिन्न अंग है। इस कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु जिला स्तर पर सहायक परियोजना पदाधिकारी के पद पर एक महिला की नियुक्ति की जाती है। जिसके तहत मुख्य सेविका, तथा ग्राम सेविका इसके संचालन में सहयोग करेगी। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक प्रखण्ड में एक अतिरिक्त ग्राम सेविका की नियुक्ति इसके सफल संचालन हेतु की जा रही है। प्रत्येक ग्राम सेविका का कार्यक्षेत्र 15 से 20 गाँव होते हैं। मुख्य सेविकाओं तथा ग्राम सेविकाओं एवं परियोजना पदाधिकारी के बीच मासिक बैठक में किए गये कार्यो के पुनरीक्षण,

के आधार पर कार्यक्रम को प्रभावी एवं उपयोगी बनाने हेतु समीक्षा की जाती है।

5- वित्तीय सुविधाए :-

इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक महिला समूह में 10 से 15 महिला सदस्य होती है। ये संगठन स्वतः ही अपने लिये उपयुक्त क्रिया कलापों का निर्धारण करते है। औसतन प्रति संगठन 25000/— रूपये उपलब्ध कराने का प्रवधान है यह आर्थिक सहायता इस संगठन के सदस्यों के आर्थिक दशा सुधारने एवं बाजार की सुविधायें प्रदान करने में सहयोग देती है। इसके लिये व्यापक योजनाओं का निर्माण, प्राप्त की गई राशि के समुचित उपयोग के लिये क्षेत्रीयता तथा सदस्यों की भागीदारी एवं सुविधाओं की उपलब्धिता, क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों के निर्भरता के आधार पर की जाती है। प्रदत्त राशि का कुछ भाग उत्पादन हेतु कच्चें माल को खरीदने तथा उत्पादों की बिक्री बड़ी सुविधाओं पर खर्च की जाती है। संगठन निर्माता का वेतन—भुगतान एवं प्रशासनिक लागत भी इसी राशि में शामिल है। यूनीसेफ (यूनाइटेड नेशन इन्टरनेशनल चिन्ड्रेन इमरजेन्सी फण्ड) 5000/— रूपये प्रति संगठन के हिसाब से अतिरिक्त धन, कार्यक्रम की सुविधाओं की उपलब्धता में वृद्धि जैसे — प्रशिक्षण प्रदर्शन, बच्चों का पालन पोषण आदि के लिये देती है। इस राशि का उपयोग प्रशिक्षण तथा प्रर्दशन के साजों सामानों जैसे — श्यामपट्ट, सिलाई मशीन, हस्तकरघा, मधुमक्खी पालन के उपकरण एवं अन्य कृषि उपकरण इसमें शामिल है।

6– वित्तीय कोष :–

यदि संचालित संगठन का पंजीयन, समिति अधिनियम के अन्तर्गत हुआ हो तो यह संगठन आर्थिक गतिविधियों के लिए बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकता है, इस संगठन से सम्बन्धित प्रत्येक महिला सदस्य समन्वित ग्रामीण विकास योजना के सीमा के अन्तर्गत अनुदान की राशि प्राप्त करने की हकदार होगी किन्तु ऋण राशि के भुगतान के लिये सामान्य रूप सें संगठन के सभी सदस्य जिम्मेदार होंगी।

7– आय बढ़ाने वाले क्रिया कलाप :–

सभी आय बढ़ाने वाली गतिविधियों को डी0डब्लू0सी0आर0ए0 में शामिल किया जाता है। क्रिया कलापों की पहचान प्रत्येक संगठन के लिये उपयुक्त गतिविधि का चयन ग्राम सेविका, मुख्य सेविका तथा सहायक परियोजना पदाधिकारी की अनुशंसा पर की जाती है क्रिया कलापों का चयन, परियोजना के तहत कृषि विकास केन्द्र एवं जिला विकास केन्द्र जैसी संस्थाओं से प्राप्त सहयोग के आधार पर किया जाता है।

8– सहयोगी सेवाऐं :–

डी0डब्लू0सी0आर0ए0 के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संगठन चयनित वर्गो को लाभान्वित करने के उद्देश्य से प्रभावकारी ढंग से अपेक्षित विकास का प्रयास करता है संगठन अपने सदस्यों को विभिन्न

ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सुविधाओं की अनुपलब्धता देखकर सरकार द्वारा संचालित डी0डब्लू0सी0आर0ए0 संस्थाओं तथा विभागों से सहयोग, सेवा के रूप में प्राप्त करने का प्रयास करती है। उदाहरणार्थ व्यास्क साक्षरता परिवार कल्याण तथा 5 वर्षो के बच्चों के लिये चलाये जा रहे हैं विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि।

9- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण तथा प्रखण्डों की भूमिका :-

डी0डब्लू0सी0आर0ए0 समन्वित ग्रामीण विकास योजना का ही एक सहयोगी कार्यक्रम है। इस योजना का प्रमुख दायित्व, निर्माण एवं निर्देशन का कार्य भी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से सम्पादित होता है। एक महिला सहायक परियोजना पदाधिकारी जो सभी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के सदस्यों को संगठित एवं व्यवस्थित रूप से विभिन्न प्रखण्डों में विकास अभिकरणों द्वारा क्रियान्वित करती है। प्रत्येक प्रखण्ड में एक अतिरिक्त ग्राम सेविका के अलावा दो और ग्राम सेविका तथा एक मुख्य सेविका अथवा समाजिक शिक्षा संगठनकर्ता का भी सहयोग लिया जा सकता है।

10- नेतृत्व एवं मूल्यांकन :-

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम सेविका मुख्य सेविका तथा संगठन के अन्य सदस्यों के द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों में भागीदारी के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। प्रत्येक छमाही के अन्त में ग्राम सेविका, मुख्य सेविका तथा संचालित संगठन के लाभान्वित सदस्य मिलकर आपसी विचार

विमर्श के पश्चात उपलब्धियों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु डी0डब्लू.सी0आर0ए0 जैसे–कार्यक्रमों के सफल संचालन की उपयुक्त रणनीति तैयार कर प्रशासनिक नेतृत्व को सकारात्मक सहयोग देने में सफल सिद्ध होते हैं।[16]

गरीबी दूर करने सम्बन्धी नीति :-

सरकार द्वारा हर सम्भव यह प्रयास किया जाता है कि लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो और गरीबी समाप्त हो। आर्थिक कठिनाई और परिर्वतन के समय यह और भी महत्वपूर्ण होता है यह ऐसा समय होता है कि कमजोर और गरीबों को सुरक्षा तन्त्र के प्रसार की और अधिक आवश्यकता होती है। सरकार गरीबी दूर करने के प्रत्यक्ष कार्यक्रमों के क्षेत्र और व्याप्ति क्षेत्र का विस्तार करने के लिये बचनवद्ध है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किया गया है। इसके लिये आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति बढ़ा दी गई है। हमारे सामने जो कार्य है वह समाज के बुरी तरह से प्रभावित वर्गो के लिए गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों के कार्यावन्यन के प्रति अधिक अनुकूल बनाना और उनकी कार्य कुशलता में सुधार करना है।[17]

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अप्रैल–नवम्बर 1991 के दौरान 12–2 लाख परिवारों को सहायता प्रदान की गई। प्रशिक्षित जनशक्ति का उपयोग करने की दृष्टि से स्व–राजगार के लिए ग्रामीण युवा प्रशिक्षण को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से जोड़ दिया गया है। इसके अलावा स्व रोजगार के लिए शहरी निर्धनों और शिक्षित युवाओं को वित्तीय सहायता

तथा अन्य निवेश प्रदान किये जाते हैं। मजदूरी, रोजगार के लिए जवाहर रोजगार योजना क्रियान्वित की जा रही है। ये कार्यक्रम मुख्यतः गरीबी की समस्या से निपटने के लिए हैं। गरीबी के मामले 1972–73 में 51.5% से घटकर 1987–90 में 29.9% रह गए।[18]

गरीबी उन्मूलन करना हमारी विकास योजना प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य रहा है और पिछले दो दशकों से विभिन्न कार्यक्रम भी चलाये जा रहे हैं जिनका लक्ष्य गरीब वर्ग के व्यक्तियों पर केन्द्रित रहा है। परिणाम स्वरूप, इन वर्षो के दौरान अत्यन्त गरीबी के मामले में विशेष रूप से गिरावट आयी है जो मानव संसाधनों में समग्र सुधार की द्योतक है जैसा कि योजना आयेाग द्वारा किए गये निम्नलिखित सारणी में दिए गये अनुमानों से स्पष्ट है।[19]

सारणी–1

गरीबी से सम्बन्धित अनुमान

वर्ष	ग्रामीण गरीबी की संख्या एवं प्रतिशत	शहरी गरीबी की संख्या एवं प्रतिशत	योग
1987–88	16.83 करोड़ (28.37%)	3.31 करोड़ (16.82%)	2.14 करोड़ (25.49%)
1993–94	14.11 करोड़ (21.68%)	2.75 करोड़ (11.55%)	16.68 करोड़ (18.96%)

विशेष रोजगार कार्यक्रम :

ग्रामीण निर्धन वर्ग के लिए कार्यक्रमों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और इसके दो उप कार्यक्रमों स्व–रोजगार लिए ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास तथा मजदूरी–रोजगार कार्यक्रम गारंटी कार्यक्रम जिन्हे 1989–90 में जवाहर रोजगार योजना में मिला दिया गया था, शामिल हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य आर्थिक सहायता और बैंके उधार को मिलाने के माध्यम से ग्रामीण निर्धनों को उत्पादक सम्पत्ति तथा निवष्टियाँ उपलब्ध कराकर स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना है। स्व–रोजगार के लिए ग्रामीण युवकों के प्रशिक्षण के अन्तर्गत निर्धन ग्रामीण युवकों को तकनीकी दक्षताओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि वे स्व–रोजगार अथवा मजदूरी रोजगार प्राप्त कर सकें तथा ग्रामीण क्षेत्रों में महिला व बाल विकास का उद्देश्य निर्धन ग्रामीण स्त्रियों के समूहों के बीच आर्थिक कार्य–कलापों को बढ़ावा देना है। जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य, उत्पादक आर्थिक सम्पत्ति करने के लिए कार्य शुरू करके ग्रामीण बेरोजगार तथा अर्ध–रोजगार प्राप्त व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त लाभप्रद रोजगार सृजित करना है। सातवीं योजना अवधि के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रत के अन्तर्गत 182 लाख परिवारों की सहायता की गई थी और मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों (एन0आर0ई0पी0 और एल0जी0ई0 और जे0आर0आई0) ने रोजगार के 34970 लाख श्रम दिवस सृजित किए।

शहरी निर्धनों के लिए स्व–रोजगार कार्यक्रम (एस0ई0पी0यू0पी0) शिक्षित युवाओं के लिए स्व–रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजना (एन0आर0वाई0) ऐसे कार्यक्रम हैं जो शहरी निर्धनों के लिए शुरू किए गये हैं।

शहरी युवकों के लिए स्व–रोजगार कार्यक्रम सितम्बर 1986 में शुरू किया गया था और यह 10,000 और इससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों और कस्बों को अपनी परिधि में लेता है जो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत नहीं आते। इस योजना के अन्तर्गत शहरी निर्धनों को उपयोगी आर्थिक उद्यम शुरू करने के लिए बैकों द्वारा ऋण दिये जाते हैं जिसके लिए केन्द्र सरकार कुल ऋण की 25% की पूंजी सहायता प्रदान करती है। वर्ष 1992–93 से शहरी निर्धनों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रमों को नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत शहरी उद्यम योजना में मिलाया जा रहा है।

शिक्षित युवा वर्ग के लिए स्वरोजगार, योजना को वर्ष 1983–84 के दौरान शुरु किया गया था, इसका उद्‌देश्य उन परिवारों के 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के शिक्षित युवकों मे स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना है। नेहरू रोजगार योजना अक्टूबर 1989 में शुरू की गई था और बाद में जिसे पुनः तैयार किया गया था, में तीन योजनाएं शामिल हैं। पहली योजना का उद्‌देश्य समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की तरह सभी शहरी बस्तियों में

लघु उद्यम शुरू करने के लिए शहरी गरीब व्यक्तियों की सहायता करना, दूसरी स्कीम का उद्देश्य 10 लाख से कम आबादी वाली सभी शहरी वस्तिओं में गरीब व्यक्तियों के लिए मूल सुविधाओं की व्यवस्था करके मजदूरी रोजगार प्रदान करना और तीसरी योजना का उद्देश्य 1 लाख से 20 लाख की आबादी वाली शहरी बस्तियों में आश्रय उन्नयन के माध्यम से रोजगार प्रदान करना है। इस प्रकार 'नेहरू' रोजगार योजना' शहरी गरीब व्यक्तियों की जीवन दशा में सुधार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है।

सम्भावनाएं :

रोजगार के अवसर बढ़ाने, गरीबी दूर करने कमजोर वर्गो के कल्याण और, विकास, शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार, स्वास्थ्य, रक्षा और जनसंख्या नियन्त्रण के कई कार्यक्रम चल रहे हैं। औद्योगिक और व्यापारिक नीतियों को भी उदार बनाया गया है । इन सभी प्रयत्नों से अधिक स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार के अवसर सृजित होने की सम्भावना है। गरीबी की समस्या पर अधिक कारगर ढ़ंग से नियन्त्रण पाने की आशा है जिससे विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गो के जीवन स्तर में सुधार होगा। बहुत समय से जनसंख्या नियन्त्रण के कई कार्यक्रम चल रहे हैं तथापि देश को अब भी जनसंख्या की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या पर अधि ाक ध्यान दिया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास के परिणाम व्यक्तियों के जीवन स्तर में वास्तविक और व्यापक सुधार परिलक्षित

हों। आवश्यक बुनियादी, उपयुक्त जनशक्ति तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं को प्रदान करने के लिए सामाजिक क्षेत्रों में निवेश की गति बढ़ाने की आवश्यकता है। सरकारी गैर सरकारी अभिकारणों तथा व्यक्तियों के संयुक्त प्रयासों से ही स्थिति में सुधार हो सकता है।

इस प्रकार से प्रस्तुत शोध अध्ययन " जालौन जिले में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम एक आलोचनात्मक अध्ययन" के अर्न्तगत उपर्युक्त वर्णित तथ्यों को सर्वेक्षण से प्राप्त आंकडों के तुलनात्मक विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षो को यथास्थान समुचित व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। जिसे हम अगले अध्यायों में विस्तृत रूप से वर्णन करेंगे।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. भाटिया, बी.एम. : प्रापर्टी, एग्रीकल्चर एण्ड इकनामिक ग्रोथ पृष्ठ 6
2. मॉरिस, सी.टी. : इकनामिक ग्रोथ एण्ड सोशल इक्यूटि इन डेवलेपिंग कन्ट्रीज स्टैण्ड फोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, एटेण्डफोर्ड 1973 पृष्ठ 34
3. अरोड़ा, आर.सी.: इन्टीग्रेटेड रूरल डेवलपमेन्ट, पृष्ठ 1–2
4. मिश्र, आर.पी.एण्ड सुन्दरम् के.बी.: रूरल एरिया डेवलपमेन्ट प्रेस प्रैक्टिकल एण्ड एप्रोचेजपृष्ठ 1–5
5. कुरूक्षेत्र सितम्बर 1984 पृष्ठ 17
6. योजना–16 से 30 सितम्बर 1985 पृष्ठ 11
7. योजना, जनवरी 26 1988 (स्पेशल) पृष्ठ 116
8. अरोड़ा, आ.सी. : इन्टीग्रेटेड रूरल डेवलपमेन्ट पृष्ठ 106
9. योजना जनवरी 26 1988 स्पेशल पृष्ठ 64
10. कुरूक्षेत्र, अगस्त–सिमम्बर 1984 पृष्ठ 5
11. नेशनल लेवर इंस्टीट्यूट बुलेटिन, न्यू दहेली, 1978 भाग 4, नं0 2
12. कुरुक्षेत्र नबम्बर 1987 पृष्ठ 31
13. कुमार बी.:प्लानिंग प्रापर्टी एण्ड एकोनामिक डेवललमेन्टपृष्ठ 249–50
14. गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया, इन्टग्रेटेड रूरल डेवलपमेन्ट एण्ड एलाइड प्राग्राम्स ए मैन्युल 1980, पृष्ठ 1–2
15. वार्षिक कार्ययोजना, जिला विकास अभिकरण
16. गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया, ए मैन्यूल आन आई.आर.डी.पी. एण्ड एलाइड

प्रोग्राम्स 1986 पृष्ठ 33

17. आर्थिक समीक्षा, 1991–92, भाग–1 सामान्य समीक्षा पृष्ठ 25–26 वित्त

18. वही, भाग 2 क्षेत्रवार घटनाक्रम पृष्ठ 140 वित्तमंत्रालय आर्थिक प्रभाग भारत सरकार

19. आर्थिक समीक्षा, 1991–92 भाग 2 क्षेत्रवार घटनाक्रम पृष्ठ संख्या 141 वित्त मंत्रालय आर्थिक प्रभाग, भारत सरकार।

द्वितीय अध्याय

शोध पद्धति

-: शोध पद्धति :-

शोध पद्धति का विवरण :

इस अध्याय के अन्तर्गत प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में प्रयुक्त शोध पद्धति की संक्षिप्त रूप रेखा प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। शोध कार्य की पूर्णतः एवं इसके लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जालौन जिले का चयन किया गया है जिले के सभी विकास खण्डों से दो ग्राम पंचायत से दो गाँवों और प्रत्येक ग्राम से लाभान्वित परिवारों का यचन करके अध्ययन कार्य सम्पन्न किया गया है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्रयुक्त शोध पद्धति के अर्न्तगत शोध क्षेत्र का चयन बैंक शाखाओं, अनुमण्डलों प्रखण्डों, ग्राम पंचायतों चयनित गांवों तथा अन्य निहित कारकों आंकडों का संग्रह तथा विश्लेषण पद्धतियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करेंगे।

शोध क्षेत्र का चयन :- लघु सीमान्त कृषकों, कृषि श्रमिकों दस्तकारों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गो को आर्थिक सहायता देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने के उद्देश्य से ही 2 अक्टूवर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। 30 जून 1995 तक विभिन्न राज्यों में 196 क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना की जा चुकी थी जिनकी 14506 शाखायें

405 विभिन्न जिलों में कार्य कर रहीं थीं।[1]

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य जालौन जिले में समन्वित ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत लाभान्वित ग्रामीण गरीबों को प्रदत्त ऋणों का आर्थिक मूल्यांकन करना है। ताकि इस अध्ययन से प्राप्त निष्कार्षो के आधार पर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन ग्रामीण विकास पर पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखकर किया जा सके जिस हेतु निम्न क्षेत्रों को ध्यान में रखना आवश्यक है –

1– कृषि 2– उद्योग 3– व्यवसाय 4– रोजगार 5– आयस्तर एवं उपभोग स्तर आदि।

उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु हमने जनपद "जालौन" का चयन किया जनपद में ग्रामीण विकास हेतु पिछले कुछ वर्षो से समन्वित ग्रामीण विकास योजना के अर्न्तगत ऋण एवं अनुदान उपलब्ध कराये जा रहे हैं। जनपद में सर्वेक्षण के आधार पर अपना शोधकार्य पूर्ण किया है।

जनपद जालौन के सर्वांगीण विकास में क्षेत्रीय एवं ग्रामीण बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है जिले का अग्रणी बैंक जिले के विकास हेतु सतत् प्रयासरत है। जिले के सभी बैंक समाज की आर्थिक उन्नति हेतु अपने दायित्व का पूर्ण रूपेण निर्वाह कर रहे हैं वर्तमान में जनपद में बैंको की 101 शाखायें है जिनका विवरण निम्नवत है[2] –

सारणी नं0 - 1

जनपद जालौन में बैकवार शाखायें

क्रम सं0	बैंक का नाम	कुल	शहरी/अर्धवाहरी	ग्रामीण
1.	भारतीय स्टेट बैंक	8	5	3
2.	इलाहाबाद बैंक (L.B.)	27	8	19
3.	सेन्ट्रल बैंक	7	3	4
4.	पंजाब नेशनल बैंक	1	1	—
5.	जालौन जिलासहकारी बैक	18	12	6
6.	बैंक ऑफ बडौदा	1	1	—
7.	जिला कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक	4	4	—
8.	छत्रसाल ग्रामीण बैंक	35	4	31
योग		101	38	63

श्रोत – जिला संख्या एवं अर्थ विभाग " समाजार्थिक समीक्षा 1998–1999

जालौन जनपद के अन्तर्गत पांच तहसीले हैं।

1. उरई 2. जालौन 3. कोंच 4. कालपी 5. माधौगढ़

सम्पूर्ण जनपद को 9 विकास खण्डों में विभाजित किया गया है शोध कार्य हेतु प्रत्येक विकास खण्ड से दो ग्राम पंचायतों का चयन किया गया तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत से दो गांव का चयन किया गया है सम्बन्धित गांव के कार्यक्षेत्र में संचालित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखा से वर्ष 1991 से 1998

तक I.R.D.P. के अन्तर्गत लाभान्वित परिवारों से कुल छह परिवारों का चयन प्रस्तुत अध्ययन हेतु किया गया है। अध्ययन क्रम में व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु चयनित उपर्युक्त तथ्यों को निम्न माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

बैंक शाखाओं का चयन :

जालौन जनपद की तहसील कालपी के अतिरिक्त सभी तहसीलों की भूमि समान्यतः समतल है। तथा लगभग समान उपज एवं समान जलवायु की दृष्टि वाले हैं। अतः ग्रामीण बैंक एक ही प्रकार की दशाओं एवं स्तरों को चयन का आधार बनाते हैं।

समन्वित ग्रामीण विकास योजना एवं बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गांवों में रहने वाले परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुद्रढ करके उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभिन्न ग्रामीण बैंकों द्वारा सहायताऐं प्रदान की जाती हैं।[4]

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से सभी प्रखण्डो की ग्राम सभाओं द्वारा लाभान्वित की सूची पारित करवाकर विभिन्न बैंको में आर्थिक सहायता के रूप में ऋण प्रदत्त करने हेतु भेजी जाती हैं। जिले में सर्वाधिक ऋण छत्रसाल ग्रामीण बैंक एवं इलाहाबाद बैंक (अग्रणी बैंक) द्वारा दिये जाते है।[5]

वर्ष 1991 से 1998–99 तक समन्वित ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत ऋण उपलब्ध कराने वाली बैंक शाखाओं का चयन किया गयाहै। सम्पूर्ण अध्ययन आगे के अध्याओं में विस्तार से स्पष्ट किया गया है।

गांवों का चयन :-

चयनित बैंक शाखाओं से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर चयनित गांवों की ऋण सूची बनाई गयी जिसके लिए 1990–91 को आधार वर्ष माना गया है। सम्बन्धित बैंक की शाखा से प्रत्येक प्रखण्ड की दो ग्राम पंचायत तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत से 2 गांवों का चयन समन्वित ग्रामीण विकास योजना के समवर्ती मूल्यांकन हेतु किया गया है इस प्रकार कुल 9 प्रखण्डों से 10 ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत कुल 20 गांवों का चयन प्रस्तुत अध्ययन के दृष्टिकोण से किया गया है।

चयनित बैंक शाखाओं, अनुमण्डलों, प्रखण्डों, ग्राम पंचायतों तथा चयनित गांवों को निम्न प्रकार सारणीबद्ध किया गया है।

सारणी नं0 - 2

अनुमंडल का नाम	प्रखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	गांव का नाम	सम्बन्धित बैंक
1. उरई	डकोर	1. गढ़हर	1. गढ़हर	छत्र0 ग्रा0 बैं0 गढ़हर
		''	2. मडौरा	''
		2. खरूसा	3. खरूसा	इलाहाबाद बैंक उरई
		''	4.इमिलिया	''
2. जालौन	2. जालौन	कैथ	5. मिदौसा	छत्र0 ग्रा0 बैं0 जालौन
	''	''	6. खतुवा	''
	कठौन्द	भदेख	7. ऊमरी मुस्तकिल	इलाहाबाद बैंक कुठौन्द
	''	''	8. नैनापुर	''
3. कालपी	महेवा	महेवा	9. कुटरा	इलाहाबाद बैंक इटौरा
	''	''	10.हथनौरा	''
	कदौरा	बबीना	11. बबीना	इलाहाबाद बैंक कदौरा
	''	''	12. बागी	''
कोंच	कोंच	पिण्डारी	13. पिण्डारी	छत्र0 ग्रा0 बैं0 पिण्डारी
	''	''	14. चांदनी	''
	नदीगांव	कनासी	15. कटकरी	इलाहा0 बैंक नदीगांव
	''	''	16. कनासी	''
माधौगढ़	माधौगढ़	मिझौना	17. मिझौना	इलाहावाद बैंक माधौगढ़
	''	''	18. अहेता	''
	रामपुरा	जगम्मनपुर	19जगम्मनपुर	छत्र0ग्रा0 बैं0 जगम्मनपुर
	''	''	20. हिम्मतपुर	''

श्रोत – एक परिचय – जनपद जालौन, इलाहाबाद बैंक उरई

लाभान्वितों का चयन :

बैंक पदाधिकारियों, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कर्मचारियों के सहयोग से चयनित गांवों से सम्बन्धित ग्रामीण बैंक की शाखाओं तथा प्रखण्ड स्तरीय लाभान्वितों की सूची के आधार पर सभी लघु सीमान्त भूमिहीनों तथा ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत बैंको द्वारा ऋण राशि प्राप्त कर चुके हों इनके चयन में समय आन्तरिक संसाधनों तथा प्राप्त ऋण राशि को ध्यान में रखकर कुल 200 पिरवारों का चयन किया गया है। जिसमें 60 भूमिहीन श्रमिक 55 ग्रामीण दस्तकार 50 सीमान्त कृषक 35 लघु कृषक परिवारों का चयन किया गया है।

सारणी नं0 - 3

विभिन्न आय वर्ग के लाभान्वित परिवारों की संख्या

परिवारों का वर्गीकरण	सर्वेक्षण में चयनित संख्या
भूमिहीन कृषि श्रमिक	60
ग्रामीण दस्तकार	55
सीमान्त कृषक	50
लघु कृषक	33
योग	200

आंकड़ों का संग्रह :

कृषि, उद्योग, व्यवसाय, आय एवं रोजगार तथा समन्वित ग्रामीण विकास योजना से सम्बन्धित विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं का संग्रह चयन किए गये परिवार के सदस्यों तथा परिवार के मुखिया द्वारा प्रश्नावली अनुसूची के माध्यम से व्यक्तिगत साक्षात्कार पद्धति से वर्ष 1990–91 को आधार वर्ष माना गया है।

कृषि से सम्बन्धित आंकड़ों को संग्रहित करने, कृषि जोतों का आकार परिवार के सदस्यों की संख्या, भूमिहीन कृषि श्रमिकों की संख्या भवन कुआं, नलकूप सिंचाई के साधन कृषि यंत्र बाजार आदि से सम्बन्धित सूचनाओं का संग्रह चयनित परिवारों के माध्यम से किया गया है।

इसी प्रकार भूमि के उपयोग फसलोत्पादन, कृषि पद्धति पारिवारिक कुल उपभोग व्यय भूमि–संरक्षण पशुपालन ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग। ट्राइसेम सूखोन्मुख कार्यक्रम तथा ग्रामीण गरीबों से सम्बन्धित तथा अन्य ग्रामीण विकास से सम्बन्धित आंकड़ों का संग्रह किया गया है।

शोध क्षेत्र से सम्बन्धित विभिन्न विषयों के द्वितीयक आंकड़ों का संग्रह जैसे–जालौन जिले की संरचना, भूमि की उपयोगिता, जनसंख्या पुशगणना कुल जोतों का आकार जलवायु, मानसून कुल सिंचित भूमि, फसल उत्पादन की पद्धति प्रतिहेक्टेयर फसल उत्पादन आदि सूचनाओं को विभिन्न द्वितीयक

श्रोतो जैसे जिला विकास अभिकरण, जिला कृषि विकास कार्यालय जिला पशुपालन विभाग, जिला सांख्यकीय विभाग कृषि अनुसंधान केन्द्र, जिला उद्योग केन्द्र, अग्रणी बैंक कार्यालय (इलाहाबाद बैंक उरई) छत्रसाल ग्रामीण बैक प्रधान कार्यालय उरई तथा सम्बन्धित विभिन्न पदाधिकारियों के समन्वय एंव सहयोग से संग्रहित किया है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से सम्बन्धित सूचनाओं को ग्रामीण विकास मंत्रालय लखनऊ एवं सम्बन्धित शोध साहित्यों से संकलिप किया गया है।

उक्त आंकडों के संग्रहण के पश्चात प्रस्तुत अध्ययन के विभिन्न उद्‌देश्यों की पूर्ति हेतु सारणी कृत विश्लेषण तथा आवश्यकता के अनुसार सांख्यिकीय पद्धतियों का सहारा लेकर विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण से प्राप्त तथ्यों को आगे के अध्यायों में यथा स्थान प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

श्रोत :-

1— राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक प्रतिवेदन – 1992—93 पृष्ठ—4

2— समाजार्थिक समीक्षा, जनपद—जालौन पृष्ठ—3

3— जनपद जालौन, एक परिचय, पृष्ठ—2

4— समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, निर्देशिका वर्ष – 1991—92 पृष्ठ—8

5— वार्षिक ऋण योजना, इलाहाबाद बैंक (L.B.) जनपद—जालौन

तृतीय अध्याय

ग्रामीण विकास हेतु सरकारी कार्यक्रम

-: ग्रामीण विकास हेतु सरकारी कार्यक्रम :-

पिछले कुछ वर्षो से ग्रमीण विकास अवधारणाओं में अपेक्षित परिर्वतन होते रहे हैं। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान देकर कृषि एवं निजी क्षेत्र के माध्यम से बेरोजगारी एवं गरीबी जैसी समस्याओं का हल खोजा गया।[1]

महात्मा गान्धी जी का कथन है कि भारत की आत्मा गाँवों में निवास करती है। अतः गाँवों का विकास सन्तुलित आर्थिक विकास की प्राथमिक एवं अनिवार्य दशा एवं शर्त है, साथ ही औद्योगिक प्रगति के लिए भी यह नितान्त आवश्यक है। आर्थिक विकास की मूलभूत आवश्यकता बचत, विनियोग तथा औद्योगिक उत्पादों की खपत भी है साथ ही भारत के ग्रामीण विकास की समस्या जटिल एवं विविध क्षेत्रों से सम्बन्धित है जो अपने उद्देश्यों को गरीबी के कारण उत्पन्न अज्ञानता में समाहित कर लेती है।[2]

गरीबी का आकार एवं परिणाम :-

गरीबी एक ऐसा अभिशाप है जिसे समाप्त करना प्रायः कठिन होता है जबकि मानव मात्र केवल रोटी के बल पर नही रह सकता, उसे कपड़े की आवश्यकता होती है, घर की आवश्यकता होती है, शिक्षा एवं चिकित्सकीय सुविधाओं की भी आवश्यकता होती है। उपर्युक्त सभी आवश्यकताऐं आय स्तर के अनुरूप आवश्यक तथा गरीबी रेखा से भी अधिक महात्वपूर्ण है। इस

प्रकार स्पष्ट है कि सम्पूर्ण देश में गरीबी का आकार अत्यन्त जटिल होता जा रहा है।

योजना आयोग के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का अनुपात 1977–78 में 48.4 प्रतिशत के लगभग सम्पूर्ण देश में था 1987–88 में यही अनुपात 25.49 प्रतिशत यानी 20.14 करोड़ था 1993–94 की अवधि ा में यह अनुपात और भी कम हुआ जो 20.5 प्रतिशत के लगभग था इतने वर्षो में आई कमी से दो बातें मुख्यतः स्पष्ट हो जाती है– कृषि में सुधार तथा गरीबी निवारण हेतु सीधे प्रयास। योजना आयोग के अनुसार 21 वी सदी के प्रारम्भ तक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या मात्र 5 प्रतिशत रह जायेगी।[3]

गरीबी का विस्तार प्रत्येक वर्षो में परिवर्तित होता रहा है किन्तु यह भी महत्वपूर्ण है कि गरीबी रेखा में परिवर्तन कृषि उत्पादन में बृद्धि के कारण हुआ है।

गरीबी उन्मूलन :-

भारत में लगभग 38 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे निवास करती है। गांवों की सम्पूर्ण श्रम शक्ति को भूमि की कम मात्रा के कारण कृषि कार्यो में नही लगाया जा सकता।एसे लोग जिनके पास भूमि की कम मात्रा ही है। उन्हें कृषि कार्यो में अन्य किसी व्यवसाय के अभाव में काम पर लगाते

तो है, परन्तु कृषि कार्यो का सम्पादन पारम्परिक ढंग से पुरानी विधियों एवं औजारों के माध्यम से ही किया जाता है, फलतः कम उपज एवं उत्पादों से अल्प आय ही प्राप्त होती है।

लघु तथा सीमान्त कृषक जो स्वतः ही कृषि कार्यो में लगे रहतें है उनके पास वर्ष भर का काम नही होता न वे कृषि से इतनी आय प्राप्त कर पाते है कि गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकें। पिछले तीन दशकों के योजनागत आर्थिक विकास के अनुभवों से यह स्पष्ट हो चुका है कि गरीबी के कारणों को एकाएक स्वाभाविक रूप से सामान्य आर्थिक कार्यक्रम के द्वारा समाप्त नही किया जा सकता है। इसी कारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी उन्मूलन हेतु एक विशेष कार्यक्रम की आवश्यकता महसूस हुई तथा यह भी स्पष्ट किया गया कि इन कार्यक्रमों का उद्ददेश्य ग्रामीण जीवन में परिवर्तन समन्वित विकास के माध्यम से होना चाहिए।[4]

सतवीं पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास हेतु एक समन्वित रणनीति तैयार की गई जिसमें स्पष्ट किया गया कि "अब विकास कार्यक्रमों में एक मूलभूत परिवर्तन किया जायेगा जिससे न केवल परम्परागत सिद्धान्तों एवं व्यवहारों में ही परिवर्तन होगा बल्कि हम विज्ञान तथा तकनीक का इस दृष्टिकोण से उपयोग करेंगें कि अपने देश के राष्ट्रीय संसाधनों यथा मानव, पशु तथा भौतिक और शारीरिक श्रम के माध्यम से गरीबी को उखाड़ फेंकने में सफल हो सकें"।

योजनाओं में मूलभूत परिर्वतन से तात्पर्य यह है कि हम अपनी आकांक्षाओं में इस तरह परिवर्तन करें कि ग्रामीण गरीबी एवं बेरोजगारी में भी द्रुतगति से परिवर्तन हो सके।[5]

ग्रामीण गरीबी एवं बेरोजगारी एक दूसरे से अन्तर सम्वन्धित है अतः एक का समाधान ही दूसरे का निवारण है किन्तु यह जटिल है सफलता पूर्वक एक निश्चित अवधि में संचालित औद्यौगिकीकरण के कार्यक्रम भी भारत जैसे विशाल देश की ग्रामीण गरीबी जैसी भयानक समस्या का समाधान करने में असफल रहे हैं।

अतः ग्रामीण गरीबी को समस्या के समाधान के लिए इसके उत्पन्न होने के कारणों को समाप्त करना होगा। इस समस्या का समाधान कृषि विकास कृषि उत्पादों में वृद्धि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार के अवसरोंके सृजन के पश्चात भी नही हो पाया है।[6]

यही कारण है कि वर्तमान में भारत के समक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण क्षेत्र के अधिकतम लोगों के समाजार्थिक दशाओं में सुधार लाना ही है। जिसके अन्तर्गत भूमिहीन श्रमिक, लघु कृषक, दस्तकार तथा समाज के अन्य गरीब वर्ग के लोग शामिल हैं।

ग्रामीण विकास से सम्वन्धित विभिन्न क्षेत्रों में कृषि, लघु एवं कुटीर

उद्योग धन्धें ग्रामीण स्वास्थ्य तथा जल निकासी शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण भी है। सम्पूर्ण ग्रामीण विकास इससे सम्बन्धित विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को ग्रामीण जनजीवन से जोडनें का सफल प्रयास किया गया है। क्योंकि किसी भी राष्ट्रीय कार्यक्रम की सफलता सार्वजनिक भागीदारी के आभाव में संदिग्ध रहेगी यही कारण है कि हमने समाज के सबसे कमजोर गरीब वर्ग को ही सर्वप्रथम आर्थिक सहायता देकर उनके आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया है।[7]

गरीबी उन्मूलन पर गांधीवादी दृष्किोण एवं अर्थव्यवस्था :-

वर्तमान अर्थव्यवस्था में गरीबी उन्मूलन हेतु गांधीवादी अर्थशास्त्र की सार्थकता को स्वीकार किया जाना चाहिए। योजनाकारों के लिए यह आवश्यक है कि गांधीवादी विचारों का योजनाबद्ध तरीके से अध्ययन करें तथा ऐसी आर्थिक–नैतिक व्यवस्था स्थापित करें जिससे देश सच्ची प्रगति कर सके।ऐसा करके ही अर्थव्यवस्था में व्याप्त अवरोधों को दूर किया जा सकता है।

गांधी आवश्यकताओं को न्यून रखने का समर्थन करते थे। सादा जीवन उच्च विचार उनका आर्दश नारा था। गांधी जी ने कहा है ''सच्चें अर्थो में सभ्यता जीवन की आवश्यकताओं को बढ़ाने में नहीं, परन्तु जानबूझकर और स्वेच्छा से उनकी मर्यादा बांधने में है'' गांधी जी सच्चा आनन्द भौतिक वस्तुओं की अभिवृद्धि में नही अपितु आत्मसंतोष में मानते थे।

गांधी जी एक ऐसी आर्थिक सामाजिक रचना करना चाहते थे जिससे सभी लोग को अपना विकास करने का अवसर मिल सके जिससे लोग समृद्ध बन सकें। वे एक सीमा के अन्तर आवश्यकताओं को बढ़ाने के पक्षधर थे। यदि किसी व्यक्ति के पास अधिक वस्तु है तो वे उसे अपने पडोसी को देने की बात कहते थे। वे भौतिक वस्तुओं के दिखावे मात्र को कभी उचित नही मानते थे। एक स्थान पर गाँधी जी ने कहा है कि यादि हम अवश्यकताओं पर नियन्त्रण नही कर पाये तो सम्पूर्ण संसार नष्ट हो जायेगा।

हमारे समाज में अमीरी–गरीबी के बीच जो गहरी खाई बनी हुई है गांधी जी उस खाई को दूर करना चाहते थे। वे चाहते थे कि अमीर–गरीब सभी को सुख–सुविधाऐं मिलें। वे भारत में और सारे विश्व में ऐसी व्यवस्था चाहते थे जिसमें किसी मनुष्य को भोजन और वस्त्र का आभाव न हो। प्रत्येक मानव को पूरा काम मिले ताकि वह अपना निर्वाह भली–भांति कर सके। यह तभी संभव है जब प्राथमिक आवश्यकताओं के उत्पादन के साधन जनसाधारण के हाथों में हो।

गांधी जी जिस स्वराज्य का स्वप्न देखते थे वह गरीबों का स्वराज्य है। वह चाहते थे कि गरीबों को सभी आवश्यक चीजें उपलब्ध हो। जब तक हर आदमी की प्राथमिक आवश्यकताऐं पूरी नहीं हो पाती, तब तक गांधी का स्वराज्य स्वप्न अधूरा है। अधिकांश अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को कल्याण से जोडते है और गांधी जी सबको सुख–सुविधाऐं प्रदान करने के पक्ष में थे।

परन्तु फिर भी अन्य अर्थशास्त्रियों से गांधी जी भिन्न प्रतीत होते हैं, क्योकि वह सुख समृद्धि की सीमा बांधते है।

यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकतानुसार ही वस्तु ले तो दुनियां में न तो गरीबी रहेगी न कोई व्यक्ति भूखा मरेगा। यह बात सत्य प्रतीत होती है कि प्राकृतिक नियम तोड़ने के कारण ही हम दुखी और गरीब है। अमीरों को जिस चीज की आवश्यकता भी नही है उनका वे संग्रह कर रहे हैं, गरीबी उन्मूलन हेतु यह उचित होगा कि सब अपनी जरूरत की चीजें ही संग्रह करें। ऐसा न करने से हमारे देश व समाज के कल्याण में अवरोध उत्पन्न होता है। गांधी जी वर्तमान भोग विलासवादी अर्थव्यवस्था को समाप्त करके उसके स्थान पर नई व्यवस्था लाना चाहते थे। यह अर्थव्यवस्था ऐसी हो जिसमें सभी समान रूप से संतुष्ट तथा समृद्ध होगें। गांधी जी अपने स्वराज्य के स्वप्न को साकार करने के लिये चाहते थे कि सभी को रोटी, कपड़ा और मकान अवश्य मिलना चाहिए। आत्म सन्तोष को ही महत्वपूर्ण तथ्य समझना चाहिए। अमीरों को स्वयं को धन का ट्रस्टी समझना चाहिए तथा अपने धन का उपयोग गरीबों की सेवा में लगाना चाहिए। आवश्यकताऐं तभी कम रह सकती हैं, जब व्यक्ति प्रतिदिन श्रम करता हो। परिग्रह नही करना चाहिए। परिग्रह से शोषण, घृणा अव्यवस्था और उत्पीडन का मार्ग प्रशस्त होता है।

तकनीकी विकास के बारें में विचार करते हुए हमें उत्पादन में वृद्धि को मुख्य आधार नहीं मानना चाहिए, बल्कि हमें पर्यावरण तथा सामाजिक

सम्बन्धों को भी ध्यान रखना चहिए। गांधी जी विज्ञान के दर्शन की अपेक्षा मनुष्य के दर्शन के प्रति भी चिन्तित थे। विज्ञान का चाहे जो भी दर्शन हो, उसे मनुष्य के दर्शन का ही भाग होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान, तकनीकी तथा मशीनीकरण में जिस तेजी के साथ वृद्धि हुई है उससे इन तीनो के बीच न केवल संबंध क्षीण हुए है वल्कि विपरीत भी हुए हैं। अर्थात् मनुष्य और भौतिक वस्तुओं के बीच सम्बन्ध उलट गये हैं। गांधी जी के अनुसार मनुष्य का अस्तित्व विज्ञान और मशीनों के लिये नही है इससे मनुष्य को अपनी भौतिक आवश्यकताओं सास्कृतिक, भाई चारे और आध्यात्मिक आवश्यकताओं को भी पूरा करना चाहिए।

गांधी जी सरल टेक्नोलाजी का समर्थन करते थे क्योकि वह गांवों को और ग्रामीणों को भी महत्व देते थे। यह वह तकनीक है जो भारत में रहने वालों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। गांधी जी ने घरेलू तकनीक के विकास पर जोर दिया है वे विदेशी तकनीक को अपनाने के पूर्णतः खिलाफ थे। उनके अनुसार हमें अपनी तकनीक को ही विकसित करना चाहिए गांधी जी के दृष्टिकोण के अनुसार विदेशों से मंगाई गई तकनीक के दुष्प्रभाव भी देखे ला सकते हैं। यह तकनीक पूंजी प्रधान होती है तथा पूंजी दुर्लभ लाभ के सकेन्द्रण पर बल देती है, इससे बड़े बाजारों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। गरीब देशों में विदेशी तकनीकी वस्तुऐं लागत कीमत को भी मनमाने तरीके से बसूलती है। जबकि गाँधी जी चाहते थे तकनीक का विकास ऐसा हो, जिससे पूरा रोजगार मिलना चाहिए कम खर्च पर उपयोग

की वस्तुओं का उत्पादन होना चाहिए जिससे जनता की आवश्यकताऐं पूरी हो सकें। जिन उद्योगों में उच्च तकनीकी की आवश्यकता होती है उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में खोजा जाना चाहिए।

गांधी जी परिस्थितियों के अनुसार तकनीकी का प्रयोग करना चाहते थे जिन यंत्रों से श्रमिक बेकार हो जाते हैं और शक्ति थोडे हाथों में केन्द्रित हो जाती है गांधी जी उसके खिलाफ थे। वह श्रम प्रधान तकनीक के पक्षधर थे जिससे देश को बेरोजगारी की समस्या का समाना न करना पडे। हमारा देश कृषि प्रधान देश है देश की पुरानी परिस्कृत तकनीक ही प्रयोग करना चाहिए। भारत के लिए यह जरूरी है कि यहां पूंजी प्रधान तकनीक के बजाय श्रम प्रधान तकनीक को अधिक महत्व दिया जाए क्योंकि बेकारी दूर करना हमारी प्राथमिक आवश्यकता है।

गांधीवादी विचारधारा का मुख्य उद्देश्य है कि मानव मूल्यों को व्यापकता प्रदान की जाए। मनुष्य का लक्ष्य आर्थिक ही नहीं भौतिक भी हो। किसी को भी शारीरिक या मानसिक किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। परन्तु होता इसके विपरीत है। मनुष्य धन के पीछे दौडता है। धन कमाने के लिए वह शोषण करता है। गांधी जी के अनुसार धन के लिए मानवता को नहीं खोना चाहिए क्योंकि धन मनुष्य के लिए है न कि मनुष्य धन के लिए।

गांधी जी खादी के प्रयोग बल अधिक बल देते थे। उनके अनुसार खादी मानव मूल्यों की रक्षा करता है। खादी के प्रयोग से धन का विकेन्द्रीकरण नहीं होगा, बेकारी नहीं होगी, किसी का शोषण नहीं होगा। उनके अनुसार खादी भावना का अर्थ है, पृथ्वी के हर मनुष्य के साथ सहानुभूति। वे कहते थे कुटीर उद्योंग, ग्रामोद्योग व चरखे आदि के प्रयोग से मानवीय मूल्यों की रक्षा होती है। गांधी जी चाहते थे कि सुख–साधनों की वृद्धि के साथ मानवीय मूल्यों में भी वृद्धि होती रहे।

विशाल मशीनरी के प्रयोग से वातावरण प्रदूषित हो चुका है। प्रदूषण की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। गांधीवादी नीति को अपना कर चरखा चक्की, लघु और ग्रामोद्योग को अमल में लाकर प्रदूषण के खतरे से बचा जा सकता है। प्रदूषण का प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य और उसकी कार्यक्षमता पर प्रतिकूल पड़ता है। इसलिए हाथ से किये गये काम को अधिक प्राथमिकता देना श्रेयकर होगा गांधी जी ने उद्योगवाद का विरोध किया। उद्योगवाद से प्रदूषण बढ़ता है, जिसका मानव के स्वास्थ्य और कार्यक्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

गांधी जी स्वेदेशी वस्तुओं के उपयोग को महत्व देते थे उनके अनुसार स्वेदशी माल भले ही मंहगा हो हमें फिर भी उसका ही उपयोग करना चाहिए। इससे देश की पूंजी देश में ही बनी रहेगी तथा साथ ही साथ बेरोजगारी और गरीबी भी दूर होगी। गांधी जी के अनुसार '' सही उद्योग

वही है जिसमें लगे कारीगर व मजदूर देश के ही हों" वैसे वे विदेशी पूंजी को भारतीय उद्योगों में लगाने से इंकार नहीं करते थे। वे चाहते थे कि बेशक उद्योगों में विदेशी पूंजी लगे लेकिन उनका संचालन एवं नियन्त्रण भारतीयों के हाथ में होना चाहिए।[8]

गरीबी उन्मूलन एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम :-

भारत में योजना काल के प्रारम्भ से ही ग्रामीण विकास तथा गरीबी उन्मूलन के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया जाता रहा है ये योजनाऐं दो प्रकार की थी –

ऐसे कार्यक्रम जो स्वनियोजन के अवसरों का निर्माण करते थे। दूसरे मजदूरी के रूप में रोजगार प्रदान करने में सहायक थे जो निम्न लिखित है –

1– सामुदायिक विकास कार्यक्रम (C.D.P.)
2– सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम (D.P.A.P.)
3– ग्रामीण युवक स्वनियोजन प्रशिक्षण कार्यक्रम (TRYSEM)
4– ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं एवं बच्चों के लिए कार्यक्रम (DWACRH)
5– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NREP)
6– जवाहर रोजगार योजना (JEP)

7– इन्दिरा आवास योजना (IHP)

8– नया आवास कार्यक्रम (NHP)

1– सामुदायिक विकास कार्यक्रम :-

देश में सर्वप्रथम वर्ष 1952 में ही सामुदायिक विकास योजना की स्वीकृति के साथ ही समन्वित ग्रामीण विकास के लिए सफल प्रयास किये गये। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मौलिक उद्‌देश्य ग्रामीण गरीबों की व्यापक पैमाने पर सेवायें तथा संसाधनों के माध्यम से आर्थिक सहायता देकर उनका विकास करना था।

प्रत्येक 1 लाख की जनसंख्या तथा 100 गांवों के क्षेत्रफल में एक सामुदायिक विकास प्रखण्ड इकाई के रूप में विकास योजनाओं को संचालित करना था।

ग्रामीण विकास के सभी कार्यक्रम प्रखण्ड स्तर पर कार्यान्वित करने के लिये एक प्रखण्ड विकास पदाधिकारी समन्वय पदाधिकारी, के रूप में कार्य करता था। जिलाधिकारी जिला स्तर पर समन्वय पदाधिकारी के रूप में तथा विकास आयुक्त राज्य स्तर पर सम्पूर्ण गतिविधियों का संचालन करता था। राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण विकास (सामुदायिक विकास विभाग) कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय के अधीन सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का संचालन तथा समन्वय भी इनके द्वारा किया जाता था।

"सामुदायिक विकास एक पद्धति है, राष्ट्रीय स्तर पर संचालित प्रखण्ड इसके अधिकरण हैं, जिसक`माध्यम से पंचवर्षीय योजनाओं में की विकास प्रक्रिया का रूपान्तरण कर गांवों के सामजिक–आर्थिक जीवन में सुधार लाना है।[9]

सामुदायिक विकास एक आन्दोलन है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण समुदाय का विकास उनके स्वयं की समुदायिक सहभागिता एवं क्रियाशीलता से सम्भव है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रतिवेदन में यह स्पष्ट किया गया है कि यह एक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से न केवल लोगों को संगठित ही किया जाता है बल्कि उन्हें सरकारी अभिकरणों के साथ जोड़कर उनके सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक दशाओं का सुधार सामुदायिक दृष्टिकोंण से करना कि वे राष्ट्रीय प्रगति में सक्रिय योगदान दे सकें।[10]

पंचवर्षीय योजनायें कृषि, सिंचाई, बिजली आदि मौलिक समस्याओं का समाधान करती है। उदाहरण के लिए खाद्यानों की कमी औद्योगिक कच्चे माल की कमी, सिंचाई के साधनों आदि के लिए सहायता देना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय ग्रामीण समाज के सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करके तथा समाज कल्याण के लिए मानव तथा अन्य संसाधनों को गतिशील बनाना भी है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रखण्डों के विस्तार का लक्ष्य निर्धारित किया तथा क्षेत्रीय समस्योओं का

भी निराकरण व्यापक पैमाने पर किया गया इस प्रकार प्रथम योजना में लोगों को विकास योजनाओं से परिचित कराया गया द्वितीय योजना काल में इसका उद्देश्य योजना प्रक्रिया में सलाह देना तथा सी0डी0पी0 के विस्तार में सहायता देकर सार्वजनिक भागीदारी एवं सहभागिता को प्रोत्साहित करना निर्धारित किया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में सामुदायिक विकास कार्यो को कृषि एवं सिंचाई जैसे कार्यक्रमों से जोड़कर ग्रामीण विकास करने का प्रयास किया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास को लाभान्वित करने के उद्देश्य से इसे परिवार कल्याण से जोड़कर ग्रामीण विकास करने का प्रयास किया गया। छटवीं, सातवीं योजना में सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना था।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम की यह कहकर आलोचना की जाती है कि यह सामाजिक न्याय प्रदान करने में असफल रही है, फिर भी इस कार्यक्रम का ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक सहयोग रहा है।

सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम :-

सूखा प्रवृत्त कार्यक्रम 1970–71 में प्रारम्भ किया गयाथा। उस समय इस कार्यक्रम का आधार श्रम शक्ति में वृद्धि करना ही था जिसके अन्तर्गत सिंचाई, भूमि संरक्षण, बानिकी करण तथा ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य, प्राथमिकता के आधार पर करना ही इसका प्रमुख लक्ष्य था।

सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम 13 राज्यों के कुल 74 जिलों में लागू किया गया। चौथी योजना में इस पर 100 करोड़ रु0 व्यय लिये गये। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इस 185 करोड़ रु0 व्यय किये गये। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सूखा प्रवृत्त क्षेत्रों के जोखिम भरे तथा संकटग्रस्त कृषि कार्यो को भी सम्मिलित किया गया।

यह कार्यक्रम आठवीं योजना में भी इन क्षेत्रों के विकास की व्यूह रचनाओं के साथ चलता रहा। जहाँ कार्यक्रम संचालित किया जाता रहा हो वहां नमी संरक्षण, भूमि तथा जल सरंक्षण के माध्यम से किया जाता है यही कारण है कि इन कार्यक्रमों को वर्ष दर वर्ष क्रियान्वित किया जाता रहा है जिसके लिए दीर्घकालीन साख की आवश्यकता होती है। विकास कार्यक्रमों में समय–समय पर मध्यकालीन ऋणों के द्वारा भी इन क्षेत्रों में वार्षिक कार्यशील योजनाओं के द्वारा विकास प्रक्रिया की गति को बनाये रखा जाता है।[11]

ग्रामीण युवक स्व नियोजन कार्यक्रम :-

15 अगस्त 1979 में राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में ग्रामीण युवक प्रशिक्षण एवं स्व नियोजन कार्यक्रम को लागू किया गया। 2 अक्टूबर 1980 को इसे प्रदेश के सभी विकास खण्डों में लागू कर दिया गया। एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रमों के साथ–साथ ग्रामीण युवक युवतियों को स्वतः रोजगार हेतु

प्रशिक्षण भी इस कार्यक्रम का मुख्य अंग है। इस योजना में प्रमुख रूप से ग्रामीण युवकों को आवश्यक कुशलताओं तथा प्रौद्यौगिकी से सुसज्जित करने पर बल दिया गया जिससे कि वे अपने रोजगार हेतु व्यवसाय शुरू कर सकें। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के सदस्यों को सहायता दी जाती है अर्थात जिनकी वार्षिक आय 11000/- रुपये या इससे कम है। किन्तु योजनान्तर्गत उन परिवारों के युवक युवतियों का चयन पहले किया जाता है जो निर्धनों में निर्धतम हैं।

योजना के उद्देश्य :

गांव में रहने वाले ऐसे परिवार जो गरीबी के कारण अपने भरण पोषण से सम्बन्धित आवश्यकताओं को पूरा करने में लगे रहते हैं उन्हें रोजगार के विभिन्न अवसर गांव में ही उपलब्ध कराये जा सकें। स्व नियोजन कार्यक्रम हेतु गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग का चयन किया जाता है जिससे 30% अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों से तथा न्यूनतम 33.5% महिलाओं का चयन प्रशिक्षण हेतु किया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण भी उनकी मूलभूत आवश्यकताओं एवं अभिरुचियों को ध्यान में रखकर ही दिया जाता है। समन्वित विकास योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षण भत्ता प्रशिक्षण व्यय को वहन किया जाता है। [12]

सम्पूर्ण परियोजना समन्वित रूप में होती है। सभी लाभार्थी समन्वित

ग्रामीण विकास योजना के चायनित वर्ग के होते हैं। कार्यक्रम के अन्तर्गत कम से कम 50% युवक स्वनियोजन हेतु प्रशिक्षित किये जाते है स्व नियोजन हेतु प्रशिक्षत युवकों को अनुदान देकर औजार तथा उनकी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु अनुदान रोजगार प्राप्त प्रशिक्षितों को मजदूरी के रूप में दिया जाता है।

लाभार्थियों का चयन :

एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों के चयन के समय बुलाई गई ग्राम सभा की खुली बैठक में लिया जाता है। चयनित परिवारों के युवकों से आवेदन आमन्त्रित किया जाता है प्राथमिकता के आधार पर ट्राइसेम के अन्तर्गत सहायता के इच्छुक अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है।

व्यवसायों का चयन :

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जिला स्तर के अधिकारियों की सलाह पर जिले के लिए आवश्यक व्यवसायों का निर्धारण विभिन्न क्षेत्रीय योजनाओं को ध्यान में रखते हुये करती है। व्यवसायों के चयन में निम्न तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है जैसे–

चयनित व्यवसाय में सम्बन्धित ग्रामीण क्षेत्र मे उद्योग धन्धे स्थापित करने के लिए कच्चे माल तथा आवश्यक सुविधाओं की सुलभता अवश्य सुनिश्चित कर ली जाय, ऐसे व्यवसाय जिनमें आमदनी कम हो, न लिया जाय, जहां तक सम्भव हो ऐसे व्यवसायों को चुना जाय जिसमे प्रशिक्षण के

लिए विशेष पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता न हो। एक ही व्यवसाय में किसी क्षेत्र में इतने अधिक प्रशिक्षार्थी न लिए जायें जिनमें प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के बाद रोजगार मिलने में कठिनाई न हो।

प्रशिक्षण :-

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा हरेक व्यवसायों के लिए पाठ्यक्रमों का निर्धारण किया जाता है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार परक एवं प्रबन्धकीय कौशलों से युक्त करना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न व्यवसायों की प्रशिक्षण अवधि अलग–अलग तय की गई है किन्तु सामान्यतः प्रशिक्षण अवधि 6 माह निश्चित की गई है। प्रशिक्षण अवधि में आई0टी0आई0, सामुदायिक पालीटेक्निक, पालीटेक्निक इंजीनियरिंग कालेज, राज्य स्तरीय तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान, कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि महाविद्यालय तथा राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित संस्थाओं में 500/– रु0 छात्रवृत्ति दी जाती है। कच्चे माल हेतु समस्त प्रशिक्षण संस्थाअें को 75–/ रु0 प्रति प्रशिक्षार्थी प्रतिमाह देय होगा। ट्राइसेम प्रशिक्षु ऋण आवेदन प्रशिक्षण के क्रम में ही भर देते हैं जिससे उन्हें प्रशिक्षण अवधि की समाप्ति के तत्काल बाद ऋण की सुविधा उपलब्ध हो जाती है।

ट्राइसेम के संचालन का दायित्व जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का ही होता है ट्राइसेम के संचालन के लिए राज्य स्तरीय सहायोग समिति का गठन होता है। इसमें एक परियोजना स्तर का पदाधिकारी होता है इस

योजना के अर्न्तगत खर्च की जाने वाली प्रशिक्षण भत्ता एवं शुल्क राशि समन्वित ग्रामीण विकास योजना से प्राप्त की जाती है क्योंकि इसके लिए अलग से धनराशि आवंटित नहीं की जाती।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु समन्वित ग्रामीण विकास योजना से अलग बजट निर्धारण की बात कही गई। समन्वित ग्रामीण विकास योजना के प्रमुख अंग के रूप में इस योजना के लिए राज्य सरकारों द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के प्रमुख अंग के रूप में इस योजना के लिए अलग से बजट निर्धारित किया जाय।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों के लिए विकास कार्यक्रम :-

ग्रामीण महिला एवं बालोत्थान योजना (डी.डब्लू.सी.आर.) एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के उपकार्यक्रम के रूप में प्रदेश में वर्ष 1983–84 से कार्यान्वित की जा रही है। महिलाओं की आय को परिवार के पोषण, शिक्षा तथा महिलाओं के स्तर को ऊँचा करने में सहायक माना जाता है। इसलिए महिलाओं के लिए आर्थिक आय सृजन के अवसर सुनिश्चित करना आवश्यक है। परिवार के आर्थिक तथा पोषण स्तर को उठाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के आय सृजन तथा शिशुओं के विकास से सम्बन्धित यह योजना महिलाओं को आय सृजन कार्यकलाप मुहैया कराने के साथ–साथ उन्हें संगठनात्मक ढांचा देकर क्षेत्र में उपलब्ध माल और सेवाओं को मुहैया कराने

में कारगर भूमिका अदा करेगी।

योजना के कार्यान्वयन की मुख्य जिम्मेदारी मुख्य विकास अधिकारी की होगी, जो अपर जिलाधिकारी/परियोजना निदेशक सहायक परियोजना अधिकारी (महिला) को समुचित निर्देश देकर, सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। विकास खण्ड स्तर पर ड्वाकरा को सफल बनाने के जिम्मेदारी खण्ड विकास अधिकारी की होगी।

उद्देश्य :-

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि महिलाऐ अपनी सक्रिय भागीदारी से ग्रामीण विकास के साथ अपने स्वयं का भी आर्थिक सामाजिक उत्थान कर सकें। कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को आय सृजन के कार्य उपलब्ध कराये जायें, महिलाओं को आर्थिक उन्नति के अवसर देकर उन्हे स्वाबलम्बी बनाया जाए, इस कार्यक्रम का यह भी उद्देश्य है कि महिलाऐ अपने बच्चों की देखभाल अच्छी तरह से कर सकें तथा समूह की महिलाओं को निवेश के अन्य अवसर भी उपलब्ध हों जैसे– प्रोढ़, शिक्षा, स्वास्थ्य, समेकित बाल विकास योजना, पुष्टाहार आदि कार्यक्रमों से लाभान्वित कराना।

समूह गठन :-

प्रदेश के समस्त विकास खण्डों में यह योजना लागू है प्रति विकास खण्ड में लगभग 50 समूहों का गठन किया जाता है सभी समूहों की सदस्य संख्या 10 से 15 के बीच होती है। समूह में शामिल सभी महिलाऐं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के तहत पात्र परिवारों से होती है। समूह के सदस्यों की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। समूहों के गठन के समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि समूह ऐसे गांवों एवं ऐसी महिलाओं के माध्यम से गठित किए जायें जहां महिलाऐं कार्य करने की इच्छुक तथा कार्यकलाप सफल होने की सम्भावना हो। नये समूहों के साथ पुराने समूहों को सक्रिय करने का प्रयास किया जा सके। समूह संगठन हेतु विभागों एवं स्वैच्छिक संस्थाओं का पूर्ण सहयोग लिया जाता है।

वित्तीय कार्यकलाप :

समूह द्वारा अपनाये जाने वाले आर्थिक कार्यकलाप का चयन अत्यन्त सावधानी से भली भांति परीक्षणोपरान्त किया जाता है। यथा सम्भव कार्यकलाप ऐसा होना चाहिए जिसके लिए कच्चा माल प्रशिक्षण हेतु बांछित योग्यता युक्त संस्था तथा बाजार स्थाई तौर पर उपलब्ध होना चाहिए। इस योजना के अन्तर्गत लगभग 25000/- रुपये प्रति संगठन के सदस्यों की आर्थिक दशा सुधारने एवं बाजार की सुविधाऐं प्रदान करने में सहयोग देती है। यूनीसेफ प्रति संगठन 5000/- रुपये अतिरिक्त धन, कार्यक्रम सुविधाओं की

उपलब्धता में बृद्धि जैसे, प्रशिक्षण प्रदर्शन, बच्चों का पालन पोषण आदि के लिए देती है। इस राशि का उपयोग प्रशिक्षण तथा प्रदर्शन के समान जैसे–श्यामपट्ट, सिलाई मशीन, हस्तकरघा, मधुमक्खी पालन के उपकरण एवं अन्य उपकरणों पर किया जाता है।

यदि संचालित संगठन का पंजीयन, समिति अधिनियम के अन्तर्गत हुआ हो तो यह संगठन आर्थिक गतिविधियों के लिए बैंक से ऋण प्राप्त कर सकता है। इस संगठन से सम्बन्धित प्रत्येक महिला सदस्य समन्वित ग्रामीण योजना को सीमा के अन्तर्गत अनुदान की राशि प्राप्त करने की हकदार होगी किन्तु ऋण राशि के भुगतान के लिए सामान्य रूप से संगठन के सभी सदस्य जिम्मेदार होंगी।

प्रशिक्षण :–

इस योजना के अन्तर्गत दो प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम अनिवार्य रूप से आयोजित किये जाते हैं। जैसे– प्रेरणात्मक प्रशिक्षण कौशल प्रशिक्षण। समस्त प्रेरणात्मक प्रशिक्षण एस.आई.आर.डी. / आर.डी. द्वारा ही सम्पादित किये जाते हैं।

आर्थिक कार्यकलाप के चयन के उपरान्त तत्काल ही उस क्रियाकलाप में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए यह प्रशिक्षण ट्राइसेम के मार्ग निदेशों के अनुसार ही संचालित किया जायेगा कौशल प्रशिक्षण विख्यात

संस्थाओं/मास्टर क्राफ्टमैन द्वारा ही कराया जाना चाहिए, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता उच्च स्तर की हो।

सहयोगी सेवायें :-

डी.डब्लू.सी.आर.ए. के उद्देश्यों को ध्यान मे रखते हुये प्रत्येक संगठन चयनित वर्गो को लाभान्वित करने के उद्देश्य से प्रभावकारी ढंग से अपेक्षित विकास करने का प्रयास करता है। संगठन अपने सदस्यों को विभिन्न ग्रामीण कार्यक्रमों के अन्तर्गत सुविधाओं की अनुपलब्धता देखकर सरकार द्वारा संचालित डी.डब्लू.सी.आर.ए. जैसे कार्यक्रमों का सहयोग तथा इसी क्षेत्र से सम्बन्धित अन्य सरकारी संस्थाओं तथा विभागों से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करता है। उदाहरणार्थ : वयस्क साक्षरता, परिवार कल्याण तथा 5 वर्षो के बच्चों के लिए चलाये जा रहे विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि।

बालोत्थान कार्यक्रम :-

इस कार्यक्रम का उद्देश्य ड्वाकरा योजना मे कार्य कर रही महिलाओं के बच्चों की देखभाल के अवसर प्रदान करना है। नवजात शिशुओं के लिए झूलाघर, उनके खेलने के लिए खिलौने, टीकाकरण स्वास्थ्य रक्षा तथा योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करना है। प्रौढ़ शिक्षा एवं बाल विकास परियोजना के माध्यम से पुष्टाहार उपलब्ध कराना तथा महिलाओं एवं बच्चों को पढ़ाया जाता है।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण :-

ड्वाकरा, समन्वित ग्रामीण विकास योजना का ही एक सहयोगी कार्यक्रम है इस योजना का पूर्ण दायित्व, निर्माण एवं निर्देशन कार्य भी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से सम्पादित होता है। एक महिला सहायक परियोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के अधिकारियों के सहयोग से कार्यक्रम को व्यवस्थित एवं संचालित करती है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम सेविका, मुख्य सेविका तथा संगठन के अन्य सदस्यों द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों में भागीदारी के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। प्रत्येक 6 माह पश्चात ग्राम सेविका, मुख्य सेविका तथा संचालित संगठन के लाभान्वित सदस्य मिलकर आपसी विचार विमर्श के पश्चात उपलब्धियों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु ड्वाकरा जैसे कार्यक्रमों के सफल संचालन की उपयुक्त रणनीति तैयार कर प्रशासनिक नेतृत्व को सकारात्मक सहयोग देने में सफल सिद्ध होते हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम :-

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम मौलिक रूप से "काम के बदले अनाज" योजना के रूप में जाना जाता है। रोजगार के लिए खाद्य कार्यक्रम को पुर्नगठित करके इसका नाम राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम रखा गया इसे अक्टूबर 1980 से चालू किया गया। 3000 से 4000 मानव दिन का अतिरिक्त प्रतिवर्ष रोजगार कायम करने का संकल्प किया गया ताकि

बेराजगारी एवं अल्प रोजगार को दूर किया जा सके। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम का उद्‌देश्य ग्रामीण अर्द्ध संरचना को मजबूत करने के लिए सामुदायिक परिसम्पदों का निर्माण करना है। इनमें शामिल है पीने के कुऐं, सामुदायिक सिंचाई कुऐं, ग्राम तालाब, छोटी सिंचाई परियोजनाऐं, ग्रामीण सड़कें, स्कूल, बालवाड़ी–भवन, पंचायतघर आदि।

एन.आर.ई.पी. का लक्ष्य ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी तथा अर्धबेरोजगारी दूर करने से है। यह केन्द्र द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम है जिसमें केन्द्र तथा राज्य सरकारों की बराबर की भागीदारी है इस कार्यक्रम द्वारा अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन करके कम मूल्य पर संसाधनों एवं खाद्यान्नों को उपलब्ध कराकर ग्रामीणों के रहन सहन एवं भोजन के स्तरों को ऊपर उठाना है।

छठीं पंचवर्षीय योजना में 17750 लाख मान दिन रोजगार कायम किया गया इसका लक्ष्य 15000 लाख मानव दिन रोजगार कायम करना था। सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षो में (1885–86, 1988–98) के दौरान इस कार्यक्रम पर 2940 करोड़ रु0 खर्च किये गये परन्तु इसके सापेक्ष 14770 लाख मानव दिवस रोजगार कायम किया जा सका। [13]

''इस प्रोग्राम के आधीन उपलब्ध कराया गया प्रोग्राम बहुत थोड़े समय के लिए है और इस कारण यह ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर पर प्रभाव नहीं

डाल सकता। इस कार्यक्रम के अधीन बाजार दर की तुलना में कम मजदूरी दी जाती है। लाभ प्राप्तकर्ताओं का चयन भी उचित रूप में नहीं किया जाता है और निर्धनों में सबसे अधिक निर्धन जिनके लिए यह कार्यक्रम बनाया गया है, बिल्कुल छोड़ दिये जाते हैं।''

इस योजना के तहत मजदूरी के रूप में खाद्यान्नों की पूर्ति सार्वजनिक वितरण प्रणाली के निर्धारित मूल्यों से भी कम मूल्यों पर अनुदान के रूप में दी जाती है इससे स्पष्ट है कि लाभान्वितों को दी जाने वाली मजदूरी जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम द्वारा निर्धारित है, से भी वास्तविक रूप में अधिक है।

इसमें संदेह नहीं कि राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम सही दिशा में एक कदम है, इसकी सहायता के लिए ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम भी लागू किया गया है। परन्तु जब तक रोजगार जनन को आयोजन का प्रधान लक्ष्य नहीं बनाया जाता और अन्य उद्देश्य इस उद्देश्य के इर्द गिर्द नहीं बुने जाते तब तक बेरोजगारी एवं अल्प बेरोजगारी की समस्या का समाधान होना संभव नहीं।

जवाहर रोजगार योजना :-

भारत में स्वाधीनता के पश्चात विकास कार्यक्रमों द्वारा भारतीय जनता के स्तर को ऊंचा उठाने के अनेक प्रयास किये गये तथा कुछ हद तक इन

प्रयासों ने सफलता भी प्राप्त की है। परन्तु भारत की लगातार बढ़ती जनसंख्या ने इस विकास को सीमित करके रख दिया है। घनी आबादी के फलस्वरूप बहुत कोशिशों के बाद भी बेरोजगारी तथा अल्प बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए प्रारम्भ से ही अनेक प्रयास किये गये हैं।

अत्यधिक निर्धन तथा बेरोजगारी वाले पिछड़े जिलों में गहन रोजगार के लिए 1989–90 के वजट में एक नई योजना जवाहर रोजगार योजना चालू करने की घोषणा की गयी। जिसे विभिन्न राज्यों के 120 जिलों में लागू किया गया। जिसके लिए 300 करोड़ रुपयें की व्यवस्था की गई इसका प्रमुख उद्देश्य रोजगार के और अधिक अवसर प्रदान करना था।

राष्ट्रीय ग्राम विकास कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंन्टी कार्यक्रमों मिलाकर नया कार्यक्रम बनाया गया, जिसका नाम जवाहर रोजगार योजना रखा गया। अर्थात ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को और अधिक सफल बनाने के लिए पिछले रोजगार कार्यक्रमों को इसमें समाहित कर लिया गया। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत बेरोजगार तथा अल्प बेरोजगार पुरूष तथा महिलाओं दोनों के लिए अनुसूचित जातियों/जन जातियों के प्रति विशेष सुरक्षा होगी 30% अवसर महिलाओं के लिए सुरक्षित रखे गये है, खानाबदोशों के लिए विशेष समन्वित योजना तैयार की जायेगी। इस प्रकार योजना के अन्तर्गत गांव के लोगों को पूरक रोजगार मिलेगा तथा ग्रामीण

जीवन का बहुमुखी विकास होगा।[14]

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत धन के वितरण का आधार निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या होगी। छोटे और गरीबी रेखा से नीचे रह रहे किसान जो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सर्वेक्षण रजिस्टर में दर्ज है। उनकी निजी भूमि का विकास जवाहर रोजगार योजना की विधियों से होगा भूमि को समतल करना, जल निकासी हेतु नालों का निर्माण करना, खेत की नालियां बनाना, भूमि विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत कार्यान्वित किये जायेंगे।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो, अनुसूचित जातियों/जनजातियों को लाभ पहुंचाने वाले कार्यक्रमों में निम्न कार्य शामिल किये जाते हैं। जैसे– लाभान्वितों के लिए आवास निर्माण, आवंटित भूमि का विकास, उनकी जमीन पर सामाजिक बानिकी का काम, पीने का पानी उपलब्ध कराना तथा सिंचाई एवं सामुदायिक कुऐं खोदने का काम, हरिजन बस्ती से सम्पर्क मार्ग तक सड़क निर्माण का कार्य, हरिजन चौपाल का निर्माण, हरिजन बस्ती में शौचालय का निर्माण, इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसा कार्य शुरू किया जा सकता है जिससे गांव में टिकाऊ सामुदायिक परिसम्पत्ति का निर्माण किया जा सके।

सामाजिक बानिकी कार्यो के क्रियान्वयन में मुख्य उद्देश्य ये होने

चाहिए कि इन कार्यो से ग्रामीण समुदायों को और विशेष तौर से ग्रामीण गरीबों को लाभ मिल सके। वनों के लगातार कटते रहने से लकड़ी मंहगी होती जा रही है, पेड़ों से फल फूल तो मिलते ही हैं बल्कि भूमि का कटाव भी रूकता है। सामाजिक वनिकी के अन्तर्गत ऐसे पेड़ भी लगाये जाते है जिनसे फल, चारा ईधन और इमारती लकड़ी भी मिल सके। सामाजिक वानिकी के कार्य सरकारी और सामुदायिक भूमि और सड़कों के दोनों ओर किये जा सकते हैं।

वृक्ष पट्टा योजना के लिए ग्रामीण गरीबों को जिलाधिकारी द्वारा परमिट दिये जाते हैं। इसमें 30 प्रतिशत महिलाओं को देने की व्यवस्था है। वृक्ष पट्टा योजना में सामाजिक वानिकी का सीधा लाभ ग्रामीण गरीबों को दिया जा सकता है। सरकारी जमीन के अतिरिक्त निजी जमीन पर भी वृक्ष लगाये जा सकते हैं। एसी भूमि जो दान में प्राप्त हुई हो या बंजर ही तथा गरीबी रेखा से नीचे स्तर के लोगों की जमीन।

धनराशि का आवंटन :-

केन्द्र द्वारा जिलों को व्यय राशि दो किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त वार्षिक आवंटन के दो तिहाई के बराबर बिना किसी पूर्व शर्त के रिलीज किया जायेगा। जिन स्थानों पर काम करने का मौसम सीमित है वहां एक ही किस्त में केन्द्रीय सहायता रिलीज की जायेगी। केन्द्र एवं राज्य की प्रतिशत भागीदारी 80:20 का होता है।

संसाधनों का निर्धारण एवं उपयोग :-

जिला स्तर पर कुल प्राप्त हुए आवंटनों में से 6 प्रतिशत इन्दिरा आबास योजना के लिए सुरक्षित रखा जायेगा तथा 5 प्रतिशत खर्च अकास्मिक कारणों के लिए सुरक्षित रखा जायेगा। वार्षिक आवंटन की 10 प्रतिशत राशि ऐसी परिसम्पत्तियों के रख रखाव पर खर्च कर सकते है जो अभी तक चले आ रहे एन0आर0ई0पी0 तथा आर0एल0ई0जी0पी0 कार्यक्रमों द्वारा तथा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत बनाई गई हों। इसके पश्चात बचे हुए संसाधनों का उपयोग भिन्न–भिन्न क्षेत्रवार कार्यक्रमों पर किया जायेगा जैसे – सामाजिक वनिकी पर, दस लाख कूप योजना, सड़कों और भवनों के निर्माण कार्य पर।

इन्दिरा आवास योजना :-

इन्दिरा आवास योजना वर्ष 1985–86 से क्रियान्वित की जा रही है यह जवाहर रोजगार योजना का ही एक भाग है परन्तु वर्ष 1994 से इन्दिरा आवास योजना स्वतन्त्र योजना के रूप में क्रियान्वित की जा रही है। योजना के अन्तर्गत जवाहर रोजगार योजना का 15 प्रतिशत परिव्यय मात्राकृत किया गया है।

इन्दिरा आवास योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों/जन जातियों, मुक्त बंधुवा मजदूरों तथा गरीबी रेखा से नीचे बसर

करने वाले अन्य ग्रामीण गरीबों को निःशुल्क मकान मुहैया कराना है। योजना के अन्तर्गत बाढ़ भूकम्प और अन्य प्रकार की आपदाओं से प्रभावित परिवारों के आवास की व्यवस्था की जायेगी। जिन ग्राम वासियों की झोपड़ियां जल गई हैं, उन्हें भी आबास की सुविधा प्रदान की जायेंगी।

इन्दिरा आवास योजना की निधियां जिले में ग्रामीण अनुसूचित जनजातियों के संख्या के आधार पर वितरित की जाती है। इन्दिरा आवास योजना निधियों का संचालन जिला स्तर जिला ग्रामीण विकास एजेनसियों (जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा किया जायेगा इस योजना के अन्तर्गत मकानों का क्षेत्रफल 17–20 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है। इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत मकान सामान्यतः गांव की मुख्य वासवटों में व्यक्तिगत भूखण्डों पर बनायें जाने चाहिए। इस योजना के अन्तर्गत जहां तक सम्भव हो मकान समूह में बनायें जाने चाहिए इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि कि इनको आंतरिक सड़कों नालियों, पेयजल आपूर्ति आदि की सामान्य सुविधाऐं दी जा सकें। मकान गांव के समीप स्थित हों ताकि सुरक्षा, कार्यस्थल की समीपता और सामाजिक आदान प्रदान सुनिश्चित किया जा सके।

इस आवासीय योजना के अन्तर्गत मकानों की अनुमानित लागत निश्चित की गई है। मैदानी क्षेत्रों में रू0 10,500 एवं पहाडी क्षेत्रों में 12,300 रू0 मात्र निर्धारित किये गये हैं। बुनियादी सामान्य सुविधाओं पर 3500 रू0 अधिकतम

व्यय करने का प्रावधान है। इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत मकानों का निर्माण स्वयं लाभार्थी द्वारा किया जायेगा सरकारी विभाग एवं संगठन सिर्फ तकनीकी सहायता दे सकते हैं। आवास सामग्री खरीदने में लाभार्थी को पूर्ण स्वतन्त्रता होगी।

लाभार्थी को धनराशि का भुगतान दो किश्तों में किया जाना चाहिए। योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण करते यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि योजना के तहत निर्मित प्रत्येक मकान में कम ईधन की खपत वाले चूल्हें की व्यवस्था ही इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत स्वच्छ शौचालय एवं निर्धूम चूल्हों के लिए 1500 रू0 अनुदान आवंटित है। स्वच्छ शौचालयों का निर्माण इन्दिरा आवास योजना का प्रमुख अंग है। स्वच्छ पेयजल आपूर्ति भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। मकानों से जल निकासी की भी व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि रसोई, स्नानघर आदि से होने वाले मल–जल की अधिकता से बचा जा सके ताकि ग्रामीण वातावरण को स्वच्छ रखा जा सके।

दस लाख कूप योजना :-

दस लाख कूप योजना का क्रियान्वयन काफी समय तक जवाहर रोजगार योजना की उप योजना के रूप में किया जाता रहा है। जवाहर रोजगार योजना के 30 प्रतिशत संसाधनों का उपयोग 10 लाख कूप योजना में किया जाता है। वर्तमान में 10 लाख कूप योजना एक स्वतन्त्र योजना के रूप में कार्य कर रही है। इस योजना को अनुसूचित जातियों/जनजातियों

के गरीब छोटे तथा सीमान्त किसानों तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों को निःशुल्क खुले सिंचाई कुऐं उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था। गरीब किसानों से सम्बन्धित होने के कारण वर्ष 1993–94 से इसे गैर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के गरीब छोटे किसानों को भी सम्मलित किया गया है।

दस लाख कूप योजना का प्रमुख उद्देश्य है, लक्ष्य समुदाय को उत्पादन की ओर उन्मुख कर रोजगार का सृजन करना। इसके माध्यम से सिंचाई तथा भूमि विकास की सुविधा लघु समुदाय के कृषकों को उपलब्घ कराई जायेगी। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे छोटे और सीमान्त किसान जो गांव के एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के कूप योजना के अन्तर्गत बाढ़, भूकम्प, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित छोटे किसान, गरीबी रेखा से नीचे वसर कर रहे अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों की विधवा महिलाऐं भी सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

अनुमन्य कार्य :-

दस लाख कूप योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य टिकाऊ स्वरूप के होने चाहिए। दस लाख कुओं के आवंटन का आशय केवल खुले कुओं से है ट्यूबेलों और बोर कुओं को इस व्यवस्था के अन्तर्गत नहीं लिया जाता। जहँा कूपों का निर्माण भू वैज्ञानिक या अन्य कारणें से सम्भव नहीं हो वहाँ इस योजना की धनराशि लक्ष्य समूह को लाभान्वित करने वाली लघु

सिंचाई योजनाओं जैसे सिंचाई, तालाब, बाटर हर्वेस्टिंग स्ट्रक्चर एवं भूमि विकास कार्यो के लिए प्रयोग की जा सकती है।

योजना के अन्तर्गत मजदूरी का भुगतान :-

योजनान्तर्गत कुल व्यय का न्यूनतम 60 प्रतिशत श्रमांश पर व्यय किया जाना अनिवार्य है। जवाहर रोजगार योजना एवं उससे सम्बद्ध योजनाओं के अर्न्तगत न्यूनतम मजदूरी की अधिसूचना अनुमन्य मजदूरी की नियमित रूप से सप्ताह के निर्धारित दिवस को भुगतान किये जाने के निर्देश हैं। पुरूष व महिला श्रमिकों को सामान्य कार्य के लिए समान मजदूरी के भुगतान में भेदभाव न किया जाये।

कार्य स्थल पर मजदूरों के लिए कुछ सुविधाऐं अवश्य उपलब्ध कराई जानी चाहिए जैसे पीने का पानी उपलब्घ कराना आराम करने के लिए सैड, मजदूर महिलाओं के बच्चों के लिए बालगृह आदि।

योजना का कार्यन्वयन :-

जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियां तथा जिला परिषदों को वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के पूर्व अपनी वार्षिक कार्ययोजना बना लेनी चाहिए। नई योजना में नये कार्यो को पूरा करने की प्राथमिकता देनी चाहिए ग्राम पंचायतें निचलें स्तर का निकाय है जो योजना के कार्यान्वयन में सक्रिय भागीदारी निभाता है।

सम्पतियों का रख रखाव :-

इस योजना के अन्तर्गत सम्पत्तियों को सम्वन्धित विभागों को सौंप देने चाहिए उनके रख रखाव की अलग से व्यवस्था नहीं है। जब भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की जरूरत हो ग्राम पंचायत योजना का 10 प्रतिशत खर्च कर सकती है।

इस योजना में स्वयं सेवी संगठनों को भी शामिल किया जा सकता है ग्रामीण विकास या परिसम्पत्तियों के टिकाऊपन को सुनिश्चित करने के लिए या गैर मजदूरी खर्च को पूरा करने के लिए दान को भी स्वीकार किया जा सकता है। जिले के विभिन्न क्षेत्रवार कार्यो के लिए यह राशि स्पष्ट रूप से अतिरक्ति होगी। राज्य योजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकन कराया जायेगा जिसकी एक प्रति केन्द्र को भेजी जायेगी।

इस प्रकार जवाहर रोजगार योजना को जानने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि इस योजना के अर्न्तगत कार्यक्रमों के कार्यान्वयन होने से उन्हें पूरक रोजगार मिलेगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी और जीवन स्तर ऊँचा होगा। इस योजना को इस तरह तैयार किया गया है कि इससे गरीबों को निरन्तर और प्रत्यक्ष फायदे हों, इससे उनके रहन सहन में बहुमुखी विकास होगा। परन्तु यह सुनहरा भविष्य निर्भर करता है हमारी मेहनत पर, हमारे एक जुट होकर इस योजना को सफल बनाने पर।[15]

पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास :-

ग्रामीण क्षेत्रों के सम्पूर्ण विकास हेतु योजनाओं के आरम्भ में ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं सम्पूर्ण ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू किये गये परन्तु ये योजनाऐं सम्पूर्ण देश में लागू नही की गई। अतः एक ही समन्वित कार्यक्रम आई0आर0डी0पी0 के नाम से सम्पूर्ण देश में लागू किया गया। यह राष्ट्रीय कार्यक्रम केन्द्र सरकार समान रूप से बराबर की भागीदारी में शामिल हैं।

छठीं पंचवर्षीय योजना के पूर्व के प्रयासों की कमियों को दूर करने के लिए आई.आर0डी0पी0 को 1978–79 में प्रारम्भ किया गया इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा बेरोजगारी को ग्रामीण क्षेत्रों से दूर करना था। छठीं योजना में 150 लाख ग्रामीण गरीब परिवारों को वर्ष 1984–85 के अन्त तक लाभान्वित करने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 1500 करोड़ रूपये अनुदान के रूप में तथा 3000 हजार करोड़ रूपये संस्थागत ऋण के रूप में निर्धारित किया गया है।[16]

गुणात्मक दृष्टिकोण से इस योजना काल में कार्यक्रम में कुछ कमियां रह गयी, लाभार्थियों के चयन में गरीबों में सबसे गरीब के सिद्धान्त को नजर अन्दाज किया गया। इन कमियों को दूर करने के उपाय सातवीं योजना (1985–90) के मसौदे में विकास को पुनर्निर्मित किया गया, जिससे ग्रामीण

गरीबों के आय स्तर में वृद्धि, विभिन्न रोजगार के अवसरों को सृजित करके की जा सके। इस योजना में 200 लाख परिवारों को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया। लक्ष्य के विपरीत 2643 करोड़ रू0 का प्रावधान किया गया। लक्ष्य के विपरीत इस योजना में 182 लाख परिवारों को सहायता प्राप्त हुई और इस पर 3316 करोड़ रू0 व्यय किये गये।

ग्रामीण निर्धनता दूर करने की दिशा में ग्रामीण विकास के प्रति जो दृष्टिकोण, विचार एवं कार्यनीति का संकेत मिलता है वे छठीं और सातवीं योजना में एक जैसी ही है। पहले की भांति अब भी विकास आयोजन में मुख्य ध्यान गरीबी दूर करने पर दिया गया है। मौजूदा दृष्टिकोण को अपनातें हुयें आठवीं योजना में कुछ सुधार भी हुए योजना के अन्तर्गत दस लाख कूप एवं इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवास निर्माण के लिए धन निर्धारित करने की प्रणाली में कुछ छूट दी गयी। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत संसाधन अधिक पिछड़े जिलो में खर्च किये जायें ताकि निर्धनतम लोगों तक लाभ पहुचाया जा सके। आठवीं योजना में आई0आर0डी0पी0 योजना में 3800 करोड़ रू0 व्यय करने का लक्ष्य रखा गया परन्तु योजना के अन्त तक इस पर 8123 करोड़ रू0 व्यय किये जा चुके थे जिससे 422 लाख परिवारों को लाभ प्राप्त हुआ। इस योजना में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कुल 18400 करोड़ रू0 व्यय करने का प्रविधान था वस्तुतः "इस योजना के अन्तर्गत 1989–90 व 91–92 में क्रमशः 86.4, 87.5, 80.8 करोड़ श्रम दिवसो के लिये रोजगार उपलब्ध कराया गया"।

जवाहर रोजगार योजना एवं समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम दोनो में प्रति लाभान्वित परिवार निवेश की राशि बहुत कम है। निवेश कम होने के कारण उसकी आय इतनी अधिक नही हो पाती कि वह गरीबी के रेखा से ऊपर उठ सके और कर्ज लौटा सके। आठवीं योजना में पर्याप्त पूंजी निवेश न होने के कारण समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्रभाव अपर्याप्त है।

नवीं पंचवर्षीय योजना में 4500 करोड़ रूपये व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है जिसके परिणाम स्वरूप समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित परिवार गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन कर सकें। यद्यपि गरीबी रेखा के निर्धारण की धनराशि बढ़ाकर 11000 रू0 कर दी गई है परन्तु ऋण की बापसी न होने के भय से बैंकों द्वारा ऋण सीमा बढ़ाने में नकारात्मक रूख इसकी सफलता के प्रति द्विविधा की स्थिति है।

समन्वित योजना :-

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में अपर्याप्त पूंजी निवेश कारण समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्रभाव व्यर्थ हो जायेगा निवेश में वृद्धि कर देना मात्र पर्याप्त नहीं है। जो योजनाऐं शुरू की जायें उनके स्तर तथा उपयोगिता में सुधार लाना भी आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा जवाहर रोजगार योजना जैसे कार्यक्रमों को क्षेत्रीय कार्यक्रमों से जोडकर चलाया जाय। लम्बे समय से यही दृष्टिकोण

अपनाये जाने का विचार प्रस्तुत किया जाता रहा है तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस आवश्यकता को महसूस किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कब कैसे इसे क्रियान्वित किया जाय। योजना की समूची अवधि में प्रत्येक राज्य के एक–एक जिले में इसे प्रयोगिक तौर पर लागू किया जाय। यह प्रयास अत्यन्त धीमा और छोटा है कि अगले कई वर्षो में इसका खास प्रभाव दिखाई नहीं देगा।

अनेक प्रायोगिक प्रयासों का व्यापक अनुभव पहले से ही उपलब्ध है इस तरह के कई अध्ययन तो योजना आयोग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में कराये थे। अब तक किये गये इस प्रकार के अनेक प्रयासों के अनुभवों तथा निष्कार्षो से लाभ उठाकर योजना आयोग एसे दिशा निर्देश कर सकता है जिन्हें आठवीं योजना में कम से कम सौ जिलों में लागू किया जा सकता है और सफलता मिलने पर नौवीं योजना अवधि में पूरे देश में क्रियान्वित करने का निर्णय किया जा सकता है। इसमें कोई सन्देह नही कि कोई नया विचार लागू करते हुए सावधानी बरतना जरूरी है।

यहां उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि "योजना आयोग ने दिसम्बर 1991 मे आठवीं योजना 1992–1997 के उद्देश्यों एवं वृहत आयामों के बारें में जो निर्देश पत्र जारी किया, उसमें समन्वित ग्रामीण विकास की योजना के सम्बन्ध में उत्साहजनक बातें शामिल हैं। इसके अनुसार विभिन्न मदों के अधीन निर्धारित धनराशि को एक मंत्रालय को अपने योजना प्रावधानों को

समन्वित स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के प्रावधान के रूप में परिर्वतन करने की सलाह दी जा सकती है। सम्बन्धित मंत्रालयों एवं राज्य योजनाओं के ऐसे कार्यक्रमों का पता लगाने को कहा जायेगा जो इस समन्वित कार्यक्रम में शामिल़ किए जा सकते है" प्रशासनिक स्तर पर इस प्रकार के प्रयास का दायित्व जिला योजना तंत्र को सौंपा जाना चाहिए।

इस योजना में लोगों की पहल तथा जन सहयोग पर भी बल दिया गया है। इसमें कहा गया है कि " ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की योजना तथा क्रियान्वयन इस तरह हो कि लोग अधिक से अधिक अपनी मदद कर सकें तथा पंचायती राज संस्थाओं सहकारी समितियों तथा अन्य आत्म नियन्त्रित संस्थाओं के माध्यम से कार्यक्रमों में उनकी सहभागिता में वृद्धि हो समन्वित योजना के मामले मे जिम्मेदारी जिला परिषदों की होगी"। यह सराहनीय उद्‌देश्य है किन्तु यह विचार केवल कागजों में ही धरा रह जाता है क्योकि निचले स्तर की जन संस्थाऐं यह दायित्व संभालने में सक्षम नहीं होती।

समान्य स्थिति :

उदारीकरण या निजीकरण की दिशा में उठाये गये कदमों के बावजूद आठवीं योजना में कमजोर वर्गो की रक्षा की व्यवस्था जारी रखने की आवश्यकता के प्रति जागरूकता मौजूद है। इसके अनुसार 'ढांचा गत परिर्वतन के कुछ दबावों से गरीबों तथा कमजोर वर्गो की रक्षा के लिए सरकारी हस्ताक्षेप को जारी रखना होगा, वास्तव में इसमें बृद्धि करनी होगी।

खाद्यान्न की पर्याप्त सप्लाई, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्यकुशलता तथा रोजगार जुटाने के माध्यम से गरीबों के हितों की रक्षा की जा सकती है किन्तु उदारीकरण, निजीकरण तथा विदेशी पूंजी निवेश के कारण रोजगार बढ़ाने की क्षमता में कमी की प्रवृत्ति में और गति आने की सम्भावना है। इसलिए आवश्यक है कि कृषि वानिकी, ग्रामीण गैर कृषि व्यवसाय लघु उद्योग ग्रामीण वुनियादी सुविधाऐं आवास आदि में रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराये जाये। यह लक्ष्य विशेष प्रयासों के जरिए ही प्राप्त किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त ग्रामीण निर्धनता के क्षेत्रीय आयाम भी है। क्योंकि गरीबी मुख्यतया पिछड़े और सूखा तथा वाढ़ की आशंका वाले इलाकों में केन्द्रित है। नई आर्थिक नीतियों द्वारा जिस मुक्त उद्यम प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसमें पिछड़े तथा अपेक्षित क्षेत्रों के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी अल्परोजगार तथा गरीबी की समस्यायें गम्भीर रूप ले लेंगी।

ग्रामीण विकास के लिए अधिक धन निर्धारित करके इनमें कुछ प्रवृत्तियाँ तथा विपरीत प्रभावों पर काबू पाया जा सकता है। किन्तु ग्रामीण विकास के लिए परिव्यय का प्रतिशत सकल योजना परिव्यय की तुलना में बहुत कम है जिसके फलस्वरूप स्वरोजगार कार्यक्रमों तथा नौकरी देने वाले कार्यक्रमों के लिए प्रति व्यक्ति निवेश एकदम अपर्याप्त है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली :-

अधिकतम सुविधाऐं उपलब्ध कराने के बाबजूद चाहे रोजगार बढ़ाने के कार्यक्रम हो अथवा आर्थिक व सामाजिक प्रगति की योजनाऐं, इन सबका वास्तविक लाभ लोगों को तभी महसूस होगा जब वे रोजमर्रा की चीजें, बाजिव दाम पर प्राप्त कर सकें आम उपभोक्ताओं को गेहूँ, चावज, चीनी, मिट्टी का तेल इत्यादि उचित भाव पर (जो बाजार से कम होता है) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये उपलब्ध कराये जाते हैं। उचित मूल्य की दुकानों की संख्या 1992–93 में 3.75 लाख थी। इनमें से 75 प्रतिशत अनाज यानि लगभग 200 लाख टन प्रतिवर्ष सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित किया जाता है। सरकार का सदैव यह प्रयास रहता है कि गरीब लोगों को बाजिव दाम पर वस्तुऐं देने की व्यवस्था जारी रहे।

इसके अतिरिक्त सरकार ने अत्यधिक पिछड़े दुर्गम या रेगिस्तानी क्षेत्रों में नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गई इसके अन्तर्गत लोगों को अनाज व चीनी के अलावा नमक, माचिस, चाय जैसी कुछ और चीजें भी उचित भाव पर मिल सकेंगी। इस प्रणाली के अन्तर्गत सप्लाई व्यवस्था को सुचारू बनाने का प्रयास किया गया जिसका स्पष्ट उद्देश्य ग्रामीण तबके की मदद करना है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के अलावा जनसंख्या वृद्धि

पर अंकुश भी जरूरी है। जनसंख्या बढ़ने का असर हालांकि अमीर व गरीब दोनों पर पड़ता है पर गरीबों पर अधिक भार महसूस होता है। अधिक जनसंख्या से न केवल राष्ट्र के सीमित साधन और सुविधाएं बंट जाती है बल्कि परिवार की सीमित आमदनी भी बंट जाती है। अतः आर्थिक स्तर में परिवर्तन हेतु सभी प्रयास अत्यन्त आवश्यक हैं।

निर्धनता निवारण :-

वर्तमान में 29.6 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हैं अतः यह आवश्यक है कि भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ–साथ हम गरीबी उन्मूलन पर भी ध्यान दें। योजना काल में गरीबी निवारण हेतु विभिन्न कार्यक्रम लगातार चलाये जाते रहे हैं। गांवों में लोगो को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये शहरों में निर्धनों को ऊपर उठाने के प्रयास किये गये। भारी जनसंख्या वाले देश में गरीबी की समस्या विकराल और काफी बड़ी है और इससे सतत संघर्ष जरूरी है।

गांवों में गरीबी निवारण का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता व ऋण देकर ऐसे साधन सुलभ कराना है जिससे उनकी आमदनी बढ़ सके। यह कार्यक्रम जिला ग्रामीण विकास ऐजेन्सियों के माध्यम से चलाया जा रहा है।

तृतीय अध्याय

सन्दर्भ ग्रंथ श्रोत :

1. कुरुक्षेत्र, जनवरी 1985, पृष्ठ 16
2. वही अगस्त 1985, पृष्ठ 4
3. द कम्पटीशन मास्टर, 1995 फरवरी
4. द इकानामिक्स टाइम्स, नवम्बर 1994
5. भाटिया, बी.एन. : प्रोपर्टी, एग्रीकल्चर एण्ड इकानामिक ग्रोथ पृष्ठ 106
6. अरोड़ा, आर.सी. : अन्ट्रग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट पृष्ठ 6
7. द इकानामिक्स टाइम्स, जनवरी 1986 पृष्ठ 6
8. योजना, 15 फरवरी 1992 पृष्ठ 11,12
9. गवर्नमेंट आफ इंडिया :फर्स्ट फाइव ईयर प्लान' पृष्ठ 263
10. वही, पृष्ठ44, 45
11. ग्राम्य विकास विभाग न्यूज लैटर पेज 143
12. योजना, अक्टूबर 1985 पृष्ठ 1, 2
13. निर्देशिका : ग्राम्य विकास कार्यक्रम, पृष्ठ 122
14. के.पी. सुन्दरम् 'इण्डियन इकानामी' पृष्ठ 422, 23
15. ग्राम्य विकास न्यूज लैटर 1966 पृष्ठ 10
16. गवर्नमेंट आफ इंडिया, मैनुअल आन आई.आर.डी.पी. 1980

चतुर्थ अध्याय

समन्वित ग्रामीण विकास योजना का संगठनात्मक स्वरूप

-: समन्वित ग्रामीण विकास योजना का संगठनात्मक स्वरूप :-

इस अध्याय में समन्वित ग्रामीण विकास योजना के विभिन्न स्तरों विशेषतया केन्द्रीय स्तर, राज्य स्तर , जिला स्तर एवं प्रखण्ड स्तरों के संगठनात्मक स्वरूप तथा इसकी कार्य पद्धतियों का विवेचन करने का प्रयास करेंगे।

समन्वित ग्रामीण विकास योजना को मुख्य रूप से देश के सभी जिलों में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के द्वारा ही क्रियान्वित एवं संचालित किया जाता है इन अभिकरणों का पंजीयन समिति पंजीयन अधिनियम के तहत हुआ है, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का चेयरमैन अधिकांशतः जिलाधिकारी होता है। इसके प्रशासनिक ढांचों में जिला स्तर के विभिन्न विकास विभागों के पदाधिकारी सभी वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधि जिसमें अग्रणी बैंक के प्रतिनिधि जिले के सभी सांसद एवं विधायक, अनुसूचित जाति/जनजाति के सामान्य प्रतिनिधि, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के निम्न अधिकारी परियोजना निदेशक, सहायक परियोजना अधिकारी (कृषि) पुशपालन, ग्रामीण उद्योग, सहकारी समिति ऋण (साख) योजना पदाधिकारी एवं अर्थशास्त्री सह सांख्यिकी पदाधिकारी आदि जिला स्तरीय पदाधिकारी इसमें शामिल होते हैं। जिला स्तर के नीचे प्रखण्ड भी समन्वित ग्रामीण

विकास योजना की एक मौलिक इकाई है। प्रखण्ड स्तर पर कर्मचारियों की नियुक्ति ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा की जाती है। [1]

राज्य स्तर पर एक समन्वय समिति का गठन किया गया है। जिसमें कृषि उत्पादन आयुक्त/विकास आयुक्त के साथ ही मुख्य सचिव इस समिति का चेयरमैन होता है एवं इससे सम्बन्धित सभी विभागों के प्रमुख अधिकारी इस समिति के सदस्य होते हैं।

प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड विकास अधिकारी के नेतृत्व में एक दल कार्यक्रमों के संचालय के प्रति उत्तरदायी होता है।

कार्यक्रम का संचालन एवं क्रियान्वयन में जन प्रतिनिधियों का पूर्ण सहयोग उनकी सक्रिय भागीदारी के माध्यम से लिया जाता है। इन जन प्रतिनिधियों में सांसद, विधायक, जिला परिषद एवं पंचायत समिति के सदस्यों का पूर्ण सहयोग लिया जाता है। ग्राम स्तरीय संस्थाओं जैसे – ग्राम सभा भी कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों तथा लाभार्थियों के चयन में सक्रिय सहयोग देती है।

कार्यक्रम को ऋण से जोडनें के लिये समन्वित ग्रामीण विकास योजना की सफलता मुख्यरूप से लाभार्थियों को दी जाने वाली विभिन्न बैकिंग संस्थाओं द्वारा ऋण उपलब्धता पर निर्भर करती है। कार्यक्रम के सफल

संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए बैंकों की सक्रिय भागीदारी के लिए लगातार प्रयास राज्य, जिला, प्रखण्ड एवं ग्रामीण स्तरों पर किये जाते रहे है। बैंकिग संस्थाओं ने भी अपने अधिकारियों को कार्यक्रमों के लक्ष्यो एवं उद्देश्यों तथा कार्यक्रम की क्रियान्वयन की पहदतियों से परिचित कराने तथा कार्यक्रम की क्रियान्वयन की पद्धतियों से परिचित कराने के लिए प्रशिक्षण दिया है। हाल के वर्षो में बैंक ने अपनी सक्रिय भागीदारी से कार्यक्रम को संचालित करने में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की है।[2]

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछड़ी आय वर्ग के विभिन्न लाभार्थियों को उनके चयन, अनुदान ऋण के प्रावधानों से भी यथेष्ट लाभ पहुचानें का प्रयास किया गया। वर्तमान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का संगठनात्मक तथा संस्थागत स्वरूप निम्न है जिसके तहत यह वर्तमान में संचालित किया जा रहा है।

समन्वित ग्रामीण विकास योजना/ट्राईसेम का संगठनात्मक स्वरूप :-

समन्वित ग्रामीण विकास योजना एवं ट्राइसेम कार्यक्रमों का प्रारम्भ 1979 में हुआ जब इन्हें ग्रामीण विकास के लिए अति महत्वपूर्ण माना जा रहा था। जिसके हेतु कार्यक्रमों का प्रभावपूर्ण संगठन एवं प्रबन्ध अति आवश्यक है।

सरकार द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास योजना/ट्राईसेम के निम्न संगठनात्मक स्वरूप को अनुमोदित किया गया है।

संरचनात्मक स्वरूप :-

1- केन्द्रीय स्तर :-

केन्द्रीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यो को संचालित एवं समन्वित कृषि, सिंचाई एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह सम्पूर्ण राष्ट्र में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता हैं। यह सम्पूर्ण राष्ट्र में ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों हेतु नीतियों के निर्धारण के प्रति उत्तरदायी होता है। यह ग्रामीण गतिविधियों से सम्बन्धित अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों एवं विभागों से सहयोग भी लेता है।

भारत का योजना आयोग, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के योजना निर्माण की प्रमुख मशीनरी एवं निर्माता है। ये सब सीधे कृषि मंत्रालय के अधीन होते है, जो अपना प्रतिवेदन राष्ट्रीय विकास परिषद के समक्ष प्रस्तुत करता है और अन्त में वह प्रधानमंत्री के समक्ष रखा जाता है केन्द्रीय स्तर के संरचनात्मक स्वरूप को देखने से स्पष्ट होता है कि समन्वित ग्रामीण विकास के लक्ष्य को अत्यन्त गहनता से लिया गया है। समन्वय हेतु एक समन्वय समिति का गठन भी किया गया है, जो कार्यक्रमों को केन्द्रित करती है। यह आन्तरिक अभिकरणों से भी समन्वय स्थापित करती है जैसे कि उद्योग

मंत्रालय द्वारा लघु तथा कुटीर उद्योग धन्धों जैसे दस्तकारी, रेशम उत्पादन आदि, ग्रामीण मन्त्रालय द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योग से सम्बन्धित कार्यक्रमों का संचालन एवं क्रियान्वयन कर ग्रामीण उद्योगां एवं सेवाओं का विकास समन्वित ग्रामीण विकास योजना एवं ट्राईसेम योजना के अन्तर्गत किया जाता है।

एक केन्द्रीय परियोजना संचालन समिति जो ग्रामीण पुनर्निमाण मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, ट्राइसेम योजना की प्रगति एवं पुनर्विलोकन के अधार पर नेतृत्व करती है।

प्रशिक्षित एवं विशेषज्ञों का एक दल भी स्वनियोजन के लिये ऐसे क्षेत्रों को खोज करता है जहाँ पर रोजगार के अवसरों का सृजन किया जा सके। इस दल का यह भी दायित्व होता है कि यह प्रशिक्षण प्रतिनिधियों के तौर तरीकों की खोज का प्रयास करके इस दिशा में कार्यरत रहें। जिससे प्रशिक्षण विधि, प्रशिक्षण पाठयक्रम, प्रशिक्षण माडल आदि का निर्माण किया जा सके। यह दल समय–समय पर अपनी सूचनाओं के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत अभिकरणों को लाभान्वित करता रहा है।[3]

भारत सरकार का कृषि मंत्रालय जो नई दिल्ली में स्थित है उसके अर्न्तगत कार्यरत ग्रामीण विकास विभाग मुख्य रूप से नीति निर्धारण, नेतृत्व तथा कार्यक्रमों के मूल्यांकन के प्रति उत्तरदायी होता है। एक केन्द्रीय समिति का गठन समन्वित ग्रामीण विकास योजना एवं इससे सम्बन्धित

ट्राइसेम और डी0डब्लू0सी0आर0ए0 के संचालन हेतु किया गया है। इस समिति के निम्न सदस्य होते है –

1–	सचिव,	ग्रामीण विकास विभाग	चेयरमैन
2–	सचिव,	योजना आयोग या उसके द्वारा नामित व्यक्ति जो संयुक्त सचिव स्तर का हो	सदस्य
3–	सचिव,	वित्त विभाग या उसके द्वारा नामित संयुक्त सचिव स्तर का पदाधिकारी	सदस्य
4–	सचिव,	समाज कल्याण विभाग या उसके द्वारा नामित संयुक्त सचिव स्तर का कोई पदाधिकारी	सदस्य
5–	सचिव,	उद्योग मंत्रालय या उसके द्वारा नामित संयुक्त सचिव स्तर का कोई पदाधिकारी	सदस्य
6–	सचिव,	गृह मंत्रालय का सदस्य या उसके द्वारा नमित संयुक्त सचिव स्तर का पदाधिकारी	सदस्य
7–	प्रधानमंत्री	कार्यालय का प्रतिनिधि	सदस्य
8–	अतिरिक्त सचिव,	ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
9–	संयुक्त सचिव,	वित्त ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य

10– संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग सदस्य
(समन्वित ग्रामीण विकास विभाग)

11– ग्रामीण विकास (पाँच या छह लोगों के एक
के राज्य सचिव दल के रूप में)

इस समिति के निम्न लिखित प्रमुख कार्य है :-

(1) उक्त कार्यक्रमों के लिए नीति निर्देशक तत्वों (गाइड लाइन) का निर्माण एवं उनमें सुधार करना।

(2) नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करना।

(3) प्रखण्ड योजना, जिला योजना साख (ऋण) योजना आदि का निर्माण एवं पुर्नावलोकन करना।

(4) समन्वित ग्रामीण विकास योजना के हितग्राहियों को सहायता एवं अन्य सेवाओं में सामंजस्य स्थापित करना।

(5) प्रशासन तन्त्र के ढ़ाचा में फेरबदल करके समन्वित ग्रामीण विकास योजना एवं अन्य ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को प्रभावी बनाना।

(6) इन कार्यक्रमों के भौतिक, वित्तीय एवं गुणात्मक प्रगति का पुर्नावलोकन करना।

(7) समसामायिक मूल्यांकन प्रतिवेदनों पर विचार करना।

(8) राज्य सरकारों के कार्यक्रमों में निहित तत्वों एवं घटकों को एक

मंच प्रदत्त करना जिससे कार्यक्रम का संचालन हो सके।

(9) प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रस्तावों पर एवं उनके संरचना के प्रस्तावों पर विचार करना, नये प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करना प्रशिक्षण भत्ता तथा प्रशिक्षण संस्थानों के अनुदानों में सुधारात्मक प्रयास कर ट्राइसेम योजना को सफलतापूर्वक संचालित करना।

राज्य स्तर :-

राज्य स्तर पर सामुदायिक विकास विभाग अन्य तकनीकी विभागों से समन्वय स्थापित करके कार्यक्रम के तहत ग्रामीण लोगों को आवश्यक सेवायें प्रदान करता है। अधिकांश राज्यों में विकास आयुक्त दल का प्रधान होता है, जो विभिन्न विभागों के प्रमुख जैसे कृषि, पशुपालन, पंचायत, सहकारी समिति, स्वास्थ्य शिक्षा समाज कल्याण, सिंचाई आदि से सहयोग लेता है। वास्तव में विकास आयुक्त ही मुख्य रूप से समन्वित ग्रामीण विकास योजना कार्यक्रम को संचालित एवं क्रियान्वित करने के लिये आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। आद्यौगिक विकास जो लघु एवं कुटीर उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित करने में महात्वपूर्ण भूमिका अदा करता है वह सीधे विकास आयुक्त के नियन्त्रण में रहता है।

राज्य स्तर पर एक अनुमोदन समिति होती है, जिसमें उद्योगों के निर्देशक भी शामिल होते है, जो समन्वित ग्रामीण विकास योजना तथा मंत्री मण्डल में भी खास क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय पदाधिकारी की नियुक्ति करता है।

जो केन्द्र सरकार के प्रतिनिध के रूप में बैठकों में भाग लेता है। ये समितियां कार्यक्रम के क्रियान्वयन के प्रगति की समीक्षा तथा औद्योगिक परियोजना से सम्बन्धित क्रियाकलापों का पुर्नावलोकन करती हैं।

राज्य सरकार कार्य के विकेन्द्रीकरण हेतु एक समन्वय समिति का गठन भी कर सकती है। इसके लिये विशेषज्ञो का एक दल भी स्वनियोजन के अवसरों की खोज नये कार्यक्रम बनानें में करता है।

राज्य सरकार समन्वित ग्रामीण विकास योजना तथा ट्राइसेम के साथ अन्य विशेष कार्यक्रमों को भी एक विभाग के द्वारा संचालित करने का प्रयास कर सकती है। ऐसी स्थिति में जब कोई विशेष विभाग ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की देख रेख के प्रति जिम्मेदार न हो तो यह उत्तरदायित्व किसी आयुक्त एवं विशेष विभाग को मुख्य रूप से सौपा जाता है, क्योकि इसके द्वारा ''ग्रामीण गरीबों'' का चयन कर उन्हें, आवश्यक सेवायें, उद्योग, ट्रेड या व्यवसाय आदि में समायोजित किया जा सकता है। इस प्रकार से राष्ट्रीय नीति के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समन्वित ग्रामीण विकास योजना जैसे कार्यक्रमों की छत्र छाया में अन्य कार्यक्रम फलते फूलते हैं।[4]

ग्रामीण विकास में अपेक्षित वृद्धि तथा इससे सम्बधित अन्य विभाग जिनका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास है, वे भी योजना निर्माण, कार्यवन्यन, नेतृत्व एवं मूल्यांकन तथा कार्यक्रमों की प्रगति हेतु राज्य स्तर पर उत्तरदायी

होते है राज्य स्तरीय समन्वय समिति इन दायित्वों से इन्हें मुक्त भी अपने ऊपर दायित्व लेकर कर सकती है।

राज्य स्तरीय समिति :-

राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन एवं कार्य निम्नलिखित है –

(1)	मुख्य सचिव / कृषि, उत्पदन आयुक्त / विकास आयुक्त	चेयरमेन
(2)	सचिव, वित्त विभाग या उसके द्वारा नामित	सदस्य
(3)	सचिव योजना विभाग या उसके नामित	सदस्य
(4)	कृषि विभाग का प्रधान,	सदस्य
(5)	पशुपालन का प्रधान,	सदस्य
(6)	सिंचाई विभाग का प्रधान,	"
(7)	सहयोग समिति विभाग का प्रधान,	"
(8)	वन विभाग का प्रधान,	"
(9)	मछली पालन का प्रधान,	"
(10)	खान एवं उद्योग विभाग का प्रधान,	"
(11)	भारत सरकार का प्रतिनिधि उपसचिव स्तर का पदाधिकारी,	"
(12)	संयुक्त / उपसचिव ग्रामीण विकास विभाग सदस्य सचिव,	"

राज्य, अन्य पदाधिकारियों / गैर पदाधिकारियों जिनकी उपस्थिति अत्यन्त आवश्यक समझी जाये उन्हें भी बैठकों में आमंत्रित कर सकतीं हैं।

राज्य स्तरीय समन्वय समिति के कार्य :-

(1) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को योजना निर्माण, क्रियान्वयन तथा कार्यक्रम में नेतृत्व प्रदान करने हेतु सुझाव देना।

(2) कार्यक्रम के लिये अन्तर विभागीय समन्वय प्रदान करना।

(3) कार्यक्रम के क्रियान्वयन में प्रशासनिक फेर बदल पर विचार करना, कार्यक्रमों की आवश्यकता के अनुरूप वित्तीय अनुमोदन तथा पदों का सृजन करके कार्यालयी व्यय, आवश्यक संसाधन, वाहन, अन्य अवश्यकताओं एवं सुविधाओं का ध्यान रखना।

(4) जिले की भौतिक लक्ष्यों तथा कार्यक्रमों के उद्देश्यों की दशाओं का पुर्नालोकन करके प्रभावपूर्ण प्रस्तावों के माध्यम से कार्यक्रमों में सुधार करना, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति का कार्य करना।

(5) राज्य स्तरीय नीति निर्माताओं तथा इकाई स्तर पर क्षेत्रीय कार्य संचालकों के मध्य अर्थपूर्ण सफल मंच प्रदान करना।

राज्य मुख्यालय में परियोजना निर्माण सह नेतृत्व सेल :-

इस कार्यक्रम के लिए राज्य स्तर पर एक परियोजना निर्माण सह नेतृत्व सेल का गठन किया गया है, यह सेल सम्पूर्ण राष्ट्र में कार्यरत हैं, इस सेल के अन्तर्गत निम्न विशेषज्ञ कार्यो के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

(1) योजना निर्माण (ऋण योजना आयोजन सहित)

(2) पशुपालन, ग्रामीण उद्याग–धन्धे आदि के विषय विशेषज्ञ

(3) सामान्य समन्वय

(4) अर्थशास्त्री एवं सांख्यिकी विद्

ये उपर्युक्त चारों विशेषज्ञ संयुक्त निदेशक पद के स्तर के होते है, इस सेल के उपर्युक्त परदों का सृजन राज्यों की व्यक्तिगत आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं के आधार पर किया जाता है।

जिला स्तर :-

जिला स्तर पर समन्वित ग्रामीण विकास योजना का संचालन एवं क्रियान्वयन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के द्वारा ही होता है। इन अभिकरणों का पंजीयन समिति के रूप में समिति अधिनियम के तहत होता है। सामान्यतया इनका प्रधान जिलाधिकारी/उपायुक्त या मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होता है। जिला परिषद राज्य में प्राथमिकता के आधार पर लागू शासन पद्धति के आधार पर ही इनका चयन किया जाता है।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का गठन :-

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण स्वतन्त्र प्रशासनिक निकाय है इसका गठन निम्नलिखित है।

(1)	जिलाधिकारी	चेयरमैन
(2)	सांसद एवं विधायक	सदस्य
(3)	केन्द्रीय सहकारी बैंक का प्रधान	"
(4)	भूमि विकास बैंक का प्रधान	"
(5)	जिला परिषद का चेयरमैन या नामित	"
(6)	अग्रणी बैंक का वरीय पदाधिकारी	"
(7)	सामान्य प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र	"
(8)	कमजोर वर्गो के दो प्रतिनिध जिसमें एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो उक्त प्रतिनिधियों में समन्वित ग्रामीण विकास योजना का लाभार्थी भी हो सकता है।	"
(9)	ग्रामीण महिलाओं का एक प्रतिनिधि	"
(10)	परियोजना पदाधिकारी	"

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का चेयरमैन/अध्यक्ष एक कार्य परिषद का गठन भी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के सहयोग हेतु करता है। इस कार्य परिषद में जिला स्तरीय अन्य पदाधिकारी भी शामिल होते है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के प्रशासक तंत्रों की बैठक 15 दिनों में तथा कार्य परिषद की बैठक महीने में एक बार अवश्य होती है।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कार्य :-

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जिले में योजना का निर्माण, संचालन, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन करता है। अतः जिला विकास अभिकरण के कार्य निम्नलिखित है :–

(1) जिला स्तरीय अभिकरणों का निर्माण एवं रख रखाव, प्रखण्ड स्तरीय एजेन्सियों का कार्यक्रम के लिए लक्ष्यों के निर्धारण तथा कार्यक्रम की सफलता का मूल्यांकन इन एजेन्सियों के माध्यम से करना।

(2) सर्वेक्षणों को सम्पन्न करना एवं इनमे समन्वय स्थापित करना उनसे सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की योजनाओं का निर्माण करना।

(3) कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए इसका मूल्यांकन एवं नेतृत्व करना।

(4) अन्तर वर्गीय एवं अन्तर विभागीय समन्वय तथा सहयोग को सुनिश्चत करना।

(5) कार्यक्रम की उपलब्धियों को प्रचारित करना, त्रुटियों की जानकारी प्राप्त करना एवं इसकी सफलता के लिए प्रयास करना।

(6) निर्दिष्ट प्रारूप पर कार्यक्रम की सफलता का प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रेषित करना।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की स्टाफ व्यवस्था निम्नलिखित है :–

जिला ग्रमीण विकास अभिकरण की कर्मचारी व्यवस्था, संगठनात्मक स्वरूप

सहायक परियोजना (विषय वस्तु के विशेषज्ञ) 2–3	योजना दल में एक विशेषज्ञ प्रत्येक दल में ऋण ग्रामीण उद्योग अर्थशास्त्री / सांख्यिकीविद्	सहायक परियोजना पदाधिकारी –1 अन्वेषक –2 सांख्यिकीविद –1 एल0डी0सी0 –1	लेखा पदाधिकारी लेखपाल – 3	कार्यालय प्रबन्धक –1 अधीक्षक –1 बड़ाबाबू –1 एल0डी0सी0 4 ड्राइवर –2 चतुर्थ वर्गीय कर्म0 4 चौकीदार –1 पहरेदार –1

स्रोत :- आई0आर0डी0 एण्ड एलाईड प्रोग्राम्स ए मैन्युअल, डिपार्टमेण्ट आफ रूरल डेवलपमेण्ट, गर्वनमेंट आफ इडिण्या, नई दिल्ली, 23–01786 पृष्ठ 91

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के पदों का सृजन अन्त चार्ट के आधार पर ही किया जाता है। इन पदों पर किए गये व्यय का 10 प्रतिशत जिला विकास अभिकरण को आवंटित राशि मेंसे किया जाता है। बोर्ड द्वारा निर्धारित कर्मचारी व्यवस्था में कोई भी परिवर्तन की स्वीकृति एवं अनुमोदन राज्य स्तरीय समन्वय समिति से राज्य की आवश्यकताओं को दृष्टिकोण में रखकर किया जाता है।

प्रखण्ड स्तर :-

प्रखण्ड वार्षिक योजनाओं को बनाने एवं क्रियान्वित करने तथा अनुमोदन एवं प्रस्तावित योजनाओं को लागू करने की एक मौलिक इकाई है।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रखण्ड में मुख्य समन्वय पदाधिकारी की भूमिका निभाता है। साथ ही वह यह भी देखता है कि योजनाओं का क्रियान्वयन एवं निर्माण सही समय से हो। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की सहायता के लिए कार्यक्रम विशेषज्ञ के रूप में प्रसार पदाधिकारी जो विभिन्न विभागों से सम्बधित होते है। प्रखण्ड अपने कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत प्रमुख नेतृत्व प्रदान करने वाले एक सचिवालय की तरह कार्य करता है। प्रत्येक प्रसार पदाधिकारी अपने–अपने विभागों की देखरेख करते है। वे अपने विभागीय कार्यक्रमों की सफलता एवं असफलता के भी उत्तरदायी होते हैं। महिलाओं के लिये विशेष कल्याण योजनाऐं

प्रखण्ड स्तर पर महिला कार्यकर्ताओं के निर्देशन में सम्पन्न होतें हैं जो इन कार्यो के लिये विशेष रूप से प्रशिक्षित होती हैं। बी0डी0ओ0, बी0एल0डब्लू0 पंचायत सेवक एवं कर्मचारी प्रखण्ड में क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर क्षेत्र कार्यकर्ता के रूप में पदस्थापित होते हैं।

कार्यक्रम को विकसित करने तथा संचालित करने में होने वाले व्यय हेतु विभिन्न विभागों के प्रधानों के माध्यम से वार्षिक अनुमोदित व्यय राशि का प्रस्ताव एवं इसकी स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी जाती हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कुल राशि का 10 प्रतिशत भाग का उपयोग बैठक तथा प्रशासनिक तन्त्र राज्य स्तरीय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण तथा प्रखण्ड स्तर पर राज्य सरकार के अनुमोदन पर व्यय की जाती है। यदि इस प्रकार की व्यवस्था राज्य सरकार की न हो तो सामान्य तथा राज्य स्तरीय समन्वय समिति के सलाह पर इस राशि का निर्धारण कर लिया जाता है। प्रशासन तन्त्र में सहयोगात्मक दृष्किोण को ध्यान में रखकर सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का संचालन भी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण तथा प्रखण्डों के माध यम से किया जाता है। क्योंकि उक्त कार्यक्रमों के लिये भी वार्षिक लागत के आधार पर राशि का आवंटन किया जाता है।

प्रखण्ड स्तरीय लाभार्थी सुझाव समिति :-

प्रखण्ड स्तर पर एक लाभार्थी सुझाव समिति का गठन लाभार्थियों

की कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी एवं क्रियान्वयन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया गया है। समिति के गठन में प्रत्येक ग्राम पंचायतों में प्रखण्ड स्तर पर समन्वित ग्रामीण विकास योजना के लाभार्थियों द्वारा सदस्यों का चुनाव किया जाता है। एक सदस्य का चुनाव ग्राम पंचायत के सभी समन्वित ग्रामीण विकास योजना के लाभर्थियों द्वारा बी0एल0डब्लू0 द्वारा बुलाई गई बैठक में किया जाता है। चुने गये सदस्य प्रखण्ड लाभार्थी सलाहकार समिति के प्रतिनिध होंगें। प्रखण्ड में चुने हुए पंचायतों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रखण्ड स्तर पर एक चेयरमैन या उपचेयरमैन का चुनाव करनते हैं। बी0डी0ओ0 अन्य विकास विभागों के पदाधिकारी सीधे समन्वित ग्रामीण विकास योजना से जुडे होते हैं। साथ ही बैंकर्स भी प्रखण्ड समिति की बैठकों में अपस्थिति रहते हैं।

बैठक के संचालन में व्यय, स्टेशनरी एवं अन्य मदों में व्यय, यात्रा व्यय समिति के चुने हुए सदस्यों को उपयुर्क्त मदों में व्यय हेतु कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशासनिक तन्त्रों पर कुल 10 प्रतिशत आवंटित राशि को व्यय करने का प्रावधान हैं। [5]

लाभार्थी सलाहकार समिति की बैठक :-

इस समिति की बैठक सप्ताह में एक बार होती है। यह समिति अपने साप्ताहिक बैठक में ही महीने भर में की जाने वाली बैठकों की तिथि निर्धारित कर लेंती है। तिथि की परिवर्तन की स्थिति में सदस्यों

को परिवर्तित तिथि की अनौपचारिक सूचना दे दी जाती है।

समिति के कार्य :-

(1) कार्यक्रमों के विधानों की समीक्षा एवं लाभार्थियों के अनुभवों के अनुरूप व्यवस्था करना एवं कार्यक्रम में आवश्यक सुधरात्मक सुझावों को सुझाना।

(2) समन्वित ग्रामीण विकास योजना कार्यक्रमों एवं क्रिया कलापों को बेहतर बनाने के लिए इसमें लगे हुए विभिन्न सरकारी एवं गैरसरकारी विभागों तथा अभिकरणों में परस्पर आन्तरिक क्रियाकलापों में समन्वय स्थापित कर इनके विविध क्षेत्रों का निर्धारण करना।

(3) उच्च निम्न के बीच की खाई को स्पष्ट रेखांकित करते हुए इसे पाटने हेतु उचित सलाह देना।

(4) लाभार्थी में इस प्रकार की उत्तरदायित्व की भावना पैदा करना कि वे स्वतः ही वितरित किये जाने वाले साजों सामानों एवं संसाधनों का बाजार में मोलभाव करके उचित कीमत पर खरीद सकें।

(5) क्षेत्र में कार्यक्रम की त्रृटियों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए इनमें सुधारात्मक प्रयास करना।

(6) लाभार्थियों के कार्यक्रम के प्रति रूझान पैदा करते हुए इसमें इनकी सहज भागीदारी एवं क्रियाशीलता में वृद्धि करने के

उपायों को सुझाना।

इस समिति की कार्य अवधि एक वर्ष की होती है।

पंचायत लाभार्थी उपसमिति :-

पंचायत के सभी सहायता प्राप्त लाभार्थी जो प्रखण्ड स्तरीय लाभार्थी सुझाव समिति के सदस्यों का चुनाव करते हैं। वे अपने क्षेत्र में पंचायत स्तर पर लाभार्थीयों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं के समाधान के लिए हुआ करती है। यही कारण है कि प्रखण्ड सुझाव समिति के चुने हुए सदस्य इस समिति के सुझावों को ध्यान में रखकर अपने उत्तरदायित्व के प्रति सचेत रहते है। साधारणतया इस उपसमिति का अध्यक्ष प्रखण्ड स्तरीय सुझाव समिति का सदस्य होता है, साथ ही वह अन्य सदस्यों के चयन में भी पंचायत का प्रतिनिधित्व करता है। [6]

संगठनात्मक स्वरूप :-

केन्द्रीय, राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय एवं प्रखण्ड स्तरीय संगठनों के कार्यो एवं इनके स्वरूपों का अध्ययन करने के पश्चात् ग्रामीण विकास के लिए संचालित कार्यक्रमों के संगठनात्मक स्वरूप को संक्षिप्त रूपरेखा एकत्र करके निम्न रूप में प्रस्तुत है।

समन्वित ग्रामीण विकास योजना का संगठनात्मक स्वरूप

सारणी - 2

क्रमांक	स्तर	संचालक एवं समन्वय अभिकरण	क्रमांक	कार्य सम्पादित करने वाला अभिकरण
1–	केन्द्रीय स्तर	कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय	1–	सदस्य, (कृषि योजना आयोग)
			2–	सचिव, कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय
			3–	कृषि आयुक्त
2–	राज्य स्तर	ग्रामीण विकास	1–	विकास आयुक्त
		सामुदायिक विकास	2–	सचिव, कृषि
		ग्रामीण विकास हेतु गठित समिति	3–	निदेशक, उद्योग
			4–	निदेशक, पशुपालन
			5–	आयुक्त, वित्तीय संस्थान
			6–	रजिस्ट्रार, सहकारी समिति
			7–	निदेशक, सार्वजनिक सुझाव
			8–	निदेशक स्वास्थ्य सेवा
			9–	निदेशक, समाज कल्याण
3–	जिलास्तर	जिला ग्रामीण विकास	1–	जिलाधिकारी या उपायुक्त
		अभिकरण/जिला परिषद	2–	जिला पदाधिकारी या मुख्य
		या जिला विकास निगम		कार्यपालक पदाधिकारी
		या अधिकारी	3–	जिला कृषि पदाधिकारी

	4– जिला उद्योग पदाधिकारी
	5– जिला पशुपालन अधिकारी
	6– जिला शिक्षा पदाधिकारी
	7– जिला स्वास्थ्य पदाधिकारी
	8– जिला उपसहकारी पदाधिकारी एवं अन्य तकनीकी पदाधिकारी
4– प्रखण्ड स्तर पंचायत समिति	1– मुख्य परियोजना पदाधिकारी
	2– डाक्टर (प्रखण्ड चिकित्सक)
	3– सहायक अभियन्ता
	4– कृषि पदाधिकारी
	5– उद्योग पदाधिकारी
	6– सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति

स्रोत :- समन्वित ग्रामीण विकास (आर0सी0 अरोड़ा) नई दिल्ली 1979 पृष्ठ 370 ।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियाकलापों एवं कार्य पद्धतियों की व्याख्या :-

समन्वित ग्रामीण विकास योजना के विशेष सन्दर्भ में :-

समन्वित ग्रामीण विकास के अन्तर्गत अन्य कार्यक्रमों को भी समाहित कर ग्रामीण क्षेत्रों के चहुमुखी विकास के लिये एक सर्वमान्य एवं अत्यन्त प्रमुख कार्यक्रम के रूप में स्वीकृत किया गया है। इस कार्यक्रम के साथ प्रत्येक विकास खण्ड में अन्य कार्यक्रम जैसे – सूखाप्रवृत्य क्षेत्र कार्यक्रम, लघु कृषक विकास अभिकरण (डी0पी0ए0पी0 / एस0एफ0डी0ए0) एवं कमाण्ड एरिया प्रोग्राम अवश्य ही किसी न किसी रूप में संचालित किए जाते रहे है।

समन्वित ग्रामीण विकास योजना का प्रमुख उद्देश्य बेरोजगारी तथा अर्धवेरोजगारी को दूर भगाना है। इसके लिये अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन कृषि एवं अन्य सहायक कार्यक्रमों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकता है।

कृषि के अतिरिक्त बचे हुए श्रम को कृषि के सहायक उद्योग–धन्धे, कुटीर उद्योगों तथा अन्य ग्रामीण एवं लघु उद्योगों में लगाया जा सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों के उद्योगों के योजनागत ढोचों के निर्माण का प्रमुख लक्ष्य ग्रामीण दस्ताकारों की आय को सम्मानजनक स्तर पर लाना एवं रोजगार के अवसरों में प्रचुर वृद्धि कर उनके आर्थिक मानदण्डों में इस प्रकार से वृद्धि करना कि उन्हें आर्थिक सहायता के द्वारा गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जा सके। [7]

यही कारण है कि समन्वित ग्रामीण विकास योजना के योजनागत ढांचे का निर्माण परिवार को एक मौलिक इकाई मानकर ही इसके लिए योजना का निर्माण किया गया है। इसका मूल उद्देश्य आर्थिक दृष्किोण से अत्यन्त गरीब परिवार को आर्थिक सहायता देकर गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है। यहाँ पर गरीबी रेखा को परिवार की वार्षिक आय के आधार पर परिभाषित किया गया है। ऐसा परिवार जिसकी वार्षिक आय 11000 रूपये से कम है, उसे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की संज्ञा दी जाती है, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत परिवार को 11000 रूपये वार्षिक आय स्तर तक या इससे ऊपर की आय स्तर तक पहुंचाने हेतु आर्थिक सहायता पदत्त की जाती है। साथ ही गरीब से गरीबतर परिवार को प्राथमिकता के आधार पर सर्वप्रथम आर्थिक सहायता पहुंचाने के सिद्धान्त का अनुपालन किया जाता है। ताकि निर्धारित गरीबी रेखा के मानदण्ड से ऊपर उठाया जा सके। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान कर चयन हेतु एक आधार जिसे सर्वेक्षण में प्रयुक्त किया गया है अलग से विस्तृत रूप में आय

स्तर एवं गरीबी की मात्रा को निर्धारित करने में एक मानदण्ड को आधार बनाया जाता है।[8]

लाभार्थी कौन हो :-

समन्वित ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत समाज के कमजोर वर्गों को विशेष रूप से लघु एवं सीमान्त कृषकों, कृषि एवं गैर कृषि श्रमिकों, ग्रामीण दस्तकारों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों को जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हों उन्हें इस योजना के अन्तर्गत विशेषतया लाभान्वित किये जाने का प्रावधान है। अतः इसके लिए यह आवश्यक है कि लाभार्थी की सहायता एवं उनके विभिन्न आय वर्गों की चयन प्रक्रिया हेतु एक उचित सर्वमान्य एवं उपयुक्त मानदण्ड अथवा परिभाषिक शब्दावली के आधार पर एक न्यायोचित वर्गीकरण किया जा सके।

लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया में परिवार को एक इकाई के रूप में माना जाता है वैसे व्यक्ति जिनका आपस में रक्त सम्बन्ध हों और वैवाहिक सम्बन्धों में आवद्ध हों एवं सामान्य रूप से एक ही साथ मिलजुलकर सम्मिलित रूप में रहते हों उन्हें हम परिवार की संज्ञा देते हैं। जहाँ एक परिवार के सदस्य अलग रहते हों, साथ ही वे उनकी एक अलग इकाई हों उनकी पहचान में अलग परिवार के रूप में की जाती है। एक परिवार के विभिन्न सदस्यों की आय को मुखिया की आय में

जोडकर ही उस परिवार की सम्पूर्ण आय को ज्ञात कर उक्त परिवार को लघु, सीमान्त अथवा भूमिहीन आदि विभिन्न आय वर्गों में आय के अनुरूप वर्गीकृत किया जाता है।

इसके पश्चात् लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया में निम्न प्रक्रिया को क्रियान्वित किया जाता है।

(क) गरीब से गरीबतर परिवारों की सूची बी0एल0डब्लू0 / प्रखण्ड कर्मचारियों द्वारा तैयार की जाती है।

(ख) तैयार की गई सूची को ग्राम पंचायत (ग्राम सभा) के अनुमोदन हेतु उनकी बैठकों में प्रस्तुत किया जाता है।

(ग) ग्राम पंचायत की बैठकों में क्षेत्रीय लोंग, और गैर अधिकारियों , प्रखण्ड अधिकारियों, बैंक अधिकारियों एवं प्रमुख स्वशासी संगठनों के लोगों को शामिल किया जाता है।

(घ) बैठक में तय की गई एवं अनुमोदित सूची को ग्राम पंचायत एवं प्रखण्ड कार्यालय की सूचनापट्ट पर चिपका दिया जाता है। अन्तिम सूची के किसी भी लाभार्थी के नाम पर मतभेद अथवा विवाद होने की स्थिति में इसका निर्णय एवं निराकरण परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा प्रखण्ड विकास अधिकारी की सलाह पर किया जाता है।

समन्वित ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता प्रदत्त करने हेतु परिवारों की अन्तिम चयन प्रक्रिया में उनकी वार्षिक आय का मूल्यांकन, आर्थिक स्तरों का निर्धारण एवं उनकी हितग्राही पात्रताओं का निर्धारण जो ग्राम पंचायतों के अनुमोदन से किया जा चुका है। इसके अन्तर्गत चयन प्रक्रिया में गाँवों की वर्तमान दशाओं एवं क्षेत्रों, प्रमुख सड़कों से उनकी दूरी, विकास केन्द्रों से उनकी नजदीकियों एवं दूरियों, उपलब्ध भूमि की मात्रा, जल संसाधनों एवं विधुत अपूर्ति आदि प्रमुख विन्दुओं पर भी विचार कर इस कार्यक्रम को संचालित एवं क्रियान्वित करने की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। उक्त दृष्किोण से सामूहिक प्रयास की प्रक्रिया द्वारा कार्यक्रम को संचालित करना लाभप्रद होता है। परन्तु सामूहिक प्रयास प्रक्रिया से बाहर रहने वाला गरीब परिवार उक्त लाभों से वंचित रह जाता है। जिससे यह प्रयास समानता जैसे सिद्धान्तों का न तो परिपालन में ही समर्थ होता है न ही अपने उद्देश्यों में सफल हो पाता है।

समन्वित ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत चयनित एवं पहचान किये गये लाभार्थियों को समन्वित करने हेतु अन्त्योदय जैसे प्रयासों को अमल में लाया जाता है। इस प्रयास का प्रमुख उद्देश्य यह है। कि समाज के सर्वथा गरीब परिवार को उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप लाभान्वित किया जाय अर्थात समाज के सबसे गरीब का उदय ही प्रमुख लक्ष्य है सरकार द्वारा एसे गरीबों को न केवल ऋण की सुविधा ही

प्राथमिकता के आधार पर प्रदत्त करायी जाती है अपितु इन्हें अनुदान की राशि भी दी जाती है ताकि तुलनात्मक दृष्किोण से ऐसे गरीब ग्रामीण परिवारों की आर्थिक दशा अतिश्रीघ्र सुधारी जा सके। साथ ही इन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर भी उठानें में हम सफल हो सकें। [9]

एसे क्षेत्र, जहाँ परिवारिक सर्वेक्षण न किया जा सके वहां ग्रामीण गरीबों तथा दस्तकारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु एक तदर्थ अथवा अस्थाई आधार पर सूची का निर्माण कर लिया जाता है।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बी0एल0डब्लू के सहयोग से लाभार्थियों के चयन का कार्य सम्पादित करता है। इसके लिये आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश सम्बन्धित जिले के जिला स्तरीय पदाधिकारी या जिला उद्योग केन्द्र के प्रबन्ध निदेशक के द्वारा दी जाती है। इसके लिए एक क्षेत्रीय चयन समिति का गठन भी किया जाता है इसमें बैंको के शाखा प्रबन्धक भी शामिल किए जाते हैं जो न केवल चयन प्रक्रिया में सहयोग करते हैं अपितु वे ऋण प्रक्रिया के अन्तिम स्तरों तक पूर्णरूपेण सहयोग देकर उनकी आर्थिक सहायता को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। [10]

परिवारिक सर्वेक्षण :-

परिवारिक सर्वेक्षण के निम्न लिखित प्रमुख उद्देश्य होते हैं।

(क) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहिचान करना।

(ख) प्रति व्यक्ति वार्षिक आय के रूप में परिवारों का वर्गीकरण करना।

(ग) प्रत्येक परिवार हेतु उपयुक्त कार्यक्रमों का निर्धारण परिवार के मुखिया की सलाह पर गरीबी रेखा से उनके आय स्तर को ऊपर उठाने के दृष्टिकोण से करना।

पारिवारिक सर्वेक्षण के माध्यम से न केवल गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण गरीबों की पहचान एवं चयन कर उन्हें आर्थिक सहायता देने में सहायता मिलती है बल्कि योजना निार्मताओं के लिए योजना निर्माण तथा लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया में उनके द्वारा चयनित विविध कार्यक्रमों की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है, जिसके मद में आर्थिक सहायता देकर लाभार्थियों को उक्त कार्यक्रम के माध्यम से लाभान्वित किया जाता है।

कार्यक्रम को क्रियान्वित करने पर ऐसे लाभार्थी परिवारों में इसके प्रति उत्साह एवं अभिप्रेरणा के साथ ही कार्यक्रम के माध्यम से सटीक एवं समुचित लाभ प्राप्त करने में भी सहायता मिलती है। पारिवारिक सर्वेक्षण को संचालित करने वाले पदाधिकारीयों में विषय वस्तु की जानकारी हेतु कृषि विशेषज्ञों एवं अन्य विभिन्न कार्यक्रम विशेषज्ञों की राय लेकर उनकी पूर्ण सन्तुष्टि हेतु तथा उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान

में रखकर ऐसे कार्यक्रमों का अनुमोदन किया जाता है कि उन्हें अधिकाधिक लाभान्वित करते हुए कार्यक्रमों को पूर्णरूपेण सफल बना सकें। [11]

भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप चयनित प्रत्येक लाभार्थियों के लिए विस्तृत पारिवारिक योजना निर्माण का प्रावधान है। भारत सरकार द्वारा योजनाओं की रूप रेखा भी प्रदत्त की जाती है। उपर्युक्त योजना का निर्माण लाभार्थियों के पारिवारिक सर्वेक्षण के आधार पर बी0 एल0 डब्लू द्वारा तैयार की जाती है। योजना की रूपरेखा में विस्तृत रूप से प्रत्येक कार्यक्रम के लिए जो लाभार्थियेां के द्वारा चयन की जाती है। उसकी कुल अनुमानित राशि (प्रस्तावित मूल्य), अनुदान की मात्रा तथा दी जाने वाली ऋण राशि की अदायगी की अवधि ऋण–किश्तों की मात्रा तथा प्रस्तावित कुल निश्चित समय में प्राप्त होने वाली आय की मात्रा को भी स्पष्ट कर दिया जाता है। योजनाओं में इस बात का भी तुलनात्मक रूप से पर्याप्त ध्यान दिया जाता है कि योजना में वैसे अन्य विविध आर्थिक गतिविधियों एवं क्रियाकलापों को भी आवश्यक रूप से शामिल कर लिया जाए, जो लाभार्थियों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए परमावश्यक हो, साथ ही ग्रामीण गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के मार्ग में आने वालों सभी बाधाओं को भी हटाने का प्रयास किया जाता है।

व्यवहारिक रूप में वस्तुतः चयनित लाभार्थियों हेतु विस्तृत निर्देशों एवं सुझावों की अनदेखी कर ही योजनाओं का निर्माण कर लिया जाता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि विशेषज्ञों तथा श्रम शक्ति का आभाव होता है, साथ विभागशः स्पष्ट निर्देशों का भी उक्त विषय वस्तु पर आभाव होता है। समुचित एवं उपर्युक्त पारिवारिक योजना को चयनित लाभार्थियों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने तथा क्रियान्वित कार्यक्रम की प्रगति तथा नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण यन्त्र के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। अतः प्रत्येक चयनित लाभार्थियों के लिए विस्तृत पारिवारिक योजना तीन प्रतियों में किया जाना चाहिए, जिसमें एक प्रति बी0 एल0 डब्लू0 के पास दूसरी प्रति बैंक ऋण आवेदन के साथ लेनी चाहिए तथा तीसरी प्रति विकास अभिकरण के पास होनी चाहिए। उक्त दृष्टिकोंण से योजना निर्माण में गांव, प्रखण्ड एवं जिला स्तरीय कर्मचारियों का होना आवश्यक है। [12]

ग्रामीण एवं प्रखण्ड योजनाओं का निर्माण :-

समन्वित ग्रामीण विकास योजना भारत सरकार (1980) के मैन्यूल के अनुसार समन्वित ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत ग्रामीण तथा प्रखण्ड योजनाए विस्तृत रूप से पारिवारिक योजनाओं पर ही लाभार्थियों के हित में आधारित होनी चाहिए।

ग्रामीण तथा प्रखण्ड योजनाओं का निर्माण मैन्यूल में दिये गये निर्देशो के अनुरूप न होने का प्रमुख कारण आवश्यकता के अनुसार श्रमशक्तियों का अभाव तथा योजना निर्माण विशेषज्ञों की कमी भी है ग्रामीण योजनाओं के नाम पर विभिन्न संसाधनों की आवश्यकताओं, सेवाओं, ऋण की मात्रा एवं अनुदान की राशि को ही सामान्यतया पारिवारिक योजनाओं के आधार पर सम्मिलित कर लिया जाता है। इसी प्रकार से प्रखण्ड योजनाओं का निर्माण भी ग्रामीण सह संसाधनों की आवश्यकताएं सेवाएं तथा ऋण की मात्राओं आदि को शामिल कर तैयार कर लिया जाता है। [13]

योजना निर्माण कार्यक्रम को प्रखण्ड क्षेत्र के अर्न्तगत सफलता पूर्वक संचालित किया जाता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु यहां पर हम एक आदर्श प्रखण्ड योजना को निम्न रूपों में सूचीवद्ध कर सकते हैं।

(क) प्रखण्ड की विकास क्षमताओं की पहचान क्षेत्र में उपलब्ध जोतों के आकार, जल एवं अन्य विविध संसाधनों के दशाओं के अनुरूप करना।

(ख) मानव संसाधनों की स्थितियों एवं दशाओं की पहचान विशेषतौर से कृषि एवं गैर कृषि परिवारों के सन्दर्भो में जो

या तो बेरोजगार है अथवा अर्ध बेरोजगार है।

(ग) पूर्व से संचालित एवं क्रियान्वित होने वाली विभिन्न विकास गतिविधियों तथा इनकी उपयोगिता का निम्न दृष्टिकोंण से पुर्नावलोकन करना।

(1) उत्पादन को महत्तम् बनाने के लिए आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त करना।

(2) रोजगार सृजन शीलता को ज्ञात करना।

(घ) अमीरी गरीबी के अन्तर को स्पष्ट करना जिसमें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से सम्बन्धित स्वास्थ्य दवा की सुविधाएं, पेयजल आपूर्ति, भवन एवं शिक्षा तथा असमानता कम करने वाले अन्य मापदण्डों को भी ज्ञात करना।

यद्यपि समन्वित ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत, ग्रामीण स्वास्थ्य औषधि की सुविधाएं पेयजल की आपूर्ति, भवन एवं शिक्षा आदि से समबन्धित कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इन गतिविधियों के लिए इनके सामान्य कार्यक्रमों के तहत ही प्रखण्ड योजनाओं का निर्माण उक्त उद्देश्यों की वर्तमान में प्राप्ति के लिए समन्वित ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत प्रखण्ड योजनाओं की

रूपरेखा ऐसे दृष्टिकोंणों से तैयार की जाती है, कि योजना के माध्यम से उपलब्ध संसाधनों द्वारा इन्हें भी कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल कर लिया जाए। अर्थात् आई0 आर0 डी0 योजना भी इस तुलनात्मक प्रखण्ड योजना का ही एक प्रमुख घटक।

राज्य एवं राष्ट्रीय योजनाओं की तरह ही प्रखण्ड योजनाओं को भी आवश्यक रूप से 5 वर्षों तक के लिए तैयार किया जाए। समन्वित ग्रामीण विकास प्रखण्ड योजनाओं को पांच वर्षो के लिए निर्मित करने में मुख्य कठनाई यह है कि उपलब्ध संसाधनों की स्थिति तथा सरकार द्वारा 5 वर्षो के अवधि के लिए आर्थिक सहायता का ज्ञान प्रखण्ड स्तर पर योजना निर्माण की अवधि में नहीं हो पाता है।

संसाधनों की खोज :-

प्रखण्ड स्तरीय योजना की निर्माण के रूपरेखा के चयनित प्रखण्ड में उपलब्ध संसाधनों की खोज करना ही इसका प्रथम चरण है। उपलब्ध संसाधनों की खोज के लिए प्रखण्ड स्तर पर योजना का निर्माण करना नितान्त आवश्यक है, अर्थात उपलब्ध संसोधनों का प्रखण्ड स्तर पर ही दोहन किया जा सके इसके लिए प्रखण्ड योजना महत्वपूर्ण है। संसाधनों की खोज में भौतिक तथा जैविक संसाधनों, कृषि तथा भूमि का उपयोंग, भूमि की क्षेत्रीय दशायें कृषि जोतों की उपयोगिता, सिंचित क्षेत्र एवं तत्सम्बन्धी विस्तृत विवरण जैसे भूमि का समतल होना,

कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने वाले साधन आदि को शामिल किया जाता है। उपलब्ध आकड़ों एवं सांख्यिकी को सम सामयिक करके प्रयुक्त किया जाय।

संसाधनों की खोज करने में यह आवश्यक नहीं कि प्रखण्ड की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में से अलग–अलग वर्गीकरण करके विभिन्न सेक्टरों को विभक्त कर आंकड़ों का संग्रह किया जाय। संसाधनों की खोज में आवश्यक रूप से कुछ विशिष्ट क्रियाकलापों को कार्यक्रम में शामिल किया जाय जिन्हें प्रखण्ड योजना के साथ ही क्रियान्वित किया जा सके जो प्रखण्ड योजनाओं की संभावनाओं से आवश्यक रूप में सटीक रूप से मेल खाती हों। अर्थात् विशिष्ट संसाधनों की खोज में वस्तुतः प्रखण्ड स्तर पर ही संसाधनों की क्षमताओं एवं उनके समुचित दोहन पर ही विशेष तौर से ध्यान केन्द्रित किया जा सके।

जिला योजना का निर्माण :-

जिला योजना आयोग के कार्यकारी वर्ग द्वारा उपयुक्त जिला योजना को निर्मित का सम्पूर्ण क्रियाकलापों को एक ही में समाहित कर विभिन्न अभिकरणों द्वारा संचालित किये जाने वाले कार्यक्रमों को जिसमें विभिन्न सेक्टरों के लिए कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं को सफल रूप में एक योजना का स्वरूप दिया जाना चाहिए। जिला योजना प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में यह कदम नितान्त आवश्यक है।

योजना आयोग के कार्यकारी वर्ग द्वारा जिला योजना के समुचित एवं उपयुक्त और वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए निम्न प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा जाता है। जो निम्न हैं :–

(क) प्रत्येक जिले के लिए योजना आयोग एवं योजना निर्माताओं की व्यवस्था करना।

(ख) राजनीतिक महात्वाकांक्षाओं एवं समीक्षाओं को मूर्त देना।

(ग) योजना के कार्यो की स्पष्ट समीक्षा करना।

(घ) योजना निर्माण के लिए प्रत्येक जिले में उपयुक्त मशीनरी की व्यवस्था करना।

(ङ.) योजना मदों एवं वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करना।

(च) सार्वजनिक भागीदारी को योजना के सभी स्तरों एवं सम्पूर्ण प्रक्रिया में सुनिश्चत करना।

(झ) प्रशिक्षण प्रदान करना।[14]

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की इस योजना एवं कार्यक्रमों को संचालित करने वाली मशीनरी में तीन सदस्यीय योजनादल जिला स्तर पर होता है। जिसमें एक अर्थशास्त्री/सांख्यिकीविद्, एक ऋण योजना पदाधिकारी एवं लघु एवं कुटी उद्योग पदाधिकारी होता है। जिला स्तरीय आई0 आर0 डी0 योजना की रूपरेखा के लिए यहां एक सहायक परियोजना पदाधिकारी ही उत्तरदायी होता है। राज्यो के

ग्रामीण/योजना विभाग से प्राप्त निर्देशों के अनुसार प्रत्येक वर्ष एक समन्वित ग्रामीण विकास योजना की रूपरेखा तैयार की जाती है। समन्वित ग्रामीण विकास योजना को तुलनात्मक जिला योजनाओं के अन्तर्गत शामिल नही किया जाता है क्योंकि दोनो ही योजनाओं को लाभ नहीं पहुचाया जा सकता। संसाधनों की कमी के कारण प्रखण्ड स्तरीय योजना के आधार पर संचालित कार्यो को ही जिला योजना के रूप में शामिल कर लिया जाता है। किन्तु ऐसी स्थिमि कभी—कभी ही आती है।

प्रस्तावित जिला योजना में आवश्यक सुधार एवं प्रखण्ड में लक्ष्यों के निर्धारण हेतु इसे प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के पास उनके आवश्यक सुझावें को प्राप्त करने हेतु भेजा जाता है। प्रखण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्राप्त सुझावों के अनुसार इसमें आवश्यक संसोधन आवश्यकता के अनुरूप किया जाता है। प्रत्येक जिले की वार्षिक, जिला समन्वित ग्रामीण विकास योजना का सम्बन्धित राज्य के राज्य समन्वय समिति द्वारा पुर्नावलोकन एवं अनुमोदन किया जाता है। जिसका प्रधान कृषि एवं ग्रामीण विकास विभाग होता है तथा इसके सदस्य सभी तकनीकी विभागों के प्रधान होते हैं।

कमजोर वर्गो की ऋण एवं साख की आवश्यकताऐं :-

उ0 प्र0 की अर्थ व्यवस्था में कमजोर वर्गो के आर्थिक स्तर को सुलभ साख एवं इसके माध्यम से रोजगार के अवसरों में वृद्धि कर उनके आय स्तर को बढ़ाकर महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया जा सकता है। कमजोर वर्गो की ऋण की आवश्यकताएं निम्न दो प्रकार की होती हैं :-

(क) कृषि एवं कृषि के सहायक उद्योगो हेतु ऋण :-

कृषि के आधुनिकी करण के लिए जैसे उर्वरक, उन्नतबीज, कीटनाशक दवाऐं इत्यादि। मध्यम एवं दीर्घ अवधि के विनयोगों के अर्न्तगत, भूमि को सिंचित करना, जोतों को समतल बनाना एवं भूमि सुधार के अन्य कार्यक्रमों को इसमें शमिल किया जाता हैं।

(ख) उपभोग एवं कर्ज अदायगी के लिए :-

उपभोग ऋण की अधिकांश मात्रा ग्रामीण गरीबों द्वारा लिए गये कर्जे के भुगतान चिकित्सा एवं शिक्षा व्यवस्था उत्सवों, धार्मिक संस्कारों हेतु लिए गये कर्जे की अदायगी में अधिकांश ऋण समाप्त हो जाता है कमजोर वर्गो के लोग अपनी साख एवं ऋण की आवश्यकताओं के लिए अधिकतर धनी एवं साहूकार वर्ग पर ही निर्भर करते हैं।

वर्तमान आधुनिक कृषि के युग में उन्नत कृषि के लिए विभिन्न क्रियाकलापों को सह संयोजित एवं समन्वित करने की नितान्त आवश्यकता होती है जैसे–कृषि का विस्तार करना, ऋण की आवश्यकताओं को सामान्य रूप से प्राक्कलित करना, संसाधनों की उपयुक्त मात्रा की ठीक समय पर आपूर्ति करना, कृषकों द्वारा उपलब्ध संसाधनों एवं प्राप्त होने वाली आय में ही ऋण की अदायगी की व्यवस्था करना, ऋणों का प्रभावी मशीनरियों के सहयोग से समुचित उपयोग करना एवं उचित बाजार की सुविधाओं का होना भी अत्यन्त महत्वपूर्ण पहल है। [15]

कमजोर वर्गों को साख एवं ऋण की आपूर्ति निम्न श्रोतों से की जाती है।

(क) संस्थागत ऋण

(ख) गैर संस्थागत ऋण

गैर संस्थागत वर्ग में मुख्य रूप से व्यावसायिक उधारदाता, जमींदार, साहूकार, कमीशन एजेन्टों एवं रिश्तेदार एवं मित्रों को शामिल किया जाता है। जबकि संस्थागत वर्ग में सहकारी बैंकों, वाणिज्यक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों को शामिल करते है। यद्यपि गैर संस्थागत ऋण अभिकरण में कर्ज उधार देने वाले साहूकार ही प्रमुख श्रोत हैं, किन्तु कर्ज देने वाले ऊंची ब्याज दर पर कर्ज मुहैया कराकर गरीब कृषकों को बहुत शोषण करते हैं। ऐसी स्थिति मैं संस्थागत साख अभिकरणों की

वर्तमान आधुनिक कृषि के युग में उन्नत कृषि के लिए विभिन्न क्रियाकलापों को सह संयोजित एवं समन्वित करने की नितान्त आवश्यकता होती है जैसे–कृषि का विस्तार करना, ऋण की आवश्यकताओं को सामान्य रूप से प्राक्कलित करना, संसाधनों की उपयुक्त मात्रा की ठीक समय पर आपूर्ति करना, कृषकों द्वारा उपलब्ध संसाधनों एवं प्राप्त होने वाली आय में ही ऋण की अदायगी की व्यवस्था करना, ऋणों का प्रभावी मशीनरियों के सहयोग से समुचित उपयोग करना एवं उचित बाजार की सुविधाओं का होना भी अत्यन्त महत्वपूर्ण पहल है। [15]

कमजोर वर्गो को साख एवं ऋण की आपूर्ति निम्न श्रोतों से की जाती है।

(क) संस्थागत ऋण

(ख) गैर संस्थागत ऋण

गैर संस्थागत वर्ग में मुख्य रूप से व्यावसायिक उधारदाता, जमींदार, साहूकार, कमीशन एजेन्टों एवं रिश्तेदार एवं मित्रों को शामिल किया जाता है। जबकि संस्थागत वर्ग में सहकारी बैंकों, वाणिज्यक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों को शामिल करते है। यद्यपि गैर संस्थागत ऋण अभिकरण में कर्ज उधार देने वाले साहूकार ही प्रमुख श्रोत हैं, किन्तु कर्ज देने वाले ऊंची ब्याज दर पर कर्ज मुहैया कराकर गरीब कृषकों को बहुत शोषण करते हैं। ऐसी स्थिति में संस्थागत साख अभिकरणों की

महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

इस प्रकार गरीबों की सांख आवश्यकताओं की पूर्ति में संस्थागत ऋण श्रोंतों की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि बैकिंग संस्थाओं द्वारा ग्रामीण गरीबों को ऋण आवश्यताओं को विशेष रूप से पूरा किया जाय। [16]

लाभार्थियों के लिए संचालित परियोजनाओं का अधिकांश मद् संस्थागत ऋणों से ही प्राप्त किया जाता है।

ऋण देने के मानक :-

ऋण की शर्तें :-

समन्वित ग्रामीण योजना के अन्तर्गत ऋण ब्याजदरत्र एवं सुरक्षा व्यवस्था देखकर दिया जाता है।

(1) ब्याज दर :-

लाभार्थियों को रियायती ब्याज 10 प्रतिशत की दर से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ऋण को जारी करने वाली संस्था नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक NABARD) द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत संचालित किए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदत्त की जाती है।

(2) सुरक्षा व्यवस्था :-

समन्वित ग्रामीण विकास योजना के लाभार्थियों को 5000/- रुपये के ऋण तक के विनियोग हेतु किसी भी सुरक्षा या गारन्टी की आवश्यकता नहीं होती उन्हें केवल ऋण द्वारा तैयार की गई गतिशील उत्पादनों के लिए ही उत्पादित संसाधनों को बंधक या गिरवी रखने की आवश्यकता होती है।

ऋण आवेदनों को भरने की प्रक्रिया :-

लाभार्थियों के ऋण आवेदन पत्र एक शिविर में भरे जाते हैं, जिसमें लाभार्थियों द्वारा भाग लिया जाता है, साथ ही इन शिविरों में प्रखण्ड कार्य-समिति अन्य सम्बन्धित विभागों से सम्बन्धित बैकर्स एवं अन्य विभाग शामिल होते है। शिविरों की व्यवस्था लाभार्थियों को सुझाव देने, उनके समय एवं ऊर्जा को बचाने एवं कार्यालयों की भाग दौड तथा ऋण चुकौती प्रमाण-पत्रों एवं अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों के दबाव से लाभार्थियों को मुक्त करने के उद्देश्यों से ही इन शिविरों का आयोजन किया जाता है।

उक्त क्रिया के पश्चात ही ऋण आवेदन पत्रों की नियमित रूप से सम्बन्धित बैंकों को भेजे जाते हैं। उक्त आवेदनों को बैकों के पास बन्डलों में नहीं भेजा जाता है। इस सम्बन्ध में विस्तृत ब्यौरा रखने के

उद्देश्य से प्रखण्ड कार्यालयों में एक रजिस्टर होता है जिसमें इसका पूर्ण वितरण अंकित किया जाता है। प्रखण्ड द्वारा बैंकों को भेजे गये आवेदन पत्रों की संख्या को वार्षिक कार्य योजना में दर्शाया जाता है। बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण राशि प्राप्त हो जाने पर इस रजिस्टर में अन्तिम स्वीकृत राशि को इसमें अंकित कर दिया जाता है।

बैंक प्रबन्धकों की यह जिम्मेदारी होती है कि प्रखण्ड विकास अधिकारी द्वारा भेजे गये ऋण आवेदन पत्रों को अलिम्ब ऋण सहायता उपलब्ध कराने की कार्यवाही करें। भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा भी सभी बैंको को यह निर्देश दिया जाता है कि इन आवेदनों पर यथा शीघ्र ऋण राशि उपलब्ध करायी जाय। बैंक प्रबन्धकों द्वारा परियोजना हेतु ऋणों के भुगतान के समय यह देख लिया जाता है कि कार्यक्रम के तहत संचालित होने वाली इकाई की लागत मूल्य, ऋण की शर्तें एवं ऋण अदायगी के मानक भी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक तथा भारतीय रिजर्व बैक द्वारा प्रेषित निर्देशों का भी अनुपालन हो रहा है अथवा नहीं। किसी भी स्थिति में ऋण भागशः एवं प्रस्तावित ऋण राशि से कम मात्रा नहीं दी जानी चाहिए। यदि किसी आवेदन पत्र को निरस्त किया जाता है तो आवेदन पत्र पर उसके कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए, ऐसे आवेदनों को प्रेषित किए जाने वाले अभिकरणों को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यार्थ लौटा दिये जाते हैं। अपूर्ण आवेदन पूर्ण होकर प्रखण्ड विकास अधिकारी द्वारा पुनः बैकों को अग्रिम कार्यवाही

हेतु भेजे जाते हैं।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों द्वारा ग्रामीण विकास एवं पुनर्निर्माण मंत्रालय को परियोजना की प्रगति मासिक प्रतिवेदन प्रेषित की जाती है। बैंक प्रबन्धक प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के समक्ष मासिक प्रतिवेदन व्यतीत हुए सम्बन्धित पिछले माह से आगे के 15 दिनों के अन्दर ही प्रस्तुत करते है, जिसे प्रखण्ड विकास पदाधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को सम्प्रेषित करता है। बैंक द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को भेजे गये प्रतिवेदन में सहायता प्राप्त लाभार्थियों के नाम तथा पहचान कर भेजे गये हितग्राहीयों की संख्या का भी उक्त प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाता है। प्रत्येक बैंक द्वारा जिला स्तर पर एक उपयुक्त अधिकारी को नामित किया जाता है जिसे समन्वय पदाधिकारी ही जाता है जो जिले की सभी बैंक शाखाओं तथा समन्वित ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा संचालित कार्यक्रमों से तालमेल बैठाने का कार्य करता है। सरकार द्वारा यह भी निर्देश है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण सहायता उपलब्ध कराने में शाखा स्तर पर उपयुक्त पदाधिकारी के अभाव में अथवा ऋण प्रदान करने के अधिकारों की कमी से कोई भी कठिनाई या व्यवधान नहीं होनी चाहिए। इसके लिये सामान्य तथा उच्चाधिकारी अथवा अभिकरणें को भी आगे सूचित करना आवश्यक नहीं है।

परिसम्पत्तियों की प्राप्ति :-

समन्वित ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को आर्थिक सहायता के रूप में उनकी इच्छाओं के अनुरूप परिसम्पत्तियां, विस्तार अधिकारी/बी0एल0डब्लू0 की अनुशंसा पर दी जाती है। कई राज्यों में प्रखण्ड स्तर पर क्रय समिति का गठन लाभार्थियों के सहायतार्थ परिसम्पत्तियों को प्रदत्त कारकों के उद्देश्य से की गई हैं। यद्यपि यह देखा गया हैं कि अधिकांश स्थितियों में लाभार्थी परिसम्पत्तियों की खरीद स्वतः करते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि उक्त समिति के सभी सदस्य अवश्यकता पडनें पर काम के लिये उपलब्ध नही हो पातें हैं इस प्रकार यह व्यवस्था व्यवहारिक प्रतीत नहीं होती। कुछ लाभार्थियों एवं परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में यह भी पाया गया है कि घटिया किस्म की परिसम्पत्तिओं की आपूर्ति बाजार मूल्य से भी ऊंचे मूल्यों पर बैंकों के सहयोग से अधिकृत डीलरों द्वारा दिये गये हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि खरीद प्रक्रिया को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाय कि इसमें आने वाली खामियों को अधिकाधिक दूर किया जा सके। राज्य सरकारों को यह स्पष्ट रूप से निर्देश है कि समन्वित ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता के रूप में प्रत्येक परिसम्पत्तिओं की आवश्यक रूप से जांच कर ही लाभार्थियों को प्रदत्त की जाय। वर्तमान में इस निर्देश का पूरी तरह अनुपालन किया जा रहा है। लाभार्थियों को अच्छे किस्म की परिसम्पत्तियां सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध कराकर उन्हें पूर्णरूपेण सन्तुष्ट किया जाना चाहिए। इन उद्देश्यों

की पूर्ति के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को अपना विशेष उत्तरदायित्व समझकर लाभार्थियों को परिसत्पत्तियां उपलब्ध करायी जानी चाहिए। इसे सुनिश्चत करने के लिए लाभार्थियों तथा क्रय समिति में आवश्यक तालमेल बैठाकर वित्तीय संस्थाओं एवं सम्बन्धित अन्य विभागों के प्रतिनिधियों को भी क्रय समिति में लाभार्थियों के सहयोग हेतु प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। [17]

परिसम्पत्तिओं की बीमा :-

समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना के तहत दी जाने वाली परिसम्पत्तियों के रूप में पशुधनों का वर्तमान में बीमा का प्रावधान है। सामान्य बीमा निगम निम्न शर्तों के आधार पर बीमा करने की स्वीकृति दी है।

प्रीमियम :-

पशुओं की बीमा के लिए प्रीमियम की दर निर्धारित है रियायती दर बीमा एक वर्ष की अवधि के लिए प्रीमियम की दर 1.69 प्रतिशत प्रति वर्ष है तथा तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रीमियम दर 5.07 प्रतिशत तथा चार वर्षों के लिए 6.7 प्रतिशत, 5 वर्षों के लिए 8.45 प्रतिशत है। बीमा की गई वस्तुओं की मृत्यु दुर्घटना, तूफान, बाढ़, अकाल, चिकित्सीय आपरेशन आदि विशेष परिस्थितियों में बीमाकृत सम्पूर्ण राशि के भुगतान की जिम्मेदारी सामान्य बीमा निगम की होती है।

सामान्य बीमा निगम द्वारा यह भी तय किया गया होता है कि बीमाकृत स्थिर राशि का निस्तारण क्रय समिति के द्वारा तय किए गये मूल्यों के आधार पर ही मान्य होगा। सामान्य बीमा निगम ने यह भी अनुबन्ध किया है कि परिसम्पत्तियों के रूप मे दी जाने वाली अनुदान की राशि का स्पष्ट विवरण उसे दिया जायेगा।

दावों की व्यवस्था :-

दावों की व्यवस्था सरल रूप में बीमाकृत राशि के भुगतान हेतु है इसके लिए पोस्टमार्टम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।

प्रीमियम व्यय :-

प्रीमियम पर व्यय की जाने वाली धनराशि में सरकार एवं लाभार्थियों की हिस्सेदारी अलग–अलग है। सरकारी व्यय के भाग में राज्य एवं केन्द्र सरकार बराबर के भागीदार है। यह समन्वित ग्रामीण विकास योजना के वित्तीय कोषों के साथ ही उपलब्ध होती है, किन्तु इसे व्यक्तिगत रूप से लाभार्थियों को दी जाने वाली अनुदान राशि के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। [18]

ऋण कोष की व्यवस्था एवं वित्तीय प्रावधान :-

छठीं पंचवर्षीय योजना में राज्यों को प्रखण्डों की संख्या को ध्यान में रखकर उनके अनुरूप ही वित्तीय कोष हेतु धनराशि आवंटित की

गई। सातवीं पंचवर्षीय योजना में वित्तीय कोष आवंटित करने में सम्बन्धित राज्य की गरीबी को ध्यान में रखकर इसका आवंटन किया गया है। राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के आनुपातिक मात्रा के अनुसार वित्तीय कोष उपलब्ध कराये जा रहे है। समन्वित ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत संचालित वित्तीय क्रिया कलापों हेतु अनुदान एवं ऋण के रूप में वित्तीय सहायता एक मुश्त उपलब्ध करायी जायेगी।

कोषों का आवंटन एवं भुगतान :-

वित्तीय कोष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को आवंटित किये जाते हैं वित्तीय कोषों के आवंटन में निम्न सिद्वान्तों का अनुपालन किया जाता है :–

(1) योजना व्यय में राज्य तथा केन्द्र सरकार समान रूप से बराबर के भागीदार होते हैं और

(2) समन्वित ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत व्यय की जाने वाली राशि कार्यक्रम के उद्देश्यों तथा आवश्यकताओं के विरूद्ध नहीं होनी चाहिए।

केन्द्र द्वारा वित्तीय कोषों का आवंटन दो किस्तों में किया जाता है। कुछ स्थान जैसे वर्फीले स्थान लेह एवं कश्मीर आदि में केन्द्र सरकार पूर्ण वित्तीय सहायता एक मुश्त आवंटित कर दी जाती है। राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि को भी इसमें जोड़कर एक

साथ आवंटित कर दिया जाता है।

प्रथम किस्त का आवंटन :-

सरकार द्वारा प्रथम किस्त का आवंटन वर्ष भर के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के बिना किसी औपचारिक आग्रह के ही भुगतान कर दिया जाता है यदि पहले वर्ष में द्वितीय किस्त का भुगतान बिना किसी शर्त के किया गया है तो इस किस्त का आवंटन किसी भी स्थिति में नहीं किया जायेगा या इसे कुछ शर्तो के आधार पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के औपचारिक आग्रह के बाद शर्तो को पूर्ण करने पर अथवा द्वितीय किस्त के न भुगतान किए जाने के कारणों को उल्लेखित किया जाता है। प्रथम किस्त का आवंटन प्रायः वर्ष के दूसरे महीने के अन्त तक निश्चित रूप से पूर्ण कर दिया जाता है।

द्वितीय किस्त का आवंटन :-

द्वितीय किस्त का आवंटन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के आग्रह पर निम्न शर्तो की पूर्णता के पश्चात ही प्रदान की जाती है।

(1) खातों के अंकेक्षण एवं लेखा परीक्षण प्रतिवेंदन और उपलब्ध करायी गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(2) केन्द्र सरकार के आवंटित धनराशि के बराबर ही राज्य सरकार की धनराशि भी आवंटित हो जानी चाहिए।

(3) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा 50 प्रतिशत आवंटित पिछले वर्ष की धनराशि को खर्च कर दिया जाना चाहिए।

(4) चालू वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक कार्यशील योजनाओं का अनुमोदन राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा हो जाना चाहिए।

(5) अन्तिम भुगतान के समय निर्धारित की गई अन्य शर्तों को भी पुर्ण कर लिया जाना चाहिए।[19]

ऋणों का भुगतान :-

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों को ऋणों की अदायगी किस्तों के आधार पर बैंक का वित्तीय सहायता एवं सरकारी अनुदान पर प्राप्त होने वाली परिसम्पत्ति से अपनी उत्पादकता एवं आय को बढ़ाकर की जाती है। अतः यह आवश्यक है कि ऋणों की अदायगी के लिए न्यायपूर्ण तर्क संगत दृष्टिकोण से उचित भुगतान अवधि का निर्धारण किया जाये क्योंकि यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि ऋणों की अदायगी में कई कारण प्रमुख रूप से बाधक होते हैं, जैसे लाभार्थियों की ऋण अदायगी क्षमता, परिसम्पत्तियों की ऋण उत्पादन क्षमता एवं उनका जीवन काल भी प्रमुख है। समन्वित ग्रामीण विकास योजना के ऋणों की अदायगी अवधि का निर्धारण इस बात को ध्याम में रखते हुए किया जाना चाहिए कि नाबार्ड द्वारा तय किया गया मानक के रूप में ऋण अदायगी सामान्य गतिविधियों एवं क्रियाकलापों के लिए तीन वर्ष से कम न हो। समन्वित ग्रामीण विकास योजना के

अर्न्तगत दिये जाने वाले ऋणों को हम मध्यकालीन ऋण भी कह सकते हैं।

संसाधनों, सेवाओं एवं बाजार की सुविधाए :-

लाभार्थियों को आय वृद्धि की परिसम्पत्तियों की प्राप्ति के पश्चात उनकी आवश्यकता कच्चे माल की आपूर्ति, बाजार का सुविधा तकनीकी सलाह एवं प्रशिक्षण आदि की होती है। जिनके माध्यम से वे पूर्णरूपेण उपलब्ध करायी गई परिसम्पत्तिओ की क्षमताओं का उपयोग कर लाभान्वित होने में सफल हो सकेंगे। दुधारू पशुओं की स्थिति में सहायता के रूप में कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदत्त पशु पौष्टिक आहार एवं समुचित रख–रखाव के अभाव में उनकी दैनिक–दुग्ध उत्पादन क्षमताओं में क्रमशः गिरावट होने लगती है। वर्ष भर में सुनिश्चत बाजार की सुविधा के अभाव में लाभार्थियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उचित मूल्य पाना भी दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। परिणाम स्वरूप लाभार्थियों को परिसम्पतियों से यथेष्ट लाभ एवं अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है।

कार्यक्रम का नेतृत्व :-

समन्वित ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत जिले में इसके क्रियान्वयन को भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की तिमाही जिला स्तरीय प्रतिवेदन एवं वार्षिक प्रखण्ड स्तरीय प्रतिवेदनों के आधार पर ही इसका

नेतृतव किया जाता है। कार्यक्रम के संचालन में आने वाली समस्याओं एवं प्रगति का प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा पुर्नावलोकन विस्तार पदाधिकारियों, बी0एल0डब्लू0, सम्बन्धित बैंक पदाधिकारियों परियोजना निदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की प्रत्येक मासिक बैठकों में की जाती है। राज्य स्तर पर सचिव/आयुक्त ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास योजना की समस्याओं एवं प्रगति की समीक्षा प्रत्येक महीने होने वाली मासिक बैठकों में दी जाती है। जिसमें राज्य के सभी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक भाग लेते है इसमें कार्यक्रम को सफलता पूर्वक संचालित करने के लिए भी प्रभावी निर्णय लिए जाते है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा अब प्रत्येक लाभार्थी को पहचान पत्र इसी उद्देश्य से दिया जाता है कि उचित नेतृत्व के द्वारा पारिवारिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्थितियों मेंवृद्धि ला सके। अधिकांश लाभार्थियों के पहचान पत्रों को न तो भरा जाता है न ही अद्यतन रखा जाता है। ऐसी भी स्थिति देखने को मिलती है। आवश्यकता इस बात की है कि जिले एवं राज्य स्तरों पर लाभार्थी परिवारों के प्रति व्यक्ति आय के विवरण को भी कार्यक्रम के नेतृत्व में शामिल कर लिया जाय।

श्रोत :- सन्दर्भ गन्थ सूची

1– गवर्नमेंट आफ इंडिया, " गाइड लाईन्स आन रूरल इन्ड्रस्ट्रीज आफ आई0आर0डी0पी0 एण्ड ट्राइसेम" ग्रामीण पुनर्निमाण मंत्रालय, नई दिल्ली, दिसम्बर 1980, पृष्ठ–15

2– वही, 1980 पृष्ठ–16

3– अरोड़ा, आर0सी0, "इन्ट्रीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट", पृष्ठ–340

4– गवर्नमेंट आफ इंडिया, "इंट्रीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एण्ड एलाइड प्रोग्राम्स ए0 मैनुअल" नई दिल्ली, 1986 पृष्ठ–19

5– गवर्नमेंट आफ इंडिया, ग्रामीण विकास न्यूज लैटर, भाग–1, पृष्ठ 12

6– अरोड़ा, आर0सी0 "इन्ट्रीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट" नई दिल्ली पृष्ठ–370

7– कुरूक्षेत्र, अगस्त 1985 नं0–11, पृष्ठ–4

8– भारत सरकार, "आई0आर0डी0पी0 एण्ड एलाइड प्रोग्राम्स ए0 मैनुअल" 1986, पृष्ठ–1

9– योजना, सितम्बर 1985, भाग 29, पृष्ठ–10,11

10– भारत सरकार, "आई0आर0डी0पी0 ए0 मेनुअल" 1980

11– भारत सरकार, "आई0आर0डी0पी0 ए0 मेनुअल" 1980

12– कुरूक्षेत्र, अगस्त 1985, पृष्ठ–11

13– वही, अगस्त 1985, पृष्ठ–11

14– भारत सरकार, ''आई0आर0डी0 एण्ड एलाइड प्रोग्राम्स ए0 मेनुअल''
1986, पृष्ठ–14

15– कुरूक्षेत्र, अगस्त 1985, पृष्ठ–12

16– वही, मार्च 1987, पृष्ठ–9

17– कुरूक्षेत्र, अगस्त, 1985, पृष्ठ–13

18– ग्रामीण विकास न्यूज लैटर, सितम्बर 1990, पृष्ठ–8

19– भारत सरकार, ''आई0आर0डी0पी0 एण्ड एलाईड प्रोग्राम्स'' पृष्ठ–8,9

पंचम् अध्याय

जालौन जिले का सामान्य परिचय

-: जालौन जिले का सामान्य परिचय :-

स्थिति :-

जनपद जालौन उत्तर प्रदेश राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं झांसी मण्डल के उत्तरी भाग में स्थित बुन्देलखण्ड नाम से भी ज्ञात अपने मण्डल के पांच जनपदों में से एक है। इसके उत्तर पूर्व में यमुना नदी इसे इटावा एवं कानपुर जनपदों से अलग करती है पूर्व तथा दक्षिण में हमीरपुर एवं झांसी जनपद स्थित हैं। वेतवा नदी इसके बीच से निकली है पहुज नदी कुछ बिन्दुओं को छोड़कर पश्चिमी सीमा बनाती है। और मध्य प्रदेश के जनपद भिण्ड को इससे अलग करती है। यह जनपद 26 डिग्री 27 मिनट से 25 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 78 डिग्री 55 मिनट से 76 डिग्री पूर्वी देशान्तर के मध्य फैला हुआ है इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 45698 वर्ग किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम इसकी लम्बाई 93 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण इसकी चौडाई 68 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई सबसे अधिक है। वास्तव में इसका आकार त्रिभुज की तरह है।

जालौन जनपद प्राचीन समय से अस्तित्व में है। 1857 स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश फौज ने उरई अपना कैम्प लगाया था प्रशासन की एक इकाई के रूप में इस जनपद का निर्माण ब्रिटिश शासन काल में हुआ। यमुना नदी के किनारे बसा कालपी यहां का सबसे पुराना एवं बड़ा नगर है। कालपी प्राचीन राजर्षि कालप देव की नगरी, ऋषियों, महर्षियों की तपोभूमि, आदि ग्रंथकार महर्षि वेद व्यास की जन्मस्थली, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की रणस्थली परम पुनीत कालिदी तट पर अवस्थित है। यहां व्यास टीला नामक स्थान है जिसे महाभारत एवं 18 पुराणों के रचयिता

वेद व्यास की जन्म स्थली कहा जाता है यहां एक प्राचीन सूर्य मन्दिर भी है जिसे लोकोक्ति के अनुसार भगवान कृष्ण के पुत्र सामन्त ने बनवाया था। चीनी यात्री ध्वेनसंग ने भी इस क्षेत्र का वर्णन अपनी यात्रा प्रसंग में किया है। कालपी का किला अपने समय के मुख्य जिलों में एक था। वारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सहाबुदद्दीन पहला शासक था जिसने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया था कलिंगा और अब्दुल रहीम खानखाना ने यहां शासन किया। बौध ब्राहम्ण हर्षवर्धन, राजपूताना गुर्जर प्रतिहार के महात्वाकांक्षी शासक नामभट्ट राज भोज कालिंजर के चन्देल, पृथ्वीराज चौहान और मराठों ने इस क्षेत्र में राज्य किया। [1]

प्रशासनिक संरचना :-

जनपद में पांच तहसीले है तथा नौ विकास खण्ड हैं जिनके अन्तर्गत 1151 ग्राम है जिसमें 942 आबाद ग्राम तथा 564 ग्राम सभायें हैं 81 न्याय पंचायतें है यह गणना 31 मार्च 1998 की है जनपद में सर्वाधिक गांव नदीगांव विकास खण्ड में है तथा सबसे कम रामपुरा विकास खण्ड में हैं। डकोर और जालौन विकास खण्ड में सबसे अधिक न्याय पंचायतें हैं।

जनपद में 4 नगर पालिकाएं उरई, कोंच, कालपी, जालौन तथा ब्राउन एरिया, कोटरा, नदीगांव, ऊमरी, रामपुरा, माधौगढ़ एवं कदौरा सम्मलित हैं। [2]

जालौन जनपद के अन्तर्गत आने वाले ग्राम व ग्राम सभाओं आदि का वितरण निम्न है–

सारणी – 1
जनपद के अन्तर्गत कुल ग्राम एवं ग्राम सभायें

क्रम संख्या	प्रशासनिक इकाइयाँ	संख्या	डकोर	कोंच	नदीगांव	महेवा	कदौरा	जालौन	कुठोन्द	माधौगढ़	रामपुरा
1.	कुल ग्राम	1151	157	122	193	129	111	115	143	93	89
2.	कुल आबाद ग्राम	942	124	101	145	97	98	100	117	84	73
3.	ग्राम सभायें	564	86	68	82	69	87	60	81	69	58
4.	न्याय पंचायतें	81	11	7	9	8	8	11	8	10	8

श्रोत – सामाजार्थिक समीक्षा जनपद जालौन

जनसंख्या :-

वर्ष 1981 से जनगणना की तुलना में वर्ष 1991 में 23.6 की वृद्धि हुई है। 1981 की जनगणना में वृद्धि दर 21.2 % है। इस प्रकार वर्ष 1991 में जनसंख्या घनत्व 267 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जबकि 1981 में 216 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था।

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 77.92 प्रतिशत व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं जबकि 1981 की जनगणना में यह प्रतिशत 80. 8 प्रतिशत था।

भौगोलिक संरचना :

प्राकृतिक विषमताओं एवं भूमि की संरचना एवं विकास के स्तर की दृष्टि से जनपद को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम संभाग में कालपी एवं उरई तहसीलें आती हैं। द्वितीय संभाग में कोंच, जालौन एवं माधौगढ़ क्षेत्र को वर्गीकृत किया जा सकता है। यमुना पहूज एवं बेतवा नदियों ने जनपद को तीन तरफ से घेर रखा है। नदियों के तट गहरे होने के कारण निकटवर्ती क्षेत्र खार एवं वीहड़ों में परिवर्तित हो गये हैं जनपद के भीतरी जल निकासी को ककरी नोन एवं मुंगा आदि नाला चलते रहते है जो उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए, आपस

में मिलकर एक होने पर कालपी के निकट यमुना में समाहित हो गये हैं।[3]

कृषि :-

झांसी मण्डल के सभी जनपदों से इस जनपद की भूमि समतल एवं उपजाऊ है, कृषि जोतें बड़ी हैं। जालौन जिले में कृषि के संरचनात्मक विवरण निम्न प्रकार है:—

भूमि :-

जनपद में मार, कांवर, पहुआ और रावड़ चारों प्रकार की मिट्टियां पाई जातीं है कुछ क्षेत्र सिंचाई के अभाव में कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। सामान्यतः जनपद के माधौगढ़ एवं कुठौन्द को छोड़कर अन्य विकास खण्डों में एक ही फसल ली जाती है। वर्ष 1995—96 में जनपद का दो फसली क्षेत्रफल 43543 हेक्टेयर रहा है जो कुल 12.68 प्रतिशत था।

इस प्रकार जनपद की भूमि को दो भागों में वांटा जा सकता है।

1. एक फसली क्षेत्र (जालौन, कदौरा, कालपी)
2. द्वि फसली क्षेत्र (माधौगढ़, कुठौन्द)

जलवायु :-

कर्करेखा के बहुत निकट होने के नाते यहां की जलवायु यमुना नदी के उत्तर के जनपदों की तुलना में सूखी है। ग्रीष्म ऋतु जल्दी ही प्रारम्भ होती है एवं देर तक रहती है। शीतऋतु शुष्क रहती है लेकिन कोहरा एवं पाला कभी–कभी पड़ता है धूल भरी आधियँा भी कभी–कभी आती है। मानसून यहां जून के अन्त में आता है। औसत तापमान 27 डिग्री सैल्सियस हो जाता है तथा सबसे अधिक 47°C होता है। राज्य के अन्य क्षेत्रों की तुलना में वर्षा कम होती है। औसत वार्षिक वर्षा 1029 मिलीमीटर है।

खनिज :-

खनिज उपलब्धता की दृष्टि से जनपद बहुत पिछड़ा है। वेतवा नदी के किनारों पर मौरम उपलब्ध होती है इसके अतिरिक्त कोई भी खनिज पदार्थ जनपद में प्राप्त नहीं होता है। नदियों से प्राप्त मौरंग परासन एवं सैदनगर स्थानों से जनपद के बाहर भेजी जाती है एवं उच्चकोटि की मोरंग को निर्माण कार्य हेतु प्रयुक्त करते हैं।

पहाड़गांव एवं सैदनगर में छोटी–छोटी पहाड़ियां हैं लेकिन उनका पत्थर अच्छा न होने से निर्माण कार्य में उनका प्रयोग कम ही होता है।

वन सम्पदा :-

जनपद वन सम्पदा की दृष्टि से धनवान नहीं है। संरक्षित बागों का भी अभाव है। बबूल ही एक ऐसा पौधा है जो पर्याप्त मात्रा में जालौन तहसील के पहुआ मिट्टी में आम एवं महुआ के वृक्ष यत्र तत्र विखरे हुये मिलते हैं। जालौन तहसील में बांस अधिक मात्रा में पाया जाता है। जंगल का क्षेत्रफल 5.8% है बबूल एवं खेर आदि मुख्य वृक्ष है जो ईधन के काम आते हैं इस जनपद में बनों से कोई औद्योगिक उत्पादन नहीं है। [4]

सिंचाई :-

जनपद के 77% क्षेत्र में कृषि कार्य किया जाता है बनों का क्षेत्रफल 5.5 प्रतिशत है। कृषि के कुल 24.1 प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई होती है अभी भी जनपद में सिंचाई के साधनों का अभाव है जिससे कृषि की सघनता पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

जनपद में वेतवा नदी से पारीक्षा नहर निकाली गई है जिसमें दो शाखायें कुठौन्द एवं हमीरपुर में हैं। हमीरपुर शाखा में इस जनपद का बहुत कम क्षेत्र आता है। दोनों नहरों की लम्बाई 2137.727 किमी0 है। नलकूपों की संख्या 1954 है जिसमें 494 राजकीय नलकूप एवं व्यक्तिगत 1460 हैं। इसके अलावा पम्पिंग सेट, कुयें, रहट से भी सिंचाई की जाती है।

जनपद में विभिन्न सिंचाई सुविधाओं का विवरण निम्न है :-

सारणी - 2

क्रमांक	सिंचाई के साधन	संख्या / लम्बाई किमी0
1-	नहरें	2138 किमी0
2-	राजकीय नलकूप	510
3-	निजी नलकूप	1460
4-	पम्प सैट	9220
5-	कुयें	9570
6-	निजी वोरिंग एवं अन्य श्रोत	3636

श्रोत :- कृषि उत्पादन कार्यक्रम, जनपद-जालौन

जनपद में सिंचाई का प्रमुख साधन राजकीय नहरें हैं। प्राथमिकता में नलकूप एवं लघु सिंचाई साधनों का दूसरा स्थान है।

फसलें :-

जिले की जलवायु एवं मिट्टी की संरचना के अनुसार कई प्रकार

की फसलें उगाई जाती हैं। खरीफ में ज्वार, बाजरा, अरहर, उर्द, मूंग, धान एवं सोयाबीन हैं इसमें मुख्य फसलें ज्वार बाजरा ही होती है। इसी प्रकार रबी में गेहूँ, चना, मसूर, मटर, राई एवं अलसी की फसलें की जाती हैं जिसमें गेहूँ, जौ, चना मुख्य हैं क्योंकि सिंचाई साधन कम एवं उर्वरकों का कम प्रयोग होने की वजह से यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत कम होता है। [5]

मुख्य फसलों का क्षेत्रफल इस प्रकार है–

सारणी - 3

क्रम	मद	कुल क्षेत्र हेक्टेयर में	कुल उत्पादन मीट्रिक टन
1	धान्य	109619	359834
2	दालें	194386	106230
3	कुल तिलहन	14820	84183

कृषि उत्पादकता का गत 2 वर्षो का तुलनात्मक विवरण निम्न है।

सारणी - 4

फसल सं	1998–99	1999–2000 उत्पादन मीट्रिक टन में
चावल	1750	1800
मक्का	———	———
ज्वार	17303	17500
बाजरा	18100	18400
गेहूँ	288359	334787
जौ	14563	17637
उर्द	5480	5420
मूंग	340	415
चना	56912	102000
मटर	69765	93110
लाही एवं सरसों	3548	9000

श्रोत :— रबी एवं खारीफ उत्पादन कार्यक्रम, कृषि विभाग जनपद—जालौन

उर्वरकों की खपतः-

अधिक उत्पादन के लिए जिले में सन्तुलित मात्रा में उर्वरकों का

प्रयोग होता है विगत वर्षो में जनपद में उर्वरकों का उपयोग बढ़ा है।

वर्ष 1997–98 में कुल 43306 मी0 टन खाद का प्रयोग हुआ जिमें 26335 मी0 टन नाइट्रोजन 16877 मी0 टन फास्फोरस तथा 95 मी0 टन पोटास का प्रयोग हुआ। प्रति हेक्टेयर 1104.42 किलोग्राम खाद का प्रयोग किया गया।

जिले में उर्वरक खपत निम्न है।

सारणी – 4

क्रम	वर्ष	उर्वरक की खपत (टन में)
1.	1993	17730
2.	1994	16606
3.	1995	20231
4.	1996	21902
5.	1997	43366

श्रोत – संख्या एवं अर्थ विभाग जालौन

पशुपालन :-

1993 की जनगणना के अनुसार कुल पशुधन 814846 है जिसमें गोर्वशीय पशु 287073 कुल महिव वंशीय 195775 कुछ भेड़ 47258 कुल बकरे एवं बकरियां 214180 कुल सुअर 20949 मुर्गे मुर्गियां 55224 हैं।

1993 की पशु गणना के अनुसार विस्तृत विवरण :–

सारणी – 5

जालौन जिला पशुगणना 1993

क्रम सं0	मद	संख्या
1	कुल पशु संख्या	814846
2	गोर्वशीय पशु	287073
3	कुल महिष वंशीय	195775
4	कुल भेड़	47258
5	बकरे एवं बकिरयां	214180
6	कुल सुअर	20949
7	मुर्गे एवं मुर्गियां	55224
8	कुल अन्य पशु	49181
9	कुक्कुट	11225

श्रोत – पशुगणना 1993

(जालौन जिला सामाजार्थिक समीक्षा)

जिला सांख्यिकी कार्यालय, जालौन पृष्ठ – 8

मत्स्य पालनः-

जनपद में मत्स्य पालन का प्रमुख उद्देश्य जलाशयों के प्रबन्ध के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों के लघु जलाशयों जो कि ग्राम व निजी व्यक्ति के पास है उनको पट्टे पर आवंटित कराकर वांक्षिम सुधारोपरान्त यह सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

तालाबों के पट्टा धारकों तथा निजी तालाबों के स्वामियों को 10 दिवसीय मत्स्य पालन प्रशिक्षण दिया जाता है जिसमें मत्स्य पालकों को तकनीकी जानकारी दी जाती है।

उद्योग :-

सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए उस क्षेत्र के स्थापित उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान होता है क्योंकि उद्योग की स्थापना से न केवल रोजगार के अवसर सुलभ होते हैं बल्कि रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के जीवन स्तर में भी सुधार होता है साथ ही क्षेत्र का सामाजिक एवं आर्थिक विकास होता है। क्षेत्र का औद्यौगिक विकास क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति कच्चे माल एवं कुशल करीगरों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

क्योंकि जनपद जालौन में विशेष खनिज सम्पदा नहीं है तथा कृषि क्षेत्र को छोड़कर अन्य किसी श्रोत से कच्चा माल भी उपलब्ध नहीं

है एवं कुशल कारीगरों का भी अभाव है अतः औद्योगिक दृष्टि से यह जनपद पिछड़े जनपदों की श्रेणी में आता है छठीं पंच्चवर्षीय योजनापरान्त यहाँ कोई वृहत या मध्यम उद्योग स्थापित नहीं हुये थे।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में घोषित विभिन्न घूटों से आकर्षित होकर कई कम्पनियों ने अपने वृहत एवं मध्यम आकार के उद्योग जनपद में उरई कालपी रोड पर स्थित औद्यौगिक क्षेत्र में स्थापित कर लिए हैं।

जनपद में स्थापित कुछ प्रमुख औद्योगिक इकाइंया निम्न हैं :-

1. मेसर्स, उर्वसी सिन्थेटिक प्रा0लि0औ0क्षे0, उरई
2. मेसर्स उरई ऑयल कम्बिग प्रा0लि0 औद्यौगिक क्षेत्र, उरई
3. मेसर्स प्रगति स्टील प्रा0लि0 औद्योगिक क्षेत्र, उरई
4. मेसर्स बेजिप्रो फूड्स एण्ड लिमिटेड औ0 क्षे0, उरई
5. मेसर्स हिन्दुस्तान लीवर प्रा0लि0 औ0क्षे0, उरई
6. मेसर्स बलवीर स्टील प्रा0लि0 औ0क्षे0, उरई
7. मेसर्स उरई फ्लोर मिल्स लि0 कालपी रोड, उरई
8. मेसर्स अल्फा कास्टिंग प्रा0 लि0 औद्योगिक क्षेत्र, उरई

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य लघु एवं मध्यम आकार की इकाइयां उरई औद्यौगिक क्षेत्र में स्थापित की जा रही हैं इसके अतिरिक्त जनपद के कालपी नगर में हाथ कागज उद्योग यहां का प्राचीन उद्योग है,

जिसेमें अनेक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है। नगर में कालीन निर्माण, पावर लूम तथा बुनकरों द्वारा मोटे कपड़े का उत्पादन किया जाता है।

जनपद में कुटीर उद्योगों की संख्या 31 है जिसमें 3404 लोगों को रोजगार प्राप्त है इन उद्योगों को हथकरघा सहकारी समिति द्वारा तथा उ0प्र0 खादी ग्रामोद्योग वोर्ड द्वारा वित्त की व्यवस्था की जाती है। [6]

प्रशिक्षण केन्द्र :-

जालौन जनपद में 4 प्रमुख प्रशिक्षण केन्द्र हैं। दरी व कालीन बुनाई का व्यक्तिगत प्रशिक्षण अफसाना बानों के द्वारा दिया जाता है अन्य प्रशिक्षण केन्द्र निम्न हैं :-

1. मण्त्रडलीय खादी ग्रामोद्याग प्रशिक्षण संस्थान (कालपी)
2. जिला ग्राम्य विकास प्रशिक्षण संस्थान (बोहदपुरा)
3. युवा व्यावसायिक केन्द्र (बोहदपुरा)
4. जिला खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग (उरई)

कृषि आधारित उद्योग :-

कृषि आधारित उद्योगों के अन्तर्गत दाल मिल, बेकरी, आटा मिल, चावल उत्पादन, तेल मिल, कुक्कुट एवं पशुचारा आदि उद्योग शामिल हैं।

जंगल आधारित उद्योग :-

इसके अन्तर्गत आरा मशीन, फर्नीचर उद्योग, बीड़ी उद्योग, हाथ से बना कागज आदि उद्योग शामिल हैं।

पशु आधारित उद्योग :-

इसके अन्तर्गत कालीन उद्योग, चमड़े के जूते, हड्डी क्रासिंग इत्यादि।

अन्य उद्योग :-

प्रिन्टिग प्रेस, विद्युत उपकरण लेखन सामग्री तथा निर्माण सामग्री से सम्बन्धित उद्योग शामिल हैं।

जनपद में इन उद्योगो के अतिरिक्त निम्न सुविधाऐं निम्न प्रकार हैं:—

विद्युत :-

विद्युत आधुनिक युग में मानव कल्याण एवं उनके आर्थिक विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वर्ष 97—98 तक 675 आबाद ग्रामों को विद्युत व्यवस्था से जोड़ा जा चुका था। जनपद में 646 हरिजन वस्तिओं का भी विद्युतीकरण किया जा चुका है। जनपद की विद्युत आपूर्ति 132 K.B. उरई विद्युत उपकेन्द्र से तथा 33 K.B. अन्य

उपकेन्द्रों से की जाती है।

परिवहन एवं संचार :-

परिवहन एवं संचार के साधनों की उपलब्धता से क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होता है सड़क एवं अन्य परिवहन साधनों से विभिन्न स्थानों पर आवागमन की सुविधा उपलब्ध होती है। राष्ट्रीय राजमार्ग कालपी से लेकर विनौरा तक गया है रेलवे लाइन कालपी व उरई से होकर निकली है। जनपद में यातायात के साधन अच्छे तो नहीं पर पर्याप्त हैं। जनपद में सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्गो की दूरी 73 किमी0 है। प्रादेशिक राजमार्गो की लम्बाई 81 किमी0 तथा मुख्य जिला सड़कों एवं ग्रामीण सड़कों की लम्बाई 987 किमी0 है। स्थानीय निकाय के अन्तर्गत जिला परिषद सड़कों एवं नगरपालिका सड़कों की लम्बाई 50 किमी0 के लगभग है।

बाजार व्यवस्था :-

जनपद में स्थाई बड़े बाजार तहसील स्तर पर ही हैं। जालौन कोंच, उरई एवं कालपी में स्थाई बड़े बाजार हैं। गांवों में क्रय विक्रय मेलों एवं हाट में ही होता है। कालपी में हाथ कागज एवं कालीन का बड़ा बाजार है। कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए कृषि उत्पादन मंडी समितियों की स्थापना सभी तहसीलों में है जिनके माध्यम से कृषक अनाजों को बेचते हैं।

वित्तीय संस्थानः-

जालौन जिले का अग्रणी बैंक इलाहाबाद बैंक आफ इंडिया है। छत्रसाल ग्रामीण बैंक भी जनपद की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। भारतीय स्टेट बैंक की आठ शाखायें जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं। सम्पूर्ण जनपद में 101 बैंकों की स्थापना की जा चुकी है 3 नई शाखाओं ने अभी हाल में कार्य करना प्रारम्भ किया है। कुल वित्तीय संस्थानों को निम्न सारणी द्वारा प्रदर्शित किया गया है। [7]

सारणी - 6

	बैंक का नाम	कुल	शहरी / अर्धबाहरी	ग्रामीण
1.	भारतीय स्टेट बैंक	8	5	3
2.	इलाहाबाद बैंक (अग्रणी बैंक)	27	8	19
3.	सेन्ट्रल बैंक	7	3	4
4.	पंजाब नेशनल बैंक	1	1	0
5.	बैंक ऑफ बडौदा	1	1	0
6.	जालौन जिला सहकारी बैंक	18	12	6
7.	छत्रसाल ग्रामीण बैंक	35	4	31
8.	जिला कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक	4	4	—
9.	बैंक ऑफ इण्डिया	1	—	1

श्रोत – सामाजार्थिक समीक्षा जनपद जालौन

जालौन जनपद में कृषि भूमि का विस्तार पर्याप्त है। परन्तु अधिकतर ग्रामीण कृषकों के अशिक्षित होने के कारण कृषि कार्य पुरानी विधियों द्वारा किया जाता है जिससे कृषि उत्पादन पर्याप्त नहीं मिलता। साथ ही अन्य प्राकृतिक संसाधनों का भी पूर्ण उपयोग नहीं हुआ है। यद्यपि जिला प्रशासन का सदैव यह प्रयास रहता है कि जनपद का आर्थिक विकास पूर्ण गति से हो।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु सरकार द्वारा चलाया जा रहा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जनपद में 1981 से विभिन्न वित्तीय संस्थाओं एवं जिला विकास अभिकरण के सहयोग से चलाया जा रहा है।

जनपद
जालौन
उत्तर
पमाना १ संमी = ३ किमी
जनपद सीमा
तहसील सीमा
विकास खण्ड सीमा
नदियां
पहाड़ियां
मुख्य नहर
पक्के मार्ग
कच्चे मार्ग
रेलमार्ग
जनपद मुख्यालय
तहसील मुख्यालय
विकास खण्ड मुख्यालय
ग्राम
जनपद इटावा
जनपद कानपुर देहात
जनपद हमीरपुर
जनपद झांसी
जनपद भिण्ड
यमुना नदी
बेतवा
जालौन
उरई
कोंच
कालपी
कदौरा
डकोर
कुठौंद
माधौगढ़
रामपुरा
नदीगांव
महेबा

श्रोत :-

1. सामाजार्थिक समीक्षा जनपद जालौन पृष्ठ–1
2. जालौन 'एक परिचय' पृष्ठ–10
3. सामाजार्थिक समीक्षा जनपद जालौन पृष्ठ–2
4. जालौन 'एक परिचय' पृष्ठ–18
5. वृहत कृषि योजना, पृष्ठ–5
6. सामाजार्थिक समीक्षा जनपद जालौन पृष्ठ–15
7. सामाजार्थिक समीक्षा जनपद जालौन पृष्ठ–3

षष्टम् अध्ययाय

जालौन जिले में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

जालौन जिले में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम
एवं अन्य कार्यक्रम

भारत गाँवों का देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। यहॉ की 65 प्रतिशत जनसंख्या के आय मुख्य साधन कृषि है। जो भारत के 5,76,000 से भी अधिक गॉवों में रहती है। अतः भारत सरकार ने समय समय–समय पर विभिन्न योजनाओ द्वारा इनके आर्थिक विकास एवं उन्नति का प्रयास करती रही है। [1]

भारत के भूत पूर्व प्रधान मंत्री स्व0 श्री राजीव गॉन्धी के 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम के सूत्र संख्या 3 के अन्तर्गत ग्रामीण विकास कार्यकृम का उद्देश्य गॉवो में रहने वाले गरीबी रेखा से नीचे के परिवारो की आर्थिक स्थिति को सुदृढ बनाकर उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर पहुचाना था। [2]

समन्वित ग्रमीण विकास कार्यकृम सर्वप्रथम 1978.79 में प्रारम्भ किया गया एवं इसे सम्पूर्ण देश में विस्तार पूर्वक 2 अक्टूबर 1980 को लागू किया गया। [3]

समय—समय पर इस योजना के अन्तर्गत प्रगति की समीक्षा एवं उपयुक्त फेरबदल भी किए गये।

आठवीं योजना के हस्तावेज अध्याय 2 में पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की एक रूपरेखा निर्धारित की गई है। जिसका मूल सिद्धान्त विकास की प्रक्रिया में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना है जिसके लिए जरूरी है।

1. ग्रामीण विकास प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी बढ़ाना।
2. योजना का विकेन्द्रीकरण
3. भूमि सुधारों को अधिक कारगर ढ़ग से लागू करना।
4. अधिक ऋणों की व्यवस्था।

आठंवी योजना में उत्पादन, रोजगार तथा आय दोनों में वृद्धि और कमजोर वर्गो के लिए विशेष कार्यक्रम जैसे—समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग्रामीण बेरोजगारों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम जवाहर रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम इन सभी योजनाओं को नौवीं पंचवर्षीय योजनायें जारी रखा गया तथा इंदिरा आबास, राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम जैसी अन्य योजनायें भी प्रारम्भ की गई। [4]

गरीबी रेखा :-

गरीबी रेखा का निर्धारण इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनकी वार्षिक आय से लगाया जाता है। जिन परिवारों की वार्षिक आय 11000/– प्रति परिवार से कम है उन्हें गरीबी रेखा के अन्तर्गत माना जाता है। [5]

गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की सीमा :-

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का अर्थ यह है कि गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता तथा उनके अनुरूप कार्य देकर उनकी वार्षिक आय 11000 रुपये से ऊपर की जाय।

सहायता प्राप्त करने वाले परिवार :-

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चार प्रकार के परिवारों को सहायता दी जाती है।

१. **लघु कृषक :-**

ऐसे कृषक जिनके पास 5 एकड़ एवं इससे कम जमीन हो।

२. **सीमान्त कृषक :-**

ऐसे कृषक जिनके पास ढ़ाई एकड़ या इससे कम जमीन हो।

३. **खेतिहर कृषक :-**

वे लोग जिनके पास अपना घर छोड़कर दूसरी जमीन न हो तथा

जिनकी कमाई का आधार दूसरों के खेतों में मजदूरी करना हो।

४. ग्रामीण दस्तकार :-

जैसे – लोहार, मोची, कुम्हार, दर्जी, वढ़ई आदि परम्परागत धन्धे करने वाले।

इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, या अनुसूचित जनजाति के परिवारों के लिए विशेष प्रावधान है उनके लिए 30 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है इस कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं को भी कम से कम 40 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।

चयनित परिवारों को प्रदत्त की जाने वाली परियोजनाऐं:-

परियोजना क्रियाकलाप, चयनित परिवार की आवश्यकता रुचि क्षमता एवं दक्षता–संसाधनों की स्थानीय उपलब्धता तथा विप्णन सुविधाओं की उपलब्धता के अनुरूप होना चाहिए।

किन-किन मुख्य कार्यो के लिए सहायता दी जाती है :-

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा चयनित परिवारों को किस तरह के रोजगार दिये जायें जिससे उनकी आय बढ़े और वे गरीबी

रेखा से ऊपर हो जाए। इसके लिए विशेष सर्वेक्षण किया जाता है इसके अन्तर्गत निम्न लिखित मुख्य कार्यो के लिए सहायता दी जाती है।

१. कृषि एवं उससे सम्बन्धित कार्य :-

इसके अन्तर्गत निम्न कार्यो हेतु सहायता दी जाती है– लघु सिंचाई दुधारु पशु, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, भेड़ पालन, शूकर पालन।

२. उद्योग/सेवा/व्यवसाय सम्बन्धी कार्य :-

(क) सेकेन्डरी सेक्टर में निम्न कार्यो हेतु सहायता दी जाती है–रेशम उद्योग, हस्त करघा उद्योग एवं ग्रामीण कुटीर उद्योग एवं ग्रामीण कुटीर उद्योग टर्सरी सेक्टर में निम्न कार्यो के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। बैलगाड़ी, ऊँट गाड़ी, बढ़ईगीरी, लोहार गीरी, एवं अन्य छोटी–छोटी दुकाने।

कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमन्य अनुदान :-

एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों की श्रेणी के अनुसार निम्नवत अनुदान अनुमन्य है। [6]

क्र.स.	कुल परियोजना लागत का अनुमन्य प्रतिशत अनुदान	अनुदान की धनराशि की अधिकतम अनुमन्य सीमा
1. लघु कृषक	25%	सामान्य क्षेत्रों में रु4000 प्रति परिवार तथा सुखोन्मुख क्षेत्रीय कार्यक्रम के क्षेत्रों में रु 5000 / प्रति परिवार
2. सीमान्त कृषक कृषि श्रमिक अकृषि श्रमिक तथा ग्रामीण शिल्पकार	33%	तदैव
3. उपर्युक्त में से अनु.जाति 6000 अनु.जनजाति तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति	50%	समस्त क्षेत्रों में रु. प्रति परिवार
4. गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों के नवीं कक्षा तक पढ़े (उत्तीर्ण या अनुतीर्ण) शिक्षित बेरोजगार ग्रामीण युवा	50%	समस्त क्षेत्रों में 7500 प्रति परिवार

उपर्युक्त के अतिरिक्त सामूहिक क्रिया कलाप के लिए लाभार्थियों के समूह द्वारा क्रियान्वित किये जाने वाली समस्त परियोजना के लिए निम्न प्रकार अनुदान अनुमन्य होगा :

श्रेणी	कुल परियोजना लागत का अनुमन्य प्रतिशत अनुदान	अनुदान की धनराशि की अधिकतम अनुमन्य सीमा
गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के कम से कम 5 सदस्यों का समूह	50:	रू0 1,25,000/-

श्रोत :- ग्राम विकास कार्यक्रम निर्देशिका उ0 प्र0 शासन, जिला विकास भिकरण-जालौन

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के संचालन का मुख्य दायित्व जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जालौन (उरई) का है। जो जिले में कार्यरत अन्य बैंकों के समन्वय तथा सहयोग से इसका संचालन करती है।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण :-

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के संचालन का भार जिला में स्थित "जिला ग्रामीण विकास अभिकरण" पर है। इस अभिकरण के द्वारा ही जिला के कार्यक्रम को चलाने के लिए रूपरेखा, परिवारों का चुनाव, अनुदान उपलब्ध कराना आदि कार्य किए जाते हैं।

उक्त पहलुओं को देखते हुए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण एवं बैंकर्स की जिला परमर्श दात्री समिति द्वारा लक्ष्य का निर्धारण समय–समय पर किया गया।

विभागीय अधिकारियों के लिए उत्तरदायित्व निर्धारण :-

कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में किये जा रहे विकास कार्यो के सही रूप में संचालन करने मार्ग दर्शन देने तकनीकी परामर्श देने हेतु निम्न विवरण के अनुसार सेक्टरों हेतु विभागों के जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

क्र.स.	कार्यक्रम/सेक्टर	उत्तरदायी अधिकारी
1.	कृषि	जिला कृषि अधिकारी
2.	भूमि संरक्षण	जिला भूमि संरक्षण अधिकारी/उप निदेशक भूमि संरक्षण
3.	कृषि	सेवा कार्य यू.पी. एग्रो/मण्डलीय विकास निगम
4.	कृषि यन्त्र आपूर्ति	यूपी.एग्रो मण्डलीय विकास निगम
5.	पशुपालन	जिला पशुधन अधिकारी
6.	दुग्ध विकास	दुग्ध विकास अधिकारी
7.	मत्स्य पालन	वरिष्ठ मत्स्य निरीक्षक/मत्स्य परियोजना अधिकारी
8.	लघु सिंचाई	सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई
9.	उघोग सेवा	व्यवसाय कार्यक्रम सामान्य प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र
10.	ऋण व्यवस्था	1. सरकारी क्षेत्र–सहायक निबन्ध सहकारिता जिला सहकारी बैंक तथा उ0 प्र0 कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की जनपद शाखा 2. व्यवसायिक क्षेत्रलीड़ बैंक अधिकारी
11.	लाभार्थी हेतु कच्चे माल की उपलब्धि एवं तैयार माल की बिक्री की व्यवस्था	1. जिला उद्योग केन्द्र 2. मण्डलीय विकास निगम 3. हथकरघा निगम 4. खादी ग्रामोद्योग 5. जिला पूर्ति एवं विप्णन संघ
12.	लाभार्थियों द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों का सत्यापन व कार्यक्रम का मूल्यांकन	1. जिला विकास अधिकारी 2. जिला ग्राम्य विकास अभिकरण 3. जिला संख्या अधिकरण 4. राजस्व विभाग के अधिकारी 5. लीड़ बैंक के अधिकारी

उपरोक्त के अनुसार समस्त अधिकारियों / संस्थाओं द्वारा कार्यक्रम में उनके योगदान की जिलाधिकारी द्वारा समय–समय पर समीक्षा की जाती है तथा अधिकारियों द्वारा किये गये कार्य का उल्लेख समीक्षा में स्पष्ट करेंगें।

बैंक :-

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अर्न्तगत चुने हुये परिवारों को ऋण देना बैंक की जिम्मेदारी है। बैंक द्वारा ऋण समय पर तथा समुचित देने का प्रावधान है। बैंक, नावार्ड द्वारा निर्धारित ऋण सीमा के आधार पर ही ऋण की रकम का निर्धारण करती है। जालौन जनपद में इस कार्य हेतु विभिन्न ग्रामीण बैंकों की संख्या इस प्रकार है। [7]

सारणी –1

जनपद जालौन में बैंकों की स्थिति

बैंक का नाम	संख्या (ग्रामीण क्षेत्रों में)
1. व्यावसायिक बैक	
इलाहाबाद बैंक (अग्रणी बैंक)	19
2. भारतीय स्टेट बैक	3
3. सेन्ट्रल बैंक	4
4. जालौन जिला सहकारी बैंक	6
5. छत्रसाल ग्रामीण बैंक	31

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों को बैंक से आसान शर्तो पर ऋण उपलब्ध कराये जाते हैं। प्रदत्त ऋण बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर पर 3 से 5 वर्ष के अन्दर चुकाना होता है। 25000/- रुपये तक के ऋणों पर कोई बन्धक नहीं लिया जाता है।

एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम ''गरीबी उन्मूलन की बृहद योजना है'' गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को उनकी अभिरुचि एवं क्षमता के अनुसार आर्थिक क्रियाकलापों हेतु ऋण एवं अनुदान की सुविधा प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।[8]

जालौन जनपद की वार्षिक कार्ययोजना एवं जिला ऋण योजना के अनुसार समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम हेतु लक्ष्यों का निर्धारण एवं उनकी प्राप्ति से सम्बन्धित विवरण निम्न प्रकार है जिसे सारणी नं0 2 से स्पष्ट किया गया है।

सारणी नं0 2

जालौन जिले में समन्वित ग्रामीण विकास योजना की प्रगति का विवरण

क्र. स.	वर्ष	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्राप्ति	उपलब्धि का प्रति.	वित्तीय(लाख रु.) लक्ष्य	वित्तीय(लाख रु.) प्राप्ति	उपलब्धि का प्रति.
1.	1993–94	4171	4601	110.31%	269.96	232.16	85.99%
2.	1994–95	3260	3317	101.75%	262.79	171.98	79.69%
3.	1995–96	3257	3289	101.50%	242.50	193.23	79.68%
4.	1996–97	3257	3313	101.71%	429.63	242.63	56.54%
5.	1997–98	3583	3585	100 %	446.40	261.70	58.62%
6.	1998–99	3911	3921	100.25%	224.11	247.65	110.50%

श्रोत : एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम, वार्षिक कार्य योजना, जिला विकास अभिकरण, जनपद जालौन स्थान उरई ।

विभिन्न आर्थिक क्रिया कलापों के लिए ऋण व अनुदान की व्यवस्था कर ग्रामीण गरीबों को सहायता प्रदान करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। जिसकी पूर्ति हेतु जालौन जनपद में 1980 से 90 तक 69800 लाभार्थियों को सहायता प्रदान की जा चुकी है। 1990–91

से अब तक सहायता पाने वाले परिवारों का विवरण सारणीबद्ध किया है।

सारणी - 3

एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अर्न्तगत सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या सेक्टरवार उपलब्धि

क्र. वर्ष	कृषि	अल्पसिंचाई	पशुपालन	उद्योग सेवा व्यवसाय	योग
1. 1990–91	115	106	3835	1900	5956
2. 1991–92	62	251	3000	1864	5177
3. 1992–93	49	182	2074	1469	3774
4. 1993–94	46	328	2441	1786	4601
5. 1994–95	31	460	1565	1261	3317
6. 1995–96	37	438	1602	1212	3289
7. 1996–97	34	276	1754	1249	3313
8. 1997–98	245	281	1648	1411	3585
9. 1998–99	98	286	1435	1522	3911

श्रोत्र : वार्षिक कार्य योजना, जिला विकास अभिकरण जनपद जालौन

वर्ष 1998–99 में 3911 लाभार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया जिसके लिए 224.11 लाख रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। लक्षित परिवारों में 52% परिवार अनुसूचित जाति तथा 40% महिलाओं को लाभान्वित करने के उद्देश्य से ऐसी योजनाएं देने का प्रावधान किया गया है, जो परम्परागत हों जैसे–पशुपालन छोटे घरेलू उद्योग, लिफाफा बनाना, सूतकातना आदि। इस योजना में लाभान्वित महिला एवं अनुसूचित जाति, जनजाति लाभार्थियों का विवरण निम्न प्रकार है।

सारणी - 4

एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसुचित जाति, जनजाति एवं महिला लाभार्थियों का विवरण

क्र. स.	वर्ष	महिला लाभार्थी लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य के सापेक्ष प्रति.	अनु.जा.जनजाति लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य के सापेक्ष प्रति.
1.	1993–94	1669	1807	108.27%	2169	2602	119.96%
2.	1994–95	1304	1339	102.68%	1695	1721	101.53%
3.	1995–96	1303	1326	102.00%	1694	1760	104.00%
4.	1996–97	1303	1336	102.53%	1694	1742	102.00%
5.	1997–98	1433	1435	100.13%	1663	1864	100.00%
6.	1998–99	1564	1566	100.25%	2034	2035	100.05%

श्रोत्र : वार्षिक कार्य योजना, जिला ऋण योजना, जनपद जालौन

जनपद में एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1995 से औसत लागत प्रति परिवार 15000.00 रु० से वढ़ाकर 16000.00 कर दी गई है।[9]

ताकि लाभार्थी को वर्ष भर आय प्राप्त हो सके और वह गरीबी रेखा के स्तर से ऊपर उठ सके। जनपद में विभिन्न वर्षो में बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अनुदानों का विवरण सारणी संख्या –5 द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

सारणी -5

एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1996—97, 97—97, 98—99 में प्रदत्त ऋण एवं अनुदानों का विवरण (लाख रु0 में)

क्र. बैंक का नाम	1996—97			1997—98			1998—99		
	सख्या	अनुदान	ऋण	सख्या	अनुदान	ऋण	सख्या	अनुदान	ऋण
1— इलाहाबाद बैंक	1057	51.14	120.93	1119	56.47	131.99	945	47.47	121.70
2— छत्रसाल ग्रामीण बैंक	1038	49.89	118.01	1028	56.59	125.08	442	71.09	176.66
3— जिला सहकारी बैंक	240	11.23	26.90	136	7.44	15.30	87	4.71	9.99
4— सेन्ट्रल बैंक	231	10.73	24.76	208	11.03	23.86	247	10.97	29.62
5— भारतीय स्टेट बैंक	209	9.83	23.93	184	12.16	21.93	236	11.79	31.06
6— अन्य व्यावसायिक बैंक	531	24.73	61.96	880	63.44	112.62	931	38.68	101.50

श्रोत :— वार्षिक ऋण योजना, इलाहाबाद बैंक जालौन (L.B.)

वार्षिक कार्य योजना 1997-98, 99 की प्रगति समीक्षा :-

वार्षिक कार्य योजना के कार्यान्वयन की उपलब्धि की समीक्षा, जिला स्तर पर एवं बैंकवार, गत तीन वर्षो का किया गया है। इसके अध्ययन एवं समीक्षा से कई महात्वपूर्ण तथ्य सामने आते हैं। जिन्हें सारणी में प्रदर्शित किया गया है।

जिला स्तर पर वार्षिक कार्य योजना 1996-97 की समीक्षा :-

समन्वित ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1997 तक 18,000 परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका था। वार्षिक कार्य योजना 96–97 का लक्ष्य 242.63 लाख रूपये रखा गया जिसके अन्तर्गत कुल 3257 परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। लक्ष्य के विपरीत इस वर्ष 101.00 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया गया। योजना में मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र की प्रधानता दी गई। इस मद में 1996 की तुलना में 50 लाख रूपय की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई गई। लघु उद्योग एवं व्यवसाय हेतु 1249 लाभार्थियों को लाभ प्रदान किये गये जो पिछले वर्ष के अनुसार ही था। वार्षिक योजना 1997 में कुल 1303 महिला एवं 1694 अनुसूचित जाति, जनजाति लाभार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। महिला लाभार्थी एवं अनुसूचित जाति जनजाति लाभार्थी उपलब्धि का प्रतिशत

क्रमशः 102.50 एवं 102.00 रहा जो पूर्ण उपलब्धि को प्रदर्शित करता है। वार्षिक ऋण योजनान्तर्गत लाभार्थियों को कुल 158.55 लाख रूपया अनुदान एवं 376.49 लाख रू0 के ऋणों का वितरण विभिन्न व्यावसायिक एवं सहकारी बैंकों द्वारा किया गया। योजना में कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित अन्य क्षेत्र जैसे—पशुपालन, डेयरी विकास, चटाई निर्माण, कपास उत्पादन पर विशेष बल दिया गया पशुपालन कार्यक्रम के अन्तर्गत 1754 परिवारों को लाभान्वित कराया गया।

वर्ष 1997-98 की समीक्षा :-

वर्ष 1997—98 की योजना का कुल भौतिक लक्ष्य 3585 परिवारों को लाभान्वित करने का रखा गया जो पिछले वर्ष की तुलना में 1 प्रतिशत अधिक था। क्षेत्रवार निर्धारण में प्राथमिक सेक्टर में 2174 परिवारों को लाभान्वित किया गया। 97—98 वर्ष की योजना पर कुल वित्तीय लक्ष्य 446.60 लाख रूपय रखा गया जिस पर कुल व्यय 261. 70 लाख हुआ जिसकी उपलब्धि का 58.62 प्रतिशत थी। कुल भौतिक लक्ष्य की उपलब्धि का प्रतिशत 100.00 था। जिससे स्पष्ट है कि वार्षिक कार्य योजना में लक्ष्य की प्राप्ति में अभिरूचि दिखाई गयी किन्तु ऋणों का वितरण कम मात्रा में हुआ। उपलब्धि के प्रतिशत में क्रमशः ह्रास की स्थिति उत्पन्न हुई अन्य क्षेत्रों में ह्रास का प्रमुख कारण क्षेत्र का संतुलित विकास की ओर ध्यान देना था। वर्ष 97—98 में बैंको द्वारा

कुल 208.73 लाख रूपय के अनुदान तथा 434.39 लाख रूपय के ऋणों का वितरण योजना के लाभार्थियों को किया गया।

वर्ष 1998-99 की समीक्षा :-

वर्ष 98–99 की योजना का कुल लक्ष्य 3911 तथा जिस हेतु 224.11 लाख रूपये व्यय करने का लक्ष्य रखा गया। पिछले वर्ष की उपलब्धि के परिपेक्ष यह लक्ष्य अधिक था। ग्राम्य सर्वेक्षण के आधार पर कृषि क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता प्रदान की गई। कुल लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत 100.25 रहा जिसके लिए कुल 247.65 लाख रूपय व्यय किये गये। बैंकों द्वारा कुल 180.40 लाख रूपय के अनुदान एवं 472.00 लाख रूपय ऋण के रूप में वितरित किये गये।

ग्रामीण महिला एवं बालोत्थान योजना :-

यह योजना जनपद में 1992–93 से समन्वित ग्रामीण विकास योजना के साथ चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को आय सृजन कार्यक्रम उपलब्ध कराना, समूह की महिलाओं को आर्थिक सामाजिक निवेश के कार्यक्रमों जैसे– प्रोढ़ शिक्षा, स्वास्थ्य, समेकित बाल विकास योजना में प्रतिवर्ष एक विकास खण्ड में अधिकतम कराना। योजना में

प्रति वर्ष एक विकास खण्ड में अधिकतम 50 महिला समूहों का गठन कराया जाता है। योजना में एकीक्रत ग्राम्य विकास योजनान्तर्गत 50 प्रतिशत अनुदान समूह को प्रदान किया जाता है। शिशु कल्याण हेतु बालकों को झूलाघर, खिलौने एवं अन्य समान भी उपलब्ध कराया जाता है।

महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के प्रति जागरूकता तथा अभिरूचि उत्पन्न करने तथा कार्यकुशलता लाने के लिए दो प्रकार के प्रशिक्षण आयोजित कराये जाते है। प्रेरणात्मक प्रशिक्षण के अन्तर्गत समूह अध्यक्ष को अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान कर योजना की जानकारी कराई जाती है। ट्राइसेम के अन्तर्गत प्रत्येक महिला समूह को उनके द्वारा चयनित व्यवसाय को कुशलता एवं सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

ट्राइसेम व ग्रामीण महिला बालोत्थान योजना कार्य एवं प्रशिक्षण आदि के कारण समन्वित योजना के समानान्तर कार्य करती है।

जालौन जनपद में ड्वाकरा योजना पर विगत तीन वर्षो में कुल व्ययों का विवरण इस प्रकार है –

सारणी - 5

क्र0	व्यय विवरण वर्ष	1996–97	1997–98	1998–99
(अ)	प्रारम्भिक अवशेष	0.08	0.35	0.26
(ब)	वर्ष में प्राप्तिया			
(1)	सरकारी अनुदान	15.12	15.12	21.80
(2)	अन्य श्रोत (ब्याज)	0.32	0.10	0.13
	योग (ब)	15.44	15.22	21.93
	योग (अ+ब)	15.32	15.57	22.19
(स)	वर्ष का व्यय	15.17	15.31	21.42

श्रोत :– वार्षिक कार्य योजना, जनपद जालौन

जनपद में ड्वाकरा योजना के अन्तर्गत कुल 15.17 लाख रूपय का व्यय वर्ष 1996–97 में किया गया। 1997–98 में यह व्यय 15.31 लाख रूपया था। इसी प्रकार 1998–99 योजना के अन्तर्गत 21.42 लाख रूपया व्यय किये गये।

ग्रामीण बेरोजगार युवक स्वतः रोजगार योजना :-

ट्राइसेम अर्थात् ग्रामीण बेरोजगार युवक युवतियों की स्वतः रोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना 'एकीक्रत ग्राम्य विकास योजना' का ही एक अंग है। इस कार्यक्रम के दो चरण है प्रथम चरण में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बेरोजगार युवक युवतियों को कम से कम समय में रोजगार चलाने हेतु आवश्यक तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराके प्रशिक्षित किया जाता है। द्वितीय चरण में समन्वित विकास योजना के लाभार्थियों को प्रशिक्षण से सम्बन्धित व्यवसाय लागत के अनुसार सम्बन्धित बैंक शाखाओं से ऋण व अनुदान की सुविधा दिलाकर उन्हें स्वतः रोजगार में स्थापित कराना है। [10]

योजना के अन्तर्गत उन युवक युवतियों का चयन पहले किया जाता है जो निर्धनों में निर्धनतम हैं। लाभार्थी की दक्षता, अभिरूचि एवं कार्यकुशलता को देखते हुए 11,000 रूपये तक की आय वाले लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा सकता है। ट्राइसेम के अन्तर्गत आयु छूट की सीमा 35 वर्ष से बढ़ा कर 45 वर्ष कर दी गई है। लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में किया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि छः माह या आवश्यकतानुसार इससे अधिक भी हो सकती है। व्यवसाय एवं सेवाओं हेतु चयन क्षेत्र की स्थिति के अनुसार निर्धारित किया जाता है। जनपद में यह कार्यक्रम सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। इसकी

प्रगति को निम्न सारणी से प्रदर्शित कर सकते है।

सारणी - 6

ट्राइसेम के अन्तर्गत वर्ष 1996–97, 1997,98 व 1998–99 का व्यय विवरण :–

	व्यय विवरण	1996–97	1997–98	1998–99
(अ)	प्रारंभिक अवशेष	5.41	14.62	7.39
(ब)	सरकारी प्राप्तियां	20.60	13.28	15.30
(स)	अन्य श्रोत	15.22	0.19	0.19
	योग	41.23	28.09	22.88
(द)	वर्ष का व्यय	26.61	20.70	22.60

श्रोत :– वार्षिक कार्य योजना 'ट्राइसेम' जनपद जालौन

इस प्रकार स्वतः प्रशिक्षण योजना ट्राइसेम के अन्तर्गत वर्ष 96–97 में 26.61 लाख रूपये व्यय किये गये। वर्ष 1997–98 में यह व्यय 20.70 लाख रूपय रहा। यह व्यय 1998–99 में 22.60 लाख रूपय था।

समन्वित ग्रामीण विकास योजना एवं सह योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण लोगों के रहन–सहन एवं आय स्तर में सुधारात्मक प्रयास सार्थक हुये हैं। जनपद में यह योजना लगातार बढे हुये लक्ष्यों के साथ कार्य कर रही है।

जालौन जिले के अन्य विकास कार्यक्रम :–

जनपद में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत संचालित की जाने वाली अन्य योजनाओं के प्रारूप एवं लक्ष्य से सम्बन्धित विवरणों को प्राप्त अभिलेखो के आधार पर निर्धारित किया गया है।

ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार एवं क्षेत्रीय संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार ग्रामीण लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना जिससे उनकी गरीबी एवं बेरोजगारी दूर हो सके यह समन्वित ग्रामीण विकास योजना का मुख्य लक्ष्य है। जनपद में वर्ष 1998–99 में संचालित विभिन्न ग्रामीण योजनाओं की प्रगति से सम्बन्धित विवरण प्रस्तुत है।

इन्दिरा आवास योजना :-

जालौन जनपद में इन्दिरा आवास योजना वर्ष 1995–96 से चयनित ग्रामों में चलाई जा रही है। इस योजना अन्तर्गत बंधुआ

मजदूर, पीड़ित अनुसूचित जाति, जनजाति के परिवारों, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को लाभान्वित कराया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण परिवारों को रहने योग्य स्वच्छ आवास उपलब्ध कराया जाता है तथा ग्रामीण परिसम्पत्ति निर्माण के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 1997–98 में 1436 भवनों का निर्माण कराया गया जिस पर कुल व्यय 2 करोड़ रु0 हुआ। वर्ष 1998–99 में 4,02,76000 रु0 व्यय करके 2141 भवनों का निर्माण कराया गया जो लक्ष्य के 100 प्रतिशत था। वर्ष 1999–2000 में 1,51,64000 हजार रु0 व्यय किये गये जिससे 992 भवनों का निर्माण कराया गया जो लक्ष्य के 100 प्रतिशत था। इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत जनपद में भवन निर्माण की प्रगति का विवरण निम्न सारणी से स्पष्ट है।

सारणी – 7

जालौन जनपद में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित भवनों का विवरण–

क्र.	वर्ष	कुल व्यय (रु0 में)	निर्मित भवनों की संख्या
1.	1997–98	2,15,22000/–	1436
2.	1998–99	4,02,76000/–	2141
3.	1999–2000	1,51,64000/–	992

श्रोत – वार्षिक कार्ययोजना, जिला विकास अभिकरण, जनपद जालौन

राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम :-

भारत सरकार के निर्देशानुसार वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्लाक/जनपद स्तर पर बायोगैस लाभार्थी सहायता सेलों का गठन किया गया है। जालौन जनपद में बायोगैस कार्यक्रम ग्रामीण समुदाय को ऊर्जा श्रोत उपलब्ध कराने, ग्रामीण अंचलों में रोशनी तथा भोजन बनाने की प्रक्रिया को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से लचाया जा रहा है। इसके लिए लाभार्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। बायोगैस संयत्रों की स्थापना से घर स्वच्छ रहते है। लोगों की पोष्टिक भोजन की उपलब्धि होती है तथा उन ग्रामों में जहां बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहाँ रोशनी हेतु ऊर्जा प्राप्त होती है। बायोगैस संयत्रों की सलरी से उत्तम कम्पोष्ट खाद प्राप्त होती है जिससे अन्न का उत्पादन बढ़ता है। जालौन जनपद में इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1998–99 में 61 संयंत्रों की स्थापना की गई वर्ष 99–2000 में 60 संयंत्रों को स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसकी 100 प्रतिशत आपूर्ति की जा चुकी है। वर्ष 2000–2001 के लिए 65 संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। जनपद में बायोगैस संयत्रों की स्थापना से सम्बन्धित विवरण सारणी 7 से स्पष्ट है–

सारणी – 7

राष्ट्रीय वायोगैस संयत्रों की स्थापना की प्रगति का विवरण –

वर्ष	भौतिक प्रगति		वित्तीय प्रगति	
	लक्ष्य	पूर्ति	वार्षिक आवंटन	व्यय
1998–99	60	61	3,09000/–	93,600/–
1999–2000	60	60	1,60,000/–	96,400/–
2000–2001	65	–	1,40,500/–	– –

श्रोत :– वार्षिक कार्य योजना, जिला विकास अभिकरण जनपद जालौन

राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम :-

राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर एवं निर्बल वर्ग के परिवारों के लिए विशेष उपयोगी एवं लाभप्रद कार्यक्रम है। ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन समान्यतः हाथ से निर्मित चूल्हों से बनाया जाता है जो अविकसित एवं अव्यवहारिक होते हैं। बढ़ती आबादी एवं जलाऊ लकड़ी के संकट को दृष्टिगत रखते हुए तकनीकी आधार पर

उपयोगी एवं धूम्ररहित स्थाई चूल्हा एवं विकसित अस्थाई चूल्हों का निर्माण कराया गया है। उन्नत चूल्हा कार्यक्रम राष्ट्रीय वित्त पोषित जनहित का कार्यक्रम है जिसके प्रोत्साहन एवं प्रसार के लिए सरकार द्वारा अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। उन्नत चूल्हा धूम्र रहित एवं ईधन की बचत करने में विशेष उपयोगी है महिलाओं की आंखों की सुरक्षा तथा घर को स्वच्छ रखने में विशेष सहायक है। जनपद में उन्नत चूल्हा योजना के अर्न्तगत वर्ष 1998–99 में 994 चूल्हों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया था जिसकी शतप्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित की गई। वर्ष 1999–2000 में कुल निर्मित चूल्हों की संख्या 2484 थी जिस पर कुल 98,118 रूपय व्यय किये गये। राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम की जनपद में विगत दो वर्षो की तुलनात्मक स्थिति को सारणी–8 से स्पष्ट किया गया है।

सारणी–8

राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम की जनपद में दो वर्षो की तुलनात्मक स्थिति :–

वर्ष	भौतिक प्रगति		वित्तीय प्रगति	
	लक्ष्य	प्राप्ति	आवंटन	व्यय
1998–99	994	994	55,664/–	55,664/–
1999–2000	2484	2484	98,118/–	98,118/–
2000–2001	1836	–	–	–

श्रोत :– वार्षिक कार्य योजना, जिला विकास अभिकरण, जालौन

कृषि उत्पादन विकास कार्यक्रम :-

जनपद जालौन की कालपी तहसील की भूमि को छोड़कर अन्य तहसीलों की भूमि लगभग समतल है यहां मार, पडुवा, कवर एवं राकड चारों प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। जनपद के माद्यौगढ़ एवं कुठौंद को छोडकर अन्य विकास खण्डों में एक ही फसल ली जाती है।

जनपद की जलवायु शुष्क है, नदियों के तटवर्ती क्षेत्रों की बहुत सी भूमि कृषि के लिए अनुपयुक्त है तथा कृषि जोतें बड़ी हैं। जनपद में रबी की फसल ही एक मात्र फसल है जबकि खरीफ का क्षेत्रफल नगण्य है। जनपद में औसत कृषि जोत 2.03 हेक्टेयर का है। सीमान्त तथा लघु कृषकों का प्रतिशत क्रमशः 45 एवं 22 है।[11]

जनपद में कुल बोये गये क्षेत्रफल के 79 प्रतिशत क्षेत्र में रबी की फसलें, 21 प्रतिशत क्षेत्रफल पर खरीफ की फसलें की जाती हैं। कृषि की प्रोन्नति के लिए वर्ष 1999–2000 में निम्नलिखित योजनाऐं/कार्यक्रम कृषि विभाग जालौन द्वारा बनाये गये हैं जिनका संचालन जिले की कृषि को प्रोन्नत बनाने के उद्देश्य से किया जाता है।

(क) रबी उत्पादन कार्यक्रम :-

जालौन में रबी की फसल उत्पादन कार्यक्रम के अर्न्तगत धान्य, दलहन एवं तिलहन का उत्पादन किया जाता है रबी के अर्न्तगत 98–99 में 313410 है0 भूमि का आच्छादन किया गया जिसके अन्तर्गत 7267 कुन्तल बीज वितरण किया गया। जनपद में कुल 1308.95 लाख रू0 का फसली ऋण व्यावसायिक बैंकों एवं सहकारी बैंकों द्वारा वितरित किया गया। रबी उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

(१) खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम :-

रबी उत्पादन के अन्तर्गत खाद्यान्न जैसे– गेंहू,जौ के उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित वर्ष में 109655 हेक्टेयर क्षेत्र में उन्नत ढ़ंग से खेती करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

(२) दलहन उत्पादन कार्यक्रम :-

जनपद में वर्ष 1999–2000 में दलहनी फसलों के लिए 56130 हैक्टेयर भूमि का आच्छादन किया गया। दलहन फसलों के अन्तर्गत चना, मटर, मसूर का उत्पादन किया जाता है। दलहन फसलों हेतु 665 कुन्तल बीज 13241 रूपय का फसली ऋण उपलब्ध कराया गया।

(३) तिलहन उत्पादन कार्यक्रम :-

तिलहन उत्पादन में वृद्धि के लिए विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

उपयुक्त वर्णित कृषि कार्यक्रमों को ध्यान में रखकर वर्ष 1999–2000 के निर्धारित लक्ष्यों एवं प्राप्ति को सारणी 9 से प्रदर्शित किया गया है:–

सारणी - 9

क्रम	कार्यक्रम	1999–2000 हेतु लक्ष्य		
		आच्छादन हैo में	उत्पादन मैo टन	उत्पादकता कुo / हैo
1–	खाद्यान्न			
	गेंहू	102426	334787	32.69
	जौ	8946	17637	19.71
2–	दलहन			
	चना	100100	102000	10.19
	मटर	86770	93110	10.73
	मसूर	36790	34150	9.28
3–	तिलहन			
	राई सरसों	10000	9000	9.00
	तोरिया	4300	210	10.50
	अलसी	200	2795	6.50

श्रोत :– रबी उत्पादन कार्यक्रम कृषि विभाग, जनपद जालौन

(ख) खरीफ उत्पादन कार्यक्रम :-

जनपद में खरीफ की फसलों में भी खाद्यान्न उत्पादन किया जाता है। भूमि संरक्षण की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बीहड़ बंजर भूमि का उपयोग खरीफ फसलों हेतु करने की विशेष योजना चलाई जा रही है। खरीफ फसलों की जानकारी कृषकों को प्रदान करने के लिए कृषि प्रशिक्षण एवं कृषि मेलों का आयोजन किया जा रहा है। वर्ष 1999–2000 में खरीफ फसलों के आच्छादन का लक्ष्य 80750 है0 रखा गया था।

१- खाद्यान्न योजना :-

जनपद में 1999–2000 में 0.318 लाख मे0 टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। जिसके फलस्वरूप कुल 0.33 लाख में0 टन उत्पादन प्राप्त हुआ। धान्य फसलों हेतु कुल 14772 हे0 क्षेत्रफल में आच्छादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जनपद में खरीफ फसलों में खाद्यान्नों की औसत उत्पादकता 7.29 कु0/हे0 है। उत्पादकता लक्ष्य में वृद्धि हेतु विशेष कार्य प्रस्तावित हैं।[12]

२- प्रमाणित बीज एवं उर्वरक वितरण :-

खरीफ 99–2000 में विभिन्न संस्थाओं द्वारा 716 कु0 कुल प्रमाणित बीज का वितरण किया गया जो विगत वर्षो की तुलना में 13

प्रतिशत अधिक है। खरीफ फसलों को कीड़ों एवं बीमारी से बचाव के लिए कृषि रक्षा रसायनों को वितरित करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया। प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि हेतु 150 मे0 टन यूरिया, 140 मे0 टन डी0ए0पी0 तथा 70 मे0 टन पोटाश वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। विभिन्न फसलों के बीज संवर्धन हेतु कार्यक्रम चलाये जा रहे है।[13]

३- राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम :-

इस योजना के अन्तर्गत खरीफ फसलों में दलहनों के विकास हेतु अनुदानों का प्रावधान सरकार से प्रस्तावित है। उर्द, अरहर फसलों के खण्ड प्रदर्शन आयोजन कराने पर कृषि निवेश के रूप में 900/— रू0/है0 अनुदान भी प्रस्तावित है। दलहनी फसलों में सीमित जल को अधिक से अधिक क्षेत्र में प्रयोग करने के उद्देश्य से स्प्रिंकलर सैट वितरित कराये जायेंगे जिन पर कृषक श्रेणी 50 प्रतिशत एवं 37 प्रतिशत अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है।

४- वैज्ञानिक खेती :-

खरीफ 2000 में वैज्ञानिक खेती द्वारा कृषि तकनीकी स्थानान्तरण का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। प्रत्येक सम्भाग में एक गांव का

चयन कर उसे आर्दश गांव के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है। विभिन्न योजनान्तर्गत विभिन्न फसलों के खण्ड प्रर्दशन उसी गांव में आयोजित कराये जायेंगे कृषकों को नवीनतम प्रावैधिकी के बारे में प्रशिक्षित कर प्रति इकाई अधिकतम उत्पादन लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

खरीफ की फसलों हेतु निर्धारित कार्यक्रमों एवं लक्ष्यों को सारणी 10 के द्वारा प्रदर्शित किया गया है –

सारणी - 10

खरीफ आच्छादन प्रगति वर्ष 99–2000 (हे0में) जनपद जालौन

क्र.सं.	फसल का नाम	लक्ष्य	पूर्ति
1—	खाद्यान्न		
	धान	1600	1650
	ज्वार	12200	8650
2—	दलहन		
	उर्द	15700	16840
	मूंग	800	1225
	अरहर	9800	10130
3—	तिलहन		
	तिल	10000	14150
	सोयाबीन	18000	4850
	मूंगफली	250	15

श्रोत :— खरीफ फसल कार्यक्रम, कृषि विभाग जनपद जालौन

ऋण वितरण :-

कृषि विभाग द्वारा चलाये जा रहे, रबी एवं खरीफ फसलों के कार्यक्रमों में विभिन्न बैंको द्वारा फसली ऋण उपलब्ध कराये जा रहे

हैं। जनपद में ऋण वितरण की स्थिति को निम्न प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं–

रबी एवं खरीफ फसलों में ऋण वितरण की स्थिति वर्ष 1999–2000 (लाख रू0)

क्र0	बैंक / संस्था का नाम	रबी में ऋण वितरण		खरीफ में ऋण वितरण	
		लक्ष्य	धनराशि	लक्ष्य	धनराशि
1–	व्यावसायिक बैंको द्वारा	2116	310.40 / –	1045	123.60 / –
2–	सहकारिता	1125	309.50 / –	–	278.69 / –

श्रोत :– फसल उत्पादन कार्यक्रम कृषि विभाग, जनपद जालौन

पशुपालन :-

जालौन जनपद में वर्ष 1993 की पशुगणना के अनुसार कुल पशुधन 184866 है। जनपद में पशुपालन विभाग द्वारा पशुधन विकास के लिए निम्न योजनाऐं संचालित की जा रही हैं। [14]

पशु चिकित्सा :-

कृषि कार्यो एवं दुग्ध की पूर्ति हेतु पशुओं की उपलब्धि विशेष महत्वपूर्ण है। उपलब्ध पशुओं को बीमारियों से बचाने उन्हें स्वस्थ रखने हेतु पशुपालन विभाग द्वारा पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था की जाती है।

पशुओं की चिकित्सा एवं उनके विकास से सम्बन्धित गतिविधियों को सारणी से स्पष्ट किया गया है–

सारणी–11

क्र0	सस्था	संख्या		
		ग्रामीण	नगरीय	योग
1–	पशु चिकित्सालय	20	5	25
2–	पशुधन विकास केन्द्र	29	5	34
3–	कृतिम गर्भाधान विकास केन्द्र	16	9	25
4–	सुअर विकास केन्द्र	6	7	13
5–	भेड़ विकास केन्द्र	3	1	4

श्रोत :– जिला पशुपालन विभाग, जनपद जालौन

इसके अलावा प्रत्येक प्रखण्ड में पशुपालन, पशुचिकित्सा, पशुओं के स्वास्थ रक्षण हेतु पशुपालन पदाधिकारी कार्यरत हैं।

नस्ल सुधार :-

पशुओं में मुख्यतः गाय एवं भैस के नस्ल सुधार हेतु जनपद में पशुपालन विभाग द्वारा प्राकृतिक एवं कृतिम गर्भाधान कार्यक्रम युद्धस्तर पर कार्य किया जा रहा है। संकर बछिया अनुदान कार्यक्रम के अन्तर्गत संकर प्रजनित बछियों को अनुदानित दर पर वितरित किया जा रहा है।

चारा विकास कार्यक्रम :-

जिले के सभी विकास खण्डों में पशुओं को चारा उपलब्ध कराने हेतु रबी एवं खरीफ मौसमों में चारा बीज मुफ्त वितरित किया जाता है जैसे – वरसीम, ल्यूसन, मकई, ज्वार इत्यादि।

भेड़ पालन कार्यक्रम :-

जालौन जनपद में ऊन उद्योग को बढ़ावा देने एवं ग्रामीण रोजगार अवस्थापना हेतु भेड़ पालन योजना चलाई जा रही है। जिसके

कार्यान्वयन के लिये विशेष पदाधिकारी नियुक्त किये गये हैं।

मत्स्य पालन :-

ग्रामीण क्षेत्रों के जलाशयों जो कि ग्रामीण या निजी व्यक्तियों के पास हैं। उनको पट्टे पर आवंटित कराकर मत्स्य पालन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तालाबों के पट्टा धारकों को मत्स्य पालन प्रशिक्षण दिया जाता है। तालाबों के सुधारों हेतु बैकों द्वारा ऋण एवं अनुदान भी स्वीकृत किए जाते हैं। जनपद में मत्स्य बीज, की पूर्ति कौंच हेचुरी एवं उ0प्र0 मत्स्य विकास निमग द्वारा की जाती है।

लघु एवं ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम :-

जिला उद्योग केन्द्र :-

वर्ष 1980 में केन्द्र सरकार द्वारा अपनाई गई नई औद्योगिक नीति के आलोक में तीव्रतर औद्योगिक विकास हेतु जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना की गई। किसी क्षेत्र का औद्योगिक विकास उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, कच्चे माल एवं करीगरों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। जालौन जनपद में खनिज पदार्थो की उपलब्धता बहुत कम है। यह औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जनपदों की श्रेणी में आता है। सातवीं योजना में सरकार द्वारा घोषित विभिन्न सुविधाओं, बिक्रीकर

छूट आदि से आकर्षित होकर कई कम्पनियों ने वृहत एवं लघु उद्योगों को जनपद में स्थापित किया है।

औद्योगिक क्षेत्र :-

जालौन जनपद में औद्योगिक उन्नति के लिए उरई, कालपी मार्ग पर औद्यौगिक क्षेत्र का विकास किया गया है। जिसमें वृहत उद्योगों के साथ लघु उद्योगों के लिए भी भूखण्ड आवंटित किये गये हैं। जनपद के कोंच एवं कालपी नगर में विभाग द्वारा औद्यौगिक अस्थानों की स्थापना की गई।

बेरोजगारी की समस्या को हल करने हेतु स्वरोजगार के चयन में, जिला उद्योग केन्द्र व्यक्तियों की सहायता करता है। जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जनपद में निम्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

1. प्रधानमंत्री रोजगार योजना
2. सामान्य ऋण योजना
3. सामूहिक बीमा योजना
4. हस्तशिल्प ऋण योजना
5. आवास से सम्बद्ध कार्यशाला योजना
6. नावार्ड योजना
7. राष्ट्रीय इक्विटी (सिवडी) योजना

8. खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा प्रदत्त सुविधाऐं

ग्रामीण निर्धन परिवारों के लिए विभिन्न बीमा योजनाऐं :-

शासन द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम एवं सामान्य बीमा कम्पनियों के माध्यम से इस समय गांव के गरीबों को सुरक्षा एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न महत्वपूर्ण बीमा योजनाऐं क्रियान्वित की जा रहीं हैं। इन बीमा योजनाओं की विशेषता यह है कि इनमें बीमित व्यक्ति को कोई प्रीमियम धनराशि नहीं देनी पड़ती है और उसके परिवार को निशुल्क सहायता मिलती है। जनपद में ग्रामीण निर्धन परिवारों की सुरक्षा हेतु निम्न योजनायें चलाई जा रहीं हैं।

१- आई0आर0डी0 लाभार्थियों की सामूहिक बीमा योजना :-

यह बीमा योजना आई0आर0डी0 लाभार्थियों के आकस्मिक निधन की स्थिति में उनके परिवार जनों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित की गई है। जनपद में यह योजना 1 अप्रैल 1988 से आरम्भ की गई तथा तभी से प्रभावी है। यह सहायता लाभार्थी की मृत्यु की दशा में उसके आश्रितों/नामित व्यक्ति को उपलब्ध होती है। सहायता राशि 5000/- रू0 है परन्तु दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में दुर्घटना केवल 90 दिन के अन्दर होने पर यह सहायता राशि 10,000/-

रू0 तक हो सकती है। इस बीमा योजना का संचालन उत्तरदायित्व भारतीय जीवन बीमा निगम का है।[15]

२- भूमिहीन श्रमिकों की सामूहिक बीमा योजना :-

जालौन जनपद में यह योजना 15 अगस्त 1987 से क्रियान्वित की जा रही है। भूमिहीन श्रमिक बीमा योजना भूमिहीन श्रमिकों की मृत्यु की स्थिति में उनके परिवारों को सुरक्षा/सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। सहायता बीमित श्रमिक की दशा में नामित या आश्रित व्यक्ति को उपलब्ध होगी यह सहायता राशि 1000/– रू0 तक होगी।

३- कुटी बीमा योजना :-

कुटी बीमा योजना का संचालन राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को उनकी झोपड़ी, समान आग लगने या नष्ट होने की दशा में सहायता प्रदान करने हेतु चलाई जा रही है। योजना के अन्तर्गत 4800/– रू0 वार्षिक आय से कम आय वाले व्यक्ति लाभ प्राप्त कर सकते हैं। झोपड़ी जलने या सामान नष्ट होने की स्थिति में बीमा सहायता राशि 1000/– रू0 से 1500/– रू0 तक हो सकती है। योजना के अन्तर्गत बीमा क्लैम हेतु 10 दिन के अन्दर सक्षम

अधिकारियों को सूचित करना आवश्यक है।

४ - सामाजिक सुरक्षा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना :-

यह बीमा योजना ऐसे गरीब परिवारों के लाभार्थ संचालित की गई है। जिसके अन्तर्गत परिवार के मुखिया/कमाऊ सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने की स्थिति में मुआवजा पाने के अधिकारी हैं। जालौन जनपद में यह योजना 1985 से चलाई जा रही है। इस योजना में सीमान्त कृषक, भूमिहीन मजदूर ग्रामीण दस्कारों आदि को लाभान्वित किया जाता है। योजनान्तर्गत परिवार के मुखिया की मृत्यु की स्थिति में आश्रितों को 3000/—रू0 तक सहायता देय होगी।

५- तोषण निधि बीमा योजना :-

यह योजना वाहन दुर्घटना से हुई मृत्यु अथवा गम्भीर रूप से घायल होने पर अश्रितों को राहत पहुंचाने की आकांक्षा से आरम्भ की गई। दुर्घटना में मृत्यु हो जाने की स्थिति में परिवार को 8500/— रू0 तक की प्रदान की जाती है इस बीमा योजना के संचालन का दायित्व ओरियेन्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी का है।

बीस सूत्री कार्यक्रम :-

वर्ष 1986 में देश से गरीबी खत्म करने के लिए नया बीस सूत्री कार्यक्रम लागू किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्वप्रथम प्राथमिकता गरीबी दूर करने के लिए "गरीबी के खिलाफ संघर्ष" का कार्यक्रम है। "समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम" के अन्तर्गत लोगों को बैंको द्वारा ऋण उपलब्ध कराकर उनकी आय में वृद्धि करके गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है। कृषि विकास उन्नत कृषि एवं सिंचाई के बेहतर साधनों के उपयोग हेतु निर्धारित सूत्रों के अन्तर्गत बैंकों को जरूरतमन्द किसानो को ऋण देकर कृषि के विकास में सहायता देना है। युवा वर्गो को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराकर उनकी सहायता करना, ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों, महिलाओं के स्वास्थ्य पीने के पानी आदि कार्यक्रमों को बीस सूत्री कार्यक्रम का लक्ष्य बनाकर योजना का संचालन किया जाता है।

जनपद में वर्ष 1999–2000 की वार्षिक कार्य योजना में सभी बीस सूत्री कार्यो को ध्यान में रखा गया है।

बीस - सूत्री कार्यक्रम :-

1– गरीबी के खिलाफ संघर्ष

2– वर्षा पर निर्भर कृषि विकास

3— उन्नत कृषि अधिक उत्पादन

4— सिंचाई जल का बेहतर उपयोग

5— भूमि सुधार

6— ग्रामीण श्रमिकों के लिए विशेष कार्यक्रम

7— पीने का साफ पानी

8— सभी के लिए स्वास्थ्य

9— दो बच्चों का परिवार

10— शिक्षित राष्ट्र

11— अनुसूचित जाति, जनजातिओं को न्याय

12— महिलाओं को समानता

13— युवा वर्ग के लिए नये अवसर

14— सबके लिए मकान

15— तंग बस्तियों का सुधार

16— वन विस्तार

17— पर्यावरण की रक्षा

18— उपभोक्ता कल्याण

19— गांवों के लिए ऊर्जा

20— संवेदनशील प्रशासन

(श्रोत)

1— इलाहाबाद बैंक, जिला ऋण योजना 1998—99 जनपद जालौन

2— जिला वार्षिक कार्य योजना, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जालौन वर्ष 1993—94 पृष्ठ — 2

3— वार्षिक कार्य योजना, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जालौन वर्ष 1993—94 पृष्ठ — 2,3

4— आठवी योजना दस्तावेज अध्याय 2 योजना अगस्त 1992—11

5— वार्षिक कार्य योजना, इलाहाबाद बैंक ऋण योजना 1995—96 जालौन पृष्ठ — 3

6— ग्राम्य विकास कार्यक्रम निर्देशिका 1996—97 उ0प्र0 ग्राम्य विकास विभाग, पृष्ठ — 126

7— वार्षिक ऋण योजना इलाहाबाद बैंक 1995—96 जालौन, उ0प्र0

8— वार्षिक कार्य योजना 1997—98 जिला विकास अभिकरण, जालौन पृष्ठ — 3

9— वार्षि कार्य योजना 1997—98 जिला विकास अभिकरण जालौन पृष्ठ — 4,5

10— वार्षिक कार्य योजना, इलाहाबाद बैंक ऋण योजना 1996—97 जालौन पृष्ठ — 11

11— कृषि उत्पादन कार्यक्रम, कृषि विभाग जनपद जालौन वर्ष 1999—2000 पृष्ठ — 4

12– खाद्यान्न विकास कार्यक्रम, कृषि विभाग, जिला विकास अभिकरण 1999–2000 जालौन पृष्ठ – 7

13– खरीफ उत्पादन कार्यक्रम, कृषि विभाग जिला विकास अभिकरण 1999–2000, जालौन पृष्ठ – 7,8

14– समाजार्थिक समीक्षा जनपद जालौन 1996–97 पृष्ठ – 18

15– वार्षिक ऋण योजना वार्षिक कार्य योजना 1997–98 जालौन पृष्ठ – 15

सप्तम अध्याय

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का ग्रामीण विकास पर प्रभाव का मूल्यांकन

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का ग्रामीण विकास पर प्रभाव

भारत की बहुसंख्यक आबादी गांवों में रहती है। पिछले कई वर्षो से ग्रामीण आबादी में कई कारणों से कमी होती जा रही है। जिसका प्रमुख कारण नगरों और कस्बों के आसपास बसे गांवों का शहरीकरण होना और रोजगार की तलाश में महानगरों की ओर पलायन है। इसके बाबजूद आज भी देश की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी गांवों में निवास करती है।

देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्व0 जवाहर लाल नहरू का कहना था कि इस देश का विकास गांवों के विकास के बिना सम्भव नहीं है। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरूआत करते हुए उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था –''देश की सच्ची प्रगति तब होगी, जब गांवों में रहने वाले लोगों में राजनीतिक चेतना आए। देश की प्रगति का सीधा सम्बन्ध गांवों की प्रगति से है। यदि गांव प्रगति करेंगे, तो भारत एक सबल राष्ट्र बन सकेगा और हमारी प्रगति को कोई नहीं रोक सकेगा''।[1]

स्वतंत्रता के पश्चात् गांवों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों

को सुधारने की शुरूआत हुई हालांकि यह काम बहुत कठिन था। वर्षो की गुलामी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था। नियोजन के पश्चात् इस दिशा में कार्य शुरू हुआ। गांवों और गांव के लोगों को एक नई रोशनी पहुचाने की शुरूआत हुई। पहली पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए ग्रामीण विकास की सामुदायिक नीति शुरू की गई। दूसरी, पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों का गठन किया गया। तीसरी, चौथी योजनाओं में ग्रामीण विकास के कार्यो को विस्तार प्रदान किया गया।

विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का लाभ आमतौर पर उन किसानों को ही मिला जो साधन सम्पन्न थे। हरित क्रान्ति का लाभ भी इसी वर्ग के किसानों तक पहुंचा। छोटे तथा सीमान्त किसानों और भूमिहीन मजदूरों तथा ग्रामीण दस्तकारों तक इसका लाभ नहीं पहुंचा। अतः ग्रामीण गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए व्यापक चिन्तन के परिणाम स्वरूप ग्रामीण रोजगार की नई प्रायोगिक योजनाऐं अस्तित्व में आयीं।

उपर्युक्त स्थितियों के समुचित निवारण एवं ग्रामीण गरीबी को दूर करने के कार्य को अमली जामा पहनाने के उद्देश्य से ही छठी पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को प्रभावी ढंग

से लागू किया गया। विगत पंचवर्षीय योजनाओं में भी इस कार्यक्रम को ग्रामीण विकास का केन्द्र बिन्दु बनाया गया है।

संकल्पना -

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सबसे पहला प्रयास ग्रामीण समुदाय में व्याप्त गरीबी जड़ता व अज्ञानता को समाप्त किरना है। इसके अन्तर्गत गांवों में निवास करने वाले कमजोर वर्ग के लोगों को उनके विकास के लिए सभी महत्वपूर्ण साधन उपलब्ध कराये जाते हैं। विभिन्न सरकारी एवं निजी संस्थाए व वित्तीय संस्थाएं इस समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान करतीं हैं। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए एक निश्चित कार्यक्रम बनाया जाता है जिसमें प्रत्येक संस्था का अपना महत्वपूर्ण योगदान पूर्व निर्धारित होता है।[2]

लक्ष्य -

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कुछ लक्ष्य निर्धारित किये गये है जिनमें कुछ निम्न हैं।

1. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर आधारित ऐसे कृषि मूलक उद्योगों की स्थापना जिससे रोजगार के नये अवसर उपलब्ध हो सकें।
2. ग्रामीण संरचना में विशेष तकनीकी परिस्थितियों का निर्माण करना जिसका लाभ आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोग भी उठा सकें।
3. ग्रामीण क्षेत्रों के अत्यधिक पिछड़े क्षेत्रों को आर्थिक विकास

उपलब्ध कराना जिससे कि यह वर्ग सामाजिक, आर्थिक विकास के कार्यक्रमों में अपना महत्वपूर्ण योगदान कर सके।[3]

भारत में 1970 के दशक में गरीबी की समस्या को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए देश के निर्धन वर्ग को इस अभिशाप से मुक्ति दिलाने की ओर ध्यान दिया गया था। जब समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया तो यह सैद्धान्तिक तौर पर गरीबी के विरुद्ध सीधा प्रहार था। परन्तु ग्रामीण गरीबी एवं बेरोजगारी में लगातार वृद्धि हो रही है जिसका प्रमुख कारण लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या है। 2000 तक कुल जनसंख्या 100 करोड़ के ऊपर हो चुकी है। निश्चित ही इस वृद्धि में ग्रामीण हिस्सा अधिक होगा। यह अत्यन्त आवश्यक है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन करते समय इन बातों का ध्यान रखा जाय।[4]

समन्वित ग्राम्य विकास कार्यक्रम ग्रामीण बेरोजगारी एवं निर्धनता निवारण से सम्बन्धित बहुमुखी कार्यक्रम है। ''अगर जरूरत है मानव कल्याण की, रोटी, कपड़ा, स्वास्थ्य और मकान की आवश्यकता है दिल की मुस्कान की भी, तो इन सब के लिए जरूरत है समन्वित ग्रामीण विकास की''।[5]

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में शोध पद्धति के अन्तर्गत आंकड़ो के संग्रहण

एवं विश्लेषण की पद्धतियों की संक्षिप्त रूपरेखा स्पष्ट की जा चुकी है। उसी के तहत हम यहां पर संग्रहित सूचनाओं और आंकड़ो के आधार पर जालौन जिले में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर विश्लेषित करने का प्रयास करेंगे। सर्वेक्षण क्रम में लाभान्वित परिवारों के इस योजना के प्रति विचार जानने का प्रयास किया गया है।

जालौन जिले के लाभान्वित परिवारों के विचार, समन्वित ग्रामीण विकास योजना के प्रति वित्तीय तथा अन्य क्रियान्वयन के विभिन्न पहलुओं का एक अध्ययन -

देश में सामान्यतया यह विचार प्रचलित है कि खाद्यान्न उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि एवं इसमें प्राप्त सफलता का रहस्य ऋण की प्रचुर मात्रा में उपलब्धि को ही माना जाता है।[6] सामान्यतया यह भी अनुमान लगाया जाता है कि कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास एवं उत्पादन की मात्रा में की गई बृद्धि में मुख्य रूप से प्रगतिशील कृषकों का ही योगदान है जिनके पास बड़े–बड़े भूखण्ड हैं। लघु एवं सीमान्त कृषकों के पास देश के कुल जोतों का लगभग 70 प्रतिशत कृषि योग्य भूभाग है।[7] किन्तु उनमें से अत्यधिक कृषक बेरोजगार, अल्प–उत्पादन एवं निम्न आय से बुरी तरह से पीड़ित है और वे वर्तमान कृषि पद्धतियों से असन्तुष्ट हैं।

राष्ट्रीय कृषि आयोग ने भी अपनी आन्तरिक रिपोर्ट में कृषि की सहायक गतिविधियों पर विशेष बल देते हुए कहा है कि इन्हें व्यवसाय के रूप में अपनाकर कृषक, कृषि से पूरक आय प्राप्त कर सकते हैं। जो बहुसंख्यक, लघु, सीमान्त कृषकों एवं भूमिहीन कृषि श्रमिकों तथा ग्रामीण दस्तकारों के बेरोजगारी दूर करने में सहायक सिद्ध हो सकता है।[8]

यह सर्वमान्य तथ्य है कि कृषकों के पास संसाधनों तथा आय के श्रोतों की निहायत कमी है। वर्तमान समय में वित्तीय संस्थानों, बैंकों आदि के द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत विशेष रूप से ऋण सुविधाऐं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यद्यपि बड़े कृषक अपनी स्वयं की आय से अतिरिक्त संसाधन जुटाने में सफल हो जाता है। किन्तु लघु, सीमान्त कृषकों, भूमिहीन कृषि श्रमिकों तथा ग्रामीण दस्तकारों के लिए कृषि उत्पादन में बृद्धि लाने हेतु तथा उनके आर्थिक उन्नयन के लिए ऋण नितान्त आवश्यक तत्व है। बैकों द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदत्त ऋणों के प्रति प्रायः उनके गुणात्मक एवं मात्रात्मक दृष्टि से संदेह किया जाता रहा है।

इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य जालौन जिले में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित परिवारों से व्यक्तिगत साक्षात्कार प्राप्त करके प्रश्नावली अनुसूची के माध्यम से संग्रहित सूचनाओं के आधार पर प्राथमिक आंकड़ों से एक विश्लेषण प्रस्तुत

करना है। ताकि लाभान्वित परिवारों की वास्तविक स्थिति का सही आंकलन किया जा सके साथ ही इसके माध्यम से जो त्रुटियां स्पष्ट हो रहीं हैं उनके निवारणार्थ भविष्य में सुरक्षात्मक कदम उठाकर इन्हे दूर करने का सफल प्रयास किया जा सके।

ऋण आवेदन पत्रों का क्रियान्वयन एवं सम्पादन -

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण प्राप्ति के आवेदन पत्र विभिन्न स्तरों पर अनेक प्रमाणित करने वाले विभागों से होकर, अन्तिम रूप से ऋण स्वीकृत हो पाती है फलतः उक्त कार्य में काफी विलम्ब होता है। लाभान्वित परिवार के विभिन्न वर्गों से संग्रहित सूचनाओं के विश्लेषण एवं परीक्षण से यह स्पष्ट हुआ है कि ऋण आवेदनों के क्रियान्वयन एवं सम्पादन के प्रति लगभग 40 प्रतिशत लाभान्वित परिवार सन्तुष्ट पाये गये जबकि 60 प्रतिशत परिवारों ने अपनी असन्तुष्टि जाहिर की। साथ ही यह प्रयास किया जाय कि लाभान्वित परिवार एवं बैंक अधिकारियों के बीच सीधा सम्बन्ध कायम किया जाय जिससे उक्त कमी दूर हो सकती है।

ऋण राशि की मात्रा -

यद्यपि समन्वित ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराये जाने वाले विभिन्न भौतिक संसाधनों के इकाई मूल्य पूर्व से ही

नाबार्ड तथा इसके अन्य संचालक संस्थाओं द्वारा निर्धारित होते हैं। तथापि हमने समन्वित ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत प्राप्त ऋण राशि की मात्रा के प्रति विभिन्न चयनित लाभार्थियों के विचारों को संग्रहित करके सारणी – 1 के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है।–

सारणी - 1

समन्वित ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत प्राप्त ऋण राशि की मात्रा के प्रति विभिन्न चयनित लाभार्थियों के विचार :-

वर्ग	लाभान्वितों का वर्गीकरण				औसत
	भूमिहीन कृषि श्रमिक	ग्रामीण दस्तकार एवं अन्य	सीमान्त कृषक	लघु कृषक	
सन्तुष्ट	40 (66.70)	35 (63.60)	20 (40.00)	20 57.10	115 (57.5)
असन्तुष्ट	20 (33.30)	20 (36.40)	30 (60.00)	15 (42.90)	85 (42.5)
कुल चयनित	60 (30.00)	55 (27.5)	50 (25.00)	35 (17.5)	200 (100.00)

(कोष्टक के अंक कुल चयनित लाभार्थियों के प्रतिशत को प्रदर्शित कर रहे हैं।)

श्रोत– सर्वेक्षण से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर

सारणी–1 से स्पष्ट है कि चयनित कुल 60 भूमिहीन कृषि श्रमिकों में से 40 ने इसके ऋण के प्रति सन्तुष्टि जाहिर की है जो कुल भूमिहीन कृषि श्रमिको के लगभग 66.70 प्रतिशत है। साथ ही 20 ने ऋण के प्रति अपनी असन्तुष्टि जाहिर की जो कुल भूमिहीन श्रमिकों के लगभग 33.30 प्रतिशत थे। ठीक इसी प्रकार से ग्रामीण दस्तकारों में सन्तुष्ट एवं असन्तुष्ट क्रमशः 35 एवं 20 पाये गये जो इनके कुल संख्या 55 के 63.60 तथा 36.40 प्रतिशत थे। सीमान्त कृषक में सन्तुष्टों की 20 तथा असन्तुष्टों की संख्या 30 पायी गयी जबकि कुल चयनित संख्या 50 थी। उनमें सन्तुष्टों एवं असन्तुष्टों का प्रतिशत 40 व 60 पाया गया। इसी तरह लघु कृषकों के मामलों मे यह संख्या 20 व 15 पायी गई जबकि इनकी कुल सख्या 35 थी। उनकी सन्तुष्टि एवं असन्तुष्टि का प्रतिशत क्रमशः 57.10 एवं 42.90 पाया गया। इस प्रकार सभी वर्ग के सन्तुष्टों के चयनित लाभान्वित परिवारों की संख्या 115 तथा सन्तुष्टि की मात्रा का प्रतिशत 57.5 पाया गया जबकि कृल असन्तुष्टों की संख्या 85 एवं उनका प्रतिशत 42.5 था। इस प्रकार से हमने कुल 200 लाभान्वित परिवारों का चयन करके उनके विचारों का संग्रह किया जिससे उक्त तथ्य स्पष्ट हुआ। सारणी –1 से स्पष्ट हो रही है कि कुल चयनित परिवारों में से लगभग 57.5 प्रतिशत ऋण राशि की प्राप्त मात्रा से सन्तुष्ट है इसके विपरीत उक्त मात्रा से 42.5 प्रतिशत लाभान्वित परिवार असन्तुष्ट हैं। सन्तुष्ट परिवारों में सर्वाधिक प्रतिशत भूमिहीन कृषि श्रमिकों का रहा तथापि सीमान्त कृषकों की

संख्या सर्वाधिक असन्तुष्ट रही। जिनका प्रतिशत कुल संख्या का 60 प्रतिशत था।

ऋण के ब्याज दर का निर्धारण :-

विभिन्न वित्तीय संस्थाओं एवं बैंको द्वारा प्रदत्त ऋण राशि के भुगतान हेतु निर्धारण ब्याज दर के सम्बन्ध में चयनित लाभान्वित परिवारों के विचारों को संग्रहित करके सारणी –2 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

सारणी - 2

ऋण की ब्याज दर के निर्धारण में लाभार्थियों के विचारों का संग्रह :-

ब्याजदर	लाभार्थियों का वर्गीकरण				
	भूमिहीन कृषि श्रमिक	ग्रामीण दस्तकार एवं अन्य	सीमान्त कृषक	लघुकृषक	योग
निम्न	2	1	2	5	10
	(3.30)	(1.80)	(4.00)	(14.30)	(5.00)
सामान्य	40	35	28	20	123
	(60.70)	(63.70)	(156.00)	(157.10)	(61.5)
उच्चतम	18	19	20	10	67
	(30.00)	(34.50)	(40.00)	(28.60)	(33.5)
कुल चयनितों	60	55	50	35	200
की संख्या	(30.00)	(27.5)	(25.00)	(17.5)	(100.00)

(कोष्टक के अंक कुल चयनित लाभार्थियों के प्रतिशत को व्यक्त कर रहे हैं।)

श्रोत :- सर्वेक्षण से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर

चयनित लाभान्वित परिवारों में औसतन 5.00 प्रतिशत ने ब्याज

दर को निम्न स्तरीय बताया जबकि 61.5 प्रतिशत ने इसे सामान्य स्तर का बताया तथा 33.5 प्रतिशत ने उक्त ब्याज दर को उच्चतम बताया। भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवारों में से 40 परिवारों ने ब्याज दर को सामान्य बताया जबकि 18 परिवारों ने इसे उच्चतम बताया ग्रामीण दस्तकारों में 35 ने सामान्य एवं 19 ने उच्चतम बताया को कुल प्रतिशत का क्रमशः 63.90 एवं 34.50 था। कुल 50 सीमान्त कृषकों में 28 ने सामान्य व 20 ने उच्च बताया, दो कृषक ऐसे थे जिन्होने ब्याज दर को निम्न बताया। लघु कृषक जिनकी कुल संख्या 35 थी उनमे से 20 ने ब्याज दर सामान्य एवं 10 ने ब्याज दर को उच्चतम बताया। कुल लाभार्थियों में सीमान्त कृषक जिन्होने ब्याज दर को उच्चतम बताया की संख्या 20 थी जिनका कुल प्रतिशत 40 था।

लाभान्वित परिवारो में ऋण प्राप्ति में महसूस की गई सुविधाए एवं असुविधाऐ :-

बैंको से ऋण प्राप्ति में लाभान्वितों के समक्ष सुविधाओं एवं असुविधाओं का विवरण उनके द्वारा संकलित सूचनाओं के आधार पर सारणी 3 के माध्यम से स्पष्ट किया गया है।

सारणी - 3

ऋण प्राप्ति में लाभार्थियों को प्राप्त सुविधाओं एवं असुविधाओं का विवरण :-

वर्ग	लाभार्थियों का वर्गीकरण				
	भूमिहीन कृषि श्रमिक	ग्रामीण दस्तकार एवं अन्य	सीमान्त कृषक	लघु कृषक	योग
असुविधा	15 (25.00)	15 (27.30)	10 (20.00)	5 (14.30)	5 (22.5)
सुविधा	45 (75.00)	40 (72.70)	40 (80.00)	30 (85.70)	155 (77.5)
कुल चयनित लाभार्थियो की संख्या	60 (30.00)	55 (27.5)	50 (25.00)	35 (17.5)	200 (100.00)

(कोष्टक के अंक कुल चयनित लाभार्थियों के प्रतिशत को व्यक्त कर रहे है।)

श्रोत :— सर्वेक्षण से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर

सारणी – 3 से स्पष्ट हो रहा है कि चयनित कुल भूमिहीन कृषक परिवारों में से 15 ने जिनका प्रतिशत 25 है असुविधा पूर्वक ऋण प्राप्त किया जबकि 45 परिवारों ने सुविधा पूर्वक ऋण प्राप्त किया जिनका प्रतिशत 75 है। ग्रामीण दस्तकारों के मामलों में सुविधा एवं असुविधा प्राप्त लाभान्वित परिवारों की संख्या क्रमशः 40 एवं 15 पाई गई। जिनका अनुपात क्रमशः 72.70 एवं 27.30 है। कुल 50 सीमान्त कृषकों में 10 को ऋण प्राप्ति में असुविधा का सामना करना पड़ा तथा 40 सीमान्त कृषकों ने स्पष्ट किया कि उन्हें ऋण प्राप्ति में असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा। लघु कृषकों के मामलों में उक्त संख्या सुविधा एवं असुविधा के अनुसार क्रमशः 30 व 5 है जिनका अनुपात क्रमशः 5.70 एवं 14.30 प्रतिशत है।

इस प्रकार से स्पष्ट है कि कुल चयनित 200 परिवारों के लाभान्वितों का विश्लेषण करने से ज्ञात हुआ कि कुल 45 परिवारों को असुविधा पूर्वक ऋण प्राप्त हुआ। जबकि 155 परिवारों ने सुविधा एवं आसानी से ऋण प्राप्त किया इनका यह अनुपात 22.5 तथा 77.5 प्रतिशत पाया गया।

विश्लेषण यह तथ्य भी सामने आया कि वित्तीय संस्थाओं एवं बैंको तथा सरकार द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को संचालित करने वाले विभिन्न अभिकरणों और चयनित लाभान्वितों में सही तालमेल

के अभाव में ऋण संपादन और इसके वितरण के कार्य में उक्त प्रकार की असुविधाऐं हो रहीं हैं। सरकार द्वारा विभिन्न शीर्ष संस्थाओं के मूल्यांकन से भी इस प्रकार के तथ्य सामने आये हैं। ऋणों को प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को किसी विशेष शिफारिश की आवश्यकता नहीं पडीं बल्कि अधिकारियों से औसतन दो बार तथा बैंक अधिकारियों से 3 बार मिलने जाना पड़ा तब ऋण प्राप्त हुआ। अधिकांश लाभार्थियों के पास ऋण पुस्तिका देखने को नहीं मिली केवल 10 लाभार्थी एसे थे जिनके पास ऋण पुस्तिका उपलब्ध थी।

लाभान्वित परिवारों का प्राप्त ऋण के आधार पर वर्गीकरण :-

जालौन जनपद में समन्वित ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत प्राप्त ऋणों के आधार पर 200 परिवारों का मूल्यांकन हेतु चयन किया गया जिनसे व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर ऋणों की प्राप्ति को दृष्टि में रखकर सारणी –4 के माध्यम से वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया है।

सारणी - 4

लाभान्वितों का उनके द्वारा प्राप्त ऋणों के आधार पर वर्गीकरण :-

क्र0 सं0	लाभार्थियों के प्रकार	विभिन्न मदों पर प्राप्त ऋण का विवरण	
		कृषि एवं उससे सम्बन्धित कार्य तथा दुधारू पशु	उद्योग/सेवा/व्यवसाय आदि से सम्बन्धित कार्य
1–	भूमिहीन कृषि श्रमिक 60	45 (75.00)	15 (25.00)
2–	ग्रामीण दस्तकार एवं अन्य 55	0	55 (100.00)
3–	सीमान्त कृषक 55	38 (76.00)	12 (24.00)
4–	लघु कृषक 35	25 (71.40)	10 (28.60)
योग	200 100.00 प्रतिश	108 (54.00)	92 (46.00)

(कोष्टक के अंक कुल चयनित लाभार्थियों के प्रतिशत को व्यक्त कर रहे है।

श्रोत :– व्यक्तिगत साक्षात्कार से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर

सारणी –4 से स्पष्ट है कि कुल चयनित 200 लाभान्वितों में से 60 भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवार के थे जिनमें से 45 परिवारों ने कृषि एवं दुधारू पशुओं हेतु ऋण लिया जबकि 15 परिवारों ने अन्य ग्रामीण उद्योग धन्धों, व्यवसाओं तथा सेवा के क्षेत्र में ऋण प्राप्त किया। कुल चयनित 55 ग्रामीण दस्तकार परिवारों द्वारा सम्पूर्ण रूप से ग्रामीण दस्कारी एवं कुटीर उद्योग धन्धों हेतु ऋण प्राप्त किया। चयनित कुल 50 सीमान्त कृषकों में से 38 ने कृषि से सम्बन्धित कार्यो हेतु ऋण प्राप्त किया जबकि 12 कृषकों ने उद्योग व्यवसाय आदि के लिए ऋण लिया लघु कृषकों में से 25 ने दुधारू पशुओं हेतु ऋण प्राप्त किये अन्य 10 ने उद्योग एवं व्यवसाय हेतु ऋण प्राप्त किये जिनका प्रतिशत क्रमशः 71.40 एवं 28.60 है।

यद्यपि जालौन जनपद में समन्वित ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत प्रचुर मात्रा में ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें स्थानीय नेताओं राजनीतिक कार्यकर्ताओ दबंगों एवं बिचौलियों आदि का पर्याप्त हस्तक्षेप है फिर भी काफी हद तक यह कार्य सफलता पूर्वक संचालित किया जा रहा है और ग्रामीण गरीब वित्तीय संस्थाओं और बैंकों से ऋण प्राप्त करके अपने आर्थिक उत्थान में जुटे हुए हैं। ग्रामीण एवं स्थानीय लोगों तथा बैंक अधिकारियों के समन्वित प्रयास तथा सक्रिय सहयोग से कार्यक्रम को और भी प्रभावी बनाया जा सकता है।

एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम उद्‌देश्यों के अनुसार गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर उठाने हेतु परिसम्पत्तिओं का पूर्ण आर्थिक सदुपयोग करके पर्याप्त अतिरिक्त लक्ष्य सृजन करवाकर लाभार्थी के आर्थिक एवं समयानुसार सामाजिक उत्थान सुनिश्चित करने हेतु अपेक्षित प्रयास किये जाने चाहिए।

चयनित परिवारों के आय स्तर का विश्लेषण :-

जालौन जिले में कुल 200 लाभान्वित विभिन्न वर्गो के परिवारों के आय स्तरों का विश्लेषण समन्वित ग्रामीण विकास योजनान्तर्गत प्राप्त ऋण से पूर्व एवं ऋण प्राप्ति के पश्चात की आय स्थितिओं का विवरण सारणी – 5 के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है।

सरणी - 5

चयनित लाभार्थियों के अनुसार जालौन जिले में समन्वित ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत ऋण प्राप्ति के पूर्व एवं उसके पश्चात आय स्तरों का विश्लेषण :–

क्र0 सं0	चयनित वर्ग के लाभान्वित परिवार	चयनित परिवारों की संख्या	लाभान्वितों की औसत आय (ऋण प्राप्ति	लाभान्वितों की ऋण प्राप्ति से औसत आय (ऋण प्राप्ति	आय स्तर में औसत वृद्धि
1–	भूमिहीन कृषि श्रमिक	60	1800.00	3260.00	1460.00
2–	ग्रामीण दस्तकार एवं अन्य	55	2100.00	3580.00	1480.00
3–	सीमान्त कृषक	50	2275.00	3850.00	1575.00
4–	लघु कृषक	35	2390.00	3980.00	1590.00
कुल योग –			8566.00	14670.00	6105.00

श्रोत :– सर्वेक्षण से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर

सारणी – 5 के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि चयनित कुल भूमिहीन कृषि श्रमिकों की औसत आय ऋण प्राप्ति से पूर्व 1800.00 रू0 थी, जो ऋण प्राप्ति के पश्चात बढ़कर 3260.00 रू0 हो गयी जो प्रति परिवार लगभग 1460.00 रू0 की वार्षिक वृद्धि थी। ठीक इसी प्रकार कुल चयनित 55 ग्रामीण दस्तकारों की प्रति परिवार वार्षिक आय ऋण प्राप्ति से पूर्व 2100.00 रू0 थी जो बाद में बढ़कर 3580.00 रूपय हो गई जिसमें लगभग प्रतिवर्ष 1480.00 रू0 की वृद्धि हुई अर्थात् ऋण प्राप्ति के पश्चात सीमान्त कृषकों की आय 3850.00 रूपय हो गई। इसी प्रकार लघु कृषकों की आय में 1590.00 रू0 प्रति वर्ष की वृद्धि दर्ज की गयी।

कुल मिलाकर सभी वर्गो के चयनित लाभान्वित परिवारों के वार्षिक आय स्तरों में बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हो रही है। जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि समन्वित ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत प्रदत्त ऋण राशि का प्रभाव सभी वर्गो पर समान रूप से लाभदायक प्रतीत हो रहा है। जिससे सहज ही कार्यक्रम की सफलता को स्वीकार किया जा सकता है। परियोजना के प्राप्त होने के बाद लाभ का अनुमान लगाना भी अत्यन्त आवश्यक है। यदि परियोजना से हानि हो रही है तो उससे क्या लाभ क्योंकि सरकार लाभार्थी को परियोजना का लाभ देने के लिये है परियोजना का कार्यान्वयन करती है। जिससे गरीबी रेखा से नीचे के स्तर के लोग ऊपर उठकर

परियोजना का लाभ प्राप्त कर सकें। पंचवर्षीय योजनान्तर्गत 20 सूत्रीय नवीन आर्थिक कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय सरकार अनेक प्रकार के ग्रामीण विकास कार्य करवा रही है। समन्वित कार्यक्रम के अन्तर्गत अनेकों योजनाएं बनाई जा रही है जिससे ग्रामीण विकास को दिशा प्रदान की जा सके।

परियोजना एवं प्रशिक्षण :-

एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जिस परियोजना के लिए ऋण प्रदान किया जाता है उसका प्रशिक्षण अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होता है बिना प्रशिक्षण के कार्य अधूरा रहता है तथा परियोजना का संचालन भली भांति नहीं हो पाता। परियोजना सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी ट्राईसेम के अन्तर्गत प्रदान की जाती है। यह प्रशिक्षण कुशल प्रशिक्षकों द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण के अन्तर्गत न केवल तकनीकी जानकारी दी जाती है बल्कि लेखाकर्म, वैज्ञानिक प्रबन्ध तथा विपणन आदि का भी सम्यक ज्ञान कराया जाता है।

सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि सिर्फ 155 लाभार्थियों के चुने जाने के उपरान्त परियोजना के सम्बन्ध में जानकारी दी गई। यह जानकारी लाभार्थियों को ग्राम्य विकास अधिकारी एवं बैंकों के अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई। प्राप्त ऋण और अनुदानों एवं उनके

भुगतान की अवधि और ब्याज दर से सम्बन्धित जानकारी बैंक से प्राप्त हुई। 5 प्रतिशत लाभार्थी एसे थे जिन्होने बिना पूर्व जानकारी के परियोजना स्वीकार कर लीं।

लाभार्थी को परियोजना मिलने के पश्चात औसतन 8 घण्टे प्रतिदिन कार्य करना पड़ता है। लाभार्थी द्वारा जो माल उत्पादित किया जाता है वह पूरा का पूरा विक्रय हो जाता है ऐसा पाया गया। परियोजना में उसके परिवार के अन्य सदस्य भी मदद करते पाये गये। कुल मिलाकर सभी लाभार्थियों को इस परियोजना से लाभ प्राप्त हुआ।

परिसम्पति खरीदने सम्बन्धी विश्लेषण :-

एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों को विविध प्रकार की परिसम्पत्ति क्रय करने के लिए ऋण और अनुदान राशि प्रदान की गई। इसके तहत लाभार्थी पशु (गाय,भैस, बकरी, सुअर आदि) दुकानदारी का सामान कृषि से सम्बन्धित मशीन और औजार नाव तथा तांगा आदि क्रय करके लाभ उठाया यह स्थिति तालिका 6 से स्पष्ट है।

सारणी - 6

परिसम्पत्ति का क्रय सम्बन्धी विवरण :-

क्रमांक	परिसम्पत्ति का प्रकार	लाभार्थियों की संख्या	प्रतिशत
1—	पशु (दुधारू, गैर दुधारू)	70	35.00
2—	सामान्य जनरल स्टोर	70	35.00
3—	दस्तकारों के लिए मशीन और कृषि औजार	60	30.00
	योग	200	100.00

श्रोत :— व्यक्तिगत सर्वेक्षण से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर

तालिका 6 से स्पष्ट है कि 70 प्रतिशत लाभार्थियों ने पशु (दुधारू, गैर दुधारू) क्रय किये जबकि 70 प्रतिशत ने सामान्य जनरल स्टोर के लिए ऋण प्राप्त किये अन्य प्रतिशत लाभार्थियों ने कृषि एवं उससे सम्बन्धित मशीन उपकरण आदि क्रय किये।

परिसम्पत्ति की वर्तमान स्थिति :-

समन्वित ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत क्रय की गई सम्पत्ति के प्रति 140 लाभार्थियों की स्थिति सन्तोषपूर्ण पायी गई 50 लाभार्थियों के पास अस्वस्थ और असन्तोष पूर्ण परिसम्पत्ति थी।

कार्यरत वर्तमान सम्पत्ति का अध्ययन करने से पता चला कि 200 लाभार्थियों में से 140 के पास वर्तमान सम्पत्ति कार्यरत थी 60 के पास संपत्ति कार्यरत नहीं थी। पशुओं की स्थिति एवं परिसंपत्ति के रख रखाव एवं चोरी से सम्बन्धित मामलों को सारणी सं0 7 से स्पष्ट कर सकते है।

सारणी - 7

परिसंपत्ति की वर्तमान स्थिति का विवरण

क्र0 सं0	पशुसम्पत्ति की स्थिति	लाभार्थियों की संख्या (हां)	लाभार्थियो की संख्या (नही)
1—	पशु चिकित्सक द्वारा जांच कराई गई	50	20
2—	पशु सम्पत्ति का बीमा कराया गया	70	शून्य
3—	चोरी, मृत, पशु जिसकी पुलिस में रिपोर्ट की गई	20	15
4—	पशु संपत्ति की बीमा अधिकारियों को खबर दी गई	15	10

श्रोत :— व्यक्ति साक्षात्कार के आधार पर प्राप्त सूचनाओं द्वारा

सर्वेक्षण के दौरान चयनित गांवों के लाभार्थियों में से 160 लाभार्थिओं ने परिसम्पत्ति का क्रय समिति/अधिकारियों की देखरेख में की पशुसम्पत्ति एवं अन्य संपत्ति की स्थिति के बारे में 50 लाभार्थियों ने कहा पशुओं की जांच की गई जबकि 20 ने कहा कि जांच नही की गई। सभी पुशसम्पत्तियों का बीमा कराया गया। चोरी या मृत पशुओं की रिपोर्ट 25 मामलों में दर्ज की गई। 90 प्रतिशत मामलों में अधिकारी गण समय समय पर संपत्ति की जांच करने नहीं आये।

इस प्रकार उपरोक्त संकलित प्राथमिक आंकडों के विश्लेषण तथा द्वितीयक आंकड़ों के तुलनात्मक अध्ययन से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जालौन जिले में ग्रामीण विकास हेतु संचालित समन्वित ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन हो रहा है। जिससे ग्रामीण गरीबों को न केवल गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सहायता मिल रही है अपितु इसके माध्यम से ग्रामीण गरीबों के आय स्तर में भी व्यापक वृद्धि हो रही है। आय स्तर में सुधार के कारण उनके रहन सहन के स्तर खान–पान आदि में भी परिर्वतन की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हो रही है साथ ही उपभोग स्तर में वृद्धि होने के कारण उनके आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक एवं नैतिक स्तरों में भी वृद्धि की प्रवृत्ति अध्ययन क्रम में स्पष्ट रूप से पाई गई।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में कुछ त्रुटियां भी पाई गई

इस कार्यक्रम की त्रुटियों को दूर करके सरकार इससे जुड़े सरकारी तन्त्र, बैंक तथा अधिकारीगण चयनित एवं लाभान्वित ग्रामीण गरीबों से सही सामंजस्य स्थापित कर इसे और भी प्रभावी बना सकते है। इन बिन्दुओं पर विचार विमर्श उपसंहार के अन्तर्गत प्रस्तुत है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं ऋण राहत योजना :-

प्रस्तुत अध्ययन हेतु किये गये सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्षो से, विषेशतया समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के चयनित लाभार्थी परिवारों के व्यक्तिगत साक्षात्कार से प्राप्त बैंक अतिदेयों एवं बकाया ऋण की राशियों के सन्दर्भ में ''कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना 1990'' की संक्षिप्त समीक्षात्मक व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं।

ग्रामीण विकास भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत आवश्यकता है। इस तथ्य को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता कि संतुलित व समग्र ग्रामीण विकास ही भारतीय अर्थव्यवस्था को तीव्र आर्थिक विकास के मार्ग की ओर अग्रसर कर सकता है।

आर्थिक विकास के विस्तार की महत्वपूर्ण लागत पूंजी है। समय–समय पर सरलता से पर्याप्त मात्रा में वित्त की उपलब्धता

ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक क्रियाओं, कृषिगत एवं गैर कृषिगत क्रियाओं के विस्तार के लिए आवश्यक है। वित्त की कमी ग्रामीण आर्थिक क्रियाओं के विस्तार में प्रमुख अवरोध रही है। पूंजी व कम विनियोजन क्षमता के कारण वांक्षित दिशा में त्वरित ग्रामीण विकास सम्भव नहीं हो पा रहा है।

ग्रामीण अंचलों में वित्त समस्या के सामाधान हेतु संस्थापक व नीतिगण उपाय अपनाऐ गये। ग्रामीण लोगों को लालची महाजनों एवं साहुकारों के चुंगल से छुड़ाने के उद्‌देश्य से अनेक महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना की गई जैसे– सहकारी बैंकों की स्थापना बैकों का राष्ट्रीयकरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैकें लघु उद्योग बैंक, अग्रणी बैंक इत्यादि। इसके साथ ही समय–समय पर अनेक योजनाएं चलाई गई, जैसे–सामुदायिक विकास परियोजना, प्राथमिकता क्षेत्र, अग्रिम परियोजना समन्वित साख योजना, ग्रामीण औद्योगिक परियोजना, लघुकृषक विकास एजेन्सी, सीमान्त कृषक व भूमिहीन कृषक एजेन्सी, भारतीय स्टेट बैंक की ग्रामोदय योजना, स्पेशल काम्पैक्ट योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना, जवाहर रोजगार योजना आदि। इन सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

बैकों द्वारा विकासात्मक बैंकिंग के रूप में अपनाए गए धनात्मक व प्रभावी भूमिका के परिणाम स्वरूप ही आज सामान्य ग्रामीण जन भी बैंकिग क्रियाओं एवं योजनाओं से परिचित हैं तथा बैंक ग्रामीण अंचलों में पर्याप्त मात्रा में समय पर सरलता से वित्त उपलब्ध कराने में अपने उद्देश्य में काफी सीमा तक सफल हुए हैं।

यद्यपि ग्रामीण वित्तीय संरचना में परिवर्तन हुआ है तथा साख का प्रवाह भी बढ़ा है पर इनके साथ अनेक समस्यायें भी उत्पन्न हुई हैं जिनमें समय पर ऋणों व ब्याज के पुनः भुगतान न किये जाने की समस्या उत्पन्न हो रही है। इसका बैकों की ऋण व पुनर्विनियोजन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ऋणों में छूट व राहत प्रदान करने के उद्देश्य से 1990 में अखिल भारतीय स्तर पर ''कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना'' की घोषणा की गई।

योजना के अन्तर्गत निम्न लिखित दशाओं में ऋण राहत दी जायेगी।

* कृषक ग्रामीण करीगरों द्वारा एक या अधिक श्रोतों से 10000 रुपये से अधिक राशि का ऋण न लिया गया हो।

* ऋणी अनैच्छिक दोषी अर्थात् ऐसा कृषक जिसने दो या तीन बुरी फसल के कारण ब्याज व ऋण की किस्ते न जमा की हों तथा ऐसा

करीगर जिसने सम्पत्ति नष्ट होने की स्थिति में ब्याज व ऋण की किस्तों का भुगतान न किया हो।

* ऋणी की मृत्यु हो गयी हो अथवा वह अक्टूबर 1989 के पूर्व दिवालिया घोषित किया गया हो।

इस संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शाखा प्रबन्धकों द्वारा ऐसे ऋणी की पहचान की जाएगी। क्षेत्रों के अग्रगामी बैंकों के शाखा प्रबन्धक योजना के क्रियान्वयन में सहयोगी के रूप में कार्य करेगा तथा समय–समय पर शाखा प्रबन्धकों विकास अधिकारियों तहसीलदारों की सभा बुलायेगा, जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि प्रथम ऋण राशि 10,000 रु0 से अधिक न हो। द्वितीय गांव में बुरा फसलवर्ष हो।

ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन की दिशा में कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना महत्वपूर्ण कदम है। जिसके द्वारा ग्रामीण ग्रस्तता में कमी आने की सम्भावना है परन्तु योजना के सफल एवं अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए योजना के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है अन्यथा योजना के कारण पूंजी के अनुत्पादक प्रयोग की सम्भावना बढ़ेगी योजना ऋणियों में ऋण न लौटाने की मनोवृत्ति उत्पन्न करेगी।

ऋण राहत योजना का बैंकों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। बैंक कर्मचारियों पर अनुत्पादक कार्य का अतिरिक्त कार्यभार पड़ रहा है। बैंकों के इस संकट का प्रभाव देश के आर्थिक विकास पर भी बुरा पड़ रहा है। राहत योजना निर्धन कृषकों व कारीगरों के लिए उपयुक्त कदम है पर योजना के सफल क्रियान्वयन व अपेक्षित परिणाम के लिए आवश्यक है कि ऋणियों की सही पहचान की जाय जिससे ऋण वसूली से सम्बन्धित प्रयासों को सार्थकता प्रदान की जा सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (श्रोत)

1. कुरुक्षेत्र नवम्बर 1989 पृष्ठ–2
2. कुरुक्षेत्र नवम्बर 1990 पृष्ठ–5
3. वही, पृष्ठ–5
4. वही, पृष्ठ–10
5. कुरुक्षेत्र 1992 पृष्ठ–38
6. इंडिया 1985 पृष्ठ–227से 230
7. एच0लक्ष्मी नारायण एवं त्यागी, ''सम एसपैक्ट्स ऑफ साईज आफ डीस्ट्रीव्यूसन ऑफ एग्रीकल्चर होल्डिंग्स''
8. अमरीक एवं राजवीर सिंह ''इम्पैक्ट ऑफ डेरी इन्टरप्राइज आन प्रोडक्टिविटी एण्ड एम्पलायमेंट'' 1977, 32 : 132–42

अष्टम् अध्याय

उपसंहार

उपसंहार

देश की प्रगति का सीधा सम्बन्ध गांवों की प्रगति से है यदि गांव प्रगति करेंगें तो भारत सफल राष्ट्र बन सकेगा और हमारी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता।

गांव हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है इस कारण गांवों के विकास अधिक बल दिया जाता है महात्मा गांधी का चिन्तन था कि ''असली भारत गांवों में ही निवास करता है और इसलिए हमारी राष्ट्रीय प्रगति ग्रामीणांचल के सामाजार्थिक विकास में ही निहित है''।

स्वतंत्रता के पश्चात ग्रामीण भारत को खुशहाल बनाने की दृष्टि से गांवों से गरीबी दूर करने और लोगों के सामाजिक व आर्थिक स्तर को ऊँचा उठाने की लम्बी यात्रा आज भी जारी है। समय–समय पर बदली परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप केन्द्र तथा राज्य स्तर पर ग्रामोत्थान के अनेक कार्यक्रम शुरू किये गये जिनमें समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का स्थान प्रमुख है। इस कार्यक्रम में अन्त्योदय के सिद्धान्त का परिपालन करके गरीबों में भी सबसे अधिक गरीब को लाभ प्रदान किया जाता है।

वास्तव में गांवों की प्रगति पर बल देने के दो प्रमुख कारण है। पहला यह कि आज भी हमारे देश की तीन चौथाई से भी अधिक आबादी गांवों में रहती है। अंग्रेजी हुकूमत ने गांवों की अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का योजनाबद्ध प्रयास किया। इसका परिणाम यह हुआ कि हमारे गांवों का बहुसंख्य वर्ग पराश्रित हो गया और गरीबी एवं बदहाली का शिकार हो गया। गांवों की इस दयनीय स्थिति को सुधारना अनिवार्य था अतः स्वतंत्रता के पश्चात् नियोजित विकास कार्यक्रमों में ग्रामोत्थान हमारे प्रमुख उद्देश्यों का अंग बन गया।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के विशिष्ट महत्व को आज अधिक स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की निर्धनता, शोषण एवं विषमता से छुटकारा दिलाने के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के महत्व को आज सभी स्वीकार करते हैं।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में आने वाले व्यवधान एवं कमियों को पता लगाने एवं उसका मूल्यांकन करने के लिए 'नाबार्ड' द्वारा विभागीय स्तर पर एक अध्ययन किया गया। वर्षो के अनुभव एवं इस अध्ययन में उपलब्ध परिणामों के आधार पर यह आवश्यक था कि इतने व्यापक स्तर के कार्यक्रम को ध्यान में लाने से पूर्व सभी प्रारम्भिक तैयारियाँ पूरी कर ली जातीं। परन्तु ऐसा नहीं

किया गया। परिणाम स्वरूप समन्वित ग्रामीण विकास के पालन में अनेकानेक कमियां आई है। ये कमियां निम्न प्रकार हैं :–

1. आय अर्जन और परिसम्पत्ति के निर्माण में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का योगदान बहुत कम है।
2. प्रत्येक परिवार पर किए जाने वाली निवेश की राशि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पर्याप्त नहीं है।
3. अलग–अलग ब्लॉक में गरीबों की दशा अलग–अलग होती है, ऐसी स्थिति में देश के सम्पूर्ण ब्लॉको में से 3000 परिवारों को आर्थिक सहायता के लिए चुनना सही प्रतीत नहीं होता। सातवीं योजना में यह सुधार किया गया कि प्रत्येक ब्लॉक में लाभार्थियों का चयन उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर होगा। कोई जरूरी नहीं कि प्रत्येक ब्लॉक से कुछ लाभार्थी चयन किए जायें।
4. ऋण एवं अनुदान की राशि से प्रायः गरीब परिवार तो लाभान्वित हो सकता है परन्तु गरीबों में गरीब परिवार के लिए यह प्रणाली उपयुक्त सिद्ध नहीं हो रही है।
5. विभिन्न योजनाओं की जांच के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता है।
6. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की योजनाओं के प्रति लाभार्थियों को जागरुक करने के लिए यह जरूरी है कि उन्हें इसके बारे में उपयुक्त जानकारी और शिक्षा दी जाय।
7. यह आवश्यक है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को

सफन बनाने के लिए भूमि सुधार कार्यक्रम का कठोरता से पालन किया जाय।

8. उत्पादक कार्यो के वास्ते ली गई आर्थिक सहायता अनेक बार उपभोग क्रियाओं में खर्च कर दी जाती है।
9. बेनामी लाभार्थियों की संख्या भी निरन्तर बढ़ती जा रही है।

इस व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी उपयुक्त ऊपरी ढ़ाचे का अभाव है। दूरस्थ स्थित अनेक गांव, ब्लॉक, हैडक्वार्टर से किसी प्रकार जुड़े नहीं हैं। इसी प्रकार दूरसंचार के साधनों का आभाव है। अतः ऐसी स्थिति में बैंक अपनी शाखाओं का विस्तार करने में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हैं। अतः जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में ऊपरी ढ़ाचे की सेवायें उपलब्ध नहीं होतीं तब तक समन्वित ग्रामीण विकास को सफल बनाना सम्भव नहीं है।

कार्यक्रम के माध्यम से किस प्रकार ग्रामीण जन को लाभ प्रदान किये जाऐं। एक आवश्यक शर्त यह है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थी को सरकार या बैंक का कोई ऋण न लौटाना हो। अगर ऐसा होता है तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से वित्तीय सहायता नहीं मिल सकती। ऐसी स्थिति में जिला विकास अभिकरण के समक्ष यह गम्भीर स्थिति बनी रहती है कि आर्थिक सहायता के योग्य गरीब वर्ग के लोगों की पर्याप्त मात्रा में

पहचान नहीं हो पाती। जिला विकास अभिकरण अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ऐसे व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देने की सिफारिश कर देते हैं जो कि शायद इतने गरीब नहीं होते जितने कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में परिभाषित किये गये हैं।

अध्ययन क्रम में यह पाया गया कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जहां अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप चयनित प्रार्थियों की सिफारिश करते जाते हैं दूसरी ओर बैंकों की ग्रामीण शाखायें उतनी तेजी से कार्य नहीं कर पाती हैं। निष्कर्ष यह है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की सिफारिशों के बावजूद बैंकों द्वारा प्रार्थियों को ऋण देने में अनावश्यक देरी होती है।

जालौन जिले में प्रस्तुत अध्ययन हेतु किए गये सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि जिला विकास अभिकरण एवं बैंक के कर्मचारी इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में तत्परता नहीं दिखाते हैं। अधिकतर प्रस्तावों पर बिना कुछ विचार किए ही ऋण प्रदान कर दिये जाते हैं। जो न तो पर्याप्त होते हैं और न ही इनका आवंटन ठीक से हो पाता है। परिणाम यह होता है कि लाभार्थी इस योजना के अन्तर्गत ऋण तो प्राप्त कर लेता है परन्तु इस राशि का उपयोग नहीं कर पाता। वह व्यर्थ ही धनराशि को इधर–उधर व्यय कर देता है जिससे वह ऋण वापस लौटा नहीं पाता है। इस प्रकार वह पुनः बैंकों या सहकारी समितियों

से नया ऋण प्राप्त करने का हक भी खो बैठता है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के संगठन पर दृष्टिपात करें तों पता चलता है कि इस योजना में ग्रामीण विकास के लिए किसी स्थायी संगठन के गठन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है जिला ग्रामीण विकास अभिकरण केवल सरकार के प्रतिनिध के रूप में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को चला रहा है। ऐसी कोई संस्था नही है जिसमें सामान्य जन का योगदान हो और नीति निर्धारण में सामान्य जन की आवाज हो। अतः सम्भव है कि समन्वित विकास कार्यक्रम भी सरकार का कार्यक्रय बनकर रह जायेगा जिसके प्रति सामान्यजन में किसी प्रकार का उत्साह नहीं रहेगा।

जब समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया, उस समय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 20 करोड़ और शहरी क्षेत्रों में 6 करोड लोग अत्यधिक गरीब थे। देश के निर्धन वर्ग को इस अभिशाप से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया गया। सैद्धान्तिक तौर पर यह गरीबी के विरुद्ध सीधा प्रहार था। ग्रामीण गरीबों की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है।

प्रस्तुत अध्ययन क्रम में आयोजित सर्वेक्षण से भी जालौन जिले के विभिन्न 5 अनुमण्डलों, 9 प्रखण्डों, 20 गांवों से चायनित कुल 200

लाभान्वित परिवारों के व्यक्तिगत साक्षात्कार से प्राप्त सूचनाओं से उक्त प्रकार के तथ्य ही स्पष्टतया देखने को मिले हैं। अतः आवश्यक है कि गरीबी निवारण हेतु निर्धारित किसी भी कार्यक्रम का मूंल्याकन करते समय इन बातों को ध्यान में रखा जाय।

भारत सरकार द्वारा शुरू किये गये विशेष गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम सबसे अच्छे स्वरूप में उभरकर सामने आया है। इसका उद्देश्य लाभार्थी परिवारों को आर्थिक सहायता, कुछ ऋण के रूप में और कुछ अनुदान के रूप में, देकर उन्हें अपना रोजगार मुहैया कराना और उन्हें आर्थिक रूप से जीवन क्षम बनाना है। इस प्रकार इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य उत्पादक स्वरूप की परिसम्पत्तियां और हुनर सृजन करके अथवा उसमें सुधार करके इन परिवारों की गरीबी दूर करना है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरे देश के सभी ब्लाकों को धनराशि का समान वितरण किया जाता है और प्रत्येक ब्लाक को लाभार्थियों की कवरेज भी दूसरों के बराबर ही करनी होती है।

परन्तु प्रस्तुत अध्ययन के सर्वेक्षण से यह स्पष्ट हुआ है कि केन्द्रीय स्तर पर निर्धारित मानदण्ड और लक्ष्य ब्लाकों की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में काफी अंतर है। विभिन्न राज्यों के अनेक ब्लाकों को लाभार्थी परिवारों की कवरेज के केन्द्रीय लक्ष्यों के कारण

अव्यवहार्य भार उठाना पड़ा है। उदाहरण के तौर पर अनेक मामलों में एक ग्राम सेवक को औसतन प्रतिवर्ष 120 नये लाभार्थी परिवारों का पता लगाना, उन्हें सहायता देना तथा उनकी निगरानी के साथ–साथ पहले से सहायता दिये गये परिवारों की निगरानी भी करनी होती है। विभिन्न योजनाओं की वित्तीय सीमाऐं वास्तविक लागत और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखे बिना निर्धारित की गई हैं। इसके फलस्वरूप एक लाभार्थी परिवार से यह आशा की जाती है कि वह आत्मनिर्भर हो जायेगा जबकि उसे दी जाने वाली सहायता पूर्ण रूप से अपर्याप्त और निवेश प्रवाह के लिए अपेक्षित राशि से बहुत कम होती है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरे देश में सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों पृष्ठभूमि और प्रबन्ध क्षमताओं के काफी विविध होने के बावजूद भी, सभी क्षेत्रों के लिए एक जैसे ही कार्यक्रम बनाये गये हैं।

अध्ययन के सर्वेक्षण क्रम में यह भी पाया गया है कि अधिकतर दुधारु पशु खरीद कर डेरी का काम करने के लिए सहायता दी गई है जिनमें ऐसे लाभार्थी भी हैं, जो इस क्षेत्र में बिल्कुल नए हैं। यह तथ्य भी उभरकर सामने आया कि जहाँ योग्य लाभार्थी को सहायता दी भी गई, वहां पशु चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है और न तो स्वास्थ्य केन्द्र हैं और न ही उनका बीमा कराया गया है।

अध्ययन में यह भी स्पष्ट हुआ कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थी निर्धन परिवारों के हैं और इसलिए उनसे आशा नहीं की जा सकती कि वे वित्त उत्पादन और विपणन के बीच उचित तालमेल रखें। हालांकि ऐसा तालमेल न होने के कारण लाभार्थी और प्रशासन के बीच विचैलिए पैदा हो गये जो लाभार्थियों को मिलने वाले हिस्से को हड़पने लगे जो लक्ष्य के मार्ग में रोड़ा बन गये।

उक्त प्रकार की कमी जालौन जनपद में सर्वेक्षण क्रम में प्रचुर मात्रा में पायी गयी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बैंक आजकल छोटे किसानों को पशुपालन, मुर्गी पालन, कुएं खादने आदि कामों के लिए ऋण दे रहे हैं। लेकिन जिन ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में डेरी लगाई है वे लाभ नहीं कमा पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि दुधारु पशु पालन अथवा मुर्गी पालन में उनका दृष्टिकोंण वैज्ञानिक नहीं है। वास्तविकता यह है कि हमारा देश अपनी खाद्यान्नों की आवश्यकताओं और कच्चे माल के लिए गावों पर निर्भर करता है इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि परम्परागत कृषि के बदले आधुनिकतम तकनीक का प्रयोग करें। उत्पादन एवं उत्पादकता में सुधार लाने हेतु कृषकों को शिक्षित करें, उन्हें उत्पादन की नई विधियों के बारे में शिक्षा प्रदान करें। अधिकांश छोटे तथा सीमान्त कृषक पुरानी पद्धतियों को बदलना चाहते हैं लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं कि क्या करें और कैसे परिवर्तन लायें। यह आवश्यक है कि इस दिशा में सुनियोजित

तरीके से आगे बढ़ा जाय, पूरे देश में ग्रामीण केन्द्र खोले जाएं, युवकों को प्रशिक्षित किया जाये।

अध्ययन क्रम में स्पष्ट हुआ है कि बहुत से स्थानों में जो सहायता व्यवसाय या उद्योग के लिए निर्धारित की गई उसे दुधारु पशुओं की खरीद पर व्यय कर दिया गया है। जबकि इसके लिए अलग से धनराशि का निर्धारण किया गया है। संबधित अधिकारियों को चाहिए कि वे ऐसे कार्य शुरू करें जिनसे ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा मिले और जिनसे ग्रामीण लौंगों की जरूरत को गांव में ही पूरा किया जा सके। अध्ययन`क्रम में कुछ ब्लाकों में कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण की पात्रता के बारे में भ्रान्ति की शिकायतें भी मिली हैं।

स्व0 पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने देश में स्वयं कार्यक्रम के निष्पादन को देखते हुए इसे और गति प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया था। उनके अनुसार लाभार्थियों का चयन ठीक तरह से नहीं हुआ और सस्ती ब्याज दर पर ऋण गरीबों को मिलने थे, उन्हें साधन सम्पन्न लोगों ने हथिया लिया। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का न केवल अनुचित कार्यान्वयन हुआ है बल्कि यह अपने मूल उद्देश्य को भी खो बैठा है। कार्यक्रम में सहायता से पूर्व और सहायता के बाद के समन्वय की आवश्यकता की अनदेखी हुई। चारे की स्थानीय उपलब्धता, पशु उपचार सेवाओं और दूध विपणन केन्द्रों का

कोई ध्यान नहीं रखा गया जिसके बिना दुधारु पशु लाभदायक नहीं हो सकते।

इस अध्ययन के अनुमान के अनुसार इन कमियों के फलस्वरूप केवल 25 प्रतिशत गरीब परिवार ही गरीबी रेखा को पार कर सके हैं। अधिकांश लाभार्थियों ने असमर्थता के कारण बड़ी संख्या में अपनी परिसम्पत्तियों को बेच दिया है जिससे लाभार्थियों को नियमित तौर पर गरीबी रेखा से ऊपर लाने का ध्येय पूरा नहीं हुआ।

ग्रामीण विकास और गरीबी हटाने के लिए कार्यक्रम बनाने में लोगों की गरीबी और पिछड़ेपन को ध्यान में रखना ही काफी नही बल्कि इनके सामाजिक क्षेत्रों को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता इसमें कोई दो राय नहीं कि मात्रा की दृष्टि से विकास हुआ है लेकिन साथ ही गरीबी बढ़ी है।

प्रस्तुत विश्लेषण जालौन जिले में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन लाभान्वित परिवारों से प्रत्यक्ष सम्पर्क द्वारा किये गये अध्ययन के मूल तथ्यों पर आधारित है।

प्रस्तुत विश्लेषण जालौन जिले में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन लाभान्वित परिवारों से प्रत्यक्ष सम्पर्क द्वारा किये गये अध्ययन

के मूल तथ्यों पर आधारित है।

अध्ययन से स्पष्ट है कि गांव के विकास का स्तर बढ़ने के साथ ही साधन विहीन वर्ग के लिए इस कार्यक्रम के चयन की सम्भावनाऐं कम होती गई हैं, जो कि अन्यायपूर्ण है। लिंग के आधार पर इस कार्यक्रम में भेदभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है अर्थात् पुरुषों का चयन 80 प्रतिशत हुआ और महिलाओं का चयन 20 प्रतिशत किया गया है।

प्रति व्यक्ति औसत ऋण अवश्य ही आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग को प्राप्त हुआ है जो कि इस कार्यक्रम का प्रशंसनीय पहलू है। इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न रोजगार इकाई योजनाओं के लिए जो ऋण निर्धारित किये गये हैं, वे स्वयं में अपर्याप्त् हैं तथा लाभार्थियों को यह अपर्याप्त् निर्धारित ऋण राशि भी पूरी की पूरी उपलब्ध नहीं कराई जाती है। इस महत्वपूर्ण तथ्य की जांच के लिए सर्वेक्षण से प्राप्त सूचनाओं के विश्लेष्ण से प्राप्त निष्कर्षो का सहारा लिया गया है। अपेक्षाकृत कम पिछड़े गांव के लाभार्थी प्राप्त ऋण राशि को प्रायः अपने पुराने व्यवसाय में ही नियोजित करते हैं, लेकिन अधिक पछड़े हुए गांवों के लाभार्थी प्रायः कृषि या पशुपालन में ऋण राशि का विनियोजन करते हैं। ऐसे में अपर्याप्त ऋण से खरीदा गया कमजोर पशु कुछ समय बाद ही उत्तम रख रखाव के आभाव में मर जाता है तथा कृषि क्षेत्र में भी पूर्ण सफलता नहीं मिल पाती।

अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि, पिछड़े गांवों में पानी, पशुचिकित्सालय, बाजार, यातायात आदि का आभाव विद्यमान है। ऐसे में आवश्यक सामग्री प्राप्ति के लिए तथा उत्पादित सामग्री की बिक्री के लिए कठिनाई बनी हुई है। 25 प्रतिशत से अधिक लाभार्थी ऋण व्यवसाय से हुए उत्पाद का विक्रय गांव में ही करते हैं। गांव में उन्हें उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिलता है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों को रोजगार साधन के रूप में जिन आर्थिक इकाइयों के लिए ऋण उपलब्ध कराया गया है, यदि उनकी कुल आगमों से समस्त लागतों (श्रम लागत व ऋण किस्त सहित) को घटाकर देखा जाए, तो बहुत कम मासिक शुद्ध बचत होती है, जिसे परिवार के उपयोग स्तर में वृद्धि तथा कोषों के रूप में पूंजी निर्माण के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता है। इस तथ्य से स्पष्ट है कि ऋण व्यवसाय की लाभदायकता पर प्रशासन द्वारा विचार तो किया गया है, लेकिन व्यवसाय विशेष के लिए आवश्यक सामग्री की उचित मूल्य पर सरलता से उपलब्धता, उत्पाद की पर्याप्त मांग, विक्रय की समुचित व्यवस्था, यातायात आदि तत्वों को गहराई से नहीं लिया गया है।

कार्यक्रम के तहत प्राप्त ऋण से शुरू किये गए व्यवसाय से लाभार्थियों की आय में कोई वृद्धि नहीं हो पाती, इसका मूल कारण

परम्परागत व्यवसाय में ही ऋण राशि का विनियोजन करना है।

70 प्रतिशत लाभार्थियों को ऋण पुर्नभुगतान संबन्धी शर्तो के बारे में कोई आवश्यक जानकारी नहीं हो पाती। अधिकतर लाभार्थी दुबारा ऋण प्राप्त करने की इच्छा से तथा बैंक के दबाव से पुनर्भुगतान समय पर करते हैं, न की आय वृद्धि के कारण। लाभार्थियों का यह भी विचार है कि ऋण का भुगतान न करने पर सामाजिक दृष्टि से आर्थिक साख के मामलों में व्यक्ति की प्रतिष्ठा गिरती है। इससे स्पष्ट है कि समय पर ऋण का पुनर्भुगतान न कर पाने का प्रमुख कारण आय की अपर्याप्ता ही है। लाभार्थी द्वारा सरकारी ऋण न चुकाने की भावना कतई नहीं।

किसी कार्यक्रम की सफलता के लिए कार्यक्रम के प्रति सचेतना और पूर्ण जानकारी का होना अत्यावश्यक है। जिसके लिए जरूरी है कि लाभार्थियों को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षित किया जाना अनिवार्य शर्त है तथा उन्हें समय–समय पर कार्यक्रम की गतिविधियों से भली भांति परिचित करवाया जाय।

ग्रामीण तरुण वर्ग को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने हेतु इनके चयन को प्राथमिकता दी जाय और आवश्यक ऋण उपलब्ध कराया जाय, ताकि वे स्वयं की योजनानुसार व्यवसाय का संचालन

करके परिवार तथा गांव के विकास में महती भूमिका निभा सकें।

चयन के लिए प्रत्येक विकास खण्ड में बराबर भौतिक लक्ष्य न रखा जाय। इससे कार्यक्रम में महज भौतिक लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपात्र व्यक्तियों को चयन करने की मजबूरी नहीं रहेगी। पिछड़े वर्गों में जाति की स्थिति के आधार पर प्रति व्यक्ति औसत ऋण का असमान वितरण नहीं होना चाहिए। अन्यथा आर्थिक विकास के नाम पर साम्प्रदायिकता अथवा जातीय वैमनस्यता के विकास को बल मिलेगा।

यदि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की सफलता चाहते हैं तो रोजगार इकाई विशेष के लिए उस समय के बाजार मूल्य को पता करके उसके बराबर ही ऋण राशि को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय। ऋणं राशि को अलाभकारी कार्यो में प्रयोग करने वाले लाभार्थियों को कार्यक्रम के तहत मिलने वाली छूट से वंचित रखा जाय तथा उनसे अतिरिक्त जुर्माना भी बसूला जाय।

उचित दर पर कच्चे माल की आपूर्ति तथा ग्रामोद्योग संस्थाओं के माध्यम से विक्रय की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस व्यवस्था के बगैर ऋण के रूप में खर्च की गई विपुल राशि से कोई फल नहीं मिल सकता।

हर गांव में दुग्ध संग्रह केन्द्र खोले जाएं, पशु चिकित्सा उप केन्द्रों की स्थापना की जाय।

प्रत्येक लाभार्थी को पशु पोषण, स्वास्थय, सुरक्षा एवं प्रबन्ध संबन्धी अल्पकालीन प्रशिक्षण दिया जाये तथा इससे सम्बन्धित व्यवस्था उसी गांव में होनी चाहिए क्योंकि ग्रामीण व्यक्ति घर–वार, पशु, बच्चों आदि को छोड़कर गांव से बाहर प्रशिक्षण के लिए नहीं जा सकते।

आवश्यकता इस बात की है कि लक्षित वर्ग को ऋण देने बजाय स्थाई सवैतनिक रोजगार उपलब्ध कराया जाय। सरकार स्वयं विभिन्न आर्थिक कार्यो, उत्पादों सम्बन्धी संस्थानों की स्थापना करे और लक्षित वर्ग को ही उन कार्यो के लिए नियुक्त करे। इससे ऋणों के रूप में विपुल धनराशि का अपव्यय नहीं होगा और लक्षित वर्ग को एक निश्चित आय प्राप्त हो सकेगी और तभी हम इस वर्ग को गरीबी रेखा से ऊपर लाने में सक्षम होंगे।

राज्यों, जिलों और विकास खण्ड स्तर पर इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में जो अधिकारी काम कर रहे हैं उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान प्रशिक्षण प्रदान करता है इस तरह इससे कार्यक्रम के क्रियान्वयन करने के तरीकों में एक रूपता आती है। इसके अलावा यूनिसेफ की मदद से राज्यों में प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया

जाता है साथ ही प्रमुख बैंकों के अधिकारियों को भी बुलाया जाता है ताकि सरकारी एजेंसियों एवं वित्तीय संस्थानों के बीच बेहतर ढ़ंग से तालमेल हो सके।

इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन हेतु किए गये सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्षो से उपयुक्त मूल्यांकन पूर्णरूपेण स्पष्ट हो चुका है अब हम सर्वेक्षण से प्राप्त लाभार्थी परिवारों के व्यक्तिगत साक्षात्कार से प्राप्त बैंक अतिदेयो एवं बकाया ऋण राशियों की समीक्षात्मक व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं।

यदि ऋण वसूली का ईमानदारी से आकलन किया जाय तो यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि कुल दिये गये ऋणों का 55 प्रतिशत से भी अधिक भाग अतिदेय है। जिनकी वसूली करना अत्यन्त कठिन व पेचीदा है वही इन ऋणों की राशि दिन व दिन बढ़ती जा रही है। इसका प्रमुख कारण यह है कि जिस उदारता से बैंकों ने ऋण प्रदान किये उसी तर्ज पर ऋणियों से ऋण बसूली नहीं हो पाई। ऐसा नहीं है कि बैंक ऋणकर्ता की ईमानदारी, ऋण सम्बन्धी उनकी आवश्यकता उद्देश्य की उपयोगिता आदि के बारे में शल्य क्रिया नहीं करते हैं। उल्टा यह समझा जाने लगा है कि ऋण लेना तो लोक तांत्रिक अधिकार है वह भी बिना किसी जमानत के। अतः स्पष्ट है कि ऋण देना जितना महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है ऋण

वसूली।

बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थायें लोगों को कृषि, उद्योग, व्यापार आदि के लिए रियायती दरों पर ऋण प्रदान करती हैं। ताकि देश में गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे लोग आत्मनिर्भर बनें, अपना जीवन स्तर सुधारें। इस दिशा में ऋण उदार शर्तो पर दिये जाते हैं और निर्धारित समय में इन ऋणों को किश्तों में अदा करने के अन्यान्य उपायों को ही बसूली कहा जाता है। यदि ऋण कर्ता अपनी जिम्मेदारी से ऋणों की अदायगी करते जाए तो बैंकों की लाभप्रदता पर खरोंच तक नहीं आएगी। अन्यथा इस लाभ प्रदता का ग्राफ निश्चित रूप से नीचे गिरेगा और गिरा भी है।

बैंको की विशेषकर ग्रामीण एवं अर्धशहरी शाखाओं के ऋण वसूली की मन्दता के कुछ निम्न कारण स्पष्ट हुये हैः—

1. बहु ऋण प्रणाली पर ढीला नियंत्रण एवं विभिन्न वित्तीय संस्थानों से उचित पारस्परिक समन्वय का अभाव।
2. ऋणी के साथ निरन्तर सम्पर्क न बनाये रखना।
3. राजनीतिक प्रश्रयता से ऋणों का दुरुपयोग।
4. हितग्राहियों द्वारा बैंक ऋण को उत्पादन कार्यो में न लगाकर निजी आवश्यकताओं को पूरा करने में खर्च करना।
5. अनुदान राशि के समायोजित हो जाने पर ऋणी द्वारा उत्पादकता

में विशेष रूचि न लेना।

6. ऋण देने से पहले ऋणी को पूर्ण जानकारी एवं वांछित विवरण प्राप्त न होना।
7. ऋण के स्पष्ट निर्धारित लक्ष्य की तरह बसूली लक्ष्य न होना।
8. उत्पादकता तथा आय–स्तर के साथ ऋण के उद्देश्य का संबन्ध न होना।
9. हितग्राहियों द्वारा सरकार के ऋण माफी ऐलान की प्रतीक्षा करना।

आर्थिक नीतियों एवं वित्तीय धरातल पर उत्पन्न चिंताओं और समस्याओं को बसूली का मात्र राग अलापने से दूर नहीं किया जा सकता। अब केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, एवं वित्तीय संस्थानों के आपसी समन्वय की जरूरत है। जिससे ऋण कर्ताओं द्वारा ऋण अदायगी को गम्भीरता से लिया जाय। ऋण वसूली के सम्बन्ध में निम्न उपाय कारगर हो सकते हैं।

1. फसल पर अति सतर्कता,
2. समृद्ध किसानों की पहचान,
3. राजनीतिक हस्तक्षेप न हो,
4. वसूली शिविरों का नियमित आयोजन,
5. गांवों की गतिविधियों में भाग लेना,

6. बैंकों द्वारा गतिविधियों का आयोजन,
7. किसान क्लवों का आयोजन,
8. पूर्ण वित्त पोषण,
9. ऋण का सदुपयोग,
10. न्यायालय प्रक्रिया सरल हो,
11. जिलाधीश द्वारा समीक्षा,
12. सामाजिक चेतना।

निष्कर्ष यह है कि ग्रामीण बैंक शाखायें सच्चे दोस्त, दार्शनिक एवं पथ प्रदर्शक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करें ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के संसाधनों को यथार्थ मजबूती मिल सके। ऋणकर्ता को चाहिए कि रचनात्मक ऋण प्राप्त करें, सही दिशा में प्रगति करें और समय पावंदी से ऋण अदायगी करें।

एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम की मुख्य कमजोरियाँ निम्न प्रकार है जो मूल्यांकन के समय परिलक्षित हुई।

1. जिन लोगों के लिए यह कार्यक्रम नहीं तथा ऐसे 10 प्रतिशत लोगों का भी इस कार्यक्रम में चयन हुआ है।
2. 70 प्रतिशत मामलों में लाभार्थिओं के अनुसार साधनों की लागत एवं मूल्य में कोई फर्क नहीं था। 15 प्रतिशत मामलों में रूपयों में

कुछ अन्तर पाया गया।

3— लाभार्थियों ने 4 प्रतिशत मामलों में अपनी समाप्त हो गयी सम्पत्ति के बीमा स्थानान्तरण के लिए आवेदन दिया था, परन्तु यह केवल 1 प्रतिशत मामले में ही दिया गया।

4— जितने मामलों में प्रशिक्षण की आवश्यकता थी उतना प्रशिक्षित नहीं किया गया।

5— लाभार्थियों के पास आधारभूत सुविधाओं की बेहद कमी थी। साधन सुविधा केवल चार प्रतिशत मामलों में, मण्डी व्यवस्था की सुविधा 20 प्रतिशत मामलों में एवं मरम्मत व्यवस्था 10 प्रतिशत मामलों में उपलब्ध कराई जा सकी।

6— जिन परिवारों का सर्वेक्षण किया गया, उनमें से लगभग 52 प्रतिशत के पास कोई बकाया बसूली नहीं थी और 45 प्रतिशत के पास 2000 रूपय से कम बकाया बसूली थी।

7— लगभग 15 प्रतिशत मामलों में कोई आय वृद्धि नहीं हुई।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की सफलता के लिये उठाये गये कदम :-

(१) सामूहिक जीवन बीमा योजना :-

योजना बीमा निगम की सहायता से सामूहिक जीवन बीमा योजना शुरू की गई ताकि कार्यक्रम के लाभार्थियों को सामाजिक सुविधा दी

जा सके। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी का 3000रू0 का बीमा होता है जिसके लाभ आकस्मिक मृत्यु के उपरान्त नामित व्यक्ति या परिवार के आश्रितों को दिये जाते हैं।

(२) कार्यो में विविधता लाना :-

कार्यक्रम में अन्य विविध कार्यो की शुरूआत की जानी चाहिए। फल और सब्जियों की डिब्बा बंदी, मत्स्य पालन केन्द्र, रेडीमेड वस्त्रों का निर्माण आदि नये कार्यो को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। इस प्रकार के कार्यो के मूल्यांकन हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न समितियों एवं संस्थाओं की स्थापना की गई है।

(३) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर निगरानी :-

सम्पत्ति की जांच करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर निरीक्षण शुरू कर दिया गया है। जिला अधिकारियों को नियमित रूप से दौरे करने और जांच करने की सलाह दी गई है। जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों को भी ऐसा ही करने को कहा गया है। इन एजेन्सियों के लिए जरूरी है कि वे हर तीसरे महीने समीक्षा बैठक करें और दैरे करके इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर निगरानी रखें तथा सुधार के लिए आवश्यक कदम उठायें।

(४) योजना बनाते समय व्यावसायिकता की कमी को दूर करने के लिए उठाये गये कदम :-

अनेक जांचों से यह पता चलता है कि जिला स्तर की योजनाओं को बनाते समय विशेषज्ञता और व्यवसायिकता की कमी होती है। इन्हें दूर करके योजना को सफल बनाया जा सकता है। प्रयोग के तौर पर विभिन्न संस्थानों के व्यावसायिक लोगों को जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों में नियुक्त किया गया है। ताकि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की विशेष योजनाओं को व्यावसायिक लोग ही बना सकें। ग्रामीण विकास विभाग ने राज्य सरकारें को सलाह दी है कि जिन अधिकारियों के पास आवश्यक तकनीकी शिक्षा है, उन्हें ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए नियुक्त किया जाय।

(५) नवीकरण संबधी कार्यक्रम :-

लघु एवं कुटीर उद्योगों में परम्परागत वस्तुओं के निर्माण के स्थान पर नवीकरण सम्बन्धी वस्तुयें जैसे छोटी मशीनों के कल पुर्जे, चमड़े का सामान जैसे पर्स इत्यादि का निर्माण करना।

(६) छोटे स्तर के उद्योगों को लगाने के लिए प्रोत्साहन देना :-

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जो ग्रामीण निर्धन आते हैं उन्हें छोटे स्तर के उद्योग लगाने के लिए पंजीकृत सहकारी

संस्थाओं ने उत्पादन शुल्क में छूट प्रदान की गई है। जैसे – खाद्यान्नों की डिब्बा बन्दी चमड़े के सामान, टी0वी0 सेट, रेडियों, वोल्टेज स्टैपलाइजर, इलैक्ट्रनिक घड़िया, बच्चों के खिलौने इत्यादि।

(७) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्पादित होने वाली वस्तुओं के लिए मण्डी व्यवस्था :-

ग्रामीण प्रौद्यौगिकी विकास परिषद में सेल का गठन किया गया है जो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अर्न्तगत उत्पादित होने वाली वस्तुओं के लिए व्यवसायिक आधार पर मण्डी व्यवस्था का इन्तजाम करेगा। इसमें मण्डी व्यवस्था के विशेषज्ञ होंगे जो विभिन्न संगठनों को कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्पादित वस्तुओं के लिए मण्डी व्यवस्था के बारें में सलाह व निर्देश देंगे।

भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जरूरी है कि गांवों का पूरी तरह विकास किया जाय क्यों कि भारत गांवों में ही बसता है गांवों में गरीब वर्ग का उत्थान ही सही दिशा में उत्थान है और गरीबों में महिलाओं और अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों का विकास ही सही दिशा में विकास की पहली शर्त है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में 55 प्रतिशत लाभार्थियों ने गरीबी रेखा को (सालाना आय 11,000 रू0) पार किया। अनुसूचित जाति/जनजाति के सम्बन्ध में जो

लक्ष्य निर्धारित था उसे भी पूरा किया गया। महिलाओं के लिये निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति न हो सकी इस दिशा में समन्वित ग्रामीण विकास के कारगर क्रियान्वयन के लिए उठाये गये कदमों में हम यह आशा करते है कि आने वालें वर्षो में यह कमी पूरी कर ली जायेगी और यह कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं और पिछड़े वर्ग के लोगों को अन्य वर्गो के समकक्ष लाने में अहम भूमिका अदा करेगा।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की प्रगति व सफलताओं का मूल्यांकन करने पर कुछ कमियां नजर आती है जो निम्न प्रकार हैं :-

– समन्वित ग्रामीण विकास हेतु अपयुक्त ढ़ाचे का आभाव पाया गया जिसके कारण पर्याप्त प्रारम्भिक तैयारी न हो सकी। व्यवहारिक रूप में इन तैयारियों का पूर्ण आभाव अध्ययन क्रम के सर्वेक्षण के दौरान स्पष्ट रूप से जालौन जिले में पाया गया है।

– प्रत्येक प्रखण्ड में गरीबों की दशा अलग–अलग होती है, ऐसी स्थिति में देश के सभी प्रखण्डों में से प्रत्येक प्रखण्ड से प्रतिवर्ष 3000 परिवार आर्थिक सहायता के लिए चुनना सही प्रतीत नहीं होता है।

– जिन परिवारों का चयन इस कार्यक्रम के लाभार्थियों के रूप में

किया गया है, वे इस कार्यक्रम से पूर्णतया अनभिज्ञ थे जिससे वे इसे अपनाने के प्रति अधिक जागरूक नही पाये गये।

- इस कार्यक्रम गरीब व्यक्तियों को ऋण न देकर सामान्यतया प्रशासन द्वारा एसे लाभार्थियों को ऋण दिया गया जिनका बैंक की तरफ कोई ऋण बकाया नहीं था।

- जिस गति से इस कार्यक्रम का विस्तार तथा प्रार्थियों की संख्या में वृद्धि हो रही है उस गति से बैंकों के द्वारा ऋण, अनुदान प्रदत्त नहीं किया जा रहा है।

- योजना के प्रति लाभार्थियों को जागरूक करने के लिए इस कार्यक्रम में उपयुक्त जानकारी व शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

- इस कार्यक्रम में बेनामी लाभार्थियों की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। जिससे सही व्यक्ति को ऋण प्राप्त नहीं हो पा रहा है। ऐसा अध्ययन से प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट हुआ है।

- लाभार्थियों द्वारा उत्पादक कार्यो के लिए ली गई आर्थिक सहायता

अनेक बार उपभोग क्रियाओं में खर्च कर दी जाती है जिससे प्रदान की गई सहायता का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है।

इस कार्यक्रम में ग्रामीण विकास के लिए किसी स्थाई संस्था के गठन का कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। जिससे जनता में यह भय बना रहता है कि यह कार्यक्रम भी सरकार का एक कार्यक्रम बन कर रह जायेगा। यह तथ्य लाभान्वित परिवारों के संग्रहित विचारों से स्पष्ट है।

– जालौन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण तथा विभिन्न बैंक कर्मचारियों (विशेष रूप से वाणिज्यिक बैंकों) द्वारा इस कार्यक्रम को पूर्ण निष्ठा से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। जिनके द्वारा ऋण प्रस्तावों पर बिना विचार विमर्श किये ही ऋण दे दिया जाता है जो या तो पर्याप्त नहीं होता या उसका सही आवंटन नहीं हो पाता। इस प्रकार के विचार लाभार्थियों ने सर्वेक्षण क्रम में स्पष्ट किये हैं।

प्रस्तुत अध्ययन से प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण से उपरोक्त कामियों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को भविष्य में अधिक प्रभावी बनाने हेतु निम्न सुझाव दिये जा सकते हैं –

– अधिकारियों द्वारा लाभार्थियों के लिए जिन योजनाओं का चयन किया जाए उस समय उन्हें पूरा ध्यान रखना चाहिए कि इस कार्य में पर्याप्त लाभ बचाने की गुंजाइश हो। ऐसी योजना का चयन नहीं किया जाना चाहिए जिसमें जोखिम की अधिक सम्भावना हो।

– इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के समय ब्लाक अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जालौन द्वारा अधिक कठोरता से निगरानी किये जाने की भी नितान्त आवश्यकता है ताकि कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

– इस कार्यक्रम के लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति का भी समय–समय पर अध्ययन किया जाना चाहिए ताकि उनकी अद्यतन स्थितियों से अवगत होकर सुधारात्मक प्रयास करके कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके।

– समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में प्रत्येक प्रखण्ड स्तर पर समयबद्ध योजनाओं का निर्माण किया जाये। जिसके अन्तर्गत लाभार्थियों की शिनाख्त, ऋण प्रतिवेदन जमा किये जाने, परिसम्पत्तियों की आपूर्ति आदि सभी सम्बद्ध क्रियाओं का पूर्ण विवरण सम्मलित किया जाए।

– इस कार्यक्रम के संगठनात्मक पहलुओं में भी पर्याप्त सुधार किये जाने की आवश्यकता है। जिनके लिए विभिन्न सहकारी समितियों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से सह सम्बन्धित किया जाना चाहिए।

– जालौन जिले के जो कर्मचारी इस कार्यक्रम में अत्यधिक सहयोग पूर्ण एवं उत्पादक सिद्ध हो रहे हों, उन्हें पर्याप्त पारितोषिक दिये जाने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए।

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो रहा है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम वर्तमान समय में जालौन जिले के ग्रामीण विकास का केन्द्र बिन्दु बन चुका है। जिले की ग्रामीण गरीबी की समस्या से जूझने का यह अद्वितीय प्रयास है। निःसन्देह यह कार्यक्रम सही दिशा में कार्यरत है यह अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर पूर्ण रूपेण कहा जा सकता है। वर्तमान समय में केवल आवश्यकता इस बात की है कि इस कार्यक्रम से सम्बन्धित जिन कमियों एवं त्रुटियों की ओर प्रस्तुत अध्ययन के माध्यम से ध्यान दिलाने का प्रयास किया गया है उनमें यथेष्ट सुधार किया जाये। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह भी होना चाहिए कि जिन परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाए उनके लिए एक ऐसी स्थाई परिसम्पत्ति का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे परिवार की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति सहजता से की जा

सके। साथ ही साथ समन्वित ग्रामीण विकास के माध्यम से जालौन जिले की ग्रामीण गरीबी को पूर्णरूपेण उन्मूलित किया जा सके और सम्पूर्ण जिले में संतुलित विकास स्पष्ट रूप से प्रकट हो सके और जिले के गरीबों का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक नैतिक, शैक्षिक एवं चारित्रक विकास के माध्यम से जालौन जिले को उत्तर प्रदेश में एक आदर्श जिले के रूप में प्रतिष्ठित किया जा सके जो इस प्रस्तुत अध यन का प्रमुख अभीष्ट है। विश्वास है भविष्य में जालौन जनपद में ग्रामीण गरीबो की दशाओं में सुधार लाने में, प्रस्तुत अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों तथा इसके अन्तर्गत चिन्हांकित की गयी कमियों को दूर करने का भी सफल प्रयास किया जा सकेगा।

सन्दर्भ-ग्रन्थ सूची

सन्दर्भ–ग्रन्थसूची

– अरोड़ा, आर0सी0 : "इन्ट्रीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट" नई दिल्ली

– अरोड़, आर0सी0 : "उद्योग एवं ग्रामीण विकास" 1978

– कुमार, बी0 : "प्लानिंग पॉब्र्टी एण्ड इकोनामिक डेबलपमेंट" नई दिल्ली दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स, 1984

– गाँधी, मोहनदास करमचन्द : "ग्राम योजना" हरिजन, 20 मार्च 1940

– धीगंरा, आई0सी0 एण्ड गर्ग, वी0के0 : "इकोनामिक डेवलपमेन्ट एण्ड प्लानिंग इन इंण्डिया" नई दिल्ली

– जोशी, पूरनचंद : "भारतीय ग्रामों का संस्थानिक परिर्वतन एवं आर्थिक विकास" राजकमल प्रकाशन

– मिश्रा, आर0पी0 एवं सुन्दरम् वी0के0 : "मल्टीपल प्लानिंग एण्ड इन्ट्रीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया" नई दिल्ली, 1980

– तिवारी, जे0के0 : ''रूरल एडमिनिस्ट्रेशन'', 1984

– राव डी0 राघव : ''पंचायत एण्ड रूरल डेवलपमेंट'' आशीष पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1980

– सिंह, चरण : ''भारत की अर्थनीति'' गांधीवादी रूपरेखा, 1979

– राव, आर0वी0 : ''रूरल इण्डस्ट्रियलाइजेशन इन इण्डिया'' कान्सेप्ट पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1983

– मेमारिया, सी0बी0 : ''कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एण्ड एग्रीकल्चर प्राब्लम्स इन इण्डिया''

– बिहारी, विपिन : ''अनइम्प्लाइमेंट टेक्नोलाजी एण्ड रूरल पोवर्टी'', विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा0लि0, नई दिल्ली

– भाटियां, बी0एम0 : ''पावर्टी, एग्रीकल्चर एण्ड इकनोमिक ग्रोथ'', विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा0 लि0 नई दिल्ली

– भटनागर, के0एम0 : ''मोविलाइजेशन आफ रूरल यूथ फार डेवलपमेंट''

– भट्टाचार्य, एम0एन0 : ''नेशनलाइत्ड बैंक्स इन रूरल इकनामी'' कुरूक्षेत्र, अक्टूबर, 1972

– ''गांधीजी एण्ड रूरल रीकन्सट्रक्शन'' खादी ग्रामोद्योग, दिसम्बर 1985

– दुब्बासी,पी0आर0 : ''टूवार्डस सकसेस आफ आई0आर0डी0'' फिनान्सियल एक्सप्रैस'' मार्च 1984

– अहलूवालेया, एम0एस0 : ''रूरन पावर्टी एण्ड एग्रीकल्चर परफारमेंस इन इण्डिया'' दि जनरल आफ रूरल डेपलपमेंट स्टटीज न03 वाल्यूम 14

– गान्धी,राजीव : ''न्यू स्ट्रेटजी आफ रूरल डेवलपमेंट'' द पयोनियर नवम्बर 5 लखनऊ

– घाटे भु : ''डायरेक्ट अटैक आन रूरल पावर्टी पालसी प्रोग्राम्स एण्ड इम्प्लीमेन्टेशन'' कान्सेप्ट पब्लि0 न्यू डेलही

– पटेल ए0आर0 : ''बैक्स कैन हैल्थ डियूस अरवर पावर्टी'' योजना वाल्यूम 31 नं0 13 जुलाई

– राव, वा0के0आर0वी0 : '' सम नेग्लेक्टैड फैक्टर्स इन इन्टीग्रेटेड रूरल डिवलपमेंट–एड्रेस एट दि फोर्टीन्थ कन्वेन्शन आफ दि इण्डियन एग्रीकल्चरल इन्स्टीट्यूट आन 29 जनवरी

– सिंह सीताराम : '' हाऊ टू इन्प्रूब रूरल सीनरी फास्टर–योजना वाल्यूम 30 नं0 9

- सुन्दरम्, आई0एस0 : "ए0टी0 पावर्टी रूरल डेवलपमेंट इन इण्डिया" विकास पब्लिसिंग हाउस न्यू डिलही.
- भारत सरकार (फैक्ट्स फारयू) : "पावर्टी अनइम्पलायमेंट एण्ड अनइक्वालिटी", योजना, नई दिल्ली दिसम्बर, 1984
- "फार दी रूरल पुअर", ग्रामीण विकास, मंत्रालय, नई दिल्ली.
- उ0प्र0 सरकार, वार्षिक कार्य योजना, इलाहाबाद बैंक उ0प्र0
- वार्षिक कार्य योजना, एवं वर्षिक ऋण योजना (1995–96, 1996–97,
- 1997–98, 1998799) इलाहाबाद बैंक जालौन–उरई
- उ0प्र0 सरकार, " वार्षिक प्रतिवेदन"– जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जालौन, उरई (1995–96, 1996–97, 1997–98, 1998–99)
- भारत सरकार– " एलविएशन आफ रूरल पोवर्टी " नई दिल्ली ग्रामीण विकास मंत्रालय.
- भारत सरकार "डेवलपमेंट आफ वोमेन एण्ड चिल्डेन इन रूरल एरियाज " नई दिल्ली, ग्रामीण विकास मंत्रालय 1988.
- भारत सरकार " ग्रामीण विकास न्यूज लैटर" मासिक जनरल, ग्रामीण विकास विभाग, नई दिल्ली.
- भारत सरकार " गाइडलाईन्स आन रूरल इन्डस्ट्रीज कम्पोनेंट आफ आई0आर0डी0पर0 एण्ड ट्रसइसेम फोर, नई दिल्ली

– भारत सरकार– ''इन्ट्रीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एण्ड एलाइड प्रोग्राम्स ए मेनुअल'', नई दिल्ली ग्रामीण विकास विभाग.
– भारत सरकार ''आई0आर0डी0पी0 एण्ड एलाईड प्रोग्राम ए0 मैन्युअल'', नई दिल्ली, ग्रामीण विकास मंत्रालय.
– उ0प्र0 सरकार– आई0आर0डी0पी0– वार्षिक प्रखण्ड योजना ग्रामीण विकास विभाग लखनऊ.
– योजना, भारत सरकार प्रकाशन विभाग पटियाला हाउस, नई दिल्ली. जनवरी से दिसम्बर 1985–86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95.
– कुरूक्षेत्र मासिक भारत सरकार ग्रामीण विकास विभाग, जनबरी से दिसम्बर 1985, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95
– आर्थिक समीक्षा, वित्तमंत्रालय, आर्थिक प्रभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली – 1990.91, 91,92, 1992–93, 1993, 94, 1994, 95
– उ0प्र0 एक झलक, 1995, 96, 97, 98, 99
– जालौन एक झलक, 1995, 96 जिला सांख्यिकी कार्यालय
– समाजिक समीक्षा जनपद जालौन, 1995–96, 1996,97, 1997,98